3.3.2 Number of books and chapters in edited volumes/books published and papers published in national/ international conference proceedings per teacher during last five year, 2018-19

Sl. No.	Name of the teacher	Title of the book/chapters published	Title of the paper	Title of the proceedings of the conference	Name of the conference	National / International	Calendar Year of publication	ISBN number of the proceeding	Affiliating Institute at the time of publication	Name of the publisher
1	Dr. Dayashankar Singh Yadav	Samsamyik Muddey	Samsamyik Muddey	NA	NA	National	2018	978-81-909022-5-3	SAKALDIHA P G COLLEGE SAKALDIHA CHANDAULI	Wisdom books vns
2	Dr. Dayashankar Singh Yadav	Sashakt Nari Sashak Bharat	Sashakt Nari Sashak Bharat	NA	NA	National	2019	978-93-84397-75-3	SAKALDIHA P G COLLEGE SAKALDIHA CHANDAULI	Utkarsh Pub. And distribyutars kanpur
3	Dr. Dayashankar Singh Yadav	Itihas bodh aur Mukti ka Sawal	Itihas bodh aur Mukti ka Sawal	NA	NA	International	2019	978-81-937568-7-4	SAKALDIHA P G COLLEGE SAKALDIHA CHANDAULI	Swraj prakashan new delhi
4	Dr. Dayashankar Singh Yadav	AIDS jagrukta hi bacha	AIDS jagrukta hi bacha	NA	NA	National	2019	978-64-593-87879-	SAKALDIHA P G COLLEGE SAKALDIHA CHANDAULI	Innova Internationalpublication nai Delhi
5	Dr. Mahendra Pratap Singh	BHAUGOLIK CHINTAN KA VIKAS	NA	NA	NA	National	2019	978-81-938539	Sakaldiha PG College Sakaldiha Chandauli	Tara Prakashan Varanasi
6	Dr. Dayashankar Singh Yadav	Impact of Covid 19 on Education in India	Impact of Covid 19 on Education in India	NA	NA	National	2020	978-93-84397-90-6	SAKALDIHA P G COLLEGE SAKALDIHA CHANDAULI	Utkarsh publishers anddistributors Kanpur
7	Dr. Dayashankar Singh Yadav	Vikas paryavaran aur Kabir 19 eksamajshastri adhyayan	Vikas paryavaran aur Kabir 19 eksamajshastri adhyayan	NA	NA	National	2020	978-93-84397-95-1	SAKALDIHA P G COLLEGE SAKALDIHA CHANDAULI	Utkarsh publishers anddistributors Kanpur
8	Dr. Dayashankar Singh Yadav	Manav jivan ki samajik arthik sthiti perkovind 19 ka prabhav	Manav jivan ki samajik arthik sthiti perkovind 19 ka prabhav	NA	NA	National	2020	978-93-84397-89-0	SAKALDIHA P G COLLEGE SAKALDIHA CHANDAULI	Utkarsh publishers anddistributors Kanpur
9	Dr. Dayashankar Singh Yadav	Sashakt Mahila Atmnirbhar Bharat	Sashakt Mahila Atmnirbhar Bharat	NA	NA	National	2021	978-81-948990-7-5	SAKALDIHA P G COLLEGE SAKALDIHA CHANDAULI	Rawat prakasan new delhi
10	Dr. Dayashankar Singh Yadav	Korona kal ke dauran Sursa ki Tarah badi Berojgari	Korona kal ke dauran Sursa ki Tarah badi Berojgari	NA	NA	National	2021	978-81-8736481-8	SAKALDIHA P G COLLEGE SAKALDIHA CHANDAULI	Gaytri publications Rewa
11	Dr. Indradeo Singh	ARTHIK VISHELASHAN KE SINDHANT	ARTHIK VISHELASHAN KE SINDHANT	NA	NA	National	2021	978-93-83583-56-0	Sakaldiha PG College Sakaldiha Chandauli	SRIJAN SAMITI PRAKASHAN VARANSI
12	Dr. Ajay Kumar singh Yadav	ENVIROMENT DEVELOPMENT AND HUMAN HEALTH	ENVIROMENT DEVELOPMENT AND HUMAN HEALTH	NA	NA	National	2021	978-93-84397-95-1	Sakaldiha PG College Sakaldiha Chandauli	UTKARSH PUBLICATION & DISTRIBUTORS KANPUR
13	Dr. Dayashankar Singh Yadav	Muly kshikcha:ek samajik vimarsh	Muly kshikcha:ek samajik vimarsh	NA	NA	National	2022	978-93-91635-41-1	SAKALDIHA P G COLLEGE SAKALDIHA CHANDAULI	Utkarsh Pub. And distribyutars kanpur
14	Dr. Mahendra Pratap Singh	मूल्य शिक्षा	SAMAJ ME MULYA SIKSHA	NA	NA	National	2022	978-93-91635-41-1	Sakaldiha PG College Sakaldiha Chandauli	UTKARSH PUBLICATION & DISTRIBUTORS KANPUR
15	Dr. Dayashankar Singh Yadav	Varanasi me kaushl vikash aur rojagar sambhawanaye	Varanasi me kaushl vikash aur rojagar sambhawanaye	NA	NA	National	2023	978-93-82967-45-3	SAKALDIHA P G COLLEGE SAKALDIHA CHANDAULI	Jembo Dizital print
16	Vandana Kumari	DIGITAL ADDICATION IN INDIAN YOUTH CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR EFFECTIVE PREVENTION	NA	NA	NA	National	2023	978-93-94903-08	Sakaldiha PG College Sakaldiha Chandauli	Prasad psycho noida-sector, 67

17	Vandana Kumari	DIGITAL ADDICATION IN INDIAN YOUTH CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR EFFECTIVE PREVENTION	SMARTPHONE USER'S SELF PERCEPTION ABOUT ITS USAGE HABIT AND ADDICTION : A FOCUSED A GROUP STUDY	NA	NA	National	2023	978-93-94903-09	Sakaldiha PG College Sakaldiha Chandauli	Prasad psycho noida-sector, 68
18	Dr. Mahendra Pratap Singh	MANAV BHULOG AWAM PRAYOGIK	NA	NA	NA	National	2023	978-93-87200-31-9	Sakaldiha PG College Sakaldiha Chandauli	Bhugol Kala Prakashan Varanasi

जनतन्त्र के पक्ष में **2**

इतिहास की राजनीति

प्रधान संपादक

सर्वेश कुमार मौर्य

संपादक

रमेश यादव

स्वराज प्रकाशन

प्रधान कार्यालय

स्वराज प्रकाशन
4648/1, 21, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002
दूरभाष : 011-23289915
E-mail : swaraj_prakashan@yahoo.co.in

शाखा
288, ई.डब्लू.एस., शास्त्रीपुरम
आगरा-282007 (उ.प्र.)

© सर्वेश कुमार मौर्य / रमेश यादव
मूल्य : ₹ 100
प्रथम संस्करण : 2019
ISBN : 978-81-937568-7-4

अजय मिश्रा द्वारा **स्वराज प्रकाशन,** 4648/1, 21, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा ओम आफसेट, जगतपुरी शाहदरा, दिल्ली-110093 में मुद्रित

अनुक्रम

	जनतंत्र के पक्ष में		3
	भूमिका		7
1.	औपनिवेशिक इतिहास लेखन और प्रयोजन	**मेनका श्रीवास्तव**	19
2.	नवजागरण और राष्ट्रवादी इतिहास का आधार	**मुकेश कुमार**	27
3.	महात्मा फुले और जन इतिहास का लेखन	**रमेश यादव**	37
4.	डॉ. अंबेडकर का इतिहास चिंतन और राजनैतिक जागरण	**अजय कुमार बिंद**	55
5.	इतिहास लेखन और धर्म की राजनीति	**राजेश्वर कुमार**	67
6.	वर्तमान भारत में इतिहास का पुनर्लेखन और दृष्टि का संकट	**सत्य प्रकाश**	79
7.	इतिहास-बोध और मुक्ति का सवाल	**दयाशंकर सिंह यादव**	88
8.	आस्था की हिंसा	**शंभुनाथ**	99
	लेखक संपर्क		136

7

इतिहास-बोध और मुक्ति का सवाल

❑ दयाशंकर सिंह यादव

'मुक्ति' शब्द का प्रयोग सनातन परंपरा में 'कर्म बंधन से मुक्ति' के मायने में किया जाता रहा है। आधुनिक काल में इसका अर्थ बदला और यह दमन, शोषण, जाति, और नस्ल आदि भेदों से मुक्ति के अर्थ में इस्तेमाल होने लगा। जहां तक भारत का सवाल है तो अधिकाशं जनता को मुक्ति की झलक राजनीति की राहों पर चल कर मिली है। सदियों से असमानता को ढोते आ रहे इस समाज को कम से कम राजनीति ने समानता का एक मंत्र दिया—एक व्यक्ति, एक वोट। बहुजन नेता कांशीराम ने इसमें एक पद और जोड़ा था—एक नोट। नोट अर्थात्, आर्थिक योगदान। राजनीति और आर्थिक दशा। भारत में 1990 के समय उत्तर भारत की राजनीति में बड़ा फेरबदल हुआ। कांग्रेस का एकाधिकार टूटा और भाजपा समेत अनेक छोटी पार्टियों का उदय हुआ। इसका बड़ा फायदा पिछड़ी और दलित जातियों को मिला। वे सत्ताशीन हुईं अथवा सत्ता के संघर्ष में शामिल हुईं। देश में 1990 के बाद अर्थव्यवस्था में बदलाव हुआ, मुक्त व्यापार की नई अर्थव्यवस्था आई। मीडिया, संचार, शेयर, आउट सोर्सिंग तथा कंप्यूटर के नए क्षेत्र पनपे और आर्थिक उत्पादन बढ़ा। जिसका बड़ा फायदा उच्च मध्य वर्ग में शामिल ब्राह्मण, बनियां, जैन और कायस्थ जैसी जातियों को हुआ। यह दोनों बातें एक पहेली को जन्म देती हैं। राजनीति तो आर्थिक दशाओं के अनुरूप सत्तासीन समूहों के हित का पोषण करती है। तब नई अर्थ नीति से फायदा तो परंपरागत रूप से मध्यवर्ग की जातियों को मिल रहा है जबकि राजनीति में प्रसार परंपरागत रूप से पिछड़ी दलित जातियों का हो रहा है। आर्थिक ताकत तो किसी समूह की बढ़ रही है और राजनैतिक रुतबा किसी दूसरे समूह का बढ़ता जा रहा है। इस विरोधाभास को परखने की कोशिश इस पर्चे में की गई है। इस परख के पीछे आंकड़ों की ताकत नहीं, एक विनम्र आग्रह भर है।

1990 तक आते-आते भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने विरोधाभाषों के साथ आकर अटक गई। राजनैतिक उथल पुथल की आंच में इसकी बची-खुची जीवनी शक्ति भी सूख गई। चंदशेखर सरकार को अपनी माली हालात बचाने के लिए देश के बाहर सोना गिरवी रखना पड़ा। इसके बाद देश में मुक्त व्यापार के आदर्श के साथ नई आर्थिक व्यवस्था आई। साथ में आए संचार तकनीक, सूचना, मनोरजंन, मीडिया, आउटसोर्सिंग कंप्यूटर, रिटेल, व्यवसाय के नए क्षेत्र। इन नीतियों का मूल मकसद था अर्थव्यवस्था की जड़ता को तोड़ना तथा उत्पादन के स्रोत और संसाधनों को गतिशील करना। एक हद तक यह नीति अपना मकसद हासिल करने में कामयाब भी रही। पिछले तीन-चार सालों में 8-10 प्रतिशत की वृद्धि दर निरंतर कायम है। इसे देखकर मीडिया तो भारत को अगली विश्व शक्ति के रूप में दर्शाने लगा है। लेकिन मुद्‌दा इस वृद्धि के पीछे की सामाजिक शक्ति को उजागर करने का है, भविष्यवाणी का नहीं।

वास्तव में मुक्त व्यापार की नई नीति का गहरा संबंध भारत के उच्च मध्य वर्ग से है। इस मध्य वर्ग में परंपरागत प्रभुत्व की ब्राह्मण, कायस्थ, जैन तथा वणिक जातियां शामिल हैं। अन्य जातियां अगर शामिल हैं, तो अपनी प्रभावहीन स्थिति और संख्याबल के कारण नगण्य हैं। इस मध्य वर्ग को अपने संख्याबल के कारण 'ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास' कहा गया है। पिछले चार दशकों की नीतियों ने इसको भारी लाभ पहुंचाया, कॉन्वेंट ने इनके बच्चों को अंग्रेजी सिखाई, आई.आई.टी. जैसी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों ने ज्ञान दिया। व्यापक भ्रष्टाचार से सरकारी कल्याण की योजनाओं तथा कार्यक्रमों की अधिकांश पूंजी इनके पास थी। इनके पास उपस्थिति भाषा, ज्ञान और जमा पूंजी की ऊर्जा को मुक्त व्यापार की आर्थिक नीति ने एक झटके से मुक्त कर दिया। कहने का आशय नई अर्थव्यवस्था विश्व बैंक के दबाबों का नहीं इसी मध्य वर्ग की आकाक्षांओं का परिणाम थी। हालांकि वामपंथ और दक्षिण पंथ दोनों ने आरंभ में इनका विरोध किया लेकिन अपने वर्गीय जन को फायदा पहुंचते देख बाद में यह विरोध रस्म अदायगी के रूप में रह गया।

अर्थव्यववस्था के नए क्षेत्रों ने अपेक्षा के अनुरूप ही वस्तुओं और सेवाओं का भारी उत्पादन किया जिससे इनके पास अपार ताकत आ गई। इनमें अकेले मीडिया का वार्षिक टर्न ओवर लगभग 24,000 करोड़ रुपए का है। इन सभी नए क्षेत्रों पर पूंजी मालिकों तथा मध्यवर्ग की जातियों का लगभग एकाधिकार है। आउट सोर्सिंग और साफ्टवेयर ने तो मध्य वर्ग की एक पीढी, जिसमें नारायण मूर्ति व समीर भाटिया जैसे लोग शामिल हैं, को पूंजी मालिकों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया शेष बचे लोगों का इंतजाम मैनेजमेंट, मनोरंजन तथा मीडिया

उद्योग में कर दिया है। यही आज का खुशहाल वर्ग है, आशाओं से भरा-पूरा और विश्व शक्ति के लिए परमाणु समझौतों, अमेरिकी सहयोग और सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का ख्वाहिश मंद है।

अब अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र—कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन आदि का क्षेत्र। देश की पिछड़ी जातियों का इससे सीधा तो अन्य वंचित तबकों का परोक्ष संबंध रहा है। मुक्त व्यापार की व्यवस्था में इन क्षेत्रों में होने वाला सार्वजनिक निवेश बहुत कम कर दिया गया है। सिचाई योजनाएं रुक सी गईं, बैंक खेती के बजाय कार, बंगलों के ऋण पर ध्यान देने लगे और मीडिया की गुर्राहट के बाद सब्सिडी को सरकार ने वापस ले लिया। इसका नतीजा भी सामने आया। कृषि क्षेत्र के उत्पादन में कई बार विकास दर नकारात्मक हो गई। लोगों की क्रय क्षमता में कमी आई। दक्षिण पंथी सरकार ने अपने भरे हुए अनाज गोदामों को अपनी उपलब्धि के रूप में दर्शाया जबकि लोगों में अनाज खरीदने की क्षमती ही नहीं रह गई। इनके पेट खाली थे, इसलिए अनाज गोदाम भरे थे। कहने का आशय है उदारीकरण के बाद पूंजी की प्रवाह गांवों की ओर कम रह गया, खासकर जो शहरी केंद्रों से दूर थे। पूंजी के अभाव, विकास और आर्थिक क्रियाएं सिमट के रह गईं। इससे सामाजिक तनाव के बीज पनपे, विशेषकर पिछड़े और दलित समूहों के बीच पिछड़ी और दलित जातियों के बीच तनाव तो आजादी के बाद ही आरंभ हो गया था। जमींदारी प्रथा के खात्मे और हरित क्रान्ति के समय ही। ''जस जवान और जय किसान'' के नारों के बीच सुधारों का फायदा अहीर, कुर्मी, जाट और गूजर जैसी पिछड़ी जातियों को पहुंचा। जबकि लगभग भूमिहीनता की दशा में रहने वाली दलित जातियां इन फायदों से वंचित रहीं। इस कारण दोनों के बीच लगभग उदासीन संबंध सक्रिय हो उठे। पिछड़ों ने अतिरिक्त उपज और गांव के नेतृत्व शून्य को अपने लिए हासिल करने का प्रयास किया। गांव के नियंत्रण का कार्य कायस्थ, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जातियां करती थीं। इनमें पहली दो तो शहरी मध्य वर्ग की ओर पलायन करने लगीं, जबकि अंतिम जमींदारी पतन के बाद प्रभावहीन होने लगीं। नियंत्रण से आशय भूमि पर भूमिहीनों के श्रम पर, और सामाजिक मान्यताओं पर भी नियंत्रण से है। जब पिछड़ी जातियों ने उस शून्य को भरने की कोशिश की तब उनका टकराव दलित जातियों से हुआ। इस टकराव को अपने हित में मध्य वर्ग ने इस्तेमाल किया। ब्राह्मणीकरण के सर्जक नृतत्व शास्त्री एम.एस.एन. श्रीनिवास ने इसके लिए दवंग जाति की धारणा दी। इनके अनुसार भारी संख्या, राजनैतिक शक्ति तथा प्रशासनिक भागीदारी रखने वाली पिछड़ी जाति ही दंवग जाति है। यानि हिंदी फिल्मों में गरीबों को सताने वाले ठाकुर का रोल इन जातियों पर चस्पा कर दिया गया।

वास्तव में कथित दवंग जातियां मध्यकाल तक मुजारियान (किराए का किसान) का काम करती थी। अंग्रेजी शासन के प्रभाव से जजमानी प्रथा का अंत हो गया तब इनके वस्तुओं और सेवाओं की पहुंच एक स्वतंत्र बाजार तक हो गई। यहीं से इनकी हालात सुधरने लगी। फलतः सत्ता वर्ग की मजबूरी से उभरे कृषि सुधारों का उन्होंने लाभ उठा लिया। अपनी नई आर्थिक हैसियत के अनुरूप वे समान राजनैतिक हैसियत की इच्छा भी उनमें जागी। इस प्रकिया में उन्होंने सामंती व्यवस्था की राजनैतिक ताकत यानि क्षत्रिय से संघर्ष किया लेकिन इस व्यवस्था की नैतिक-आध्यात्मिक ताकत यानि ब्राह्मण से सहयोग किया। वे अब ब्राह्मण के लिए नई यजमान बन गए। कभी किसी ने कहा है उत्पीड़ित लोग अपने अस्तित्वगत क्षणों में उत्पीड़क से चिपके रहने का रवैया अपना लेते हैं ''इसी प्रकार से पिछड़े तबके सामंती व्यवस्था से जूझते हुए भी अंदर ही अंदर उनके आदर्शों को भी आत्मसात कर गए। दक्षिण पंथ के उभार में इन जातियों ने बड़ी भूमिका अदा की। बीजेपी में पिछड़े वर्ग के राजनीतिज्ञों की भारी संख्या उसके उग्र तेवर की मुख्य वजह है। लेकिन सामंती ठसक को निभा ले जाने की इनमें कूबत नहीं थी। वे भूमिहीन मजदूरों से काम ले नहीं सकते थे बल्कि इनके साथ इन्हें काम करना पड़ता था। श्रम कार्य के अतिरिक्त इनका भूमिहीन दलित के सामाजिक जीवन पर कोई नियत्रंण नहीं था दूसरा इनके पास ब्राह्मण जैसा चतुर सहायक भी नहीं था।

वास्तव में दवंगता के लिए दो मुख्य शर्त होती हैं, पहली, आर्थिक नब्ज पर नियंत्रण ताकि दूसरों के श्रम का शोषण किया जा सके। दूसरो, एक चिंतनशील वर्ग जो इस शोषण व्यवस्था को विचारधारात्मक और नैतिक रूप दें साथ में साहित्य, कला, प्रतीक, मिथकों और अन्य साधनों से इनका प्रचार-प्रसार कर सके। इससे शोषण को सामाजिक स्वीकृत मिलती है। और लोग इसे सहर्ष ही सहन करने को तैयार हो जाते हैं। सामंतीकाल में शोषण का यह रूप क्षत्रिय ब्राह्मण गठजोड़ में दिखाई पड़ता है। एक का भूमि और राजस्व पर नियंत्रण था, तो दूसरा इसी के अनुरूप कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत गढता था।

आधुनिक काल में यह गठबंधन पूरी तरह से टूटा नहीं लेकिन काफी कुछ बदल गया है। शहरी केंद्रों में गठबन्धन ब्राह्मण और बनिया वर्ग के बीच हुआ, तब क्षत्रिय को दूध की मक्खी की तरह बाहर रखा गया है। अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन के अधिकतर क्षेत्रों में—संचार मीडिया, शिक्षा, मनोरजंन, धर्म तथा अर्थव्यवस्था आदि में इसी गठबंधन और इसकी विचारधारा की ही नियत्रंण है। अब इसमें एम.एन. श्रीनिवास के कथित दंबग जातियों की कथित दबंगई कहां झलकती है। इस दबंगता के आधार पर आज के राजनीति की व्याख्या

हिंदी पत्रकार के अलावा शायद की कोई करे। इस मध्य वर्गीय गठजोड़ ने केवल शहरों को ही नहीं उत्तर भारत के समाज को ही अपने कब्जे में लेने के लिए कई तरीके अपनाए।

पहला नई आर्थिक नीति का तर्क ट्रिकल डाउन के आधार पर तैयार किया गया। ट्रिकल डाउन के अनुसार कुछ चुने लोगों को ही संपत्ति कमाने का अवसर दिया जाए। तब उनके पास सेवा करने वालों की—बाल काटने से लेकर मालिश करने वालों की फौज इकट्ठा होगी जिससे उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा ट्रिकल डाउन अथवा नीचे छनकर नौकरों के पास पहुंचेगा और उनकी दशा में सुधार होगा। सरकार का यही तर्क है उसे घरेलू निजी अथवा विदेशी पूंजी चाहिए ताकि उत्पादन बढ़े और समृद्धि पैदा हो भले ही इसका मुख्य लाभ मध्य वर्ग को हो लेकिन इसका लाभ ट्रिकल डाउन द्वारा समाज के निचले तबकों—पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों तक भी पहुंचेगा।

वैसे जमीन पर यह तर्क लागू नहीं होता। मध्यकाल में सामंती सरदारों के पास भी अतिरिक्त आय का बड़ा हिस्सा रहता था। लेकिन वे कभी इसे छनकर साधारण लोगों तक नहीं पहुंचने नही देते थे। निम्न वर्गों तक संपत्ति पहुंचने पर वे शायद शोषण व्यवस्था का विरोध करने लायक हो जाते। इसलिए वे अतिरिक्त संपत्ति को त्योहार, उत्सव, शादियों, मृत्युभोज, धार्मिक जलसों अथवा अपनी आय्याशियों में खर्च कर देते थे।

अब आज नई अर्थव्यवस्था की पैदावार—नवधनाढ्यों का उपभोग पैटर्न देखें तो इसका रूप भले बदल गया है लेकिन मूल भावना पुरानी ही है। अतिरिक्त आय कुजात लोगों तक न पहुंच पाएं। वे अपनी अतिरिक्त आय विदेश यात्रा, पर्यटन, बच्चों की पांच सितारा शिक्षा और निजी मनोरंजन में करते हैं। भारत में नववर्ष का मनोरंजन अपने सार्वजनिक रूप में नहीं बल्कि क्लबों रेस्तरां व पंचसितारा होटलों की चाहरदीवारी के भीतर मनता है। इसी तरह के धन की बर्बादी थीम मैरेज फार्म हाउस पार्टी आदि के भव्य आयोजनों द्वारा की जाती है। इस दिशाविहीन तबके ने भारतीय गणतंत्र को संकट में डाल दिया। इनके भीतर इतिहास के किसी बोध और उसके अनुरूप चेतना का अभाव है। इस अभाव को मध्य वर्ग ने हिंदू धर्म की छद्‌म चेतना के साथ भरने का प्रयास किया गया। फलत; पिछड़े वर्गों के युवा तबके का एक बड़ा हिस्सा अलग राजनैतिक रुझान के बावजूद अपने विचार और चिंतन में दक्षिण पंथी राजनीति से सांस्कृतिक रूप से जुड़ता है। उसमें अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति घोर आक्रोश और प्राचीन संस्कृति के लिए अहंकार का भाव है। युवाओं को भटका कर उनकी ऊर्जा को दक्षिण पंथ ने लोकतंत्र के विनाश की ओर मोड़ दिया। पिछड़े वर्ग का यह विचलन

भारतीय मध्य वर्ग द्वारा अपने एकाधिकारवादी मीडिया तथा शिक्षा व्यवस्था के द्वारा किया गया।

भारत का गणतंत्र संकट में है, और भारतीय मध्य वर्ग इसमें मुखर प्रतिभागी और हाशिये पर खड़ा दर्शक बना हुआ है। इस द्वैध के कई कारण हैं। इतिहास में किसी वर्ग के लिए यह असामान्य नहीं रहा है कि वह अपने अंदर कहीं बड़ी संभावना रखता हो, लेकिन आम तौर पर उससे बेखबर हो तथा उस बड़ी भूमिका को निभाने के लिए उसकी उतनी तैयारी भी न हो। सामाजिक रूपांतरण की गत्यात्मकता ने एक स्तर पर काम किया है और उस वर्ग की जागरूकता दूसरे स्तर पर विकसित हुई है, जिसकी भूमिका बृहत् स्तर पर बदलाव के दौर से गुजरी है, जिसकी वजह से यथार्थ और जागरूकता के बीच एक टूटन भी पैदा हुई है। अपने विकासक्रम में भारतीय मध्य वर्ग इसी संक्रांति के दौर में है।

पहली बार, 2014 के चुनावों, और भविष्य में होने वाले चुनावों में यह महत्वपूर्ण खिलाड़ी होने वाला है। इससे निपटने के लिए सभी राजनीतिक दलों के युद्ध कक्ष की तैयारियां चल रही हैं। मध्य वर्ग इस नए-नए मिले महत्व से पूरी तरह बेखबर भी नहीं है। बल्कि इस बात से अच्छी तरह बाखबर है कि क्या बदला है और किस अंदाज से, और इसने यह भी फैसला किया हुआ है कि क्या यह राजनीतिक शक्तियों का दाना-पानी भर बन कर रह जाएगा या अपने तईं निर्णायक तौर पर उनका खेल बदल कर रख देगा? यह भारतीय मध्य वर्ग के सामने एक ऐतिहासिक चयन का अवसर है, और 2014 इस मामले में निर्णायक साबित होने वाला है कि उसने जो चयन किया वह बुद्धिमानी से किया था या नहीं। कम-से-कम छह ऐसे कारण हैं जिससे पता चलता है कि मध्य वर्ग की भूमिका क्यों बदली है, और उनमें से प्रत्येक का संबंध पहले इस वर्ग के विकासक्रम से है।

पहला, मध्य वर्ग संख्या में उस हद तक पहुंच चुका है कि वह देश के चुनावी अंकगणित में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दूसरे, संख्या में इस बढ़त ने इस वर्ग की आरंभिक एकरूपता पर फिर से काफी हद तक बल दिया है, इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसने विशिष्ट पहचान वाले एक ऐसे वर्ग का गठन किया है जो महत्वपूर्ण ढंग से जातीय निष्ठाओं के परे जाता दिखाई देता है। तीसरे, बड़ी संख्या वाले इस वर्ग ने पहली बार एक पहचान अर्जित की है जिसकी प्रकृति अखिल भारतीय है, जिसका मतलब यह हुआ कि यह देश भर में एक पहचान योग्य इकाई की बड़ी तादाद का प्रतिनिधित्व करता है, जो पहले से अधिक है। चौथे, यह मध्य वर्ग कभी भी इतना युवा नहीं रहा

है, बड़ी संख्या में इससे सदस्य 25 वर्ष की आयु के आसपास हैं। पांचवां, सूचना एवं संचार, साथ ही, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और 24 घंटे के समाचार चैनलों की वजह से इस वर्ग की शक्ति में सच्चे अर्थों में क्रांतिकारी फर्क पड़ा है। इतिहास में इसके बहुत कम उदाहरण मिलते हैं जब इतने कम समय में किसी वर्ग ने इतनी विशिष्टता अर्जित की हो।

छठा, पहले जहां इस वर्ग में अलग-अलग रहने की प्रवृत्ति थी, अब उसमें फर्क आया है, और ऐसे संकेत मिलने लगे हैं, हालांकि इसके उदाहरण अभी गिने-चुने हैं, कि इस वर्ग ने ऐसे मुद्दों के प्रति संलग्नता दिखाई है जो इसके तात्कालिक हितों तक ही सीमित नहीं है। और आखिर में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि शासन की असफलता को लेकर, अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन को लेकर तथा भ्रष्टाचार, नकारात्मकता, आदर्शवाद की कमी एवं राजनीतिक वर्ग तथा उससे साठ-गांठ रखने वालों के नैतिक दिवालियेपन को लेकर भारतीय मध्य वर्ग इतने गुस्से में रहा हो। ये छह कारण मध्य वर्ग के चरित्र, प्रभाव, भूमिका एवं संभावनाओं में गुणात्मक बदलाव को दर्शाते हैं, और उपयोगी यह होगा कि इनके बारे में संक्षेप में चर्चा कर ली जाए। 1947 में मध्य वर्ग मोटे तौर पर एक छोटा और खास तबका था, जो आम तौर पर औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के साथ मेल-जोल से निर्मित हुआ।

बाद के दशकों में धीरे-धीरे इसकी संख्या में वृद्धि हुई, जिसमें शामिल हुए लाखों दुकान चलाने वाले, छोटे-मोटे व्यवसायी, अर्धकुशल औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में काम करने वाले तथा कम तनख्वाह वाले परिवार, जिनकी थोड़ी बहुत अतिरिक्त आय होती थी। इसमें शामिल होने वाले नए लोगों में 'बैलगाड़ी वाले पूंजीपति भी थे जो गांव-देहातों से आते थे और जिन्होंने अपने संसाधनों को सावधानीपूर्वक खर्च किया था और उनको राज्य द्वारा खेती को दिए जाने वाले अनुदान के साथ-साथ 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण का फायदा भी मिला था। लेकिन, निस्संदेह, मध्य वर्ग के तेजी से विकास के लिए निर्णायक रहे 1991 के आर्थिक सुधार और उसकी वजह से विकास दर में जो तेजी आई। एक तरफ आय में वृद्धि हुई (भारत की प्रति व्यक्ति आय 2003 के 530 डॉलर से बढ़ कर आज करीब 1,600 डॉलर हो गई है), इसी तरह मध्य वर्ग के लिए नौकरियों और व्यवसाय के अवसर भी बढ़े, इसके नीचे के लोगों के मुकाबले यह अवसर बहुत अधिक बढ़े। यह हुआ उस दशक के दौरान उच्च विकास दर के कारण और 1991 के बाद एक ऐसी संरचना बनी जो मध्य वर्ग के लिए खास तौर पर सहायक रही। उदाहरण के लिए, सेवा क्षेत्र में कृषि और उद्योग क्षेत्र के मुकाबले

अधिक उच्च दर से विकास हुआ, और सकल अर्थव्यवस्था में उसका हिस्सा काफी बड़ा है। इसी तरह, नई सहस्राब्दी में आइटी क्षेत्र में बड़ी तेज गति से विकास हुआ जो नये बढ़ते उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा तैयार किए गए तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित हजारों स्नातकों के लिए लाभकारी साबित हुआ। क्या आज यह संभव है कि इस वर्ग का बिल्कुल सही रूपाकार बताया जा सके? मेरे ख्याल से, भारतीय संदर्भ में, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए घर हो और जो अपने परिवार के लिए तीन वक्त का खाना जुटा सकता हो, जिसकी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं, जन परिवहन और स्कूली शिक्षा तक पहुंच हो, और जिसके पास इन सभी जरूरतों को पूरा कर देने के बाद इतने पैसे बच जाते हों कि वह पंखा या घड़ी या साइकिल जैसी बुनियादी जरूरत की चीजों की खरीद सकता हो, तो वह मध्य वर्ग के निचले दर्जे में जगह बना चुका है।

इन मानकों के आधार पर मध्य वर्ग भारत की कुल एक अरब से अधिक आबादी का आधा से अधिक हो सकता है। इस तरह न भी देखें और बड़ी सख्ती से आर्थिक आधारों का पालन करते हुए इस वर्ग का निर्धारण करें तो यह संख्या पर्याप्त ही है। अगर हम मध्य वर्ग के अंतर्गत उस व्यक्ति को मानें जिसके परिवार की आय 20 हजार से एक लाख प्रति माह के बीच हो, जो भारतीय ढंग से जीवनयापन का बेहतर पैमाना है, तो अनुमानों के आधार पर मध्य वर्ग करीब 20 करोड़ के आसपास हो सकता है और जो 2015 तक बढ़ कर 30 करोड़ तक हो जाएगा। 1996 में उस समय के जीवन-स्तर के मुताबिक जिस वर्ग की आबादी करीब 2.5 करोड़ थी, उस लिहाज से यह वृद्धि सचमुच नाटकीय कही जाएगी। मैक्स वेबर ने सामाजिक वर्ग को परिभाषित करते हुए कहा है कि ऐसे लोगों का समूह जिसका सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर समान हो। दूसरी तरफ, जाति-जन्म के आधार पर एक निर्देशात्मक वर्गीकरण है। जाति व्यवस्था भारत में हजारों सालों से है, और ऐसा मानना सकारात्मक माना जाएगा कि कानून के द्वारा जनतांत्रिक स्वतंत्रता की वेदी पर उसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया है।

इस बात को एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है कि मध्य वर्ग पर उसका असर बरकरार है, वह है हर रविवार को समाचारपत्र में प्रकाशित होने वाले वैवाहिक विज्ञापन, जहां बड़ी संख्या में विवाह के इच्छुक लोग अपनी जाति के अनुरूप ही अपना विवाह करना चाहते हैं। एक ऐसी संस्था जिसकी इतनी पुरानी परंपरा रही है वह कानून के द्वारा रातोंरात खत्म नहीं हो जाएगी। लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि 1947 के बाद के दशकों में, और खास कर 1991 के बाद मध्य वर्ग के ऊपर जाति की पकड़ साफ तौर पर कमजोर हुई

है। इस विकास के क्या कारण हैं? एक से दूसरी जगह पर आवागमन निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षा की आधारभूत संरचना के विस्तार के साथ, और अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास के कारण, शिक्षा के अवसरों एवं नौकरियों के कारण मध्य वर्ग के लोगों को अपने जन्मस्थान और गृहस्थान से दूर कर दिया है। जाति की पकड़ तब अधिक मजबूत होती है जब आप अपने वास स्थान में होते हैं और अपने हर कार्य के लिए पारिवारिक संबंधों के प्रति कृतज्ञ होते हैं। जब वे विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में पढ़ते हैं और सामूहिक कार्य के रूप में नौकरी पाते हैं जो पुरानी विचारहीन निष्ठाओं को समाप्त करने वाला होता है।

भारत में भी क्या सामान्य मध्यवर्गीय नौकरी के प्रति सम्मान की दृष्टि कमजोर होती जा रही है, जैसे कि जापान में होता नजर आ रहा है? जापान में उदाहरण के तौर पर मध्य वर्गीय बैंक कर्मचारी (या फिर ऐसे ही किसी अन्य तरीके के सामान्य कामकाजी शख्स, जिन्हें व्हाइट कॉलर जॉब से जोड़कर देखा जाता है) सरीखे किसी पेशेवर को कुछ उपहासपूर्ण अंदाज में 'वेतनभोगी' कहा जाता है। वेतनभोगी अमूमन उस व्हाइट कॉलर कर्मचारी को कहा जाता है, जो हफ्ते भर में 60 घंटे काम करने के ऐवज में अपना वेतन पाता है, जिसे हाईस्कूल के बाद कंपनी ने सीधे भर्ती किया हो और जिसके सेवानिवृत्ति तक उसी कंपनी के साथ जुड़े रहने की उम्मीद हो। उसकी वफादारी को देखते हुए कंपनी विरले ही वेतनभोगी को हटाती हैं। जापानी मीडिया वेतनभोगियों की छवि अक्सर ऐसे लोगों के तौर पर पेश करता है, जिनमें मौलिकता का अभाव और नई पहल को लेकर हिचकिचाहट होती है। हालांकि यह बहुत पुरानी बात नहीं है, जब वेतनभोगी होना जापानी युवाओं का सपना हुआ करता था।

अपने देश की बात करें तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जो कर्मचारी भारतीय मध्य वर्ग की रीढ़ हैं, वे सुधारों का विरोध क्यों कर रहे हैं? होश में आने के लिए मुझे अपनी आंखों को रगड़ने के साथ ही खुद को चिकोटी काटनी होगी। पिछले एक दशक में कोई ऐसा दिन नहीं बीता होगा जब किसी भारतीय पत्रकार या किसी अन्य लेखन मंच पर किसी ने यह नहीं लिखा होगा कि मौजूदा सरकार उचित रफ्तार से सुधार को अंजाम नहीं दे पा रही है। साथ ही यह बात भी स्पष्ट है कि पिछले एक दशक में सुधार शब्द का आशय सामाजिक सुधार से नहीं रह गया है, जिसका उपयोग अंबेडकर या गांधी जी ने किया और न ही सुधार के वो मायने हैं जिनके परिप्रेक्ष्य में मार्टिन लूथर ने इसका इस्तेमाल किया मगर इसके अर्थ में बदलाव सरकार की उस नीति से है, जिसमें सरकार सार्वजनिक स्वामित्व वाले उद्यमों, शैक्षणिक संस्थानों में निजी और

विदेशी भागीदारी बढ़ाना चाहती है और इसके लिए अगर जरूरी हो तो इन नए खिलाड़ियों को सरकारी जमीन मुहैया कराना और उसमें भी आवश्यक हुआ तो लोगों को कम मुआवजे के साथ उस जमीन से बेदखल करना तक शामिल है क्योंकि इससे मध्य वर्ग और उनके बच्चों के लिए ज्यादा नई नौकरियां सृजित होंगी।

कोई हैरानी की बात नहीं कि बैंक हड़ताल रिरियाहट के साथ खत्म हुई। मिसाल के तौर पर हिंदू बिजनेस लाइन ने हड़ताल से तीन दिन पहले एक ऑनलाइन रायशुमारी की—क्या सुदृढ़ीकरण के खिलाफ बैंकों का प्रदर्शन जायज है? उस ऑनलाइन सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 316 उत्तरदाताओं में से 67 फीसदी ने जवाब दिया कि यह हड़ताल जायज नहीं है। भारतीय मध्य वर्ग बैंक हड़ताल जैसी चीजों से खुद को अलग कर रहा है और अब उसे हड़ताल जैसी चीजें अपने हित में नहीं लगतीं।

कुल मिलाकर पूरी दुनिया में मध्य वर्ग ने देर-सवेर बड़ा रहस्यमयी व्यवहार करना शुरू कर दिया है। बतौर उदाहरण चीन को ही लें, जहां उसके विशाल मध्य वर्ग ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के पक्ष में कभी भी अपनी आवाज बुलंद नहीं की। इडाहो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी शेन ने 2013 में आई अपनी किताब 'ए मिडिल क्लास विदाउट डेमोक्रेसी इकनॉमिक ग्रोथ एंड द प्रोसपेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन चाइना (लोकतंत्र के बिना मध्य वर्ग चीन में आर्थिक वृद्धि और लोकतांत्रीकरण की संभावनाएं) में इसका वर्णन किया है।

उन्होंने समकालीन चीनी मध्य वर्ग का हवाला देते हुए कहा कि चीनी मध्य वर्ग वैचारिक और संस्थागत स्तर पर चीन की सरकार से नजदीकी बनाए हुए है और अपने सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए अक्सर संबंधों की इस कड़ी का उपयोग करता है। इससे मध्य वर्ग मौजूदा चीनी तंत्र के पक्ष में झुका रहता है और लोकतांत्रिक बदलावों का विरोध होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ताइवान और दक्षिण कोरिया में मध्य वर्ग ऐसे अधिनायकवादी शासन तंत्र का समर्थन करता आया है।

भारत में मध्य वर्ग के तौर पर पहचान के लिए लंबे समय से यही अर्हता रही है कि कालेज की शिक्षा। इस कालेज शिक्षा में भी कुछ पेशेवर योग्यताओं के साथ अध्यापक, वकील, इंजीनियर और डॉक्टरों को तुरंत ही मध्य वर्गीय का दर्जा मिल जाता है, भले ही उनकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो। इसके और पैमानों में अपना घर होना, सुरक्षित नौकरी के साथ ही अंग्रेजी भाषा में महारथ सबसे अहम हो गई है। क्या जल्द ही इसमें बदलाव देखने को मिलेगा?

भारत में मध्य वर्ग ने आर्थिक लाभों का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने के लिए बगैर किसी हड़ताल या प्रदर्शन के खुद को तैयार कर लिया है। मिसाल के तौर पर 'मुद्रास्फीति दर जैसे पैमाने इस संघर्ष के केंद्र में आ जाते हैं, जिन्हें निष्पक्ष अर्थशास्त्रियों द्वारा सांकेतिक के बजाय वस्तुनिष्ठ आंकड़ों के रूप में देखा जाता है, जो कुछ सामाजिक वर्गों के फायदे को ही बयां करते हैं।

हाल तक विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री रहे कौशिक बसु ने अपनी हालिया किताब 'द इकोनॉमिस्ट इन द रियल वर्ल्ड' में बताया कि भारत में सरकारी कर्मचारियों के वेतन के लिए मुद्रास्फीति के लिहाज से उपयोग होने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और यहां तक कि निजी क्षेत्र में दिए जाने वाले वेतन भत्तों में भी अनौपचारिक रूप से औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई,आईडब्ल्यू) का उपयोग होता है। वह कहते हैं कि चूंकि सरकारी कर्मचारी और अफसरशाह ही सीपीआई (आईडब्ल्यू) सूचकांक के लिए आंकड़े संग्रहीत करते हैं तो इसमें हितों के टकराव की आशंका है, जिसमें मौके के मुताबिक ऊंचे आंकड़ों की प्रवृत्ति संभव है। उनका कहना है कि कुछ अध्ययनों में इसकी पुष्टि की गई है।

अंत में यह कह सकते हैं कि भारत का परंपरागत मध्य वर्ग अपने स्वभाव और स्वरूप में लोकतंत्र के विरोध का रुझान रखता है। इस मध्य वर्ग में नई शामिल होने वाली दलित और पिछड़ी जातियों की आबादी ने अभी तक वैचारिक रूप से अपना कोई नजरिया विकसित नहीं किया है। वे अपने इतिहास-बोध से कट कर हिंदू मानसिकता में ही अपनी मुक्ति देखते हैं। इन कारणों से भारत का लोकतंत्र आगामी दशकों में बड़ी परीक्षा से गुजरने की दिशा में है।

❒

कोविड-19 एवं मानव जीवन

डॉ० प्रभात सिंह

उत्कर्ष पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, कानपुर

पुस्तक : कोविड-19 एवं मानव जीवन

लेखक : डॉ. प्रभात सिंह

प्रकाशक : उत्कर्ष पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स

A-685 आवास विकास, हंसपुरम, कानपुर - 208 021 (उ.प्र.)

Email : utkarshpublishers@gmail.com

Mob. : 08707273105, 07237558978

संस्करण : प्रथम, 2020

मूल्य :

आवरण सज्जा : नवांकुर आर्ट्स, पटकापुर, कानपुर

शब्द-सज्जा : रुद्र ग्राफिक्स, कानपुर, मो. 8318971075

मुद्रक : सार्थक डिजाइनिंग, कानपुर

समर्पण

प्रातः स्मरणीय पिता जी
स्व. श्री संग्राम सिंह
जिनकी प्रेरणा से
यह पुस्तक साकार रूप ले सकी
को
सादर...

-प्रभात सिंह

अनुक्रम

1. कोविड–19 के दौरान ई–लर्निंग का प्रभाव
   डॉ. अरुण कुमार यादव
2. मानव जीवन में वदलाव : कोरोना से पहले और कोरोना के बाद
   आरती गुप्ता
3. मानव जीवन की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर कोविड–19 के प्रभाव का आकलन
   प्रवीण कुमार
4. A Discourse on Changing Scenario of Human Life (Present and Past Corona Period)
   फूल कमल शुक्ला
5. जीवन शैली के परिवर्तित परिदृश्य में चुनौतियां और अवसर
   आशीष कुमार श्रीवास्तव
6. कोविड–19 में मानव जीवन का मूल्य
   डॉ. पुष्पा कुमारी
7. मानव जीवन के बदलते परिदृश्य पर एक नजरः कोरोना काल
   आरती शुक्ला
8. वैदिक वाङ्गमय में प्राकृतिक जीवनचर्या
   आचार्य राजीव मिश्र
9. वर्तमान एवं भविष्य के परिदृश्य में विश्व स्तर पर कोरोना महामारी का प्रभाव
   डॉ. मंजू सिंह
10. वर्तमान परिदृश्य में खेलों की स्थिति एवं भविष्य
    डॉ. विवेक कुमार सिंह
11. भारतीय जनमानस के सामान्य जीवन पर कोरोना का प्रभाव
    डॉ. धीरज सिंह
12. मानव जीवन के बदलते परिदृश्य पर एक संवाद : वर्तमान और कोरोना के बाद का समय
    डॉ. राणा प्रताप यादव*, विजय वर्धन
13. कोराना काल में सामाजिक परिवर्तन
    डॉ. प्रभात सिंह

14. कोविड–19 आपदा का मानव जीवन पर प्रभाव : एक अध्ययन
डॉ. मो. जमील हसन अंसारी

15. भारत में शिक्षा व्यवस्था : प्राचीनकाल, आधुनिककाल एवं कोरोना एवं उत्तर कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था
विनय पाण्डेय

16. मानव जीवन के बदलते परिदृश्य पर एक संवाद : वर्तमान और कोरोना के बाद का समय
डॉ. राणा प्रताप यादव
विजय चौहान

17. कोरोना संकट काल में बदला मानव पर्यावरण सम्बन्ध
अमित रायान

18. कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियां और समाधान
डॉ० राकेश कुमार शर्मा

19. कोविड–19 की चुनौतियों के बीच ड्डषि क्षेत्र
समीर कुमार गुप्ता

20. बदलते भौगोलिक परिदृश्य का मानव जीवन पर प्रभाव
रमन प्रकाश

21. मानव जीवन की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर कोविड–19 का प्रभाव
डॉ. दयाशंकर सिंह यादव

21

मानव जीवन की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर कोविड-19 का प्रभाव

डॉ. दयाशंकर सिंह यादव

मानव जीवन की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर कोविड–19 के प्रभाव का आकलन में द्वितीय स्रोतों का प्रयोग किया गया, विभिन्न समाचार पत्रों एवं वेबसाइट से आंकड़ों का संकलन किया गया।

आज विश्व एक ऐसी महामारी के दौर से गुजर रहा है जिसका अभी निकट भविष्य में कोई सटीक इलाज उपलब्ध नहीं है। इस बीमारी ने विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले देशों को घुटनों पर ला दिया है। आज विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश हो जो कोरोना के भय से आतंकित न हो। कोरोना ने जीवन जीने के तरीके और मायने बदल दिए हैं।कोरोना के कारण हमारे देश में भी बहुत से परिवर्तन हुए हैं और भारतीय जनमानस पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा है। जिस प्रकार की जीवन शैली भारतीय जनमानस अपना चुका था, आज उस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जिन प्राचीन भारतीय संस्कारों, रीति–रिवाजों और परम्पराओं का उपहास उड़ाया जाता था, आज उन्हीं को पुनः भारत में ही नहीं अपितु विश्व में अपनाने का दौर प्रारम्भ हो चुका है। पुराने भारतीय देशी नुस्खों जिनका प्रयोग सामान्यतः प्रत्येक भारतीय परिवार में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के उपचार हेतु किया जाता रहा है, आज उन्हें कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर अपनाने के लिए जोर दिया जा रहा है और कोरोना के कारगर इलाज के लिए उनकी भूमिका पर अनुसंधान कार्य भी हो रहा है।

विश्व में यह मत बन रहा है कि कोरोना भी चलेगा और जिंदगी भी जहां चुनौती होती है वहां अवसर भी होते हैं जहां समस्या होती है वहां समाधान भी निहित होते हैं। कोरोना वायरस से महामारी कोविड–19 विश्व में जैसे हालात बने हैं वह साधारण नहीं है किसी को ऐसे हालात का सामना करने का अनुभव नहीं था इसलिए हर देश की परिस्थिति के हिसाब से कदम उठाने पड़े सरकार

ने कारोबारियों कामगारों के सामान आदि को राहत देने के लिए जो तमाम कदम उठाए हैं उसमें कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा लेकिन बात तब बनेगी जब आर्थिक व्यापारिक माहौल सुधरेगा इस महामारी ने हमें यह महसूस कराया की विकसित होना समृद्ध होना और सामरिक रूप से ताकतवर होना किसी भी राष्ट्र या समाज के सुखमय जीवन की गारंटी नहीं है बल्कि अपने मूल के साथ जुड़े रहना धरती के हजारों साल के अनुभव से विकसित जीवन प्रणाली को स्वीकार करना और समाज का का निर्माण ही सभ्यता के आधार हैं। कोरोना ने एक और सवाल खड़ा किया है ग्लोबल विजन की अवधारणा मनुष्यों के मुक्त व्यापार और वैश्विक आर्थिक गतिविधियों से नहीं मूर्त होगी बल्कि तब मूर्त होगी जब स्वाधीनता को मूल मिलेगा अन्यथा इस महामारी के बाद की दुनिया और अधि ाक मानवीय होगी इसके लिए राष्ट्रों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कोरोना वायरस के प्रसार वह उसे रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में कई नई चुनौतियां खाली कर दी है। नागरिकों के स्वास्थ्य व जीवन की रक्षा करने की चुनौती के साथ ही करोड़ों लोगों की आजीविका का संकट भी उत्पन्न हो गया है प्रदेश स्तर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जैसे विशाल जनसंख्या वाले राज के सामने ज्यादा बड़ा संकट है मानव के सामने महामारी का जो प्रभाव है उससे मानव का हर पक्ष यथा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनितिक, शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। कोरोना तूफान गुजर जाने के बाद हम कैसी दुनिया में रहेंगे। कोरोना वायरस से उपजे महामारी से आर्थिक एवं शिक्षा के क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं देश के लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अर्थ के बिना काम नहीं चल सकता। सामान्यतः इतिहास के विवरण में ''ईसा पूर्व और ईसा बाद'' का काल विभाजन है। परन्तु अब इतिहास के काल में विभाजन की रेखा ''कोरोना के पहले और कोरोना के बाद'' हो सकती है। कोरोना आपदा से पूर्व सम्पूर्ण विश्व अपने को शक्तिशाली स्थापित करने का प्रयास कर रहा था परन्तु इस महामारी ने विश्व के देशों को एक ही पंक्ति में खड़ा कर दिया है। इस आपदा ने दुनिया को ज्ञात कराया है कि शक्तिशाली होना गलत नही परन्तु षक्ति का गलत प्रयोग करना गलत है।

हमारे देश में अनेक ऐसे परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं जिनके बारे में सामान्य परिस्थितियों में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। प्रस्तुत शोध आलेख में कोरोना के भारतीय जनमानस पर पड़ने वाले प्रभावों और उसके फलस्वरूप उत्पन्न परिवर्तनों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। आज सम्पूर्ण विश्व कोरोना की चपेट में है। कोरोना महामारी वैश्विक आपदा के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। इस महामारी के परिणाम स्वरुप मानव जीवन अस्त–व्यस्त हो चुका है। प्रस्तुत शोध आलेख का उद्देश्य कोरोना के भारतीय जनमानस पर

पड़ने वाले प्रभावों और उसके फलस्वरूप उत्पन्न परिवर्तनों का विश्लेषणात्मक ढंग से अध्ययन करना है ।

वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एवं मानव जीवन गम्भीर रूप से प्रभावित हैं। कोविड–19 महामारी से जो भी परिवर्तन होंगे, लेकिन जब ये काल शांत होगा तब हम यह देखेंगे कि यह परिवर्तन एक शाश्वत नियम है, वहीं यह तथ्य भी उतना ही ठोस है, कि बुनियादी पहलू कभी नहीं बदलते। वहीं कोविड–19 की वजह से भविष्य की दुनिया अब पहले जैसी नहीं होगी यह भी डर लोगों में बना हुआ है। मानव ने अपने अस्तित्व के साथ ही अनेकों आपदाओं का सामना किया और उसके क्रमिक विकास की प्रक्रिया कभी बाधित नहीं हुई। यहाँ डार्विन की बात उल्लेखनीय है जिन्होंने कहा था ''सबसे तंदुरुस्त या सबसे बुद्धिमान नहीं, बल्कि सबसे लचीला व्यक्ति ही अपना अस्तित्व बचाए रखेगा।''

कोविड–19 की वजह से आज पूरे विश्व की मानव स्थिति बदल रही है, यदि हम विश्व इतिहास पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जो मुख्य रूप से दो रूपों में होता है प्रथम सतत परिवर्तन दूसरा आकस्मिक परिवर्तन ।वर्तमान में जो परिवर्तन हो रहा है वह आकस्मिक परिवर्तन है, इन परिवर्तनों से क्षणिक समय में ही चीजें बदल जाती है कोविड से जो पूरे वैश्वीकरण का परिदृश्य बदला है इसकी परिकल्पना शायद ही किसी ने पहले की हो, लेकिन यह सत्य है कि जब मानव प्रजाति ने प्रकृति एवं उसके संसाधनों का अंधाधुंध तरीके से शोषण किया जिसका परिणाम हमारे सामने है, और आने वाले समय में भी इसका मूल्य हमें चुकाना पड़ेगा। आज भले ही कोरोना वायरस चीन के वुहान से पूरे विश्व में फैला हो, लेकिन यह मानव को संकेत है कि जिस प्रकार से प्रकृति के विरुद्ध जाकर सम्भववाद की धारा का समर्थन किया और प्रकृति पर अपना वर्चस्व स्थापित किया, उसने पूरे परितंत्र को खतरे में डाला है। आज न तो पूरी तरह से प्रकृतिवाद को लागू कर सकते हैं और न ही व्लास महोदय द्वारा स्थापित सम्भववाद को। इन दोनों के बीच की कड़ी ग्रिफिथ टेलर महोदय ने नव निश्चयवाद का रास्ता निकाला जिसमें उन्होंने बताया कि हम न तो पूरी तरह से प्रकृतिवाद को लागू कर सकते हैं और न ही सम्भववाद को और मानव को एक ट्रैफिक पुलिस के समान माना जो दोनों ओर की परिस्थितियों को देखकर सोच समझकर आगे बढ़ता है। कोविड–19 की वजह से हुए बदलाव को देखते हुए भविष्य के निर्णय सोच समझकर ही करने होंगे, जिस प्रकार से आज शहरों से गाँवों की ओर प्रवास हुआ है।

कोरोना के भारतीय जनमानस पर पड़ने वाले प्रभावों को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है–

1. अर्थव्यवस्था पर कोरोना का प्रभाव– अर्थव्यवस्था पर कोरोना का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है जिसने पूरे अर्थ तंत्र को ठप कर दिया है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे लिए गए निर्णय ने पूरे भारत की अर्थव्यवस्था की चेन तोड़ दी है जिसने सम्पूर्ण मानव जीवन की आर्थिक स्थिति को बदलकर रख दिया है। लोग करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हुए हैं, उद्योग धंधे बड़ी संख्या मे बंद हो गए, लोगों की आय के स्त्रोत न होने के कारण उन पर मानसिक समस्याओं का दबाव भी बढ़ रहा है। लोगों की आय निम्न होने के कारण वस्तुओं की माँग में भारी गिरावट आई है जिससे उत्पादन घटा है तथा फैक्ट्री मालिकों ने श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर दिया है उनके काम के घण्टों को भी बढ़ा दिया गया। कम उत्पादन होने कारण कर्मचारियों को भी बाहर कर देने से बेरोजगारी की समस्या देश में बढ़ी है।

सरकार ने भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो भारत की अर्थव्यवस्था निम्न और बेरोजगारी जैसी समस्या चरम पर होगी जिसका परिणाम आर्थिक संकट एवं मंदी हो सकते हैं। आम मानव जीवन की स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी।

कोविड की वजह से मानव जीवन की स्थिति और आर्थिक गतिविधियों में व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ा है, आज चाहे शहर से गाँव की ओर श्रमिक वर्ग का पलायन हो या फिर गाँवों में कृषि क्षेत्र में बढ़ता दबाव, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई0एल0ओ0) की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में लगभग 40 करोड़ कामगार गरीबी में और गरीबी में चले जायेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि क्षेत्र में लगभग वर्तमान में 60 फीसदी लोगों की आजीविका आश्रित है वहीं देश की सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) में 17 फीसदी योगदान देती है। कोविड–19 संकट काल में अर्थव्यवस्था को गति देने वाली अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा करने और भारत को दुनिया का प्रोडक्शन हब बनाने में राष्ट्रीय स्तर पर सभी पहलुओं का दीर्घकाल तक ध्यान रखनें होंगे। जैसे–

1. भारत भर में काम करने वाले कुशल और अकुशल कामगारों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार किया जाए।
2. प्रत्येक प्रवासी मजदूर के लिए सरकार और उद्यमियों की ओर से स्वास्थ्य, और दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की जाए ।
3. देश भर के उद्योग, व्यापार और सेवाओं का एक प्लेटफार्म बनाया जाये।
4. ऐसी टेक्नोलॉजी शुरू किया जाए जिनमें उद्योगों और व्यक्तिगत हस्तकलाओं में उपयोग होने वाले परम्परागत औजारों को बेहतर बनाने, कारीगरी की कुशलता और उत्पादकता बढ़ाने वाले शोध केन्द्र चलाए जायें।ये सभी

कदम जहाँ एक तरफ रोजगार और मूलभूत व्यावसायिक ढांचा को मजबूत करेंगे और सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति को सुरक्षा प्रदान करेंगे।

2. कोरोना पीड़ितों के परिवारों का भविष्य अंधकारमय– कोरोना महामारी से सक्रमितों की संख्या हमारे देश में लगातार बढ़ रही है। 19 जून, 2020 तक इस समय देश में संक्रमितों की संख्या 3,80,552 हो गई है।[1] मरने वालों में अधिकतर ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार का भरण–पोषण करते थे। –वे अगर परिवार के मुखिया थे तो ऐसे में परिवार संभालने की जिम्मेदारी, बच्चों का वर्तमान एवं भविष्य सब अनिश्चित हो जाएगा। चूंकि इस महामारी से मरने वालों की संख्या हजारो में है।[2] कोरोना के इलाज में परिवार की आर्थिक स्थिति पहले ही खराब हो चुकी होगी और परिवार के जिम्मेदार सदस्य के न रहने से उन परिवारों के लिए भविष्य में संभल पाना बहुत ही कठिन होगा। कोरोना का यह आंकड़ा लगातार तेजी के साथ बढ़ता ही जा रहा है। और अभी तक इससे निपटने में कोई नीति कारगर नहीं दिखाई पड़ रही है। सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियां प्रारम्भ करने के लिए लॉक डाउन खोल दिया गया है।धीर–धीरे सभी कार्यालय दुकाने, बाजार आदि खुलने प्रारम्भ हो चुके हैं और लोग धड़ल्ले से घरों से बाहर बिना संकोच किए निकल रहे हैं जिससे भविष्य में संक्रमण का खतरा और भी बढ़ गया है। ऐसे में भारतीय जनमानस के ऊपर इस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी खुद को संक्रमण से बचाते हुआ काम करते रहने की आ गई है। परिवार के भरण–पोषण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को घर से बाहर निकलना ही पड़ रहा है। यदि वह सदस्य किसी प्रकार संक्रमित हो जाता है तो उसके साथ उसके पूरे परिवार का संक्रमण के घेरे में आने का खतरा बढ़ जाता है। संक्रमित होने के पश्चात उस परिवार के समक्ष मुसीबतों का अम्बार खड़ा हो जाता है और भविष्य अंधकारमय नजर आने लगता है।

3. समाज में भेदभाव को बढ़ावा– पिछले साल दिसंबर में यहां कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की शुरूआत हुई और देखते ही देखते पूरा वुहान शहर कोरोना का केंद्र बन गया। मार्च खत्म होते–होते कोरोना ने दुनिया के हर छोटे–बड़े देशों को अपनी चपेट में ले लिया।[3] इस कारण चीनी नागरिकों और चीन के प्रति पूरे विश्व में घृणा का माहौल बना हुआ है नस्लभेदी टिप्पणियां की जा रही हैं । भारत में उत्तर पूर्व के लोगों जिनकी कद–काठी और चेहरा भी चीनियों से मिलता है, के प्रति नस्लवादी टिप्पणियां सामान्य बात है। दिल्ली सहित देश के अन्य भागों में उन्हें चिंकी कह कर पुकारा जाता है और लोगों का उनके प्रति सामान्य व्यवहार नहीं रहता। कोरोना के कारण यह भेद–भाव और बढ़ता दिखाई पड़ रहा है।भारत के शहरों से जिन मजदूरों का पलायन गांवों की ओर हो रहा है उनके प्रति भी लोगों का नजरिया सकारात्मक नहीं है। जिन

शहरों में रहते हुए वे अपना पूरा जीवन और पूरी ऊर्जा खपा देते हैं वे शहर भी उसे आज हिकारत भरी नजरों से देख रहे हैं। कोरोना से बचाव करने को लेकर लोगों में प्रांतीयता और क्षेत्रवाद की भावना को बल मिला है। एक समुदाय विशेष को भी प्रारम्भ में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार ठहराया गया। ये अनेक ऐसे कारण हैं जिनसे भारत में कोरोना के दौरान नस्ली भेदभाव को बढ़ावा मिला है जिनका कहीं न कहीं सामाजिक समरसता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

4. कामगारों का रोजगार छिन जाना– भारतीय जनसँख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्य कर अपनी आजीविका चलाता है। लेकिन देश में लॉकडाउन घोषित होने के बाद इस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और भारी संख्या में रोजगार के अवसर समाप्त हुए हैं जिससे करोड़ों लोगों के बेरोजगार होने की आशंका है।–जिनेवा में जारी आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार,''कोरोना वायरस के कारण असंगठित क्षेत्र में काम करनेवाले करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। भारत, नाइजीरिया और ब्राजील में लॉकडाउन के कारण अंसगठित क्षेत्र में काम करनेवाले कामगारों पर ज्यादा असर पड़ा है।'' रिपोर्ट के अनुसार, ''भारत में करीब 90 प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसे में करीब 40 करोड़ कामगारों के रोजगार और कमाई प्रभावित होने की आशंका है। इससे वे गरीबी के दुश्चक्र में फंसते चले जाएंगे।''[4] आज कोरोना के कारण बेरोजगारी चरम पर है। भारत में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ लोगों का रोजगार न छिना हो। रोजगार छीन जाने से आय का स्रोत बंद हो जिससे गरीबी और भुखमरी का खतरा देश में बढ़ गया है। इससे अपराध के मामलों में भी वृद्धि होगी। इसका दूरगामी परिणाम भविष्य में और बदतर रूप में आएगा।

5. मजदूरों का पलायन– हमारे देश की लगभग 68 प्रतिशत जनसँख्या गांवों में निवास करती है। गांवों में कृषि योग्य भूमि कम होने, आबादी बढ़ने और प्राकृतिक आपदाओं के चलते रोजी–रोटी की तलाश में ग्रामीणों को शहरों की तरफ रुख करना पड़ता हैं। गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी भी पलायन का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा गांवों में रोजगार एवं शिक्षा के साथ–साथ बिजली, आवास, सड़क, संचार, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं शहरों की तुलना में काफी कम हैं। गांवों में भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से तंग आकर भी लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं।[5] देश में लॉक डाउन घोषित होने शहरों में लोगों का रोजगार बंद हो गया। इस स्थिति में उन शहरों में रह रहे श्रमिक वर्ग के समक्ष रोटी का संकट उत्पन्न हो गया। निकट भविष्य में कोई उम्मीद न देख कर इन मजदूरों ने शहरों से अपने गांवों की ओर पलायन प्रारम्भ कर दिया। देश में महा नगर मजदूरों से खाली हो गए हैं। इस कारण जहाँ एक ओर

तो शहरों में औद्योगिक इकाइयों को पुनः प्रारम्भ करने के लिए मजदूरों की कमी हो गई है वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों की संख्या में बाढ़ सी आ गई है। इस असंतुलन की स्थिति से देश पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है।

6. महिलाओं पर कार्यों की बढ़ोतरी– कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जबसे लॉक डाउन लगा है, घर के सभी सदस्य घरों में बंद होकर रह गए हैं। बच्चों का स्कूल जाना बंद है। कामकाजी लोगों के कार्यस्थल बंद हैं। घरों में घरेलू सहायिकाओं का आना बंद हैं। हमारे देश में पुरुषों का घरेलू कार्यों में सहयोग करना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में महिलाओं के ऊपर बच्चों के पालन–पोषण, बुजुर्गों की देखभाल से लेकर घर के सारे कार्यों की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है। इसलिए उनपर कार्य का बोझ अत्यधिक बढ़ गया है। कामकाजी महिलाओं का जिनका घरेलू कार्य करने का अभ्यास नहीं है, उनके लिए तो ये कोरोना काल कठिन संकट की घड़ी है। बहुत सी कामकाजी महिलाएँ जिनकी इस कोरोना काल में नौकरी छूट गई है उनके लिए तो ये चौतरफा संकट का काल है।

7. घरेलू हिंसा में वृद्धि– महिलाएं किसी भी सभ्य समाज और परिवार का आधार होती हैं। परिवार का पालन पोषण करना उनका नैसर्गिक कर्तव्य माना जाता है। किन्तु इस सबके बीच भी समाज में उनकी स्थिति दयनीय बानी रहती है। कोरोना महामारी के कारण जहाँ एक ओर पूरी दुनिया के लोग अपने घरों में कैद हैं और इस महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के प्रति होने वाले घरेलू हिंसा के मामले भारत ही नहीं पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हैं।राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 27 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक घरेलू हिंसा की 123 शिकायतें मिली थीं जबकि 23 मार्च से 16 अप्रैल के बीच ऐसी 239 शिकायतें मिली हैं। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 23 मार्च से 16 अप्रैल के बीच आयोग को महिला अपराधों से जुड़ी 587 शिकायतें मिलीं जिनमें घरेलू हिंसा से जुड़ी 239 शिकायतें शामिल हैं।6ये तो वे आंकड़े हैं जो अभिलेख में दर्ज हैं। वास्तविक स्थिति इससे भिन्न है।वास्तव में घरेलु हिंसा के आंकड़े भयावह हैं। लोक–लाज, समाज और परिवार के दबाव में महिलाओं के प्रति घरों में होने वाले ये अपराध घर की चारदीवारी से बाहर नहीं निकल पाते और न ही महिलाएं इस प्रताड़ना से कभी उबर पाती हैं और अपनी नियति मानते हुए ये सब वे बर्दाश्त करने को मजबूर रहती हैं।

8. समारोह के स्वरूप में परिवर्तन– भारत में समारोह का आयोजन धन और वैभव के प्रदर्शन का जरिया माना जाता है। भारतीय समाज में शादी–विवाह, जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगाँठ, मृतक संस्कार आदि ऐसे अवसर होते हैं जिनमे लोग

अपनी क्षमता से अधिक खर्च करते हैं। उधार और लोन लेकर भी दिखावा और झूठी शान–शौकत के लिए इन आयोजनों को भव्य बनाने का प्रयास हमारे समाज में प्रयास किया जाता है। आज इस कोरोना काल में ये आयोजन लगभग बंद हो गए हैं। लोग वैवाहिक समारोह रोक रहे हैं। कोरोना संकट को देखते समारोहों में भाग लेने वाले लोगों की संख्या निर्धारित कर दी गई है।गृहमंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, श्शादी से जुड़े समारोह का आयोजन सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुए किया जा सकता है। लेकिन अधिकतम 50 मेहमानों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार को लेकर भी गृहमंत्रालय ने कहा है कि अंतिम संस्कार में भी सोशल डिस्टेंशिंग का पालन सुनिश्चत करते हुए अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं।[7] इसके अतिरिक्त सभी शामिल व्यक्तियों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। एक प्रकार से देखा जाए तो आज समारोहों का स्वरूप बिलकुल परिवर्तित हो चुका है। लोग स्वयं किसी समारोह में भाग लेना नहीं छह रहे हैं और न ही बुलाना पसंद कर रहे हैं। अब बिना दिखावे के और काम खर्च में ये सब कार्यक्रम संभव हो रहे हैं।

9. जीवन शैली में परिवर्तन– आज कोरोना का प्रभाव स्पष्ट रूप से भारतीयों ही नहीं वरन विश्व के सभी नागरिकों का पड़ता दिखाई दे रहा है। आज वैश्विक स्तर पर लोगों के खान–पान, शिष्टाचार और रहन–सहन के तरीकों में परिवर्तन हो रह है। आज पूरा विश्व हाथ जोड़, नमस्ते बोल कर अभिवादन करना स्वीकार कर रहा है। शाकाहारी भोजन की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृत जिसे हम हिन्दू संस्कृति भी कहते हैं, में हस्त प्रक्षालन संस्कार है। हस्त प्रक्षालन यानी हर पूजा की शुरुआत से पहले हाथ धोने, शुद्धि का संस्कार है। आचमनम् यानी यज्ञ, प्रार्थना से पहले शुद्धि के लिए जल पीने के संस्कार है। स्नान यानी शारीरिक शुद्धि के लिए प्रतिदिन स्नान का संस्कार है। धूप–दीप का संस्काररू जो वातावरण की शुद्धि, जीवाणुओं के नाश में मददगार है। नमस्कार का संस्काररू किसी भी वायरस के रोकथाम में अभिवादन मददगार है। उपवास का संस्काररू प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से शरीर की शुद्धि करता है।[8] कहीं बाहर से आने पर आज भी बहुत से भारतीय परिवारों में बिना हाथ–पैर धोए घर के भीतर प्रवेश नहीं करते। आज ये सारी बातें कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक बताई जा रही हैं और वैश्विक स्तर पर लोग उनको अपनी जीवनशैली में शामिल कर रहे हैं। आज प्राचीन भारतीय संस्कृति की ओर पूरा विश्व आकर्षित हो रहा है। लोगों को पुनः एक बार पारिवारिक मूल्यों का महत्व समझ में आ रहा है। दिखावे, भाग–दौड़ और चकाचौंध भरी पश्चिमी संस्कृति से लोगों का मोह भंग हो रहा है। लोग फिर एक बार अपनी प्राचीन

संस्कृति के महत्व को समझ कर अपनी जीवनशैली को उन आदर्शों के अनुकूल ढालने लगे हैं।

10. स्वच्छता के प्रति जागरूकता– कोरोना के प्रभाव के कारण लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है। आस–पास के वातावरण से लेकर अपनी व्यक्तिगत सफाई के प्रति लोग सतर्क हो गए हैं। नित्य स्नान, बाहर से आने पर बिना हाथ–पैर धुले घर में प्रवेश न करना, खाने से पहले हाथ धोना, बाजार से लाए सामान बिना साफ किये प्रयोग न करना आदि सभी की दिनचर्या का अंग बन गए हैं।

11. मितव्ययिता की भावना में वृद्धि– वर्तमान परिस्थितियों में लोग अब मितव्ययिता की बात करने लगे हैं। लोगों की आदत में कम खर्च करना शामिल हो रहा है। लॉकडाउन के कारण धन की फिजूलखर्ची पर लगाम लग गई है। लोग भविष्योन्मुखी हो रहे हैं और धन आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षित कर रहे हैं। अब किसी प्रयोजन में भी धन के दिखावे की प्रवृत्ति पर रोक लग गई है।

12. मनोरंजन के आदतों में बदलाव– थियेटर, सिनेमाहाल, पब, डिस्को, मॉल, पर्यटन स्थल आदि कोरोना के चलते बंद हैं। इस कारण लोगों की मनोरंजन करने की आदतों में भी बहुत बदलाव नजर आरहा है। मनोरंजन हेतु लोगों की निर्भरता इंटरनेट आधारित साधनो पर बढ़ी है। टीवी पुनः सभी का मनोरंजन कर रहा है। दूरदर्शग्न जिसको लोगों ने देखना बंद कर दिया था, आज वह पुनः सबसे लोकप्रिय साधन बन गया है। देश में टीवी दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच लोग समाचार और फिल्में भी खूब देख रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन ने पौराणिक धारावाहिकों को फिर से दिखाना शुरू किया, जिससे पिछले तीन सप्ताह से उसके दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।[9] दूरदर्शन पर दिखाए जा रहे रामायण, महाभारत, कृष्णा जैसे पौराणिक धारावाहिकों ने धूम मचा रखी है। इनके अतिरिक्त दूरदर्शन के अन्य पुराने प्रसिद्ध धारावाहिकों का प्रसारण भी हो रहा है। इस प्रकार दूरदर्शन ने पुनः सभी के घरों में पहुँच बना ली है।

13. होटल व पर्यटन उद्योग क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों पर प्रभाव– लॉक डाउन के कारण फिल्म इंडस्ट्री, पर्यटन व होटल उद्योग तथा विमानन क्षेत्र से जुड़े लोगों के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। फिल्मों की सूटिंग बंद है , पर्यटक स्थल, होटल और हवाई यात्राएं बंद हैं। इस कारण इन क्षेत्रों से जुड़े हुए करोड़ों लोग बेरोजगारी के कगार पर खड़े हैं।एसोचैम के अनुसार, वैश्विक महामारी के रूप में फैले इस कोरोना वायरस का सबसे अधिक असर होटल, टूर एंड ट्रेवल, विमानन, खानपान, निर्माण और मनोरंजन क्षेत्र पर पड़ेगा। हवाई अड्डों की पार्किंग में लगी कतारों में इन्हें खड़ा रखना और इनकी मरम्मत करना

कंपनियों के लिए चुनौती है।[10] लॉकडाउन से पहले ही कई एयरलाइंस व ट्रेवल कंपनियों ने अपने 35 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की बिना वेतन छुट्टी कर दी थी। उद्योग संघ के अनुसार, यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र का 2018 में भारत की जीडीपी में 9.2 फीसदी योगदान था और इसने 2.67 करोड़ रोजगार दिए।वर्तमान में लगभग 3.8 करोड़ लोग पर्यटन उद्योग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं जिनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इसी प्रकार होटल, मनोरंजन और विमानन क्षेत्र से जुड़े करोड़ों लोग हैं जो कोरोना के कारण सीधे प्रभावित हो रहे हैं।

14. विद्यार्थियों, शिक्षकों पर प्रभाव– कोरोना के कारण मार्च से ही स्कूल–कॉलेज आदि बंद चल रहे हैं। इसमें पढ़ने वाले करोड़ों छात्र आज कोरोना के कारण अपनी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। बहुत से विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाएं भी अभी संपन्न नहीं हो पाई है। जो परीक्षाएं हो गई हैं उनका मूल्याङ्कन कार्य रुका हुआ है। सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रुकी हुई हैं। नए पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षाएं भी संभव नहीं हैं। बहुत से अभिभावकों का रोजगार छिन चूका है। इसलिए वे अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। फीस नहीं जमा होने के कारण विद्यालयों के समक्ष भी आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। विद्यालयों ने अपने बहुत से शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को निकाल दिया है। बहुत से विद्यालयों से शिक्षकों का वेतन 10 से लेकर 50 प्रतिशत तक काट कर दियाजा रहा है। नवीन रिक्तियां बंद हैं। बहुत से छोटे–छोटे विद्यालय आज बंदी के कगार पर हैं क्योंकि उनमे पढ़ने वाले बच्चे अपने माता–पिता के साथ शहरों से अपने गांव पलायन कर चुके हैं। और यदि कोई है भी तो उसके समक्ष आर्थिक समस्या खड़ी है। ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा बहुत से विद्यालयों ने शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को जारी रखा।

15. मानसिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव– इस समय बहुत से लोग कोरोना के भय से अवसादग्रस्त हो गए हैं। लोगों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। समाचार पत्र ऐसी खबरों से भरे हुए रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स की एक ग्लोबल टीम ने कोविड–19 के मानसिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभावों पर शोध किया। इसके अनुसार– इस महामारी का सभी के दिमाग पर दो चरम मनोवैज्ञानिक तनावों का प्रभाव पड़ रहा है– पहला अस्तित्वगत का खतरा और दूसरा सामाजिक अलगाव।[11] इसी प्रकार अनेक शोधों से यह निष्कर्ष निकला है कि कोरोना लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। जो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, उनका शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से सभी अब भलीभांति अवगत हैं। किन्तु जो कोरोना से सीधे प्रभावित नहीं हुए हैं उनमे से बहुतों का मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसके अतिरिक्त भी कोरोना के कारण भारतीय जनमानस पर पड़ने वाले अनेक प्रभाव हैं जैसे –डिजिटल लेनदेन में वृद्धि, इंटरनेट पर निर्भरता,

श्रम की महत्ता का पुनः स्थापित होना, ऑनलाइन खरीददारी की प्रवृत्ति में वृद्धि, खान–पान पर नियंत्रण, शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सजगता, योग और आयुर्वेद के प्रति झुकाव आदि।

16. **परिवार और रिश्तों पर स्वास्थ्य प्रभाव–** कोविड–19 ने कुछ मूल प्रष्न खड़े कर दिए है। अब परिवार और रिश्तों को ही ले लें। कही अवचेतन में हम सभी को लगता था कि शायद हम अपने रिश्तों को इतना समय नहीं दे रहे है। उन्हें सींच नहीं रहे है। दरअसल बार.बार जीवीकोपार्जन के क्रूर तथ्य के नीचे हमारी वे कोमल भावनाएं मौन हो जाती थी। बहरहाल ,हम अन्य लोगों के लिए क्या सोचते हैं? क्या ये लोग एक ऐसी समस्या है, क्या ये संक्रमण के मानव बम है, भय और आतंक के आधार नियंत्रित किया जाना चाहिए? यह सरकार के सत्तावादी दृष्टिकोण को दिखाता है। जहाँ सरकार लोगों की सहमति के बिना उस पर नियंत्रण रखाना चाहती है। इसका उद्देष्य जनता की शक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करना है।

17. **ग्लोबलाईजेशन या वैश्वीकरण की व्यवस्था कमजोर–** ग्लोबलाईंजेशन या वैश्वीकरण का अगर हम निष्पक्ष तरीके से मौजूदा समय में आकलन करें तो पायेंगे कि–कोविड 19 महामारी के दुनिया में आने और फिर छा जाने से बहुत पहले ही –वैष्वीकरण की उदार व्यवस्था न सिर्फ धीरे–धीरे कमजोर पड़ रही थी बल्कि अपने स्थान से खिसक रही थी और इसका बीज बोया था दुनिया में महाशक्ति के तौर पर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश में लगे अमेरिका और चीन के आपसी विवाद ने सच ये हैं कि तकरीबन दुनिया के हर देश में लागू हुए लॉकडाउन की इस प्रक्रिया ने उसी गैर–वैष्विकरण के क्रम को मजबूत करने का काम किया हैं इसके बावजूद दूसरा और बड़ा सच ये हैं कि कोई भी देश, समाज, वर्ग और समूह इस लड़ाई को अकेले नहीं जीत सकता हैं। कोविड–19 नाम की इस आफत ने पूरी दुनिया को एक ऐसे अनदेखे–अंजाने समुद्र में फेंक दिया है, जिससे सुरक्षित बाहर निकलने के लिए हम सभी को तैराकी की कला सीखनी होगी।

18. **शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव–** शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव होंगे जैसे– परम्परागत कक्षओं से वर्तमान में वर्चुअल कक्षाओं में परिवर्तित हो रही है जहाँ इण्टरनेट की मांग बढ़ी है वहीं भारत में वर्तमान में 68.8 करोड़ एक्टिव इण्टरनेट यूजर है। वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भरत जैसे– 1. इरादा (इंटेंट), 2. समावेश (इन्क्लूजन) 3. निवेश (इन्वेस्टमेंट) 4. आधारभूत ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) 5. नवप्रवर्तन (इनोवेशन) से मंद पड़ी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

निष्कर्ष

संक्षेप में कहा जा सकता है कि कोरोना महामारी ने सम्पूर्ण भारतीय समाज के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। जिस प्रकार

अँधेरे के बीच में प्रकाश छुपा होता है उसी प्रकार कोरोना के अनेक नकारात्मक प्रभावों के बीच में अनेक सकारात्मक सन्देश भी निहित हैं। प्रत्येक भारतीय का ये कर्तव्य है कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न उन अवसरों को पहचान कर उन्हें अपने अनुकूल बनाये और अवसर का लाभ उठाते हुए अपने विकास का मार्ग प्रशस्त करे। यह गर्व का विषय है कि आज भारतीय योग और आयुर्वेद की ओर पूरा विश्व झुक रहा है। आवश्यकता है इस अपार मानव शक्ति को किसी न किसी उत्पादक कार्य कौशलों में प्रशिक्षित करने की जिससे वह राष्ट्रीय विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। बहुत से ऐसे सेक्टर जैसे –मोबाइल निर्माण, मेडिकल से सम्बंधित उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ऑटोमोबाइल, दवाएं, कृषि उत्पाद आदि अनेक क्षेत्र हैं जिसमे भारत आत्मनिर्भर बन कर निर्यात बढ़ा सकता है। अब समय आ गया है जब भारत सरकार के कौशल भारत और आत्म निर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों को गति देकर भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाया जाय। वैश्विक परिस्थितियां भी भारत के अनुकूल बन रही हैं।

कोविड–19 संकट के बाद देशों द्वारा अपनाई गई स्वास्थ्य, मानवीय और सामाजिक–आर्थिक स्थिति की गतिविधियाँ भविष्य में शक्ति और गति निर्धारित करेंगी। इस संक्षिप्त में प्रस्तुत मानव जीवन की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर कोविड–19 के प्रभाव का आकलन पर्यावरण में सुधार के संकेत मिले हैं, एवं कृषि क्षेत्र में नयी प्रौद्योगिकीय से रोजगार एवं उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है और तकनीकी ज्ञान शिक्षा प्रणाली में ऑनलाइन को और अधिक प्रशिक्षण देने एवं मजबूत और ठोस ढांचा तैयार करने की जरूरत है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक ध्यान देने और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाकर संतुलित एवं सतत् विकास को बढ़ावा देना है।

संदर्भ

1. सोमपाल शास्त्री (2020), कृषि है जीवन का आधार, (दैनिक जागरण)।
2. तरुण गुप्ता (2020), कोरोना के बाद की दुनिया (दैनिक जागरण)।
3. संजय गुप्ता (2020), अवसर को भुमाने का सही तरीका (दैनिक जागरण)।
4. जगमोहन सिंह (2020), स्कूलों से ही निकलेगी आत्मनिर्भरता की राह (दैनिक जागरण)।
5. रमेश पोखरियाल (2020) दैनिक जागरण के संपादक मंडल के साथ निशक ने नयी शिक्षा नीति भविष्य के रोड मैप को लेकर हुई बातचीत का एक अंश।
6. गौरव दुबे (2020), खुलेआम बिक रहा छात्रों का डाटा (दैनिक जागरण)।
7. विजय क्रान्ति (2020) प्रवासी कामगार नीति के मूलमंत्र (दैनिक जागरण)।
8. रमन कांति त्यागी (2020), सहेजनी होगी बरिस की हर बूंद (दैनिक जागरण)।

असिस्टेंट प्रोफेसर,समाजशास्त्र,
सकलडीहा (पी.जी.) कालेज,सकलडीहा

एच आई वी / एड्स:
दशा एवं दिशा

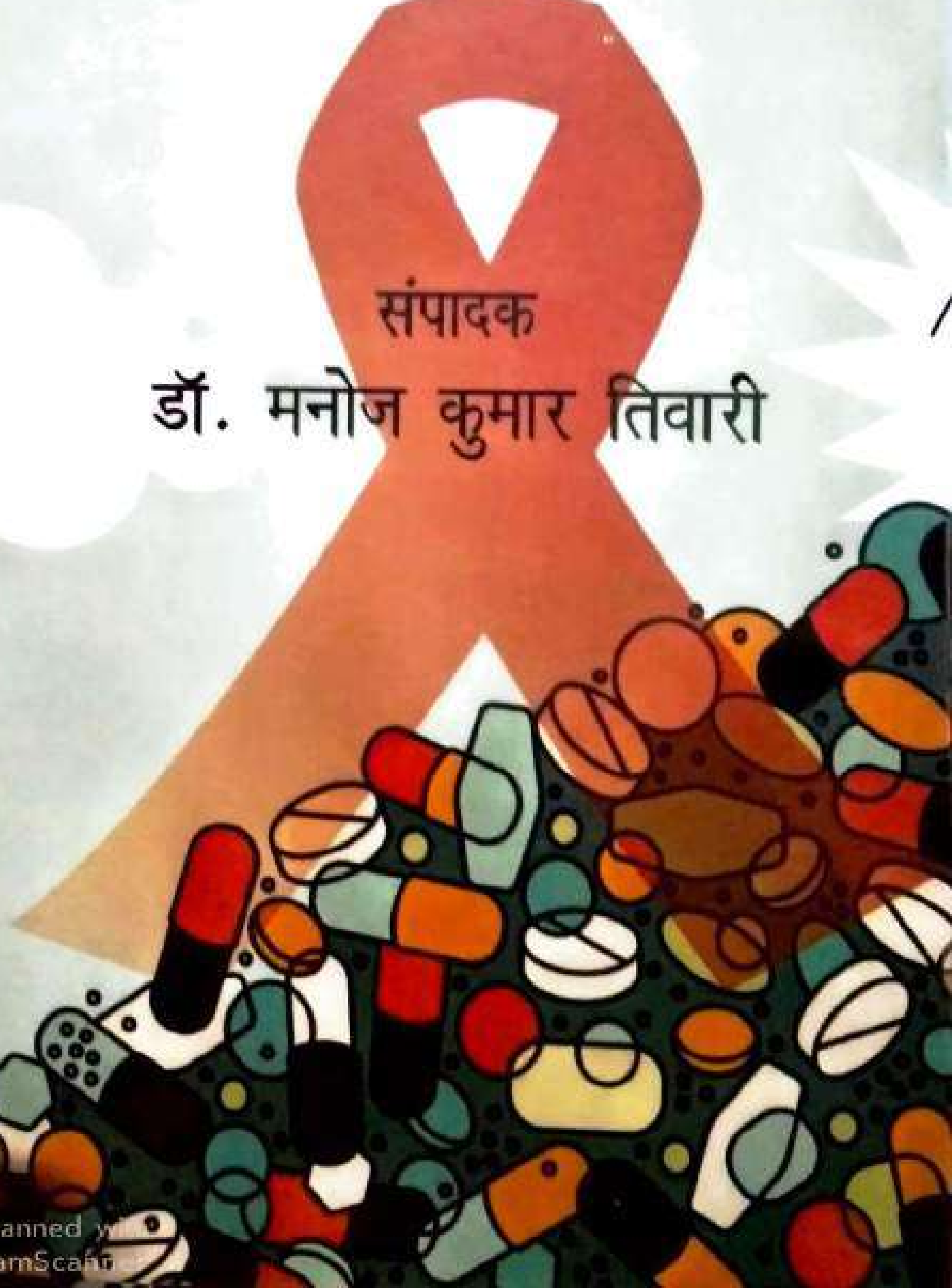

संपादक

डॉ. मनोज कुमार तिवारी

Scanned with CamScanner

एच आई वी / एड्स:
दशा एवं दिशा

डॉ. मनोज कुमार तिवारी
वरिष्ठ परामर्शदाता, ए आर टी सेन्टर
आई एम एस, बी एच यू, वाराणसी (उ.प्र०)

RENOVA

रिनोवा इन्टरनेशल पब्लिकेशन्स
नई दिल्ली–110054

रिनोवा इन्टरनेशल पब्लिकेशन्स
बी. 39, प्रथम तल आरूना नगर,
सीबिल लाईनस, नई दिल्ली–110013
फोन न. :–9953776001
ईमेल :–!renovapublications@gmail.com

एच आई वी/एड्स: दशा एवं दिशा

प्रथम संस्करण : 2019

कॉपी राइट © लेखक

इस पुस्तक को प्रकाशित करने मे प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी त्रुटि के लिए प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होगा, इस पुस्तक को अथवा इसके अंश को बिना प्रकाशक की लिखित अनुमति के किसी भी रूप–फोटोग्राफी, विद्युत–ग्राफिक यान्त्रिकी अथवा अन्य रूप मे किसी भी प्रकार से उपयोग के लिए नही छापा जा सकता है...

भारत में मुद्रित

रिनोवा इन्टरनेशल पब्लिकेशन्स, बी. 39, प्रथम तल आरूना नगर, सीबिल लाईनस, नई दिल्ली–110054, द्वारा प्रकाशित, टाईप सेटिंग महक ग्राफिक्स, दिल्ली शब्द–संयोजन, राजूरिया प्रिंटर्स, दिल्ली द्वारा मुद्रित।

विषय–सूची

	प्राक्कथन	5
	प्रस्तावना	7
	आभार	9
1.	एच.आई.वी./एड्स की वर्तमान स्थिति –डॉ. मनोज कुमार तिवारी	11
2.	इतिहास के आईने में एचआईवी/एड्स –डॉ. कामिनी वर्मा	23
3.	उत्तर प्रदेश में एच.आई.वी. की जाँच –श्री अजय शुक्ला	27
4.	देखभाल व सहयोग केन्द्र –श्रीमती अनिता सिंह	30
5.	एचआईवी/एड्स : मनोसामाजिक विश्लेषण –डॉ. मुकेश कुमार श्रीवास्तव	39
6.	विवाह : एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्ति के जीवन का पुर्ननिर्माण (विवाह के दर्शन एवं उद्देश्य को आत्मसात करके) –डॉ. सौरभ पालीवाल	50
7.	एच.आई.वी./एड्स व श्रम जगत पर राष्ट्रीय नीति –डॉ. मनीष मिश्र	59
8.	एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों के कानूनी अधिकार –विजेता सिंह	72

76

9. एड्स : जागरूकता ही बचाव
–डॉ. दयाशंकर सिंह यादव

10. एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के लिए संज्ञानात्मक–व्यवहार चिकित्सा की उपयोगिता 89
–प्रियंका माथुर

11. यौन संचारित रोग : एक परिचय 93
–डॉ. सीमा सिंह

12. एचआईवी का ज्ञान, बचाये जान 97
–मनीष कुमार सिंह

13. एचआईवी संक्रमण में पोषण की भूमिका 102
–लक्ष्मी सिंह

14. एचआईवी संक्रमण एवं मानसिक स्वास्थ्य 123
–अर्पिता त्रिपाठी

15. ए.आर.टी. दवाओं का दुष्प्रभाव व उसका प्रबन्धन
–अर्चना उपाध्याय

16. एच.आई.वी./एड्स : परामर्श में नैतिक मुद्दे
–सोनी सिंह

17. एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों में परिस्थिति... 140
करने के तरीके (C...

प्रतिदिन लगभग 7000 से भी अधिक लोग इस जीवाणु से ग्रसित हो रहे हैं। एड्स वास्तविक रूप में किसी एक बीमारी का नहीं है अपितु यह अनेक प्रकार के रोगों का समूह है जो विशिष्ट जीवाणुओं के द्वारा मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करने से उत्पन्न होती है। यह आवश्यक नहीं है कि 'एच.आई.वी.' से ग्रसित सभी मनुष्य एड्स के रोगी हैं। इस जीवाणु से ग्रसित लोगों में 'एड्स' को पूर्णतः विकसित होने में 7 से 10 वर्ष तक लग सकते हैं। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में 'एड्स' का रोग जल्दी विकसित होता है क्योंकि इन देशों के नागरिकों का खान है।

दक्षिण अफ्रीका, चीन और भारत में विश्व के 80% से भी अधिक 'एच.आई.वी.' ग्रसित लोग पाए जाते हैं। मनुष्यों में 'एच.आई.वी.' अथवा 'एड्स' कुछ प्रमुख कारणों से ही फैलता है। 'एच.आई.वी.' अवैध यौन संबंधों से फैलता है। प्रमुखतः 'एच.आई.वी.' किसी भी युग्म का एक सदस्य यदि 'एच.आई.वी.' बाधित है तो यौन संबंधों द्वारा दूसरा सदस्य भी प्रभावित हो जाता है। स्त्रियों में इस रोग के फैलने की संभावना पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। इसके अतिरिक्त 'एच.आई.वी.' जीवाणुओं से ग्रसित सूई के द्वारा अथवा स्त्रियों के गर्भ से होने वाली संतान में भी इस रोग के लक्षण हो सकते हैं।

सेक्स वर्कर्स को एचआईवी संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। अनुमानतः मुम्बई में 15,000 यौनकर्मी हैं और 2003 में उनमें से 70: के शरीर में 'एच.आई.वी.' वायरस था। सूरत में किये गये एक अन्य शोध ने दिखाया कि वहाँ की यौनकर्मियों में 1992 में 17% के शरीर में 'एच.आई.वी.' वायरस था जिनकी मात्रा 2001 में बढ़कर 43% हो गयी थी। ट्रक चालक भी एड्स की बीमारी के लिए अधिक खतरे वाले गुट माने जाते हैं। भारत की सडकों का जाल विश्व में उच्च स्थान पर है और अनुमान लगाया गया कि भारत में 20 से 50 लाख तक लोग हैं जिनमें लम्बे रास्ते पर ट्रक चलाने वाले, उनकी सहायता करने वाले और क्लीनर शामिल हैं। 1999 में हुई एक शोध ने दिखाया था कि ट्रक चलाने वालों में 86% हर ... यौनकर्मियों से यौन संबंध बनाते

एड्स : जागरूकता ही बचाव

डॉ. दयाशंकर सिंह यादव

वर्तमान समय में एड्स की बीमारी दुनिया भर में एक महामारी की तरह फैल रही हैं। यह बीमारी कितनी घातक है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हैं। एड्स से सम्बंधित तमाम भ्रान्तियाँ हमारे समाज में फैली हैं। हमारे पास जितनी अधिक जानकारी होगी उतना बेहतर हम इस बीमारी से लड़ सकेंगे। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इस बीमारी के बारे में जितना हो सके उतना जाने, ताकि उसकी गति को रोकने में मदद मिल सके। दुनिया में करीब साढ़े सात करोड़ लोग एच.आई.वी. से ग्रस्त हैं। लोगो को एड्स के प्रति जागरुक करने के मकसद से 1988 से हर वर्ष एक दिसम्बर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता हैं। विश्व एड्स दिवस 2017 की थीम मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार एवं 2018 की थीम भी यही कहती है की अपनी स्थिति जाने तभी हम इस महामारी को हरा सकते हैं। दुनिया खजुराहो और वात्स्यायन के कामसूत्र के कारण हमें यौनशास्त्र का विशेषज्ञ मानती हैं। शायद वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि हमारे समाज में यौन विषय पर बात करना बालू से पानी निकालने जैसा हैं।

"भ्रांतियाँ मिटा दूँजो फैली हैं एक जमाने से, एड्स नहीं फैलता छूने से या हाथ मिलाने से।"

एड्स एक असाध्य बीमारी है, जिसे अस्सी के दशक के पूर्व कोई भी नहीं जानता था। यह बीमारी सर्वप्रथम 1981 ई. में अमेरिका में हुआ, जब पाँच समलिंगी पुरुषों में इस अनोखी बीमारी के लक्षण पाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन' की एक गणना के अनुसार 1,40,000 से भी अधिक लोग इस बीमारी के शिकार पाए गए। हमारे देश में एड्स का पहला मामला लगभग 21 साल पहले चेन्नई में पाया गया था। आज केवल भारत में ही लगभग पचास लाख संक्रमित लोग है आज वास्तविकता यह है कि जिस रफ्तार से इसके जीवाणुओं से विश्वभर में लोग बाधित हो रहे हैं निकट भविष्य में मानव सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है

CS Scanned with

आर्थिक विश्लेषण के सिद्धा

Principles of Economic Analysi

बी.ए. प्रथम वर्ष

डॉ० इन्द्रदेव सिंह

आर्थिक विश्लेषण के सिद्धान्त

डॉ० इन्द्रदेव सिंह

आर्थिक विश्लेषण के सिद्धान्त

© डॉ० इन्द्रदेव सिंह

ISBN : 978-93-83583-56-0

प्रथम संस्करण : 2021

मूल्य : ₹ 599/-

प्रकाशक

सृजन समिति प्रकाशन

म०नं० 498, ग्राम-ककरमत्ता (दक्षिणी), पोस्ट-डी०एल०डब्ल्यू०,
जिला-वाराणसी-221004 (उ०प्र०)
मो० 9415388337
ई-मेल : srijansamiti@rediffmail.com

नोट : लेखक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना, फोटो प्रतिलिपि तथा अन्य किसी विधि से प्रयोग करना सर्वथा वर्जित है।

प्रकाशक

सृजन समिति प्रकाशन

ककरमत्ता, डी.एल.डब्ल्यू., वाराणसी-221[illegible] (उ.प्र.)

Mob. 9415388337 / E-mail : [illegible]diffmail.com

75 Azadi Ka Amrit Mahotsav

विशेष अंक

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

बनारस दस्तावेज

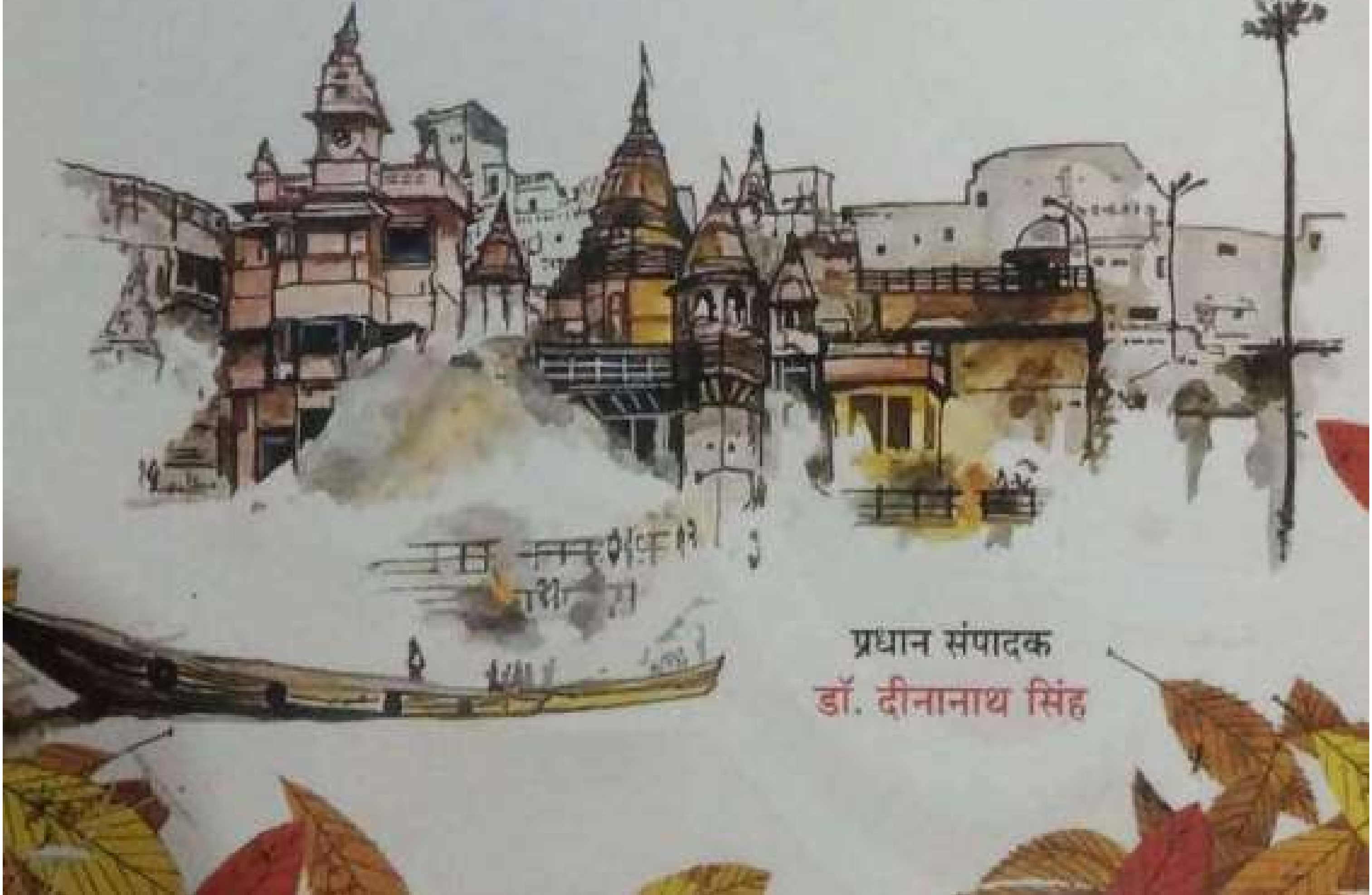

प्रधान संपादक
डॉ. दीनानाथ सिंह

विशेष अंक

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

बनारस दस्तावेज

ISBN 978-93-82967-45-3

प्रकाशक

ज्ञान भारती प्रकाशन

वाराणसी-221 003

स्वामित्व/प्रकाशक

शिक्षक सखा, उत्तर प्रदेश, काशी

अक्षय भवन, शिव 5/146ए-1 के

रामजानकी धाम कालोनी, शिवपुर, वाराणसी-221 003

संस्करण- द्वितीय (संशोधित) 2023

सहयोग राशि : 100/-

मुद्रक:

जेम्बो डिजिटल प्रिंट

रामकटोरा, वाराणसी

मो: 9807207127

अनुक्रमणिका

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की [illegible] की [illegible] — 8
डॉ. दीनानाथ सिंह

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियाँ — 10
प्रो. दीनानाथ सिंह, डॉ० रवि प्रकाश सिंह

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में डिजिटल सशक्तीकरण और ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियाँ एवं अवसर — 16
प्रो. अंशु सिंह, डॉ. [illegible] सिंह

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : आर्थिक पक्ष — 18
डॉ. आभा कुमारी

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति : प्रभावी शिक्षक — 21
डॉ. [illegible] सिंह दीक्षित

6. भारतीय भाषाओं एवं भारतीय ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा — 22
डॉ. कुसुम सिंह

7. उच्च शिक्षा में [illegible] — 25
डॉ. दीनानाथ सिंह

8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : डिजिटल सशक्तीकरण तथा ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियाँ एवं अवसर — 30
डॉ. पवन कुमार सिंह

9. समान और समावेशी शिक्षा — 32
डॉ. [illegible] सिंह

10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति : शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण वाराणसी के संदर्भ में — 45
डॉ. राम प्रसाद [illegible], डॉ. अभिषेक कुमार गौड़, डॉ. [illegible] श्रीवास्तव

11. शिक्षा में योगी श्री अरविन्द का अद्भुत प्रयोग — 51
डॉ. रवि प्रकाश सिंह

12. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत भारतीय ज्ञान परम्परा की संरक्षण की आवश्यकता — 53
प्रो. चंद्रकांत राय

13. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : एक समग्र अवलोकन — 58
डॉ. अलका कुमारी श्रीवास्तव

14. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : बहुभाषावाद एवं समग्र शिक्षा — 61
प्रो. ओ.पी. चौधरी

15. भारतीय भाषाओं, भारतीय ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का क्रियान्वयन — 66
प्रो. [illegible] सिंह, डॉ. प्रिया भारतीय

16. समान और समावेशी शिक्षा — 70
प्रो. [illegible]

17. कौशल विकास और रोजगार — 72
प्रो. [illegible] कुमार, अनंत कुमार शर्मा

18. किशोरों में कौशल विकास और रोजगार सम्भावनाएँ — 75
डॉ. [illegible] सिंह यादव

19. समानता के लिए शिक्षा — 81
प्रो. [illegible] सिंह

20. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की रूपरेखा और उच्च शिक्षा में नैतिकता — 84
डॉ. अजय कुमार सिंह, डॉ. विनोद कुमार सिंह

21. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : आर्थिक मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया — 92
डॉ. प्रतिभा सिंह

21. For the achievement of Equitable and Inclusive Education — 94
Prof. Anuradha Rai

22. Skill Development and Employability among Adolescents — 96
Dr. Pratibha Singh

वाराणसी में कौशल विकास और रोजगार की सम्भावनाएँ

–डॉ दयाशंकर सिंह यादव*

कौशल विकास समय की माँग है। अब हमें पारंपरिक सोच से हटकर कुछ नया सोचना होगा। व्यावसायिक शिक्षा काम चलाऊ नहीं हो, बल्कि इसका आधार फलक विस्तृत होना चाहिए। कौशल विकास से रोजगार और स्वावलंबन को बल मिलेगा। हमारा योगदान सिर्फ विद्यार्थियों को डिग्री दिलाना नहीं रहे, बल्कि उनकी क्षमता और रुचि को पहचान कर मार्गदर्शन भी करना है। स्किल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2022 तक कम–से–कम 30 करोड़ लोगों को कौशल प्रदान करना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई यह स्किल इंडिया का ही हिस्सा है। इसका प्रमुख कार्य लोगों को कम अवधि का प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने वाले साझीदार कुछ प्रशिक्षुओं को रोजगार प्राप्त करने में उनकी सहायता करते हैं। इस अध्याय में वाराणसी जनपद में कौशल विकास और रोजगार की क्या सम्भावनाएँ हो सकती है, पर प्रकाश डाला गया है।

फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक 50 करोड़ प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता होगी। सर्वाधिक 3.5 करोड़ प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता ऑटोमोबाइल एवं ऑटो सेंटर में है। इसके उपरांत 3.3 करोड़ प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता बिल्डिंग एवं कंस्ट्रक्शन सेंटर में होगी। भारत में हर साल 13 मिलियन से ज्यादा युवक काम करने वाली उम्र में प्रवेश करते हैं। आईटीआई संस्थानों, पॉलिटेक्निकों, स्नातक कॉलेजों, प्रोफेशनल कॉलेजों आदि में प्रशिक्षण और शैक्षणिक क्षमताओं को जोड़कर देखें तो देश में कुल 3 मिलियन वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता है। इन संस्थानों में किसी शिक्षित–कुशल भारतीय के निर्माण पर 1 से 4 साल तक लगते हैं। इसलिए भले ही तेजी से क्षमता निर्माण की होड़ लगी हो, जिस गति से नए भारतीय काम करने वाली उम्र में प्रवेश कर रहे हैं, उसमें प्रशिक्षण के लिए लंबी अवधि की तुलना में धीमी गति से कौशल विकास की गति को बनाए रखने के लिए 10 लाख से अधिक की इस खाई को पाटना बहुत मुश्किल काम है। इस मुद्दे पर ध्यान देना भारत की बहुसंख्यक आबादी की क्षमता को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

इस परियोजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई थी। तब से यह योजना नियोक्ताओं, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के लिए कुशल जनशक्ति का एक प्रमुख स्रोत रहा है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 2011–12 के

* सह आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, सकलडीहा पी.जी. कालेज, सकलडीहा, चंदौली।

लिए आयोजित रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण (ईयूएस) के अनुसार अनौपचारिक घटक में अनुमानित रोजगार ग्रामीण इलाकों में कुल सामान्य रोजगार (प्रमुख और सहायक) का लगभग 75 प्रतिशत और शहरी इलाकों में 69 प्रतिशत था। अनौपचारिक रोजगार के आंकड़े काफी ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि उद्यमों को "नियोक्ता के घर" के रूप में चिन्हित किया गया है, जिन्हें घरेलू सेवाओं के प्रावधान के लिए रोजगार को अनौपचारिक क्षेत्र की परिभाषा से बाहर रखा गया है।

रोजगार के लिए कौशल विकास आवश्यक

विश्व में युवाओं के सबसे सुदृढ़ देश बनने का भारत का सपना पूरा होगा? हमारे यहां एक कहावत है कि जहां चाह, वहां राह किंतु यह वर्तमान सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। औद्योगिक वृद्धि और सेवा क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद रोजगार का सृजन अपेक्षित स्तर पर नहीं रहा। कृषि में लोगों को बारहमासी रोजगार नहीं मिलता है और अधिकतर परिवार वर्ष के अधिकांश समय बेरोजगार रहते हैं। मनरेगा से ग्रामीण जनता को कुछ सहायता मिली किंतु इस योजना में स्पष्ट निगरानी के अभाव के कारण यह भी रोजगार सृजन में अधिक प्रभावी नहीं रही। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है किंतु वर्ष 2013–14 में केवल 9 प्रतिशत परिवारों को ही 100 दिन का रोजगार मिल पाया, साथ ही इस योजना में अकुशल कार्य कराए जाते हैं इसलिए इसके अंतर्गत किसी कौशल का विकास नहीं हुआ।

एक आकलन के अनुसार वर्तमान में 18 प्रतिशत कार्यरत लोगों के पास नियमित रोजगार है जबकि 30 प्रतिशत नैमित्तिक कामगार हैं जो दैनिक या सावधिक रोजगार करते हैं। शेष 52 प्रतिशत स्वरोजगार करते हैं जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं तथा उनकी आय बहुत कम है। उनके पास साल भर काम नहीं है और इसका भी एक बड़ा हिस्सा अर्धबेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। दक्षिण कोरिया, ताईवान और सिंगापुर जैसे पूर्वी एशियाई देशों ने श्रम सघन उद्योगों पर बल दिया, जिससे रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ और जनसंख्या के गरीब वर्ग में संपन्नता आई। अब नरेंद्र मोदी जी कौशल विकास की बातें कर रहे हैं और बेरोजगारों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए रात दिन उपाय किए जा रहें हैं। उनका मानना है कि कौशल विकास न केवल भारत की जनांकिकी का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण है अपितु इससे समावेशी विकास भी होगा।

सरकारी–निजी भागीदारी के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को 15 करोड़ लोगों को 2022 तक कौशल विकास प्रशिक्षण का दायित्व सौंपा गया है। कौशल विकास के क्षेत्रों में सौर पैनलों से जुड़ा विनिर्माण अपशिष्ट प्रबंधन, लेखा परीक्षा और मूल्यांकन, नई प्रोद्योगिकी में अनुसंधान आदि शामिल है। इसके अलावा आभूषण निर्माण, स्वच्छता सामग्री का उत्पादन, कम लागत के इलेक्ट्रोनिक सामान आदि के लिए भी कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2014 में सरकार ने घोषणा की थी कि वह दीन दयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों के कौशल विकास पर 500 करोड़ रूपए खर्च करेगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के प्रशिक्षण पर 15 से 18 हजार रूपए खर्च किए जाएंगे और उसे लघु उद्यम स्थापित करने में सहायता दी

ऋणों। सरकार दो लाख तक की व्यक्तिगत परियोजनाओं और 10 लाख तक की सामूहिक परियोजनाओं के लिए ब्याज पर भी सब्सिडी दे रही है। कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमिता कौशल विकास तथा नए कौशल के निर्माण तथा कुशल श्रम शक्ति की मांग और आपूर्ति में अंतर को दूर करने में भी समन्वय करेगा तथा इसके लिए यह व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण देगा। चुनौती बेरोजगारी और अर्धबेरोजगारी को कम करने की है तथा कौशल प्रशिक्षण और उद्यमित्ता विकास ही इसका एकमात्र विकल्प है। केन्द्र और राज्य सरकारों की इस मामले में ईमानदारी से ही यह कार्यक्रम सफल बन सकता है। यदि सरकार इस कार्यक्रम को लागू करती है तो एक महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक समस्या के समाधान में एक नए अध्याय का सूत्रपात होगा।देश के ग्रामीण क्षेत्रों मे विशद संभावनाएँ हैं और निजी क्षेत्र के साथ एक राष्ट्रीय बहस की जानी चाहिए कि रोजगार सृजन के साथ साथ ग्रामीण विकास पर भी ध्यान दिया जाए ताकि रोजगार सृजन और विकास साथ–साथ हो। तभी देश समावेशी विकास कर सकता है और वही समाज के एक बड़े वर्ग के लाभ के लिए होगा।

संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार के अवसरों के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने के उद्देश्य से वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। कौशल आधारित सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रासंगिक हितधारकों को शामिल करने के लिए व्यापक संस्थागत ढांचे को विकसित और मजबूत बनाने पर भारत–संयुक्त अरब अमीरात सहमत कॅंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (डीपी वर्ल्ड की एक इकाई) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए एनएसडीसी इंटरनेशनल (एनएसडीसीआई) तथा डीपी वर्ल्ड की भारतीय इकाई हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान किया गया। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य विदेशों में लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह संचालन तथा संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के लिए भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करना है। वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विश्व बाजार के लिए उम्मीदवारों को तैयार करने के उद्देश्य से कौशल प्रशिक्षण देगा।

श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि सरकार भारत के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने तथा उन्हें भविष्य के कार्य के लिए तैयार करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार एक विश्वसनीय, योग्यता संपन्न तथा सक्षम कार्यबल बना रही है, जो न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी आर्थिक सफलता को प्रेरित करेगा। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य आर्थिक समृद्धि लाना और देश के युवाओं को अनूठा अवसर प्रदान करना है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटरों का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उच्च गुणवत्ता संपन्न प्रशिक्षण प्रदान करना है। केंद्र प्रशिक्षण सुविधा आयोजित करेंगे, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य जीसीसी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ताओं की मांग के अनुसार प्रशिक्षण देंगे। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के पास सहयोगी संगठनों और विदेशी नियोक्ताओं का व्यापक नेटवर्क होगा ताकि दूसरे देशों में कौशल संपन्न तथा प्रामाणिक कार्यबल की सप्लाई में सहायता दी जा सके। ये सहयोग

संगठन विदेशी बाजारों से मांग एकत्रित करने के लिए एनएसडीसीआई के साथ कार्य करेगी। ये केंद्र मोबिलाइजेशन, काउंसिलिंग, कौशल प्रशिक्षण, प्रस्थान पूर्व ओरिएंटेशन, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, प्लेसमेंट तथा आव्रजन और प्लेसमेंट के बाद सहयोग जैसी सेवाएं देंगे। भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के लिये एन.एस.डी.सी. इन्टरनेशनल लिमिटेड, स्किल इण्डिया मिशन को प्रेरित करके राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की भूमिका सुनिश्चित करने का प्रयत्न हो रहा है। इसका विजन कौशल संपन्न तथा प्रमाणित कार्यबल के स्रोत के लिए पसंदीदा सहयोग देश के रूप में भारत को बदलना है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय रूप से मानक गुणवत्ता संपन्न स्किल इकोसिस्टम बनाना और योग्यता संपन्न प्रतिभा के लिए वैश्विक सप्लायर के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। यह प्रतिष्ठान देश में रहने वाले भारतीयों के लिए वैश्विक रोजगार के अवसरों तथा विदेशो में रहने वाले भारतीयों के लिए वैश्विक कैरियर मोबिलिटी की पेशकश करता है। इसके उत्पादों और सेवाओं की व्यापक श्रृंखला मेरिटाइन और इनलैंड टर्मिनलों से लेकर मरीन सेवाओं, रेल नेटवर्क तथा आर्थिक क्षेत्रों और टैक्नोलॉजी प्रेरित उपभोक्ता सोल्यूशनों की एकीकृत सप्लाई चेन को कवर करती है। डीपी वर्ल्ड जहां कहीं भी संचालन में है, वहां अपनी गतिविधियों में स्थिरता और उत्तरदायी कॉरपोरेट सिटिजनशिप को एकीकृत करती है, अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों के सकारात्मक योगदान का प्रयास करती है।

देश की सबसे बड़ी शक्ति युवाओं की शिक्षा और उनके कौशल विकास में होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज भारत सरकार 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' के अंतर्गत देश के युवाओं का भविष्य संवारने का कामकाज कर रही है। सबसे खास बात यह है कि इसके लिए केंद्र सरकार युवाओं से एक पैसा तक नहीं ले रही। जी हां, युवाओं को यह सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। छात्र कौशल विकास केंद्रों में भविष्य की प्रौद्योगिकी के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण ले रहे हैं। PMKVY में युवाओं को ट्रेनिंग देने की फीस का भुगतान सरकार खुद करती है। पीएमकेवीवाई में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद ट्रेनिंग सेशन पूरा होते ही युवा खुद कमाने लायक हो जाता है। यानि उसकी परिवार पर निर्भरता खत्म होकर आत्मनिर्भरता में तब्दील हो जाती है। युवा इस ट्रेनिंग के बाद अपने परिवार का भरण-पोषण करने लायक हो जाता है।

युवाओं को रोजगार कुशल एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कल्याणकारी पहल-

पीएम मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' देश के युवाओं को उनके कौशल विकास में सहयोग करेगी। इसी के जरिए युवाओं को रोजगार कुशल एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने कल्याणकारी पहल की है। शिक्षा और कौशल क्षेत्र के लिए बजट 2022 सही रूप में पहुंच बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार, क्षमता निर्माण और डिजिटल कौशल के लिए उचित प्रणाली को मजबूत करने पर केंद्रित है। प्रायोगिक पीएमकेवीवाई (2015–16) के सफल कार्यान्वयन के बाद, पीएमकेवीवाई 2016–20 को सेक्टर और भौगोलिक दोनों संदर्भ में स्तरोन्नयन करके और मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत आदि जैसे भारत सरकार के अन्य मिशनों के बृहत् संरेखण के माध्यम से शुरू किया गया है।

कौशल विकास की प्रगति-

साल 2021 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा की गई समीक्षानुसार कौशल विकास के लिए 3.74 लाख लोगों को दाखिला और 3.36 लाख को प्रशिक्षित किया गया, वहीं 2.23 लाख लोगों का आकलन और 1.65 लाख लोगों को पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत प्रमाणित किया गया। स्किल इंडिया मिशन पीएमकेवीवाई 3.0 में 948.90 करोड़ रूपए के खर्च के साथ 2020–2021 की योजना अवधि के दौरान करीब आठ लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने की परिकल्पना की गई थी।

योजना का उद्देश्य-

पीएमकेवीवाई का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए कुशल बनाना है। जब इस योजना की शुरुआत हुई तब से अब तक देश में स्थापित विभिन्न प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों व आईटीआई के माध्यम से कुशल पेशेवर तैयार किए जा रहे हैं। ये कुशल युवा ही नए युग में भारत के आने वाले कल की तस्वीर तैयार करेंगे। देश का युवा जो पहले की सरकारों में बेरोजगारी का रोना रोता था अब वह वर्तमान में पीएम मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है तथा अपने स्टार्टअप से अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर रहा है।

डिजिटल कौशल इको-सिस्टम की ओर बढ़ रहा भारत-

वहीं भारत अब डिजिटल कौशल इको–सिस्टम की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कौशल और शिक्षा को लेकर बजट 2022 में शामिल पाँच पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। इस संबंध में सबसे प्रथम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को व्यापक बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं ताकि शिक्षा क्षेत्र की बढ़ रही क्षमताओं से बेहतर गुणवत्ता के साथ शिक्षा का विस्तार हो सके। द्वितीय, कौशल विकास पर जोर दिया गया है। एक डिजिटल कौशल इको–सिस्टम बनाने, उद्योग की मांग के अनुसार कौशल विकास और बेहतर उद्योग संपर्क बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। तृतीय, भारत के प्राचीन अनुभव तथा शहरी योजना एवं डिजाइनिंग के ज्ञान को शिक्षा में शामिल करना महत्वपूर्ण है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीयकरण पर बल दिया गया है। इसमें विश्व स्तर के विदेशी विश्वविद्यालयों का आगमन और गिफ्ट सिटी के संस्थानों को फिनटेक से संबंधित संस्थान सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। पाँचवाँ, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग कॉमिक (एवीजीवी) पर ध्यान केंद्रित करना, जहाँ रोजगार की अपार संभावनाएँ है और जो एक बड़ा वैश्विक बाजार है।"

वाराणसी में ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और उद्यमिता कार्यक्रम-

वाराणसी में ग्रामीण महिलाओं की सतत आजीविका के लिए कौशल विकास और उद्यमिता कार्यक्रम की शुरुआत 1500 से अधिक ग्रामीण महिलाओं की रोजगार सृजन की जरूरतों को केन्द्र पूरा करेगा। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व में आजीविका को बढ़ावा देना, उन्हें सशक्त बनाना, आत्मनिर्भरता, वित्तीय स्वतंत्रता, और आर्थिक रूप से परिवार के सशक्तीकरण को बढ़ावा देगा। सेवापुरी, वाराणसी में अदाणी फाउंडेशन अपने मिशन के साथ कौशल विकास और उद्यमिता कार्यक्रम को संरेखित

करता है। समाज के कमजोर वर्गों के बीच, उनकी जाति, पंथ, रंग की परवाह किए बिना उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के प्रयास के साथ ग्रुप की दर्शनशास्त्र यानी फिलासफी है, शुचिता के साथ विकास, जिससे लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2022-

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कार्यक्रम के तहत बेरोजगार युवाओं को 40 से अधिक तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण मिलेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, फर्नीचर और फिटिंग, रत्न और आभूषण तथा चमड़ा प्रौद्योगिकी शामिल हैं। देश के युवा अपनी पसंद के प्रशिक्षण कार्यक्रम को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अगले पाँच वर्षों के लिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2022 के तहत, केंद्र सरकार युवाओं को उद्यमिता, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा कौशल विकास के माध्यम से युवाओं की आजीविका में सुधार करना है। कपड़ा और हथकरघा, पर्यटनऔर आतिथ्य,परिधान, खुदरा आदि क्षेत्रों में सुरभि स्किल्स प्रा. लिमिटेड पर्यटन और आतिथ्य कौशल परिषद क्रिएशन इंडिया सोसाइटी के तहत कौशल प्रशिक्षण संस्थान नवोदय आदि संस्थान काम कर रहे हैं।

कोविड-19
चुनौतियाँ और भविष्य की रणनीति

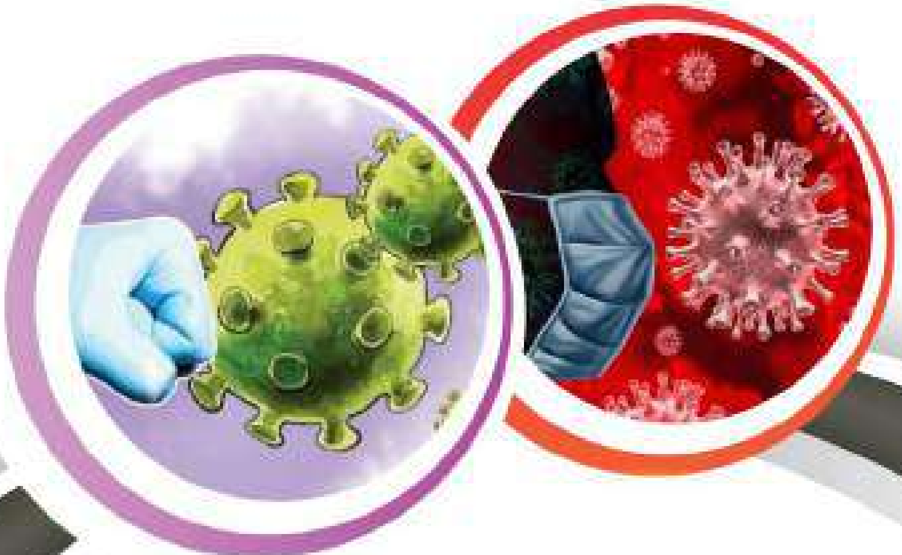

डॉ. अखिलेश शुक्ल

कोविड-19 चुनौतियाँ और भविष्य की रणनीति

कोविड-19 चुनौतियाँ और भविष्य की रणनीति

डॉ. अखिलेश शुक्ल
ऑनरेरी सम्पादक
पं. गोविन्द वल्लभ पंत एवार्ड तथा
प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड से सम्मानित
प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड

सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत
पंजीयन क्रमांक 1802, सन् 1997

ISBN- 978- 81- 87364 81-8

रिसर्च जरनल का वार्षिक विशेषांक

ISSN 0973-3914

Research Journal of Social & Life Sciences
Peer-Reviewed Research Journal
UGC Journal Old No.40942, Impact Factor 5.125 IIFS
Indexed & Listed at: Ulrich's International Periodicals Directory©,
ProQuest, U.S.A (*Title Id: 715205)*
(An Official Journal of Centre for Research Studies, Rewa, M.P, India)
Registered under M. P. Society Registration Act, 1973 Reg. No. 1802

कोविड-19 चुनौतियां और भविष्य की रणनीति

©सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा

प्रथम संस्करण : 2021

₹ **600.00**

प्रकाशक
गायत्री पब्लिकेशन्स
186/1 लिटिल बैम्बिनोज स्कूल कैम्पस
विन्ध्य विहार कॉलोनी
पड़रा, रीवा (म.प्र.) 486001
फोन : 7974781746

E-mail- researchjournal97@gmail.com
researchjournal.journal@gmail.com
www.researchjournal.in

लेजर कम्पोजिंग - प्रेम ग्राफिक्स
रीवा- 486001 (म.प्र.)

मुद्रक: लीनेज ऑफसेट
रीवा (म.प्र.)

पुस्तक में प्रस्तुत किये गये विचार और तथ्य लेखकों के हैं, जिनके विषय में सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। पुस्तक के सम्पादन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी रखी गई है, किन्तु किसी त्रुटि के लिए सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। सम्पादन का कार्य अव्यावसायिक और ऑनरेरी है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र, रीवा जिला रीवा (म.प्र.) रहेगा।

आमुख

आज हम अपने आप को पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी समझते हैं परंतु क्या प्रकृति ऐसा समझती है, प्रकृति के लिए 84 लाख योनियों में पैदा हुए जीव बराबर है। भारतीय दर्शन के अनुसार 84 लाख योनियॉ है और उनमें से एक मनुष्य योनि है। वैज्ञानिकों की बात माने तो इस धरती पर जितने भी जीव है, हम मनुष्य उनमें 7.6 बिलियन ही है, अर्थात संपूर्ण जीवो का 0.1 प्रतिशत है और हम मनुष्य ही संपूर्ण योनियों के जीवो के लिए खतरा बने हुए हैं, तो क्या यह ज्ञान है? तो क्या यह विज्ञान है? तो क्या यह विवेक है? अब यह मनुष्य जाति को सोचना है। हम मनुष्यों ने जैव विविधता को खतरे में डाल दिया है और यह वायरस भी मेरे मतानुसार कहीं ना कहीं इसका परिणाम है। प्रकृति की हर योनियों में पैदा किया गया जीव प्रकृति संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता है। एक कीट ही एक फूल से दूसरे फूल तक पराग ढोकर पहुंचाता है और आपके चमन को बहार करता है, तो मनुष्य जाति धोखे में है कि वही प्रकृति का संचालन कर रही है।

इस वायरस से लड़ने के लिए विश्व और भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा प्रयास किये हैं और उन्हीं का परिणाम है कि हम किसी न किसी मात्रा में इस वायरस को नियंत्रित करने में सफल हो रहे हैं। यहां मैं मीडिया की तारीफ भी करना चाहूंगा। यहां मीडिया ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले कई दशकों में यह देखने में आया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित समाचारों को मीडिया ने उतना महत्व प्रदान नहीं किया, लेकिन इस वायरस से हुए वैज्ञानिक नवाचार को मीडिया ने वैश्विक परिदृश्य में और भारतीय जनमानस के सामने रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज या वायरस निरंतर अपना रूप बदल रहा है। आज पूरा का पूरा विश्व समुदाय कोरेना सेंट्रिक हो गया है और आज हम सब लोग कहीं ना कहीं आत्मकेंद्रित हो गए हैं। हमारे अंदर एक भय और शंका का वातावरण बना हुआ है। आज हमारी सोच-विचार, रहन-सहन और जीवनशैली बदल गई है। अपने आप को समाज का सर्वोत्तम कृति समझने वाला मनुष्य जीवन जीने के लिए मोहताज है। आज हम एक-दूसरे को दोषी साबित करने में लगे हुए हैं, पर हम स्वयं भयाक्रांत हैं, भयभीत है, हम सब एक- दूसरे को मरता हुआ देख रहे हैं। आज यह वायरस संपूर्ण वैश्विक समाज के लिए घातक

विषाणु बना हुआ है। वैज्ञानिकों के लिए इसके मूल स्वरूप को समझना इसकी विस्तारवादी गतिविधि पर रोक लगाना और इसकी समाप्ति के लिए पूर्णता सफल वैक्सीन बनाना एक जटिल कार्य हो गया है। यह हमें सिखाता है कि हमें अर्थात मानव को अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम सीमा पार करेंगे तो नुकसान मानवता को होगा फिर चाहे वह चीन हो या कोई भी देश। क्या आज चीन इससे पीड़ित नहीं है, क्या वहां मानवता रो नहीं रही है और अगर आज चीनी समुदाय के लोगों का साक्षात्कार लिया जाए तो उनका क्रुंदन ही हमारे सामने आएगा, पता नहीं उनके कितने अपने लोग किस वायरस के शिकार हो गए और उनका पता ही नहीं चला।

कोविड-19 ने हमको यह सिखाया कि परिवार क्या है, सामाजिक संबंध क्या है, सामाजिक संबंधों का निर्वाह कैसे होता है, क्या यह जीवन सिर्फ भौतिकवादी दुनिया में दौड़ने के लिए ही है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, बस दौड़, दौड़, दौड़,................। काहे के लिए धन संपदा,यह दौड़ किसलिए, किसके लिए और क्यों यह बात कोविड-19 से हमें समझ आई है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के, बिना लोगों के, बिना व्यवहारों के, बिना प्रतिमानों के, वह जीवन बिना मूल्यों के नहीं जी सकता है। कोविड-19 ने बहुत सारी परिभाषाओं को बदल दिया परिभाषाओं के अर्थ बदल दिए, मूल्यों के प्रतिमान बदल दिए और लोगों को यह सिखाया कि जीवन का असली आनंद कहां है और किस तरीके से हम परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु यह एक लघु प्रयास है। हमेशा की भाँति आपके सकारात्मक सुझावों का स्वागत है।

डॉ. अखिलेश शुक्ल
सम्पादक

अनुक्रमणिका

01.	भारतीय समाज में कोरोना का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव **डॉ. अखिलेश शुक्ल**	09
02.	कोविड-19 : महामारी और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा की दोहरी चुनौती **श्रीमती आभा सिंघल** **डॉ. वर्चसा सैनी**	19
03.	कोविड-19 और आत्मनिर्भर समाज चुनौतियाँ और सम्भावनाएँ **डॉ. गंगा देवी बैरागी**	26
04.	कोविड और सतत् विकास लक्ष्य **डॉ. विनोद शंकर सिंह** **सिद्धार्थ मिश्र**	31
05.	पर्यावरण पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव **डॉ. नीलम श्रीवास्तव**	37
06.	कोरोना-19 महामारीका महिलाओं तथा बच्चों पर प्रभाव **डॉ. आशा गोहे**	43
07.	कोविड-19 के बाद बजट 2021.22 में राज्यों के सुधार हेतु उपाय **डॉ. कुमुद श्रीवास्तव**	53
08.	कोरोना महामारी का मानव के आर्थिक व सामाजिक स्तर पर प्रभाव **डॉ. मधुलिका श्रीवास्तव** **उमेश सिंह**	60
09.	कोविड 19 और प्रवासी मजदूर **डॉ. गजानन मिश्र**	66
10.	कोविड-19 एवं शिक्षाः चुनौतियाँ एवं भविष्य की रणनीतियाँ **डॉ. वीणा** **डॉ. मिहिर प्रताप**	72
11.	कोविड 19 के परिदृश्य में साहित्य और मीडिया **डॉ. अमित शुक्ल**	79
12.	कोविड -19 का जनजातीय शिक्षा पर प्रभाव (चम्बा जिले के पंगवाल अनुसूचित जनजाति के विशेष सन्दर्भ में) **लेख राज**	84

13. कोरोना संक्रमण का ग्रामीण समाज पर प्रभाव 91
(ग्राम हाटी, जिला सतना के विशेष संदर्भ में)
विमलेश द्विवेदी
प्रोफेसर अखिलेश शुक्ल

14. कोरोना वायरस की चुनौतियां और भविष्य 99
डॉ. अलका नायक

15. नवीन परिप्रेक्ष्य में पुलिस द्वारा जन व्यवस्था और समाज सेवा 104
(कोविड-19 के विशेष संदर्भ में)
प्रो. प्रियंका तिवारी
प्रोफेसर अखिलेश शुक्ल

16. किशोरों पर वैश्विक महामारी का प्रभाव: 113
मानसिक स्वास्थ्य पर एक चुनौती
श्रीमती ज्योति बाला चौबे
डॉ. श्रीमती रूपम अजीत यादव

17. कोरोना काल के दौरान सुरसा की तरह बढ़ी बेरोजगारी 118
डॉ. दयाशंकर सिंह यादव

18. कोरोना - 19 का भारतीय समाज पर प्रभाव 125
डॉ. सीमा श्रीवास्तव

19. Psycho- Socio analysis of Covid-19 and effect of Gender 132
Inequality in the Development of Women in India
Dr. Mihir Pratap
Dr. Veena

20. Impact of Covid-19 on Indian Economy- 141
An Economic Analysis
Dr.Vikram Singh

21. Covid-19 Pandemic and Use of ICT in education 149
Dr. Alka Saxena

22. Companies and Policy Makers Can Create a 152
Happier Future of Work
Dr. Rajendrakumar Muljibhai Parmar
Miss. Dipti Verma

23. The Challenges of Parenting during 168
Covid Times
Dr. Sonal Singhvi Choudhary

– सम्पादक परिचय –

डॉ. एस. अखिलेश एक ऐसे युवा समाज वैज्ञानिक हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट लेखन के लिये छः बार प्रतिष्ठित **''पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त एवार्ड''** तथा सन् 2006 में भारत सरकार द्वारा **''भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड''** से सम्मानित किया गया है। डॉ. शुक्ल प्रारम्भ से ही एक मेधावी अध्येता रहे हैं। जिन्होंने ''जुविनाइल डिलिनक्वेंसी'' जैसे गूढ़ विषय पर शोध कार्य पूर्ण करके अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा से डॉक्टर आफ फिलासफी की उपाधि 1994 में अर्जित की। 1997–98 में उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी, भारत सरकार द्वारा **''गोल्डन जुबली रिसर्च फेलोशिप''** स्वीकृत की गई थी। डॉ. अखिलेश को **''प्रो. रमाकुमार सिंह मेमोरियल गोल्ड मेडल''** (1990) से सम्मानित किया गया है। डॉ. शुक्ल की अभी तक 36 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रो. अखिलेश के 300 से अधिक शोध पत्र अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय रिसर्च जरनल्स में प्रकाशित हो चुके हैं और अनेक शोध पत्र प्रकाशनाधीन हैं। डॉ. अखिलेश इस समय शासकीय टी.आर.एस. आटोनामस कालेज (एक्सीलेन्स सेन्टर) रीवा में कार्यरत हैं। इनके निर्देशन में अनेक शोधार्थी समाजशास्त्र एवं अपराधशास्त्र के क्षेत्र में शोध कार्य कर रहे हैं। डॉ. अखिलेश **रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेज (आई.एस.एस.एन. 0973-3914)** तथा **रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइन्सेज (आई.एस.एस.एन. 0975-4083)** के ऑनरेरी एडिटर का कार्य भी सम्पादित कर रहे हैं।

GAYATRI PUBLICATIONS

Rewa - 486001 (M.P.) INDIA

Mobile : 07974781746

E-mail : gayatripublicationsrewa@gmail.com

www.researchjournal.in

978-81-87364-81-8

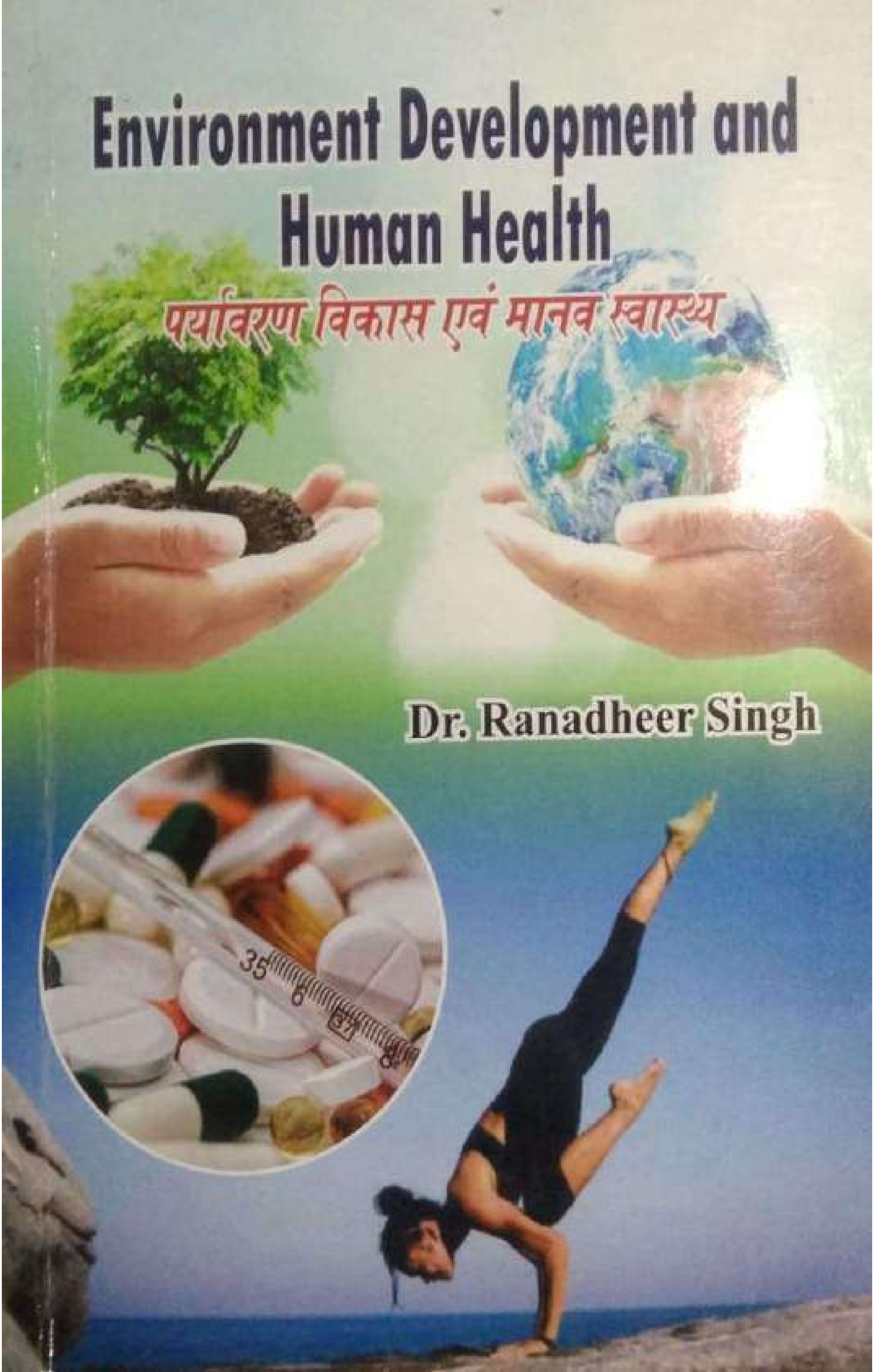
Environment Development and
Human Health
पर्यावरण विकास एवं मानव स्वास्थ्य
Dr. Ranadheer Singh

Contents

1.	Naturopathy: A Drugless System of Healthcare **Dr. Ranadheer Singh**	13
2.	Sustainable Development through Ecopreneurship **Dr. Surendra Kumar**	20
3.	The Constitutional and Legal Context : Environment as A Basic Human Right **Dr. Uma Kant Singh**	25
4.	Naturopathy- A natural care of life **Dr. Shalendra Narayan Singh**	36
5.	Immunity System **Ratan Lal**	51
6.	Covid-19 and its Impact on Sports **Dr. Abhinav Singh**	65
7	Role of Rural Women's SelfHelp Group as COVID-19 Warriors **Dr. Pramod Kumar Verma** **Dr. Avinash Rai**	74
8.	Sport Nutrition : An Introduction **Dr. Ramesh Chand Yadav**	85
9.	Diabetes **Amarjeet**	99
10.	Immunity Boosting Yoga Poses Exercise and Foods **Manoj Kumar**	114
11.	Career Aspects in Physical Education **Dr. Anand Prakash**	128
12.	Artificial Intelligence : A Knowledge Based System **Akhilesh Kumar Gautam**	141
13.	Emerging Issues of Disabilities in Higher Education System **Mohd. Kalim Siddiqui**	148

14. Direct Tax Reform : Steps Towards A Newt Direct Tax Structure
Dr. Deepak Kumar Mishra
Shashank Prakash Srivastav
15. Man and Religions
Dr. Rajeshwar Prasad
16. Innovative Trends with Tie & Dye (Bandhani)
Dr. Meenu Verma
17. झुलसती पृथ्वी का मर्म : मानव जैविक चरित्र
बृजेश कुमार यादव
18. समावेशी विकास में कृषि विविधीकरण की भूमिका
मनोज कुमार यादव
19. पर्यावरण एवं सतत विकास
श्याम देव यादव
20. आधुनिक जीवन शैली और हमारा स्वास्थ्य
अजय कुमार वर्मा
21. कोविड–19 और वैश्विक राजनीतिक चुनौती
डॉ. भावना सिन्हा
22. मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य और लॉकडाउन
डॉ. सौरभ सिंह
23. पसंद आधारित श्रेयांक प्रणाली Choice Based Credit System (C.B.C.
अजय कुमार सिंह यादव
24. विकास, पर्यावरण और कोविड – 19 : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन
डॉ. दयाशंकर सिंह यादव
25. पर्यावरण और हमारा जीवन
डॉ. सरिता राय

24

विकास, पर्यावरण और कोविड – 19 : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. दयाशंकर सिंह यादव

वर्तमान समय में विकास, पर्यावरण और कोविड–19 तीनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। कोविड–19 के प्रभाव से विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में 2020 में 6.1 प्रतिशत की गिरावट आएगी। भारत की विकास दर में 1.9 प्रतिशत कमी की आशंका जताई गई है सेंटर फॉर इकॉनोमिक पॉलिसी रिसर्च के अर्थशास्त्रियों के समूह का अनुमान है कि विश्व के दो तिहाई देशों का उत्पादन और आमदनी कंटेनमेंट नीतियों से जुड़ी है। इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गनाइजेशन ने महामारी को गतिशीलता का संकट बताया है जो अप्रत्याशित प्रकृति का है। आधुनिक अर्थव्यवस्था हर व्यक्ति किसी न किसी का आर्थिक हित या निवेश है। गतिशीलता के बिना इस अर्थव्यवस्था की सांसें रुक जाएगी। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अनुसार, 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर दो प्रतिशत घट सकती है। इसका मतलब है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा। ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को–ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) का अनुमान है कि कोरोनावायरस महामारी को रोकने के लिए किए गए उपायों से वैश्विक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में हर महीने 2 फीसदी की कमी आएगी। यानी साल में 24 प्रतिशत जीडीपी कम होगी। यह 1930 की महामंदी के बाद सबसे बुरी आर्थिक स्थिति है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुमान है कि 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। 2021 में इसके 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वहीं, वैश्विक व्यापार में 11 प्रतिशत और तेल की कीमतों में 42 प्रतिशत गिरावट होगी। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में 2020 में 6.1 प्रतिशत की गिरावट आएगी। भारत की विकास दर में 1.9 प्रतिशत कमी की आशंका जताई गई है।

जबसे मनुष्य अस्तित्व में आया है, तबसे व्यक्ति का अन्तिम उद्देश्य प्रकृति पर आधिपत्य जमाना रहा है। प्रकृति पर आधिपत्य जमाने की इस प्रक्रिया को ही मनुष्य ने 'विकास' कहा है। पर्यावरण प्रदूषण (environmental pollution) सारी दुनिया के लिए एक गम्भीर रूप ले चुका है। प्रदूषित प्राकृतिक पर्यावरण सामाजिक–सांस्कृतिक पर्यावरण कुप्रभावित करते हैं और सामाजिक–सांस्कृतिक जटिलताएं, प्राकृतिक पर्यावरण पर कुप्रभाव डालती हैं। इससे मानव सभ्यता को खतरा (Threat to human civilization) पैदा हो गया है।

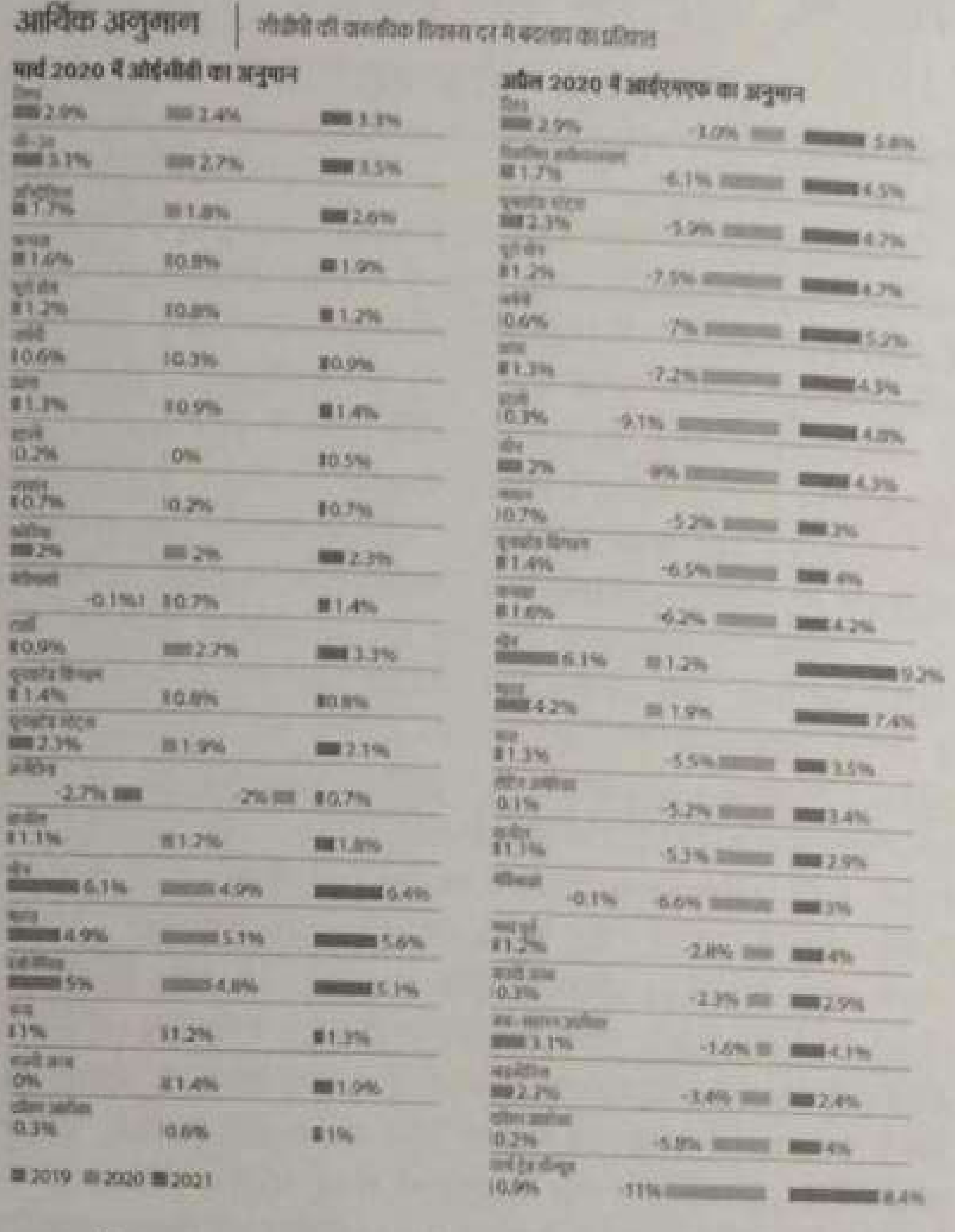

स्रोत– गूगल डाउन टू अर्थ

औद्योगिक क्रांति मे सबसे पहला झूठ मानव ने दिया (nature is commodity) प्रकृति व्यापार की वस्तु है ।लोगों का नजरिया बदल गया है। एक नदी है वह पतित पावनी गंगा नदी रहती है वह कितने मेगावाट बिजली दे सकती है या कितने क्यूसेक पानी दे सकती है उसका कितना मूल्य बाजार में हो सकता है आदि। दूसरा झूठ प्रचलित किया कि समाज केवल मनुष्यों का ही है और इसीलिए जितने भी शास्त्र बने हैं जितना वेद विज्ञान विकसित हुआ है वह मनुष्य के इर्द–गिर्द है अर्थात समाज संसार के साथ और दूसरे भी जो जीव जंतुओं से संबंधित शास्त्र हैं उन सब शास्त्रों के अध्ययन का एक ही विषय था कि इससे मनुष्य को क्या फायदा होगा वैज्ञानिक पेड़ पर जंगल पर और दूसरे मनुष्य के लिए लाभदायक दवाइयां निकालते हैं यह समाज केवल मनुष्यों का है यह भी बिल्कुल झूठ है क्योंकि समाज केवल मनुष्यों का हो ही नही सकता। इस धरती पर केवल मनुष्य मनुष्य रहते और दूसरे जंतु, दूसरी वनस्पति जो इस धरती पर है वह नहीं होती ।आज का मनुष्य बहुत लालची हो गया है और उसने इस धरती पर जो कुछ भी है उसको अपनी योग्यता का साध्न बना रखा है ।लेकिन जैसे–जैसे चीजें लुप्त होती जा रही हैं उसे चिंता होने लगी।

आज का विकास का अर्थ हो गया है आर्थीक समृद्धि विकास का यह दर्शन बहुत पुराना नहीं है इस पर ज्यादा अमल होने लगा है ।आज हमारा एकमात्र सूत्र है विकास डेवलपमेंट, डेवलपमेंट है, क्या आर्थीक वृद्धि ,इकोनामिक डेवलपमेंट विकास की आंधी परिभाषा पूरे विश्व पर छा गई ऐसा विकास जिस तरह का अमेरिका ने किया । सभ्यता के प्रारंभ से लेकर सन 1950 तक जितनी आर्थीक वृद्धि हुई थी उतनी ही केवल पिछले पाच दशकों में हुई है। एक तरफ से इतिहास का इतना लंबा काल और एक तरफ से 50 वर्षों में विज्ञान और तकनीकी से हम धरती से अधिक से अधिक कैसे निकाले लाभ ले ।विकास ने जो समाज पैदा किया है उस समाज की तीन मुख्य समस्याएंउत्पन्न हुयी – पहली समस्या युद्ध दूसरी समस्या प्रदूषण और तीसरी गरीबी और भुखमरी ।

मनुष्य इस पृथ्वी पर रहने वाला एकमात्र ऐसा जीव है जो की पृथ्वी के तमाम संसाधनों का बेतरतीब तरीके से दोहन करता है। एक वक्त ऐसा था जब इस पृथ्वी पर इंसान तो थे लेकिन वे एकदम सीमित संख्या और स्थान पर निवास करते थे जिसके कारण पृथ्वी का समन्वय बना हुआ था परन्तु समय के साथ खेती की खोज हुयी और मनुष्यों ने एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया और उद्योगों आदि की स्थापना की। विभिन्नि धातुओं के खोज के साथ ही मनुष्य की महत्वाकांक्षा बढती चली गयी और मनुष्यों ने पृथ्वी का दोहन शुरू किया। इसी दोहन के कारण मौसम के कई परिवर्तन आये जिसने हजारों

बीमारियों को जन्म दिया इन्ही बीमारियों महामारी का रूप ले लिया. उद्योगीकरण और वैश्वीकरण ने खाद्य से लेकर जल तक को अशुद्ध कर दिया जिसने बीमारियों को निमंत्रण देने का कार्य किया।

जर्नल नेचर में छपे एक लेख के अनुसार, इससे डिटेक्टरों को छोटे भूकंपों का पता लगाने और ज्वालामुखी गतिविधि सहित अन्य भूकंपीय घटनाओं की निगरानी के प्रयासों को बढ़ावा देने मे मदद मिल रही है. सीसमोमीटर्स से जुटाए गए आंकड़ों से पता चला है कि मानवीय गतिविधियों में कमी आने के साथ ही धरती पर शोर का स्तर कम हुआ है.ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी महामारी के चलते कार्बनडाई ऑक्साइड का स्तर कम हुआ हो. इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं. यहां तक कि औद्योगिक क्रांति से पहले भी ये बदलाव देखा गया था. जर्मनी की एक जानकार जूलिया पोंग्रात्स का कहना है कि यूरोप में चौदहवीं सदी में आई ब्लैक डेथ हो, या दक्षिण अमरीका में फैली छोटी चेचक।

वर्तमान समय में कोरोना ने पूरे विश्व भर में एक अत्यंत ही घातक महामारी का रूप ले लिया है. कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में लंबे समय तक लॉकडाउन रहा. इसके चलते प्रकृति में मनुष्य्य का दखल एकदम बंद हो गया. नतीजा, प्रकृति खुलकर, निखरकर अपने नैसर्गिक स्ध्वरूप में आ गई. कोरोना वायरस से मानवता को जरूर बडा नुकसान हुआ है लेकिन पर्यावरण पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है.अमरीका के न्यूयॉर्क शहर की ही बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल वहां प्रदूषण 40 से 50 प्रतिशत कम हो गया है. इसी तरह चीन में भी कार्बन उत्सर्जन में 25 फीसद की कमी आई है।लॉकडाउन की वजह से तमाम फैक्ट्रियां बंद हैं। यातायात के तमाम साधन बंद हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लग रहा है।लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं. लेकिन अच्छी बात ये है कि कार्बन उत्सर्जन रुक गया है।

अमरीका के न्यूयॉर्क शहर की ही बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल वहां प्रदूषण 40 से 50 प्रतिशत कम हो गया है. इसी तरह चीन में भी कार्बन उत्सर्जन में 25 फीसद की कमी आई है. चीन के 6 बड़े पावर हाउस में 2019 के अंतिम महीनों से ही कोयले के इस्तेमाल में 40 फीसद की कमी आई है. पिछले साल इन्हीं दिनों की तुलना में चीन के 337 शहरों की हवा की गुणवत्ता में 11.4 फीसद का सुधार हुआ. ये आंकड़े खुद चीन के पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किए हैं. यूरोप की सैटेलाइट तस्वीरें ये बताती हैं कि उत्तरी इटली से नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन कम हो रहा है. ब्रटिन और स्पेन की भी कुछ ऐसी ही कहानी है।

पर्यावरण के दृष्टकोण से अगर हम देखें तो भारत में कई राज्यों से उन नदियों के अचानक साफ हो जाने की खबरें आ रही हैं जिनके प्रदूषण को दूर करने के असफल प्रयास दशकों से चल रहे हैं. दिल्ली की जीवनदायिनी यमुना नदी के बारे में भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं. पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें आईं जिन्हें डालने वालों ने दावा किया कि दिल्ली में जिस यमुना का पानी काला और झाग भरा हुआ करता था, उसी यमुना में आज कल साफ पानी बह रहा है. झील नगरी नैनीताल समेत भीमताल, नौकुचियाताल, सातताल सभी में झीलों का पानी न केवल पारदर्शी और निर्मल दिखाई दे रहा है, बल्कि इन झीलों की खूबसूरती भी बढ़ गई है. पिछले कई साल से झील के जलस्तर में जो गिरावट दिखती थी, वह भी इस बार नहीं दिख रही. पर्यावरणीय तौर पर इस कारण हवा भी इतनी शुद्ध है कि शहरों से पहाड़ों की चोटियां साफ दिख रही हैं। लॉकडाउन के कारण वायुमंडल में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिला है।इससे पहले कभी उत्तर भारत के ऊपरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का इतना कम स्तर देखने को नहीं मिला। प्रदूषण में कमी पायी गयी। लॉकडाउन की वजह से तमाम फैक्ट्रियां बंद हैं. यातायात के तमाम साधन बंद हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लग रहा है. लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं. शेयर बाजार औंधे मुंह आ गिरा है. लेकिन अच्छी बात ये है कि कार्बन उत्सर्जन रुक गया है।. अमरीका के न्यूयॉर्क शहर की ही बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल वहां प्रदूषण 50 प्रतिशत कम हो गया है. इसी तरह चीन में भी कार्बन उत्सर्जन में 25 फीसद की कमी आई है चीन के 6 बड़े पावर हाउस में 2019 के अंतिम महीनों से ही कोयले के इस्तेमाल में 40 फीसद की कमी आई है. पिछले साल इन्हीं दिनों की तुलना में चीन के 337 शहरों की हवा की गुणवत्ता में 11.4 फीसद का सुधार हुआ । स्वीडन के एक जानकार और रिसर्चर किम्बर्ले निकोलस के मुताबिक, दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन का 23 फीसद परिवहन से निकलता है. इनमें से भी निजी गाडियों और हवाई जहाज की वजह से दुनिया भर में 72 फीसद कार्बन उत्सर्जन होता है अभी लोग घरों में बंद हैं मौजूदा पर्यावरण के हालात थोड़े परिवर्तन के साथ लंबे समय तक चल सकते हैं नार्वे की राजधानी ओस्लो के एक अन्य रिसर्चर का कहना है कि 2020 में अगर आर्थिक स्थीति बेहतर हो भी जाती है, तो भी कार्बन उत्सर्जन में 0.3 फीसद की कमी आएगी ।

कोरोना जनित समस्याओं से निपटने के लिए मनुष्य को प्राकृतिक संरक्षण और पारिस्थीतिकी संतुलन जैसे विषयों को समग्रता से समझते हुए उन्हें गंभीरता से अमल में भी लाना होगा। कोविड–19 ने जहां एक ओर दुनिया भर में कई विकट चुनौतियां पैदा की हैं, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक सौंदर्य के

अद्‌भुत व जीवंत नजारे भी देखने को मिल रहे हैं। इतिहास गवाह है कि अतीत में जब–जब इस प्रकार की भयानक महामारियां आई हैं, तब–तब पर्यावरण ने सकारात्मक करवट ली है। यकीनन कोरोना संक्रमण काल में प्रकृति का यह रूप मानवीय जीवन के लिए भले ही क्षणिक राहत वाला हो, परंतु जब संक्रमण का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तब क्या पर्यावरण की यही स्थीति बरकरार रह पाएगी? जब सभी देशों के लिए विकास की रफ्तार को तेज करना न केवल आवश्यक होगा, बलकि मजबूरी भी होगी, तब क्या ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो प्रकृति को बिना क्षति पहुंचाए सतत विकास की ओर अग्रसर हो सकेंगे।

मनुष्य–प्रकृति के बीच असंतुलन का दुष्परिणाम है । कई पर्यावरणविदों का मानना है कि यह वायरस मनुष्य और प्रकृति के बीच पैदा हुए प्राकृतिक असंतुलन का दुष्परिणाम है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अत्यधिक मांस का उत्पादन, रोगाणुरोधी प्रतिरोध और बध्ते वैश्विक तापमान जैसे कारक वन्यजनित विषाणुओं को मनुष्यों में फैलने और भयावह रूप धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही जलवायु संकट विषाणु जनित रोगों से लध्ने के प्रति हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी कम कर रही है। दरअसल, विगत कुछ दशकों से हो रहे पारिस्थीतिकीय परिवर्तन, बेरोकटोक आर्थकि विकास और प्राकृतिक संसाधनों के बेतहाशा दोहन ने पारिस्थीतिकीय तंत्र के अनुचित तथा असंतुलित प्रयोग को बधया है।

व्यापक स्घ्तर पर घटी खनिज संपदा बध्ती जनसंख्या ने शहरीकरण एवं औद्योगीकरण का विस्तार किया जिससे व्यापक स्तर पर खनिज संपदा घटी है और वनोपज का दायरा सिमट गया है। इससे जैविक और प्राकृतिक असंतुलन की स्थीति पैदा हुई है। पर्यावरणीय विसंगतियों का खुलासा करती विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट 'द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट' बताती है कि हाल के वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बघेतरी के कई रिकॉर्ड टूटे हैं। जहां वर्ष 2019 सबसे गर्म वर्ष रहा, वहीं वर्ष 2010–2019 के दशक को सबसे गर्म दशक के रूप में रिकॉर्ड किया गया।

पर्यावरणीय क्षति केवल जैव–विविधता को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, मानवीय जीवन को भी बदतर स्थीति में ले आती है। संकट के इस दौर में मनुष्य के अति–भौतिकवाद, उत्पादनवाद और उपभोगवाद को विकास का पर्याय मान लेने की मानसिकता पर सवाल उठाहै। आधुनिकता की चकाचौंध से लोगों में व्यक्तिवाद और सुखवाद की प्रवृत्ती बधी है। मानवीय उत्थान के लिए तो ये चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन नई–नई वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा पारिस्थीतिकी तंत्र को नियंत्रित करने की मनोवृत्ति ने पर्यावरणीय विसंगति

को जन्म दिया है। दिल्ली को दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गिना जाता है लेकिन 21 दिन के लॉकडाउन के बाद वहां की आबोहवा एकदम बदली नजर आयी। जो काम सरकार हजारो करोड रूपये खर्च करने के बावजूद भी न कर पायी वह लॉकडाउन के 21 दिनों ने कर दिखाया।

आज महामारी और पर्यावरणीय विसंगतियों को दूर करने के लिए आर्थिक स्तर पर मूलभूत संरचनात्मक बदलाव लाने होंगे। कोरोना ने हमें यह अवसर दिया है कि स्थानीय और वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय राजनीति को पारिस्थीतिकी सम्मान और न्याय के तर्ज पर फिर से परिभाषित किया जाए। भूमडलीकरण के स्थान पर स्थानीयकरण को बघवा ने की आवश्कता है, तथा स्थानीय सेवाओं और रोजगार को बघवा देने के साथ–साथ वैश्विक सस्थाओं मे सहयोग और निवेश को भी मजबूत किया जाना आवश्यक है।

अतः निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं की वर्तमान समय में कोविड–19 के कारण विकास तो प्रभावित हुवा है, अर्थव्यवस्था मुह के बल गिरी है अभी सुधरने मे वक्त लगेगा लेकिन पर्यावरणीय माहौल सुधरा है हम स्वच्छ हवा में जी रहे है उम्मीद है कल विकाश, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था स्वास्थ्य सब कुछ बेहतर होगा। ऐसे ही नजारे दुनिया के और कई महानगरों में भी देखने को मिले हैं। इसमे कोई शक नहीं कि कोविड–19 दुनिया के लिए एक बडी त्रासदी बनकर आया है और इसने बेशुमार लोगों को निगल लिया है। अमेरिका, इग्लैंड, रूस, फ्रांस, जैसी महाशक्तियां भी इसका सामना कर पाने में खुद को बेबस पा रही हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जो कदम उठाये गये उनकी पर्यावरण को सुधारने में एक बड़ी भूमिका रही।

सन्दर्भ

1. पर्यावरण और विकास सुंदरलाल बहुगुणा सर्व सेवा संघ प्रकाशन राजघाट वाराणसी
2. ORF Nitish Priyadarshi jun 15 2020
3. ORF Nitish Priyadarshi jun 15 2020
4. दैनिक जागरण नई दिल्ली शरद कुमार यादव दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं
5. दैनिक जागरण नई दिल्ली शरद कुमार यादव दिल्ह्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं
6. हस्तक्षेपवैश्विक तालाबंदी और पर्यावरण

असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र

सकलडीहा पी.जी. कॉलेज, सकलडीहा–चंदौली

Digital Addiction in Indian Youth

Conceptual Framework for Effective Intervention

Rashmi Singh
Vandana Kumari

PRASAD PSYCHO®

www.prasadpsycho.com
1800 103 9798

Digital Addiction in Indian Youth

Conceptual Framework for Effective Intervention

Prof. Rashmi Singh
Professor and Head, Department of Psychology
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi, India

&

Vandana Kumari
Assistant Professor, Department of Psychology
Sakaldiaha P.G. College, Sakaldiha, Chandauli, India

PRASAD PSYCHO®

B-97, Sector-67, Noida-201 301, U.P
Web: www.prasadpsycho.com

Intellectual Property and Copyright © 2023 of **Prasad Psycho Pvt. Ltd.** All rights reserved. May not be reproduced in whole or part in any form or by any means without permission of **Prasad Psycho Pvt. Ltd.**

Published by:

PRASAD PSYCHO PVT. LTD.

B-97, Sector-67, Noida-201 301, U.P. (INDIA)

www.prasadpsycho.com

First Publication in India: 2023

ISBN No.: 978-93-94903-08-1

Price: ₹ 800.00

Miss. Riya Virat Mehta, MA Clinical Psychology, Department of Psychology, Parul Institute of Arts, Parul University, At. Po. Limda, Ta. Waghodia, Dist. Vadodara, Gujarat, India Contact No. - 7984541901. Email ID: riyaviratmehta@gmail.com

Dr. Seema Yadav, Assistant Professor, Department of Education, The Bhopal School of Social Sciences, Bhopal- 462024, Mobile Number: 9926270076, Email address: seemayadava123@gmail.com

Ms. Shalini Singh, Research Scholar, Department of Psychology, Banaras Hindu University, Varanasi, E-mail : shalysingh22@gmail.com

Ms. Tanuja Khan, Research Scholar, Department of Social Sciences, DAVV, Indore, tanu.r0304@gmail.com

Dr. Varsha Srivastava , Assistant Professor , Mukulyaranyam College, Email arsha.deep1988@gmail.com, Contact no- 7007691405

Dr. Neha Kumari, Research Assistant, Department of Psychology Email- neha.phd09@gmail.com, Contact no- 9892076900

Vandana Kumari, Assistant Professor, Sakaldiaha P.G. College, Sakaldiha, Chandauli, Mob., no. 9044819766, Email- vandanarkms@gmail.com

Smartphone User's Self Perception about Its Usage, Habit and Addiction: A Focused Group Study

Vandana Kumari
Assistant Professor
Sakaldiaha P.G. College, Sakaldiha, Chandauli
&
Prof. Rashmi Singh
Professor and Head, Department of Psychology
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi

Abstract

Communication medium of any kind have very serious affects on personal and social life of a person which led to changes in personal and professional life experience having both positive and negative aspects. Tools can be useful but it's always been about our ability to bring our restless mind to rest. Compulsiveness is always dangerous whether it be compulsive eating, compulsive usage of phones or internet or any kind of compulsive behavior. The solution to this compulsiveness is only the consciousness. If a person becomes conscious, he/ she become liberated not controlled. The idea of the study is to know how much conscious people are for their compulsive use of smartphones.

Based on these fundamental presumptions, a focus group research of smartphone users was done in an effort to better understand how well this new medium and the changes it has brought about that are getting perceived by its users. According to perceivers, having a smartphone has made their life more comfortable, but distractions and the procrastination habit have grown. The opinions of the respondent participants were also asked regarding other activities such as daily routine, social involvement, reading preferences, and leisure time.

The current study focuses on the attitudes and ideas of adolescents with respect to their smartphone usage. The sample of the study included 10 adolescents aged between 18 and 20 years. They were asked to participate in a focus group discussion about their smartphone-related activities, with the discussion focusing on the content of frequently visited websites, the impact of their usage on important life areas, the impact on their interpersonal relationships, the experience of withdrawal symptoms while attempting to limit their smartphone usage, and their perception of face-to-face interaction, sports, and other offline activities as compared to similar online activities. The study gave good insight into the issue because it highlighted problems that the researcher had not previously been aware of.

Keywords: smartphone, new communication technology, real world social engagement, reading habits, communication, compulsiveness

Introduction

Our daily lives now cannot function without our devices. The ability to get information, interact socially, conduct financial transactions, stay in touch with friends, and shop all from the comfort of one's own home is a very alluring alternative to more conventional means. However, it is also simple to become so absorbed in using a smartphone that it becomes addictive

In order to comprehend how this medium is seen by its users, this chapter concentrates on smartphone users. A focused group study on smartphone users has been carried out in order to learn more about how well this form of communication is perceived by its subscribers while maintaining so many fundamental presumptions in mind, such as the kind of changes or improvements smartphones have brought in their lives, what sort of directional opinion an individual has as a smartphone user, the kind of changes smartphones have brought in everyday routines, reading choices, leisure time, and social engagement.

India has noticed the rise of smartphones, especially in the cities. According to a survey by Indo Asian News Service, India's smartphone data usage would climb five times by 2022, demonstrating growing domination of smartphones as the centre of communication for traditional speech, social networks, video consumption, business applications, and communication.

According to a Deloitte estimate, India will have 1 billion smartphone users by 2026, with the sale of internet-enabled phones being driven by rural areas. In India, there are 1.2 billion mobile customers, 750 million of whom use smartphones.

The analysis also shows that such a high demand is most likely to emerge with the rollout of 5G, which by 2026 will account for 80% of all devices (or around 310 million units).

Acheaw (2016) reported that reading habits are a well-planned and deliberate pattern of study that has acquired a level of consistency on the part of students towards comprehending academic subjects and passing exams. The am ount to which children succeed academically is heavily influenced by their reading habits. Academic success and reading are tied to and dependent upon one another. Students from various backgrounds and locations frequently have varying levels of intellectual achievement. They have different reading patterns as a result. While some students read well, others frequently display bad reading habits. Academic achievement refers to the depth of learning a student has achieved.

The information presented above provides a solid foundation for the inference that using a smartphones as a communication tool will have a significant impact on our daily life. With a smartphone, we have many more possibilities than with a traditional mobile phone. Every conceivable method of communication is available to us. We can receive immediate news and information updates about sports, politics, the stock market, and other topics.

The ever-expanding library of mobile apps can assist us in keeping up with our daily routine and offer us technologies where we can exercise our mental muscles while playing real-time games, destroy our loneliness and tiredness by joining a virtual society, or showcase our artistic abilities and make an impression. All of these advantages do, however, have a dark side, so we must exercise caution.

Review of Literature

Sharma (2016) reported that after having a smartphone, user's life have become better and they find their work easier than before.

The "Smartphone Revolution" is a topic covered by Jared Cohen and Eric Schmit in their book "The New Digital Era." They believe that when the majority of people in the poor world begin utilizing cell phones to access and use information, a revolution will take place. They assert that "these groups will greatly profit from the smartphone revolution." They have skillfully and thoroughly explained how smartphones would enable those who lack the ability to speak for themselves and improve their lives. Also, they seem to have complete faith in modern

communication technologies and are optimistic that they will alter every aspect of human life, including health, education, government, and business, among others. And the bottom rungs of society will reap the rewards of this transformation.

While discussing the advantages and disadvantages of communication devices like smartphones, many sociologists, psychologists, and health experts have taken a different stance from Cohen and Schmit. According to Dr. Sangeeta Ravat, Head of the Neurology Department at Seth GS Medical University and KEM Hospital, excessive smartphone use may be detrimental to our declarative memory. Dr. Ravat claims that, "Although earlier, we'd readily memorize at least ten key numbers by heart, today we cannot recollect other than our own." Our intellect is not tested. Everything is listed in the phone book and is divided into categories such as family, job, and other. There are so numerous people sometimes that we forget the faces behind the names and numbers.

Explicitly describing how smartphones affect kids "This mental process of awareness, observation, reasoning, and judgement can only be created if the child feels something physical; it's not viable if the child is starting into a screen and winning at angry birds," says Shraddha Shah, a clinical psychologist from the Department of Neurology at KEM.

Clifford Nass, a professor of communications at Stanford University, claims in his defence of the multitasking capabilities of smartphones that "it is not physiologically beneficial for you since humans are not intended to accomplish a multiplicity of tasks at once." You feel pressured to reply when your phone rings, which makes you more stressed and impairs your cognitive functioning.

The high rate of digital dementia in Korea is a result of the nation having one of the best developed and fastest networks in the world with a very high percentage of use of electronic devices by its citizens, claims Dr. Byun Gi-won, a South Korean expert on information processing issues related to smartphone usage at Balance Brain Center in Seoul. Memory problems focus problems, and emotional numbing are symptoms of "digital dementia" among young individuals who spend excessive amounts of time using a smartphone for multimedia, web browsing, messaging, and gaming. In addition to all of this, privacy and security are two more significant issues that studies have identified.

Objectives of the Study

To understand changes in different aspects of life after having smartphones

To understand how smartphone users feel about these developments

To offer some suggestions for the optimum use of this medium

Methodology

Study Design: As the study is exploratory in nature, hence focus-group method was used to get the best results.

Steps Followed

The first step was establishing the focus group's goal and gathering data on the subject.

Focus group participants were purposefully chosen in the second step.

Participants were contacted in this step and informed of the study's goals. They were informed in detail about the time and location of the focus groups after giving their agreement.

On the specified day and location, the focus group discussion took place. The format for the focus groups was very formal. There were 10 participants, and they were split into two focus groups. A focus group discussion was allowed 45 to 60 minutes of time.

The information gathered in the form of audio recordings, transcripts, notes, and observations was presented and qualitatively examined in this step.

Participant

The study population of this research was the graduate students. Out of total 15 students, only smartphone users were chosen. 10 of 15 smartphone users agreed to participate in focus group activity. The participants were divided into two groups, consisting of five participants each.

Focus Group: Two focus groups were conducted at the same location on the same date.

Table 1.The Focus Groups

DATE	LOCATION	PARTICIPANTS	NUMBER
24/01/2023	Sakaldiha pg college	Graduate students	5

	Chandauli		
24-01-2023	Sakaldiha pg college chandauli	Graduate students	5

Both focus groups lasted approximately 45 to 60 minutes. Each focus group discussion was audio recorded and later transcribed.

Demographics

Table 2.Demographics of the Participants

Age range(years)	Gender		Education
18-22	M	5	12 th passed
	F	5	

In the first step, the purpose of focus group was established and information related to the topic was collected. On the basis of collected information, eight questions were prepared.

In the second step, focus group participants were selected purposively. In this step, participants were contacted and they were briefed about the study purpose. After their consent, they were given detail about the time and place of focus-group discussion.

The focus group discussion was carried out on the given date and place. A strict focus-group format was followed. 10 students who participated were divided into two focus groups. Length of time allotted for a focus group discussion was 45 to 60 minutes. In this step, the data collected in the form of audio records, transcripts, notes and observations were presented and analyzed qualitatively.

In Group A, there were three males and 2 females, and in group B, there were two males and three females.

Table 3 showing Smartphone user's status

Smartphone usage period	No. of participants
6 months or less	2
6-1 year	3
More than 1 year	5

Data Collection and Analysis

Data was collected and analyzed qualitatively. Demographic questionnaires, audio recorders, observations and notes-making were used as data collection tools.

Feeling of being a smartphone user: A burden or a relaxing tool?

Nearly all of the participants expressed their thoughts in response to this question with upbeat gestures and words like "amazing" and "wonderful." It feels fantastic, really! It resembles a transmission from a less developed stage to a more developed stage. It was clear that the majority of participants viewed owning a smartphone as a status symbol. According to one of the responders, "People around you do take note of the gadget you maintain and behave appropriately." Others stated that purchasing a smartphone is comparable to following current trends in fashion. However, several of the participants took the opposite stance, claiming that before purchasing a smartphone, they had never thought about concepts like "status symbol" and "fashion." Their thoughts were focused on the phone's features. From the comments above, it can be inferred that owning a smartphone-like device is on everyone's wish list; however the specifics of each person's inclusion may vary.

How has smartphones intervene in your daily life?

Students were required to provide their opinions on the changes they felt in their everyday routine after obtaining a smartphone in order to determine the response to this question. During general discussion, it was brought up frequently that everyday routine had been impacted in some way by continuous smartphone use. For instance, everyone in the class agreed that because of their involvement, their bedtime had been delayed by thirty to sixty minutes. One participant described

how his smartphone was still on when he went to bed. Sometimes it takes an additional hour or two to remove this device. The takeaway from this talk is that smartphones have significantly altered daily routines for consumers. The schedules for daily tasks like trying to get up, heading to sleep, eating, and attending school have changed dramatically.

Smartphones and reading habits:

The following question was posed to the students: "Does using a smartphone affect your reading habits? Several students claimed that since getting a smartphone, their text-reading had significantly increased. They claimed that before having a smartphone, they had never experienced the ease of reading news articles. They asserted that they were now reading a lot of news articles and blogs about health, technology, travel, and other topics.

One participant mentioned how he had been using this medium to help him study for the competitive exam. He said, "I may take practise exams, double-check the information, then ask my friend to clear up any misunderstanding." However, several pupils had quite the opposite perspective. Many felt that their reading habits had been badly impacted by their smartphones. They worried that frequent smartphone use would lead to casual reading. The use of secondary sources has replaced reviewing primary sources more frequently. Nowadays, pupils would rather read a few chosen pages than the entire book or document. The biggest distraction during exam time is the smartphone.

Smartphone and Real World Social Participation

When asked how this media has affected their real-world social interaction, focus group participants offered a range of opinions. Some of the participants claimed that their real-world social involvement had been shortened by their smartphones. There was less direct physical contact with family and friends. One of the students spoke about his personal experiences, saying, "My family and friends have frequently protested strongly to my engaging with a smartphone in their presence." I frequently get asked to select between their firm and the manufacturer of my smartphone.

Yet, several respondents felt that smartphone use had increased the range of in-person social engagement. According to them, there are several smartphone applications that allow you to

stay in touch with your friends and family at all times. With the aid of smartphone apps, interaction with family, relatives, and friends cannot be considered virtual. One respondent summarised the two points of view by saying, "How a smartphone will affect one's real-world social participation varies from instance to situation. Everything comes down to proper use and abuse.

Smartphone and Cognition (Thinking and Decision making process)

The majority of focus group participants acknowledged that excessive smartphone use has a negative impact on their capacity to concentrate as well as make decisions. That was expertly explained by two of the attendees. They believe that smartphones have made it simple and quick to obtain information, and that information is a crucial component of decision-making. Other participants believe that smartphones destroy their thinking ability and smart decision making process.

Smartphone: Problem or Solution

The majority of participants maintain a positive outlook on smartphones. By claiming that smartphone use cannot be an issue for wise and intelligent users, those who recognized as a concern also sought to balance out their position. Some described it as a luxury countered by saying that smartphones describes personality of an individual. Despite these varying viewpoints, each respondent seems to concur that after getting a smartphone, life has changed for the better but its negative consequences cannot be denied.

Significance of the Study

- Understanding the interactions between technology and other facets of human life will be made easier by the study.
- Smartphone users will find it beneficial. They can decide the best course of action for themselves based on the study's findings and improve their understanding of the advantages and disadvantages of smartphone use.
- The survey is useful for smartphone manufacturers to better understand customer attitudes and sentiments.

Recommendations

- It is advised that smartphone users exercise the greatest amount of control over their usage habits. Unchecked use has a harmful effect on users' social and familial relationships in addition to their physical and mental health.
- Reading habits could be improved or destroyed by smartphones.
- Humans ought to see the new communication technology favorably. We should look for ways to deal with them rather than fight them.
- The survey also revealed the vanishing distinction between "luxury" and "necessity." It is advised that customers carefully evaluate these terms and choose the option that best suits them.

Conclusion

The study's main objective was to investigate how smartphone users felt about their use. We also watched how they view this technology and how they evaluate the changes it has brought about. Focus groups were used to gather and examine the data. Students demonstrated a favourable attitude towards emerging communication technology during focus group discussions (smartphone). For some students, having a smartphone is a status signal; for others, it's a fashion statement; and for the remaining group, it serves a purpose beyond status and trends.

All of the participants acknowledged that getting a smartphone has changed certain aspects of their lives. For instance, practically all of the students believed that their daily routine had been impacted by their smartphones. Their everyday routines, including time spent in bed, time spent waking up, time spent travelling to and from college, time spent eating, etc., have all consistently been delayed by a few minutes. This study also demonstrates a connection between smartphone use and reading habits. Some individuals noted that their text-intake had grown since getting cellphones.

The social and familial facets of one's life can be impacted by a smartphone. According to the study, a person's real-world social interaction may rise or fall as a result of using a smartphone. Finally, we can say that cellphones and other emerging communication technologies are here to stay. For their optimal use in the service of humanity, we should take a constructive and positive attitude towards them rather than oppose them.

References

Acheaw, M. O. (2016). Social media usage and its impact on reading habits: A Study of Koforidua Polytechnic Students. *International Journal of Social Media and Interactive Learning Environments, 4*(3), 211. https://doi.org/10.1504/ijsmile.2016.079493

India to have 1 bn smartphone users by 2026: Deloitte Study. Business Today. (2022, February 22). Retrieved February 20, 2023, from https://www.businesstoday.in/technology/story/india-to-have-1-bn-smartphone-users-by-2026-deloitte-study-323519-2022-02-22

India to have over 800 million smartphone users by 2022: Cisco Study. HT Tech. (2018, December 3). Retrieved February 20, 2023, from https://tech.hindustantimes.com/tech/news/india-to-have-over-800-million-smartphone-users-by-2022-cisco-study-story-

Kuchment, A. (2013). The new digital age: Reshaping the future of people, nations and business. *Scientific American, 308*(4), 84–84. https://doi.org/10.1038/scientificamerican0413-84b

Sharma, S. (2016). Smartphone perceived- user's perception (A focus group). *International journal of transformation of media, journalism & mass communication 1*(1), 27-32.

सशक्त नारी सशक्त भारत

डॉ. दयाशंकर सिंह यादव

सशक्त नारी सशक्त भारत

डॉ. दयाशंकर सिंह यादव

उत्कर्ष पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स,
कानपुर

I.S.B.N. : 978-93-84397-75-3

पुस्तक : सशक्त नारी सशक्त भारत

लेखक : डॉ. दयाशंकर सिंह यादव

संस्करण : प्रथम, सन 2019

सर्वाधिकार : लेखकाधीन

मूल्य : ₹ 295.00 मात्र

प्रकाशक : उत्कर्ष पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स
ए-685, आवास विकास, हंसपुरम,
नौबस्ता, कानपुर-21
मोबा. : 8707662869, 9554837752

मुद्रक : त्र्यम्बक प्रिंटर्स, कानपुर

शब्द सज्जा : अम्बुज ग्राफिक्स, आर.के. नगर, कानपुर

सम्पादकीय

नेपोलियन बोनापार्ट ने महिलओं के महत्व के बारे में कहा था कि-मुझे एक योग्य माता दे दो मैं तुमको एक योग्य राष्ट्र दूगां। किसी भी देश के समग्र विकास के लिए महिला व पुरुष दोनों का समान गति से निर्बाध रूप से उन्नति के पथ पर अग्रसर होना आवश्यक है। महिलाएं समाज की अभिन्न अंग है अत: सामाजिक व आर्थिक विकास की संकल्पना महिलओं के विकास व सशक्तिकरण के बिना अधूरी है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी महिलाओं के विकास को प्राथमिकता देते हुए कहा था कि, "यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वत: ही हो जाएगा।" स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, देश की अधिकांश महिलाएं, विशेष तौर पर ग्रामीण गरीब महिलाएं निरक्षर, रूढ़िवादी एवं परम्परागत बंधनों में जकड़ी हुई थी। घर की चारदीवारी तक सीमित ग्रामीण महिलाए अनेक प्रकार की कुरीतियां व कुप्रथाओं यथा बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा व दहेज का दंश झेल रही थी। समाज में विद्यमान महिला-पुरुष भेदभाव के कारण महिलाओं को विविध प्रकार के अत्याचार, तिरस्कार व उपेक्षा आदि का सामना करना पड़ता था।

भारतीय समाज परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा हैं। वैधानिक व्यवस्थायें, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन ला रहा है इस परिवर्तनशील समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति विरोधाभासी दशाओं से गुजर रही है अपने अधिकारों के प्रति प्रत्येक स्तर पर आज महिलायें संघर्षरत हैं। उन्होंने स्वयं को स्व विकास पर केन्द्रित करना आरम्भ किया है जो उन्हें वास्तविक सशक्तिकरण की तरफ ले जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिला सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के कारण हम महिलाओं को समाज में समानता का अधिकार दिलाने और उनके अधिकारों को संरक्षण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।सरकार ने महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक में सुधार लाने, उनके समग्र व संतुलित विकास को सुनिश्चित करने व उनको विकास की मुख्यधारा में समावेशिल करने हेतु विधयी उपाय, कल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यक्रमों को मूर्त रूप प्रदान किया। यही नहीं, महिलाओं को सशक्त, अधिकार संपन्न व जागरूक बनाने हेतु देश के संविधान के अनुच्छेद ३९ में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "राज्य

समसामयिक समाजशास्त्रीय मुद्दे

Contemporary Sociological Issues

डॉ. दयाशंकर सिंह यादव

समसामयिक समाजशास्त्रीय मुद्दे
डॉ. दयाशंकर सिंह यादव

WISDOM BOOKS

प्रकाशक–
अंजनी कुमार मिश्र
विजडम बुक्स
शाप न0 12, ज्ञानमण्डल प्लाजा,
मैदागिन, बाराणसी-221001
दूरभाष– 0542-6452013

प्रथम संस्करण–2018

कापीराइट - लेखक

ISBN-978-81-909022-5-3

मूल्य– रु.220/- मात्र

अक्षर संयोजन
राजीव नयन कात्यायन
विजडम बुक्स
वाराणसी

विषयानुक्रमणिका

क्रमांक	अध्याय	पृष्ठ सं0
1.	जनजाति की अवधारणा [Concept of Tribes]	1-11
2.	भारतीय जनजातियों का वर्गीकरण [Classification of Indian Tribes]	12-24
3.	भारतीय जनजातियों की प्रमुख समस्याएँ एवं समाधान [Main Problems of Indian Tribes and Its Solution]	25-49
4.	जनजातीय भारत में लोक मीडिया और जनसंचार [Folk Media and Mass Communication In Tribal India]	50-62
5.	भारत में महिलाओं का जनसंख्यात्मक परिदृश्य [Demographic Scenario of Women in India]	63-77
6.	लिंग आधारित विभेद [Discrimnation based on Sex]	78-98
7.	महिलाओं की प्रस्थिति और भूमिका [Status and Role of Women]	99-114
8.	जनसंख्या विस्फोट [Population Explosion]	115-133
9.	भारत में क्षेत्रीय असमानता [Regional Dispity in India]	134-151
10.	मलिन बस्तियाँ [Slum Areas]7	152-168

11.	अपराध एवं अपराधियों के बदलते परिदृश्य [Changing Scenario of Crime and Criminals]	169-185
12.	मादक द्रव्य व्यसन [Drug Addiction]	186-191
13.	पारिवारिक विसमरसता [Family Disorganisation]	192-199
14.	घरेलू हिंसा [Domestic Voilence]	200-205
15.	कन्या भ्रूण हत्या [Female Foeticide]	206-215
16.	तलाक या विवाह-विच्छेद [Divorce]	216-227
17.	दहेज समस्या [Dowry Problem]	228-232
18.	आन्तरिक व अन्तरपीढ़ी संघर्ष [Intra and Inter-Generation Conflict]	233-236
19.	भ्रष्टाचार [Corruption]	237-246
20.	एड्स [Aids]	247-250

❑

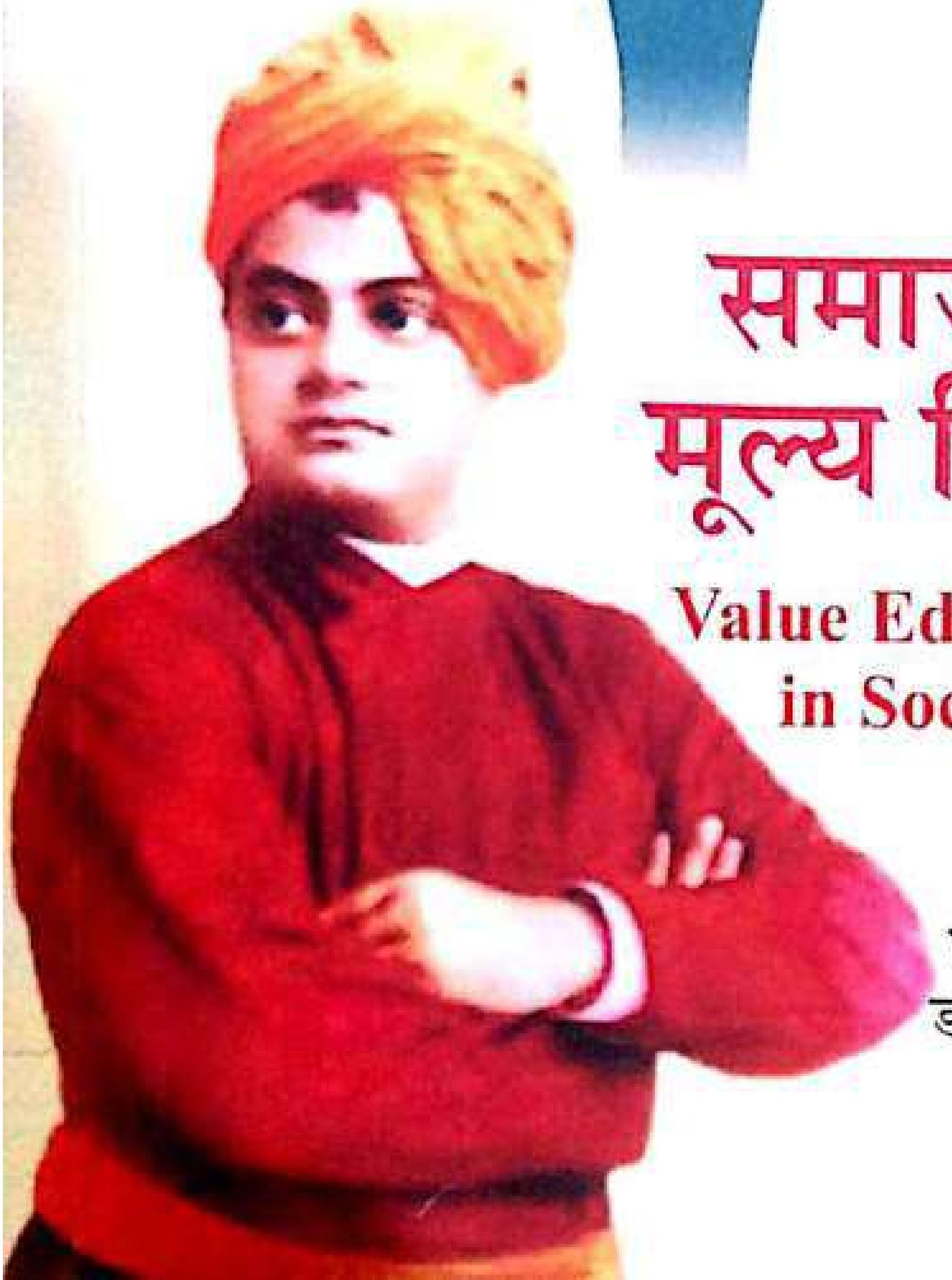

समाज में मूल्य शिक्षा

Value Education in Society

प्रधान संपादक
डॉ. दीनानाथ सिंह

ISBN 978-93-91635-41-1

पुस्तक : समाज में मूल्य शिक्षा
Value Education in Society
प्रधान संपादक : डॉ. दीनानाथ सिंह
संपादक : डॉ. जगदीश सिंह दीक्षित
प्रकाशक : उत्कर्ष पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स
A-685 आवास विकास, हंसपुरम, कानपुर -208 021 (उ.प्र.)
Email : utkarshpublishersknp@gmail.com
Mob. : 8707662869, 9554837752
संस्करण : प्रथम, 2022
सहयोग राशि : 300/-
आवरण सज्जा : तबारक अली, पटकापुर, कानपुर
शब्द-सज्जा : रुद्र ग्राफिक्स, कानपुर
मुद्रक : सार्थक डिजिटिल, कानपुर

स्वामित्व/प्रकाशक
शिक्षक संस्था, उत्तर प्रदेश, काशी
अक्षय भवन, शिव-5/146ए-1के
रामजानकी धाम कालोनी, शिवपुर, वाराणसी-221003

संरक्षक

डॉ. जगन्नाथ गुप्त

प्रो. प्रेम नारायण सिंह

प्रधान संपादक

डॉ. दीनानाथ सिंह

संपादक

डॉ. जगदीश सिंह "दीक्षित"

सह संपादक

डॉ. दयाशंकर सिंह यादव

डॉ. अजय कुमार सिंह

डॉ. विनोद कुमार सिंह

संपादक मंडल

प्रो. राजनाथ

प्रो. ओम प्रकाश चौधरी

प्रो. नलिन कुमार मिश्र

प्रो. वीरेंद्र कुमार निर्मल

प्रो. अंजू सिंह

प्रो. शरद कुमार

प्रो. रश्मि सिंह

डॉ. सर्वजीत सिंह

डॉ. रवि प्रकाश सिंह

श्री अमिताभ मिश्रा

सर्वाधिकार सुरक्षित

शिक्षक सखा, उत्तर प्रदेश,काशी

अक्षय भवन, शिव 5 / 146, 1 के,

रामजानकी धाम कॉलोनी,

शिवपुर, वाराणसी–221 003

अनुक्रम

1. शिक्षा और संस्कृति का अन्तःसम्बन्ध
प्रो. प्रेम नारायण सिंह 13
2. भारतीय संस्कृति
डॉ. जगदीश सिंह दीक्षित 19
3. मूल्य आधारित शिक्षा और पद्धतियाँ : एक शैक्षणिक दृष्टिकोण
डॉ. अजय कुमार सिंह 26
4. जीवन मूल्यों के विकास में शिक्षा एवं संस्कृति की भूमिका
डॉ. अरुण कुमार चतुर्वेदी 35
5 परंपरागत उच्च शिक्षा पद्धति बनाम नवीन शिक्षा पद्धति
अरूण कुमार मिश्र 39
6. भारतीय मूल्य चुनौतियाँ एवं समाधान
डॉ. अभिषेक श्रीवास्तव 44
7. भारतीय जीवन मूल्य
डॉ. निवेदिता श्रीवास्तव 52
8. आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मूल्य संकट और मूल्य शिक्षा
प्रो. रश्मि सिंह 56
9. शिक्षा, संस्कृति एवं जीवन मूल्य : भारतीय सन्दर्भ में
डॉ. अनुभा शुक्ला 65
10. भारतीय वाङ्मय एवं जीवन मूल्य
डॉ. आशुतोष कुमार सिंह 70
11. भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद : वैश्विक समस्याओं का निदान
प्रो अनूप कुमार मिश्र 75
12. भारतीय सांस्कृतिक मूल्य और राष्ट्रवाद
डॉ. सुधाकर द्विवेदी 80
13. भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्य एवं शिक्षा
प्रोफेसर अंजू सिंह 85
14. मूल्य शिक्षा : एक सामयिक विमर्श
डॉ. दयाशंकर सिंह यादव 88

14

मूल्य शिक्षा : एक सामयिक विमर्श

डॉ. दयाशंकर सिंह यादव

शिक्षा मानव का वह आभूषण है जिसकी तुलना संसार के किसी भी वस्तु के मूल्य से नहीं की जा सकती। जब तक व्यक्ति के पास शिक्षा रूपी हथियार न हो तो वह अपना विचार व अभिव्यक्ति लोगों तक सटीक व प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने में असमर्थ होता है। शिक्षा से विशेष ज्ञान व बुद्धि का विकास होता है तथा व्यक्तित्व में तेजस्विता निखार आता है। मूल्य ऐसे आदर्श या मानक होते हैं जो किसी समाज या संगठन या फिर व्यक्ति के लिये दिशा–निर्देश के रूप में कार्य करते हैं।

सामाजिक मूल्यों में सृजनात्मक, आदर्शात्मक तथा नैतिक तीनों प्रकार के तत्व निहित होते हैं। सामाजिक मूल्य ही नैतिकता–अनैतिकता अथवा उचित–अनुचित के मापदण्ड होते हैं। किसी भी समाज की प्रगति का मूल्यांकन सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही किया जाता है। मूल्य, व्यक्ति के व्यवहार या नैतिक आचार संहिता का महत्वपूर्ण घटक है। मूल्य की व्याख्या विभिन्न क्षेत्रों में अपने–अपने अनुसार होती है। वस्तुतः अर्थव्यवस्था में जिसकी जितनी मांग है उसका उतना मूल्य है, नीतिशास्त्र में जो अनुचित है वह मूल्यहीन है और सौन्दर्यशास्त्र में जो सुन्दर है वह मूल्यवान है। उदाहरणस्वरूप शांति, न्याय, सहिष्णुता, आनंद, ईमानदारी, समयबद्धता, अनुशासन, बड़ों का सम्मान करना आदि मूल्य है। मूल्य सामाजिक जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिये आवश्यक है। विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से विकसित ये मूल्य हमारे मन में गहराई तक बैठ होते हैं।

मूल्य निर्माण में समाज की भूमिका

समान आचार–विचार, व्यवहार, मान्यताओं, रीति–रिवाजों वाले लोग मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। परिवार के बाद व्यक्ति के मूल्य निर्माण में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक परिवेश में रहकर नैतिक मूल्यों में परिपक्वता आती है। वैसे तो समाज की वास्तविक भूमिका विद्यालय जाने के साथ प्रारंभ होती है, परन्तु उससे पूर्व 6 वर्ष तक समाज व परिवार मूल्य विकास में बराबर की भागीदारी निभाते हैं।आरम्भ में मूल्यों का विकास कम होता है, किंतु ज्यों–ज्यों संपर्क बढ़ता है, मूल्यों का विकास भी उत्तरोत्तर होता जाता है।मीडिया,

सामाजिक समूहों से वार्तालाप, सह–शिक्षा विद्यालय आदि में समाज के नैतिक मापदंड, सामाजिक गतिशीलता, परिवर्तन जैसे विचारों का प्रभाव पड़ता है।विभिन्न धर्मों, जातियों व क्षेत्रों के लोगों के साथ संपर्क से धैर्य, सहिष्णुता जैसे मूल्यों को विकसित करना आसान होता है। सामाजिक जीवन में हो रहे तीव्र परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिये तथा नवीन एवं प्राचीन के मध्य स्वस्थ संबंध बनाने में नैतिक मूल्य सेतु का कार्य करते हैं।किसी संगठन या व्यवसाय के लिये निर्धारित किये गए नैतिक मूल्यों पर वहाँ के सामाजिक परिवेश का महत्त्वपूर्ण प्रभाव होता है।

सामाजिक मूल्य सिद्धांतों का एक समूह है जो समाज द्वारा नैतिक रूप से स्वीकार्य हैं। ये सिद्धांत समुदाय की गतिशीलता, समाज में संस्थाओं, परंपराओं और समाज में लोगों की सांस्कृतिक मान्यताओं द्वारा बनाए गए हैं। कानून समाज में लोगों के लिए एक मार्गदर्शक हैं।

विवाह और सम्पत्ति के हस्तान्तरण के मामलों में न्यायिक सुधार से परिवार का पारम्परिक ढाचें का आधार प्रभावित हुआ है। उसने परिवार में समानता के सिद्धान्त को जारी किया है जिससे स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है, इसी तरह जातियों की भी परम्परात्मक भूमिका में काफी बदलाव आया है। राजनीति में जातियों की बढ़ती भागीदारी वर्तमान के सामाजिक मूल्यों का ही परिणाम है। वर्तमान समाज में सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है।एक ओर जहाँ देश मे कई पारम्परिक संस्थाएँ और गतिविधियाँ फिर से शुरू हो गयीं है। जैसे–वर्तमान में टीवी चौनलों में आस्था, साधना, संस्कार आदि पूरी तरह धार्मिक विचार के लिए समर्पित हैं। जातिगत संगठन अपनी स्थिति को सुदृण करने हेतु संचार के नये साधनों का प्रयोग कर रहे है। दूसरी ओर वर्तमान में ही विसंगतियाँ भी दृष्टिगत हो रहीं हैं, जैसे– वृद्धों के प्रति अनादर की भावना का बढ़ना व संयुक्त परिवारों का टूटना, नैतिकता का पतन ज्यादातर देखने में आ रहा है। समाज में भौतिकवाद तथा विलासिता बढ रही है। व्यक्तिवाद पनप रहा है, रेस्टोरेन्ट, फास्टफूड, इन्टरनेट चौटिंग, मोबाइल फोन, केडिट कार्ड, टीवी चैनलों पर अश्लीलता परोसने जैसी नवीन संस्कृति विकासित हो रही है जो हमारी विश्व प्रसिद्ध पुरानी तथा आध्यात्मिक संस्कृति को प्रभावित कर रही है। विश्व के अधिकाँश समाजशास्त्रियों का मत है कि सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन एक जटिल प्रकिया है। जनसंख्यात्मक कारकों, प्राकृतिक कारकों, मनोवैज्ञानिक कारकों, प्राणिशास्त्रीय कारकों, प्रौद्योगिकी कारकों, सॉंस्कृतिक कारकों आदि का परिणाम है कि वर्तमान में सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हो रहे हैं।

डा.राधाकमल मुखर्जी का मत है कि– भारतवर्ष में सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में मूल्यों और मनोवृत्तियों का संघर्ष देखने को मिलता है, जिसके कारण व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही प्रकार का समायोजन कर पाना मुश्किल

हो गया है। जीवन निर्वाह के क्षेत्र में औद्योगिकवाद जो सम्बन्धों के सम्पूर्ण प्रतिमान को बदल रहा है। किन्तु जाति और संयुक्त परिवारों के सम्बन्ध औद्योगिक जीवन के अनुकूल नहीं हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि हम असमायोजन और सम्पीड़ित समाज विरोधी मनोवृत्तियों और व्यवहारों का वाहक बन रहे हैं।

प्राचीन काल में परिवार एक पूर्ण संस्था थी उसके सभी सदस्य एक सूत्र में बँधे हुए रहते थे, लेकिन वर्तमान में परिवार परिवर्तनशील है। वर्तमान में संयुक्त परिवारों का शीघ्रता से विनाश होता जा रहा है। तलाक और नये कानूनों की वजह से परिवार अस्थिर हो गये हैं। परिवार के पवित्र आधार खत्म हो गये हैं।पारिवारिक नैतिकता में भी आज भीषण बदलाव दिखाई दे रहा है। प्राचीन समय में विवाह को धार्मिक कार्य समझा जाता था लेकिन आज वह मात्र दो लोगों के बीच एक समझौता बनकर रह गया है। विवाह का उद्देश्य धर्म पहले था, प्रजापुत्र और रति इसके बाद। आज विवाह का प्रमुख उद्देश्य रति मात्र रह गया है। प्रेम विवाह ने धर्म को खत्म कर दिया और परिवार नियोजन की विधि यों ने प्रजापुत्र को निरर्थक साबित कर दिया है। पतिव्रता और पत्नीव्रत के आदर्श आज केवल मजाक बन कर रह गये हैं। तलाक जो स्त्री के लिए कलंक था, कानूनी मान्यता प्राप्त कर चुका है।

वर्तमान में परिवार में ऐसी कोई सत्ता नजर नहीं आती। इसका मूल कारण परिवार में आर्थिक व्यवस्था का होना। यानि जो व्यक्ति धन कमाकर परिवार में देता है परिवार के समस्त सदस्य उस व्यक्ति के ही अधीन हो जाते है, फिर वह चाहे परिवार का सबसे छोटा सदस्य ही क्यों न हो।अब परिवार एक संगठित इकाई नहीं रह गई हैं। परिवार अपने एक कुनबे के रूप में पूर्ण समूह के रूप में होते थे, इसके बाद संयुक्त परिवार का रूप आया। वर्तमान में इस रूप में भी शीघ्रता से परिवर्तन हो रहा है। आर्थिक अस्थिरता, व्यक्तिवादी विचारधारा, जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक विकास, नये कानून व अधिनियम का उदभव, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के फलस्वरूप व्यक्तिगत व एकल परिवारों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इस समय परिवार का आकार दिन–प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है।पूर्व में परिवार स्वतन्त्र इकाई के रूप में जाना जाता था, परन्तु वर्तमान में इस पर राज्य का अधिकार हो गया है। परिवार अपने मौलिक कार्यों के लिए स्वतन्त्र था, लेकिन राज्य द्वारा इस स्वतन्त्रता का अपहरण किया जा चुका है। तलाक, विवाह, सन्तानोत्पत्ति, शिक्षा–दीक्षा, बच्चों की देख–भाल आदि राज्य की आज्ञा के अनुसार होते हैं।परिवार के मौलिक कार्यों का हस्तान्तरण भी हो रहा है। पहले के समाज में यौन सम्बन्धों, इच्छाओं की पूर्ति, बच्चों को पैदा करना, उनका पालन–पोषण और अर्थव्यवस्था आदि मौलिक कार्य रहे है। लेकिन वर्तमान में यह सभी कार्य अन्य संस्थाओं द्वारा किये जाते हैं। आधुनिक युग में बच्चों की उत्पत्ति का कार्य मातृत्व अस्पतालों और इनके

पालन–पोषण का कार्य स्कूलों और नर्सरी, डे–केयर सेंटरों द्वारा किया जाता है। इन बदलावों के कारण परिवार के स्वरूपों और कार्यों में परिर्वतन हो गया है। आज सामाजिक मूल्य बदलने के और भी कारण है, जैसे विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में अशान्ति की भावना, उचित रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का आभाव व नैतिकता व संस्कृतिक शिक्षा का विलोपन होना एवं विज्ञान और प्रोद्योगिकी का ज्यादा प्रचार–प्रसार के साथ ही सबसे बड़ा कारण जो समाज के आदर्श के रूप में नेता होते है, उनके द्वारा राजनैतिक भ्रष्टाचार किया जाना। व्यापारीकृत मनोरंजन भी वर्तमान में सामाजिक मूल्यों में बदलाव की भूमिका निभा रहा है.। बाल्यकाल से ही नैतिक मूल्यों की गिरावट आ रही है। बच्चों व युवाओं में आदर व सम्मान का भाव कम होता जा रहा है। बच्चे स्वभाव से उदंड होते जा रहे है। उनमे नैतिक मूल्य व शिष्टाचार कहीं खोने लगे हैं। वे बड़ों की बात को नजरंदाज कर अपनी मनमर्जी करते हैं। सभ्य संस्कारों को बाल्यकाल में ही विकसित किया जा सकता है। बालक मन बड़ा ही कोमल व स्वच्छ होता है। इसी अवस्था में जीवन के मूल्यों को अपनाया व सिखाया जाता है। वही व्यक्तित्व के अंग बन जाते है। इस हेतु परिवार के बड़ों को व अध्यापकों को बच्चों व युवाओं का आदर्श बन कर भावी मानव समाज के निर्माण में संरचनात्मक योगदान देना होगा।

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जी ने कहा है कि नये इंसान की खेती करनी होगी। अधापन, कट्टरता की जंजीर से लोगों के चिंतन, विचार को मुक्त कर विज्ञान के प्रकाश से उसे प्रकाशमान करो,...सत्य की खोज मिल सकती है सिर्फ विज्ञान में, तर्क में। आधुनिक शिक्षा से ही नये इंसान की खेती करना अर्थात नया इंसान बनाना सम्भव है। युवाओं में नैतिक मूल्य जगाने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों तथा नेताओं को उनका रोल मॉडल बनना होगा। अगर कोई स्वयं ईमानदार है तो वह बड़ों का सम्मान करता है और दूसरे को माफ़ करता है।

आपको इसके लिए पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर कुछ मूल्य बनाने होंगे और आगे आकर अपने बच्चों को समाज और संगठनों के लिए आगे बढ़कर कुछ करने हेतु प्रेरित करें। बच्चों को लेकर सामाजिक मुद्दे उठाये, अन्य लोगों को भी ऐसे सामाजिक सरोकारों से जोडे। यदि आप बच्चों व युवाओं के लिए कुछ मूल्य निर्धारित कर रहे हैं, तो उन्हें भी इसमें शामिल करें। उनके व्यवहार की हर समय पर समीक्षा भी करते रहे। इस प्रकार की जागरुकता का असर आपके निजी जीवन पर तो पडेगा ही समाज व देश को भी इसका लाभ होगा।यह सच है कि वर्तमान परिदृश्य में बदलते सामाजिक मूल्यों के आधार पर पारिवारिक कार्य संस्थाओं द्वारा ले लिए गए है, परन्तु परिवार का पूर्ण लोप होना असम्भव ही है। परिवार का स्नेह, सन्तानोत्पत्ति और देख–भाल का कार्य किसी अन्य संस्था द्वारा कराना संभव नहीं है। विभिन्न कालों में परिवारों का स्वरूप परिवर्तित

जरूर होता रहा है, परन्तु खत्म कभी नहीं हुआ। उसमें सिर्फ बदलाव जरूर होते रहे हैं। जैसे – आखेट अवस्था में जो परिवार व समाज था, वह चरवाहा और कृषि अवस्था में नहीं रह गया है, इसी प्रकार कृषि अवस्था में जो परिवार था, वह वर्तमान में परिवर्तित मात्र हुआ है फिर भी आज भी परिवार अपनी जगह दृढ़ खड़ा हुआ है।

बर्जेस और लांक ने कहा है कि– परिवर्तित होती दशाओं का अनुकूलन करने के इस लम्बे इतिहास और इसके स्नेह के कार्य को देखते हुए भविष्यवाणी करना सुनिश्चित है कि परिवार जीवित रहेगा – व्यक्तिगत सामाजिक मूल्य व्यक्ति को उसके सन्तोष और व्यक्तित्व के विकास में देता और लेता रहेगा।हमारा विचार है कि यदि इसी तरह से समाज व परिवार तथा देश में सामाजिक मूल्यों का महत्व खत्म होता रहा तो हम अपनी प्राचीन सभ्यता को न केवल बदलते देखेंगे वरन् मिटा भी देगें।

शिक्षा मानव के संपूर्ण विकास का वह सशक्त माध्यम है जिससे वह असंभव को भी संभव में परिणित कर देता है। शिक्षा अर्थात विद्या से संसार की किसी भी वस्तु से तुलनानहीं की जा सकती क्योंकि समस्त सासांरिक वस्तु नाशवान है पर विद्या अविनाशी है जिसे संसार की कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकता। शिक्षा का मूल्य उदाहरण से स्पष्ट है। शिक्षा का मूल्य और उसके महत्व को समझने की आवश्यकता है केवल पुस्तकीय ज्ञान व विषय वस्तु को कण्ठस्थ कर लेने से हम शिक्षित नहीं हो जाते । महानता के उच्च आदर्शो को अपनाने की जिन्होंने भारत को हम भारतीय नागरिकों को विश्व के समक्ष सिर को गर्व से उंचा उठाने में महत्वपूर्ण योगदान दिये। शिक्षा असंभव को संभव कर देने वाली महान् व हथियार है जिसकी सहायता से विश्व को भी जीता जा सकता है। आज हमारे पास समस्त विभिन्न प्रकार के तकनीकी सुविधाए है तो हमें भी यह क्षमता विकसित करना है क्योंकि समय निकल जाने पर कुछ भी हासिल नही किया जा सकता, क्योंकि समय अत्यंत बहुमूल्य है एक बार निकल जाने से लौटता नहीं न ही किसी का इंतजार करता है। आज हमारे लिए मानों सब–कुछ हाथ में पकड़ा दिया है इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करे यह हमारे निर्णय पर निर्भर करता है।

मूल्य शिक्षा का अर्थ है, दैनिक जीवन में कौशल, व्यक्तित्व के सभी दौरों को समझना। इसके माध्यम से छात्र जिम्मेदारी, अच्छी या बुरी दिशा में जीवन का महत्व, लोकतांत्रिक तरीके से जीवन यापन, संस्कृति की समझ, महत्वपूर्ण सोच आदि को समझ सकते हैं। मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अधिक नैतिक और लोकतांत्रिक समाज बनाना है।मूल्य शिक्षा व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास पर जोर देती है ताकि उनका भविष्य संवर सके और कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटा जा सके। यह बच्चों को ढालता है, ताकि वे अपने सामाजिक, नैतिक और

लोकतांत्रिक कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक संभालते हुए बदलते वातावरण से जुड़ जाएं। आधुनिक भारतीय समाज धर्म प्रधान रहा है वहां व्यक्तियों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण आध्यात्मिक रहा है प्रेम सत्य अहिंसा सहयोग सहिष्णुता पर्व का आदि भारतीय समाज के शाश्वत मूल्य रहे हैं परंतु असत्य के स्थान पर सत्य अहिंसा के स्थान पर हिंसा प्रेम के स्थान पर घृणा सहयोग के स्थान पर असहयोग ईर्ष्या और परोपकार के स्थान पर स्वार्थ

शिक्षा मनुष्य को और अधिक पूर्ण मनुष्य बनाने में सहायक होता है। शिक्षा वह माध्यम है जिससे सामाजिक परिवर्तन लाने में गति प्रदान करता है। शिक्षा समाज को वांछित दिशा निर्देश व धाराएं प्रदान करती है हमारे जीवन में जीवन मूल्य शिक्षा का बहुत महत्व है। मूल्य शिक्षा के माध्यम से हम समाज में सकारात्मक मूल्यों क्षमताओं और अन्य प्रकार के व्यवहार को विकसित करता है जिसमें वह रहता हैं। मूल्य शिक्षा का अर्थ है, दैनिक जीवन में कौशल, व्यक्तित्व के सभी दौरों को समझना। इसके माध्यम से छात्र जिम्मेदारी, अच्छी या बुरी दिशा में जीवन का महत्व, लोकतांत्रिक तरीके से जीवन यापन, संस्कृति की समझ, महत्वपूर्ण सोच आदि को समझ सकते हैं। मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अधिक नैतिक और लोकतांत्रिक समाज बनाना है।यह जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने और सफल होने के लिए आवश्यक किरदारों को विकसित करने में मदद करता है। यह आपकी पर्सनालिटी को आकार देता है, आपको जीवन और उसके संघर्षों के प्रति विनम्र और आशावादी बनाता है। आपको हर स्थिति में सही और सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर आकार देता है और आने वाली चुनौतियों और प्रतिस्पर्धा के लिए आपको मजबूत बनाता है। यह छात्रों को उनके जीवन के उद्देश्य को जानने में मदद करता है और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सही रास्ता चुनने में मदद करता है। मूल्य शिक्षा का महत्व कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में मदद करता है जिससे निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है।

1. उम्र के साथ जिम्मेदारियों की एक विस्तृत शृंखला आती है। यह कई बार अर्थहीनता की भावना को विकसित कर सकता है और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकारों, मध्य–करियर संकट और किसी के जीवन के साथ बढ़ते असंतोष को जन्म दे सकता है। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य कुछ हद तक लोगों के जीवन में शून्य भरना है।
2. मूल्य शिक्षा का महत्व जिज्ञासा जगाने और मूल्यों और हितों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह आगे कौशल विकास में मदद करता है।
3. इसके अलावा, जब लोग समाज और उनके जीवन में importance of value education का अध्ययन करते हैं, तो वे अपने लक्ष्यों और जुनून के प्रति अधिक उत्साहित और बंधे हुए होते हैं। इससे जागरूकता का विकास होता है जिसके परिणामस्वरूप विचारशील और पूर्ण निर्णय लेते हैं।

4. मूल्य शिक्षा का मुख्य महत्व मूल्य शिक्षा के क्रियान्वयन और इसके importance of value education को अलग करने पर प्रकाश डाला गया है। यह 'अर्थ' की भावना को पीछे छोड़ देता है, जो किसी को करना है और इस प्रकार व्यक्तित्व विकास में सहायक है ।

सन्दर्भ

1. करण, चाँद "शिक्षा का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य" प्रकाशक: हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली
2. शर्मा, आ.ए.' शिक्षा तकनीकी' प्रकाशक: इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस मेरठ (उ.प्र)
3. स्वामी विवेकानंद"मेरा भारत अमर भारत" प्रकाशक: स्वामी ब्रहास्थानन्द, अध्यक्ष, रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, धन्तोली, नागपर
4. शर्मा, महेशचन्द्र"संस्कृति के चार सोपान" प्रकाशक: वैभव प्रकाशन उदभव, सेक्टर– पं. डी. उपाध्याय नगर डगनिया,रायपुर(छ.ग.)
5. नगोरी एस.एल. एवं नागोरी, कान्ता) प्रकाशक: सबलाइम पब्लिकेशन्स जैन भवन, एप.वी.सी. के सामने, शांति नगर, जयपुर
6. स्वामी विवेकानंद (150वी यचंती के उपलक्ष्य में प्रकाशित) व्यक्तित्व का विकास प्रकाशक: साधारण सचिव, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन वेलुर मठ, जिला हौरा पं. बंगाल
7. स्वामी विवेकानंदशिक्षा प्रकाशक: स्वामी ब्रहस्थानन्द, अध्यक्ष, रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, धन्तोली, नागपुर
8. International Journal of Advances in Social Sciences
9. शिक्षा का मूल्य: एक सामयिक विमर्श महेन्द्र कुमार प्रेमी शोध–छात्र, तुल., धर्म,दर्शन एवं योग अ.शा., पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)
10. जागरण भारतीय समाज में मूल्य शिक्षा की उपयोगिता
11. डॉ धर्मेंद्र कटियार प्रौढ़ सतत् शिक्षा एवं प्रसार विभाग,छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सह. आचार्य एवं विभागाध्यक्ष समाजशात्र
सकलडीहा पी जी कालेज, सकलडीहा, चंदौली

पर्यावरण का समाजशास्त्र

SOCIOLOGY OF ENVIRONMENT

डॉ. दयाशंकर सिंह यादव

प्रकाशक–
अंजनी कुमार मिश्र
विजडम बुक्स
शाप न0 12, ज्ञानमण्डल प्लाजा,
मैदागिन, वाराणसी-221001
दूरभाष– 0542-6452013

प्रथम संस्करण–2014
पुनर्मुर्दित-2018

कापीराइट - लेखक
ISBN-978-81-909022-8-1

मूल्य– 250/- मात्र

अक्षर संयोजन
राजीव नयन कात्यायन
विजडम बुक्स
वाराणसी

विषयानुक्रमणिका

क्रमांक	अध्याय	पृष्ठ सं०
1.	पर्यावरण की अवधारणा *[Concept of Environment]*	1-8
2.	प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण *[Natural and Social Environment]*	9-22
3.	हेरिटेज की पूर्ण पर्यावरणीय अवधारणा : प्राकृतिक और सामाजिक *[Concept of Total Environment of Heritage : Natural and Social]*	23-27
4.	पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी *[Environment and Ecology]*	28-44
5.	सामाजिक पारिस्थितिकी *[Social Ecology]*	45-57
6.	पर्यावरण और विकास संबंधी मुद्दे *[Issue Concerning Environment and Development]*	58-64
7.	प्रदूषण *[Pollution]*	65-73
8.	रेगिस्तानी या मरुस्थलीकरण *[Desertification]*	74-93
9.	जल क्षीणता *[Water Depletion]*	94-105
10.	पर्यावरण संबंधी विमर्श एवं आन्दोलन *[Environment Concerns and Movements]*	106-131
11.	भूमण्डलीय उष्मीकरण *[Global Warming]*	132-145
12.	हरित गृह प्रभाव *[Green House Effect]*	146-163
13.	अम्लीय वर्षा *[Acid Rain]*	164-176

14.	भारत में ऊर्जा संकट और इसका प्रबंधन *[Energy Crisis in India and Its Management]*	177-202
15.	पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी *[Eco-Friendly Technology]*	203-216
16.	पर्यावरण एवं धारणीय विकास *[Environment and Sustainable Development]*	217-234
17.	आपदा प्रबन्धन *[Disaster Management]*	235-259
18.	जल प्रबंधन *[Water Management]*	260-274

सशक्त महिला : आत्मनिर्भर भारत

सशक्त महिला :
आत्मनिर्भर भारत

डॉ० दयाशंकर सिंह यादव

एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र एवं विभागाध्यक्ष
सकलडीहा पी.जी. कॉलेज सकलडीहा, चंदौली

डॉ० पूनम यादव

पीएच.डी.
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

रावत प्रकाशन
नई दिल्ली - 110 002

रावत प्रकाशन
4264/3, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002
दूरभाष : 011-623244078, 43559448,
फैक्स : 011-623280028
ई-मेल : rawatpublications@gmail.com

सशक्त महिला : आत्मनिर्भर भारत

ISBN : 978-81-948990-7-5

© **लेखक**

प्रथम संस्करण : 2021
₹ 850

इस पुस्तक के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। प्रकाश/लेखक की लिखित अनुमति के बिना इसके किसी भी अंश की फोटोकॉपी एवं रिकार्डिंग सहित इलेक्ट्रोनिक अथवा मशीनी, किसी भी माध्यम से अथवा ज्ञान के संग्रहण एवं पुनर्प्रयोग की प्रणाली द्वारा, किसी भी रूप में पुरुत्पादित अथवा संचारित-प्रसारित नहीं किया जा सकता। इस पुस्तक में प्रकाशित लेख के लिए लेखक के स्वयं उत्तरदायी हैं। इस संबंध में संपादक का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

गौतम सिंह रावत द्वारा 'रावत प्रकाशन' के लिए प्रकाशित एवं एशियन ऑफसेट प्रिन्टर्स, दिल्ली से मुद्रित।

भूमिका

सशक्त महिला के बारे में समाज के विभिन्न "वर्गों, व्यवसायों एवं आर्थिक स्तरों से जुड़े व्यक्तियों (पुरूष व महिला दोनों)" की नजर में अलग–अलग मायने हैं, दृष्टिकोण हैं। एक ओर यह महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता होना है तो दूसरे रूप में पुरूषों के समान स्थिति को प्राप्त करना। एक सोच के अनुसार पूरी तरह पाश्चात्यता या अत्याधुनिकता को अपनाना ही सामाजिक सशक्त महिला अथवा महिला सशक्तीकरण है। उपरोक्त सभी तथ्यों की कतिपय पहलु मात्र है। संपूर्ण एवं समग्र समाज वह स्थिति है जब महिला को व्यक्तित्व के विकास, शिक्षा प्राप्ति, व्यवसाय, परिवार में निर्णय का समान अवसर मिले, जब वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, शारीरिक व भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करे तथा तमाम रूढ़िवादी व अप्रासंगिक रिवाजों, रूढियों के बंधनों से पूरी तरह स्वतंत्र हो।

समय के साथ महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता को केवल समाज ने, परिवारों ने, बल्कि सरकार के स्तर से भी अनुभव किया गया है। हमारे स्वतंत्र देश के संविधान में स्त्री पुरूष के आधार पर नागरिकों में भेद नहीं किया गया बल्कि समान अवसर दिये गये है। मतदान का अधिकार स्त्री को भी दिया गया जो कि स्वयं में एक क्रांतिकारी कदम था। यह उल्लेख करना प्रसांगिक होगा कि अमेरिका एंव यूरोप

के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने के कई दशको बाद महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। केन्द्र व राज्य सरकार के स्तर से महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए कल्याणकारी योजनाऐं तथा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, अतिरिक्त पोषाहार, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, तथा स्वंय सहायता समूहों को बढ़ावा देना, छात्रवृति तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण देने आदि के माध्यम से महिलाओं को सहायता दी जा रही है। शैक्षिक, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं जिनके सकारात्मक परिणाम भी दिख रहे है। समय के साथ समाज, परिवारों की मानसिकता भी बदली है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की ओर सबका ध्यान गया है। नतीजन जीवन के प्रत्येक पहलुओं में नारी की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। राजनैतिक क्षेत्र, सरकारी नौकरियों, व्यवसायों, सेना, पुलिस, चिकित्सा, खेल, फैशन आदि प्रत्येक क्षेत्र में महिलाऐं सक्रिय है। हाल ही में राज्य में हुए पंचायत चुनाव, जिनमें 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक Milestone साबित होगा। किन्तु अभी महिलाओं के संपूर्ण सशक्तीकरण की दिशा में बहुत अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

इस पुस्तक की रचना में जिन गुरूजनों एवं सहयोगियों से सहयोग मिला है, उन सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आशा है यह पुस्तक विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा इस विषय में रूचि रखने वालों को पुस्तक से संबंधित सभी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकेगी।

डॉ. दयाशंकर यादव

डॉ. पूनम यादव

अनुक्रमणिका

	भूमिका	अ
1	सशक्त महिला : एक समीक्षा	1
2	महिलाओं के लिए आर्थिक निर्भरता	6
3	सशक्त नारी : सशक्त भारत	17
4	राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति और आत्म निर्भर भारत	25
5	ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण और रोजगार के अवसर	47
6	सशक्त महिलाओं के लिए वित्तीय तकनीक	55
7	भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति	63
8	आत्मनिर्भर समाज के लिए महिला सशक्तीकरण	73
8	आत्मनिर्भर समाज में महिला सामाजिक न्याय का विश्लेषण	124
10	महिलाओं के अधिकार एवं सामाजिक विधान	131
11	सामाजिक दृष्टिकोण से महिलाओं की वैधानिक स्थिति	138
11	पंचायती राज में महिला विकास	176
13	महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व	203
	संदर्भ ग्रंथ सूची	223

1
सशक्त महिला : एक समीक्षा

सशक्त महिला के बारे में समाज के विभिन्न "वर्गों, व्यवसायों एवं आर्थिक स्तरों से जुड़े व्यक्तियों (पुरूष व महिला दोनों)" की नजर में अलग–अलग मायने हैं, दृष्टिकोण हैं। एक ओर यह महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता होना है तो दूसरे रूप में पुरूषों के समान स्थिति को प्राप्त करना। एक सोच के अनुसार पूरी तरह पाश्चात्यता या अत्याधुनिकता को अपनाना ही सामाजिक सशक्त महिला अथवा महिला सशक्तीकरण है। उपरोक्त सभी तथ्यों की कतिपय पहलु मात्र है। संपूर्ण एवं समग्र समाज वह स्थिति है जब महिला को व्यक्तित्व के विकास, शिक्षा प्राप्ति, व्यवसाय, परिवार में निर्णय का समान अवसर मिले, जब वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, शारीरिक व भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करे तथा तमाम रूढ़िवादी व अप्रासंगिक रिवाजों, रूढियों के बंधनों से पूरी तरह स्वतंत्र हो।

समय के साथ महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता को केवल समाज ने, परिवारों ने, बल्कि सरकार के स्तर से भी अनुभव किया गया है। हमारे स्वतंत्र देश के संविधान में स्त्री पुरूष के आधार पर नागरिकों में भेद नहीं किया गया बल्कि समान अवसर दिये गये है।

मतदान का अधिकार स्त्री को भी दिया गया जो कि स्वयं में एक क्रांतिकारी कदम था। यह उल्लेख करना प्रसांगिक होगा कि अमेरिका एंव यूरोप के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने के कई दशको बाद महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। केन्द्र व राज्य सरकार के स्तर से महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए कल्याणकारी येाजनाऐं यथा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, साईकल देने, अतिरिक्त पोषाहार, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, तथा स्वंय सहायता समूहों को बढ़ावा देना, छात्रवृति तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण देने आदि के माध्यम से महिलाओं को सहायता दी जा रही है। शैक्षिक, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं जिनके सकारात्मक परिणाम भी दिख रहे है। समय के साथ समाज, परिवारों की मानसिकता भी बदली है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की ओर सबका ध्यान गया है। नतीजन जीवन के प्रत्येक पहलुओं में नारी की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। राजनैतिक क्षेत्र, सरकारी नौकरियों, व्यवसायों, सेना, पुलिस, चिकित्सा, खेल, फैशन आदि प्रत्येक क्षेत्र में महिलाऐं सक्रिय है। हाल ही में राज्य में हुए पंचायत चुनाव, जिनमें 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक डपसमेजवदम साबित होगा। किन्तु अभी महिलाओं के संपूर्ण सशक्तीकरण की दिशा में बहुत अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के कार्य समय का 2/3 महिलाऐं कार्य करती हैं किन्तु विश्वभर में उनके हिस्से आय का केवल 10 प्रतिशत ही आता है तथा विश्व की 1 प्रतिशत से भी कम सम्पत्ति महिलाओं के स्वामित्व में है। विश्व भर में व्यस्कों, जो लिख–पढ़ नही सकते उसका 2҆3 भाग महिलाऐं हैं। भारत के संदर्भ में यदि हम विभिन्न सर्वेक्षणों को न भी देखें तो आम अनुभव से यह कह सकते हैं कि आर्थिक, शैक्षणिक रूप से अभी स्थिति काफी पिछड़ी हुई है, स्थिति संतोषजनक नही है। परिवारिक निर्णयों में सहभागिता नही है।

अंधविश्वास व रूढियों के कारण लड़की का जन्म लेना बोझ और दुःख का कारण बन जाता है। परिवार में मारपीट व हिंसा की शिकार होती है, यद्यपि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए भी कानून बनाया गया है। स्वयं की अर्जित आमदनी को भी खर्च करने का अधिकार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में नही है। सशक्तीकरण हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की पूर्व में चर्चा की गई है, किन्तु यह क्या मात्र सरकार का ही दायित्व है– क्या एक व्यक्ति एक परिवार या समाज की इसमें कोई भूमिका या दायित्व नही है? बिल्कुल है। यह शत प्रतिशत परिवार एवं समाज का भी दायित्व है। क्योंकि यह किसी व्यक्ति विशेष, परिवार विशेष की नही है बल्कि दुनिया की आधी आबादी, स्त्री से जुड़ा हुआ मामला है। यह किसी घर, नगर, राज्य या राष्ट्र नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व से संबंधित मुद्दा है।

अतः महिला सशक्तीकरण के लिए परिवार, समाज, राष्ट्र सभी को मिलकर कार्य करना होगा, सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। परिवार के स्तर पर माता–पिता की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ बेटा व बेटी में भेद भाव की मानसिकता से अभी भी है। अधिक चिन्तनीय बात यह है कि न केवल आर्थिक रूप से पिछड़े एवं ग्रामीण परिवेश बल्कि शहरी एवं संपन्न परिवारों में भी यह भेदभाव की प्रवृति है। पुत्र की अपेक्षा पुत्री को समान अवसर न देना, इस मानसिकता को छोड़ना होगा।

सर्वप्रथम यह अनुभव करना तथा स्वीकार करना होगा कि स्त्री या महिला एक परिवार की धुरी है। इसकी भूमिका परिवार में महत्वपूर्ण है। मात्र इसलिए कि वह नौकरी पेशा नही है, या घर में आर्थिक योगदान नही देती है, तो महत्वहीन है, इस भावना को छोड़ना होगा। बेटी को उसके स्त्री होने पर गर्व होने की भावना विकसित करनी होगी। बताना होगा प्रकृति ने जो भिन्नताऐं या विशिष्टताऐं दी हैं वे सभी हीन समझने अथवा सकुचाने का कारण नही है बल्कि स्त्री व पुरूष दोनो विश्व के, प्रकृति के, समाज व परिवार के, समान रूप से महत्वपूर्ण भाग है।

अतः वह भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक पुत्र है। माता पिता का दायित्व है, कि स्वास्थ्य पोषण, शिक्षा एवं अवसर की समानता पुत्री को प्रदान करें, ताकि उसमें किसी प्रकार की हीनता की भावना न पनपे।

पुत्री को मानसिक रूप से तैयार करना भी आवश्यक है। भावनात्मक रूप से दृढ़ करना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस प्रकार शारीरिक स्वास्थ मानसिक, भावनात्मक सुदृढ़ता एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा– यह सभी पहलू जो महिला सशक्तीकरण के अभिन्न अंग हैं। इसकी शुरूआत परिवार से होती है।

समाज की भूमिका आती है, सामूहिक रूप से प्रयास करने में। समाज का दायित्व है कि महिलाओं को एक सुरक्षित एवं स्वस्थ माहौल प्रदान करें। जो वर्ग सक्षम हैं वे महिला सशक्तीकरण में अपना सार्थक योगदान आर्थिक रूप से, नेतृत्व प्रदान कर, संगठित होकर योगदान दें। उदाहरणार्थ– विभिन्न विद्यालयों (निजी) द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जा सकती है। अपेक्षाकृत जागरूक वर्ग अन्य पिछड़े वर्गों में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य कर सकते है। ये सब उदाहरण मात्र हैं ऐसे अनेकानेक अन्य प्रयास हो सकते हैं।

राजस्थान एवं महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पुत्री को भी संपत्ति में बराबरी का हक दिया गया है। यह महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। चूँकि आर्थिक आधार सशक्त होने या प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण सूचक या मानदंड आरंभ से ही रहा है। साथ ही यह आवश्यक है कि स्वयं महिलाओं को जागरूक होना होगा। स्वयं जानना होगा की आखिर उनके हक क्या हैं। स्वयं एवं सामूहिक रूप से इसके लिए वे क्या प्रयास कर सकती हैं।

यह समझना होगा कि सशक्तीकरण के मायने केवल पाश्चात्य तौर तरीके, आधुनिक वस्त्र पहनने में ही नही बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण

अपनाने में है। आधुनिकता अप्रसांगिक हो चुकी परमपराओं तथा मान्यताओं के बंधन से खुद को मुक्त करने एवं स्वस्थ मानसिकता अपनाने में है।

यहां यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि सशक्तीकरण का तात्पर्य पुरूषों से बराबरी, प्रतिद्वंदिता, या संघर्ष करने में नही है बल्कि प्रकृति प्रदत्त भिन्नताओं को स्वीकार कर, पूरे आत्मविश्वास से परिवार व समाज में सम्मानजनक स्थिति, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सचेत रहकर समान अधिकार प्राप्त करने में है। यह केवल सैद्धांतिक रूप से ही नहीं बल्कि वास्तविक एवं व्यवहारिक रूप में भी साकार होना चाहिए।

2
महिलाओं के लिए आर्थिक निर्भरता

आत्मनिर्भरता के बिना महिला सशक्तिकरण की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इसके लिए सरकार तो ढेर सारी योजनाएं लागू करती है, लेकिन निचले स्तर पर उनको बेहतर ढंग से अमलीजामा नहीं दिया जाता। यहीं कारण है आज भी महिला–पुरूष को बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया है। लेकिन इसके लिए कुछ महिला संगठनों ने अपने स्तर पर महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया है, जिसके कारण महिलाओं में आत्मविश्वास भी बढ़ा है और परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए ताकत भी दिखाई हैं।

सरकार की योजनाओं की ही देन है कि जहां महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो अब बैंकों के खातों का संचालन भी खुद ही करती है। सरकारी विभागों में अधिकारियों से मिलने, खरीददारी करने या अन्य कामों में आगे आने लगी है। यहां उदाहरण के तौर पर सरकार की स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना को लिया जाता है। इस योजना के तहत जिले में करीब साढ़े सात हजार ऐसी महिलाएं आत्मनिर्भर बनी है, जिनको पहले दो जून की रोटी नसीब करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन आज तो समाज की मुख्यधारा

में शामिल है। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत जिले में कुल 1100 स्वयं सहायता समूह बनाए गए, जिनमें से 735 समूह महिलाओं के हैं। एक समूह में दस महिलाएं शामिल है। इसी तरह स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना के तहत भी शहर में करीब 80 महिलाओं ने स्वरोजगार को अपनाया है। इस करीब साढ़े सात हजार महिलाएं आत्मनिर्भरता के साथ जीवन यापन कर रही है। इसे ही सही मायनों को महिला सशक्तिकरण की संज्ञा दी जा सकती है।

मनरेगा भी इस दिशा में कारगर

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी कारगर साबित हो रही है। इस योजना के तहत जिले में दो हजार महिलाओं को पूरा वर्ष काम दिया जाएगा। जिसके कारण महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सफल रही। अधिकतर महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर थी और जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन अब परिवार को उनपर वर्ग है। हरियाणा में महिलाओं को मनरेगा के तहत बराबर का मजदूरी दी जाती है कि जबकि अन्य राज्यों में महिलाओं को पुरूषों से कम मजदूरी दी जाती है।

इन आयामों पर काम करने की जरूरत

महिला सशक्तिकरण के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी आयामों को लागू करना होगा। जैसे महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जाए। सामाजिक तौर पर उनकी मानसिकता में बदलाव लाया जाए। मूल्य, मान्यताओं व संवेदनाओं को देखते हुए महिलाओं को जागरूक किया जाए। वहीं, कानूनी स्तर पर भी उनको जानकारी होनी चाहिए ताकि वे अपनी लड़ाई कानूनी तौर पर भी लड़ सके।

महिलाओं को किया जा रहा जागरूक : जगमती

अखिल भारतीय महिला जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगमती सांगवान काफी समय से महिलाओं की लड़ाई लड़

रही है। महिला सशक्तिकरण के बारे में जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में आगे आना पड़ेगा, तभी महिला सशक्त हो सकती है। इसके लिए महिला सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा शिविर, कानूनी शिक्षा, सामाजिक ताना–बाना, आर्थिक सुदृढ़ता के बारे में सेमिनार, विचार गोष्ठी व हकों के लिए धरने–प्रदर्शन से महिलाओं को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं को भी अपने वितरित संस्कारों से बाहर निकलना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला है कि लिंग–भेद को खत्म करना। जैसे महिलाएं आज भी पुत्र के जन्म पर खुशी होती है न कि पुत्री के जन्म पर। इस तरह की मानसिकता को बदलने के लिए महिलाओं को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यह प्रयास लगातार जारी है।

महिलाओं के लिए आर्थिक निर्भरता के बढ़ते आयाम

देश बदल रहा है महिलाओं की दशा में सुधार आ रहा है, समय के साथ साथ नारी शक्ति और सशक्त होती जा रही है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है ये बात तो सत्य है, किन्तु परिवर्तन का क्या परिणाम हुआ है और क्या होगा और उस परिवर्तन को आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार स्वीकार करती है और इससे क्या सीख लेती है ये बात अधिक महत्त्व रखती है। देखा जाए तो हर युग में प्रतिभाशाली महिलाएँ रही हैं और हर युग में उन्होंने अपनी प्रतिभा से समाज में उदाहरण प्रस्तुत किया है जैसे– सीता, सावित्री, द्रौपदी, गार्गी आदि पौराणिक देवियों से लेकर रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्या बाई होल्कर, रानी चेनम्मा, रानी पद्मिनी, हाड़ी रानी आदि महान रानियों से लेकर इंदिरा गाँधी और किरण बेदी से लेकर सानिया मिर्जा आदि आधुनिक भारत की महिलाओं ने भारत को विश्व भर में गौरवान्वित किया और महिलाओं ने धरती पर ही नहीं अपितु अन्तरिक्ष में भी अपना परचम लहराया है इनमें सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला प्रमुख हैं।

यह सही है कि हर युग में महिलाओं ने अपनी योग्यता का परचम लहराया है, लेकिन फिर भी यह देखने को मिलता है कि हर युग में

उन्हें भेदभाव और उपेक्षा का भी सामना करना पड़ा है। महिलाओं के प्रति भेदभाव और उपेक्षा को केवल साक्षरता और जागरूकता पैदा कर ही खत्म किया जा सकता है। महिलाओं का विकास देश का विकास है। महिलाओं की साक्षरता, उनकी जागरूकता और उनकी उन्नति ना केवल उनकी गृहस्थी के विकास में सहायक साबित होती है बल्कि उनकी जागरूकता एवं साक्षरता देश के विकास में भी अहम् भूमिका निभाती है। इसीलिए सरकार द्वारा आज के युग में महिलाओं की शिक्षा और उनके विकास पर बल दिया जा रहा है, गाँव और शहर में शिक्षा के प्रचार प्रसार के व्यापक प्यास किये जा रहे हैं। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और अन्याय के प्रति आवाज उठाने की हिम्मत प्रदान ही असल में नारी सशक्तिकरण है।

इधर कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में वृद्धि हुई है जोकि बहुत ही चिन्तनीय है। शहर भी महिलाओं के लिए असुरक्षित हो चले हैं। कुछ असामाजिक तत्वों के कारण महिलाओं को पर्दे में रखने की सोच का जन्म होता है किन्तु सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह पर्दे में सुरक्षित रहेंगी? घर से बाहर ही नहीं बल्कि घर में भी महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाओं के साथ ही घरेलू हिंसा और यौन अपराधों में वृद्धि हो रही है। पर्दे में या दरवाजों के भीतर महिलाओं को बन्दिनी बनाकर रखना इन सबका हल नहीं है। जरूरत है उन बंद दरवाजों को खोलने की, रौशनी को अंदर आने देने की, उस प्रकाश में अपना प्रितिबिम्ब देखने की, उसे निहारने की, निखारने की। इस कड़ी में एक और अहम दरवाजा आत्म निर्भरता और आर्थिक आत्मा निर्भरता का भी है। जरूरत है हमें अपने अस्तित्व को पहचानने की और इसको बनाये रखने की और एक कदम बढ़ाने की।

हम लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है की पाक कला और गृहकार्य में निपुणता ही एक नारी के लिये परिपूर्णता है। क्या कभी किसी ने इस बात पर जोर दिया कि उनका पढ़ना लिखना भी उतना ही जरूरी है जोकि उनके बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी

है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना भी आज के समय में उतना ही आवश्यक है। आर्थिक रूप से सक्षम होना केवल परिवार के लिए नहीं अपितु अपने लिए भी आवश्यक है। शिक्षा का महत्त्व तब पता चलता है जब परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा हो या किसी भी लड़की के वैवाहिक जीवन में अचानक परेशानी आ जाए। तब शिक्षा और आत्म निर्भरता से ही एक लड़की को ना तो अपने माता पिता पर और ना ही अपने पति पर निर्भर रहना पड़ता है। पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकतीं लेकिन एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए के लिए धन की आवश्यकता होती है।

एक सुखी जीवनयापन के लिए किताबी ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान भी अति आवश्यक है है जोकि हमारे कौशल में निखार लाता है और हमारे व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करता है। व्यवहारिकता, अनुभव और कौशल विपरीत से विपरीत स्थिति में भी जीवनयापन में सहायता करता है। ऐसा नहीं है कि अशिक्षित महिलाओं में कौशल एवं हुनर कम है। कृषि, कुटीर उद्योग, पारम्परिक व्यवसाय, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय जैसे कार्यों से महिलाओं को अपने इस हुनर को बाहर लाना है और देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनना है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ शिक्षा के अभाव और आर्थिक पिछड़ेपन के और विकृत मानसिकता के कारण विभिन्न आडम्बरों एवं अन्धविश्वासों के चलते महिलाओं का शोषण किया जाता है। ऐसे स्थानों पर महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाना चाहिये एवं आत्मरक्षा के तरीके भी सिखाये जाने चाहिये।

पुरूषों की भाँति महिलाएँ भी देश की समान नागरिक हैं और उन्हें भी स्वावलम्बी होना चाहिये ताकि समय आने पर वह व्यवसाय कर सकें और अपने परिवार को चलाने में मदद कर सकें। यही जागरूकता ही तो उनके, उनके परिवार के व देश के विकास को गति देगी एवं एक नई दिशा देगी। एक खुशहाल भविष्य की कामना करते हुए इस बात का संकल्प कीजिये– मैं अपने हुनर को पहचानूँगी और स्वावलम्बी

बनकर दूसरों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनूँगी, मैं खुद एक आत्मनिर्भर लड़की हूँ जोकि घर और ऑफिस दोनों को मैनेज करती हूँ। ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं वकील और ना ही अध्यापिका ही, पर हाँ मैं शिक्षित हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ और इस बात से खुश हूं कि मैं आत्मनिर्भर हूँ

स्त्री शक्ति योजना

प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक स्थिति काफी देनी है और इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा महिलाओं को वित्त संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए यह ऋण उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजनाएं जैसे महिला उद्यम निधि स्कीम भारतीय महिला बैंक की स्कीम यूनियन नारी शक्ति योजना इत्यादि शुरू की है। शक्ति पैकेज योजना एसबीआई बैंक द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई योजना है ताकि महिलाएं ऋण प्राप्त कर अपने सभी प्रकार की आर्थिक तथा वित्तीय समस्याओं का हल निकाल सकें।

श्री शक्ति योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि देश में महिलाओं के सतर को ऊपर उठाए जाएं सके। महिलाएं उद्यमियों को और अधिक व्यवसाय को बढ़ाने में अवसर प्रदान किया जा सके। महिलाओं को ऋण प्रदान करना और भी इसका सही जगह उपयोग करें। देश में महिला उद्योगों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए तथा उद्योगों के तहत 500000 तक की सिक्योरिटी भी सरकार द्वारा महिलाओं को दी जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण केंद्रों में विभिन्न प्रकार के बैग बनाने से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा श्री सीमेंट लिमिटेड कंपनी द्वारा महिलाओं का बालिकाओं को कपड़े के बैग बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है सरकार द्वारा लघु उद्योगों के लिए काफी अधिक सहायता प्रदान की जा रही है या किसी भी नजदीकी शाखा से संपर्क योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

यह योजना महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की

गई योजना है। इस योजना के माध्यम से वे सभी महिलाएं जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है ऐसी महिलाओं को एसबीआई द्वारा लोन उपलब्ध किया जाएगा इस ऋण को केवल महिलाओं को फायदा पहुंचाने तथा महिला उद्यमों को सुनिश्चित किया जाएगा जैसे स्कीम के तहत सिर्फ वही उद्यम पात्र माने जाएंगे। इसमें एसबीआई द्वारा कुछ मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं। जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि जिस व्यवसाय में महिला उद्यमियों का 50% तक या इससे अधिक हिस्सा होगा उन्हें को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा श्री शक्ति पैकेज योजना काला महिलाओं को दिए जाने को सुनिश्चित किया गया है।

महिलाओं को दी जाने वाली इस योजना के तहत अलग–अलग श्रेणियों पर मार्जिन 5% तक कम होने का प्रावधान है। यदि महिलाएं जो लोन लेते हैं उसकी संख्या दो लाख से अधिक होती है। इस स्थिति में बैंक द्वारा ब्याज की दर 5% कम होने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। महिला उद्यमी यदि अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें 5 लाख तक के ऋण पर किसी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होगी। महिलाएं इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकती है। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी जैसे कि इसके लाभ तथा कितना लोन आपको मोहे किया जाएगा इस लोन के लिए आप कैसी आवेदन कर सकते हैं।

स्त्री शक्ति योजना प्रमुख लाभ

- देश में महिलाओं का स्तर ऊपर उठेगा।
- महिलाएं उद्यमियों बनकर अपने परिवार के लिए सहारा बनेगी।
- महिलाओं को ऋण प्रदान करने से वे इसका उपयोग सही जगह पर करेंगे।
- देश में महिला उद्योगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी।

- इस योजना के तहत 5 लाख तक के ऋण में कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जाती है।

स्त्री शक्ति योजना

इस योजना के माध्यम से एसबीआई ब्रांच तथा सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं के स्तर को देश में ऊपर उठाया जा सके तथा महिला उद्यमियों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सके ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सके। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्त बनाने के इरादे से ही इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत छोटे प्रोजेक्ट जिन पर महिलाएं काम कर सकती हैं वह इस प्रकार है।

SBI द्वारा चलायी गए स्त्री शक्ति पैकेज योजना महिलाओं को लोन देने की सबसे उत्तम योजना है। स्त्री शक्ति के तहत आप SBI से 5 लाख का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के ले सकती है। इस लोन को लेने के लिए आपका खाता ैठप् में होना चाहिए। केन महिला लोन स्कीम महिलाओं के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए केनेरा बैंक द्वारा चलायी जाती है. केन महिला लोन स्कीम के तहत कोई भी 18 से 55 साल तक की महिला अपने बिजनेस को बढ़ाने या स्टार्ट करने के लिए केनेरा बैंक लोन ले सकती है

- डेरी प्रोडक्ट जेथे दूध, मक्खन ,दही आदि
- रेडीमेड गारमेंट्स का उत्पादन एवं बिक्री
- अगरबत्ती, पापड़ आदि का उत्पादन एवं बिक्री
- कंपोस्ट खाद का उत्पादन एवं बिक्री
- बीजों की बिक्री
- खाद की बिक्री
- कंबल की बिक्री

इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर महिला उद्यमी अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं तथा अपनी आमदनी के साधनों को बना सकती है। एसबीआई द्वारा उपलब्ध की गई इस योजना से महिलाएं अधिक सशक्त होंगी। उन्हें रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त होंगे।

शक्ति योजना पात्रता

1. एसबीआई द्वारा शुरू की गई इस योजना के पीछे कुछ पात्रता भी निर्धारित की गई है जो इस प्रकार है।
2. इस योजना का लाभ केवल महिला उम्मीदवारों को ही दिया जाएगा।
3. केवल वही महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो उद्यमों में स्वामित्व महिलाओं का हो।
4. महिला उद्यमियों की पहचान के लिए भारत की MSME विभाग द्वारा जांच की जाएगी।
5. इस योजना के तहत एक महिला द्वारा शुरू किया गया व्यवसाय जिसका स्वामित्व उस व्यवसाय में 51% हो वह इस योजना की पात्र होगी।
6. एक से अधिक महिलाएं द्वारा लघु उद्योग स्वामित्व वाली कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इत्यादि जिनमें महिलाओं का स्वामित्व 51% हो वही इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।

श्री शक्ति योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण केंद्रों में विभिन्न तरह के बैग बनाने के संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है। श्री सीमेंट लिमिटेड कंपनी द्वारा महिलाओं तथा बालिकाओं को कपड़े के बैग बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। कंपनी द्वारा समाज सेवा टीम को उनको विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिलवाकर कंपनी द्वारा उन्हें लाभान्वित किया गया है ताकि वे और अधिक कौशल प्राप्त कर अपना विकास

करें तथा अपने लिए आजीविका के साधन चला सके। समाज सेवा टीम द्वारा केंद्र पर प्रशिक्षण प्राप्त करता महिलाओं ने 1515 कपड़े के बैग का निर्माण किया।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में मोदी सरकार द्वारा प्लास्टिक पर बैन किया गया है इसी के मद्देनजर सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करते हुए इन्हीं महिलाओं ने कपड़े के बैग को अधिक महत्व प्रदान की है। केंद्र प्रशिक्षण में बेड निर्माण कार्य करने वाली महिलाओं को 15260 की राशि भेंट में भी दी गई ताकि उनका और अधिक हौसला मैं बढ़ोतरी हो और वह इस क्षेत्र में अधिक काम करें।

लोन से संबंधित जानकारी

वुमन पावर को बढ़ाने के लिए कई स्कीम्स चलाई जा रही हैं। इन स्कीम्स के जरिए महिलाएं खुद को स्थापित कर सकती हैं। अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं।

1. इस योजना के तहत महिलाओं को दिए जाने वाला लोन एवं कार्यशील पूंजी के तौर पर उपलब्ध किया जाएगा। लोन की मात्रा उधार करता की कंडीशन तथा प्रोफाइल पर निर्भर करेगा।
2. जो महिलाएं अपने बिजनेस के लिए 50,000 से दो लाख तक का ऋण लेना चाहती हैं इस योजना के माध्यम से ले सकते हैं।
3. पेशेवर महिलाएं 50,000 से 25 लाख तक का लोन इस योजना के माध्यम से ले सकते हैं।
4. लघु उद्योगों से जुड़ी महिलाएं भी 50,000 से 25 तक का लोन ले सकते हैं।
5. व्यवसायिक उद्यम को 50000 से 2 लाख तक का लोन इस योजना के माध्यम से दिया जाएगा।

महिला उद्यमियों को और अधिक व्यवसाय को बढ़ाने की अवसर

प्रदान किए जा रहे हैं प्रदेश में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए प्रदेश की जनता आए दिन नए–नए योजनाएं शुरू की जा रही है ताकि उन्हें लाभ प्राप्त हो। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण केंद्रों में विभिन्न प्रकार के बैग बनाने से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्री सीमेंट कंपनी द्वारा महिलाओं को कपड़े के बैग बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपना एक लघु उद्योग शुरू कर सके और किसी भी नजदीकी शाखा से संपर्क करके आसानी से शुरू कर सकते हैं ।

श्री शक्ति योजना के माध्यम से प्रदेश की जनता उन महिलाओं की मदद करना चाहते हैं जो कि प्रदेश में छोटे प्रोजेक्टों में काम करें यह जैसे की डेरी प्रोडक्ट मक्खन दे ही आदि की बिक्री करना रेडीमेड गारमेंट्स का उत्पादन और बिक्री करना अगरबत्ती का उत्पादन करना पापड़ आदि का उत्पादन करना अचार का उत्पादन करना बीजों की बिक्री करना खाद की बिक्री करना कंबल की बिक्री करना आदि सभी प्रोजेक्टों को इसके साथ जोड़ा गया है। इससे महिलाएं सशक्त होंगी और वह एक अच्छा जीवन यापन कर सकेंगे। समाज सेवा सेवा टीम द्वारा केंद्र एवं प्रशिक्षण प्राप्त करना महिलाओं ने 1515 कपड़े के बैग का निर्माण किया है महिलाएं इस कारोबार को अधिक बढ़ाने में और अधिक मेहनत कर रहे हैं।

आवेदन की प्रक्रिया

महिला उद्यमियों यदि आप चाहती है कि आप भी इस योजना का लाभ उठाएं और घर बैठे अपना एक लघु उद्योग शुरू करें या फिर इससे भी अधिक आपकी सोच है तो आप तुरंत अपने नजदीकी एसबीआई शाखा में जाकर इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

3
सशक्त नारी : सशक्त भारत

भारत में महिलाओं की स्थिति हमेशा एक समान नहीं रही है। इसमें समय–समय पर हमेशा बदलाव होता रहा है। यदि हम महिलाओं की स्थिति का आंकलन करें तो पता चलेगा कि वैदिक युग से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की सामाजिक स्थिती में अनेक तरह के उतार–चढ़ाव आते रहे हैं और उसके अनुसार ही उनके अधिकारों में बदलाव भी होता रहा है। इन बदलावों का ही परिणाम है कि महिलाओं का योगदान भारतीय राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में दिनों–दिन बढ़ रहा है जो कि समावेशी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक सफल प्रयास है।

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव के नतीजे अभी हाल ही में हम सभी के सामने आये हैं, इन नतीजों ने भारतीय राजनीति को एक नया आयाम प्रदान किया है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता में एक स्थिर सरकार के रूप में वापसी हुई है। ऐसा भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू एवं इंदिरा गाँधी के बाद हुआ है। परंतु इस चुनाव का यदि हम ललैंगिक द्रष्टिकोण से विश्लेषण करें तो पाएंगे कि, देश कि आधी आबादी कि इस चुनावी समर में मुख्य्य भूमिका रही है।उसका ही परिणाम है कि इस आम चुनाव के नतीजे में देश की

महिला मतदाताओं ने सिर्फ अपनी उपस्थिति ही नहीं दर्ज कराई है, बल्कि इस बार भारतीय लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि कि 78 महिलाए सांसदद के रूप में निर्वाचित होकर आईं हैं। वहीं पुरुष सांसदों की संख्या 2014 में 462 थी जो 2019 में घटकर 446 रह गई है इससे उनकी संख्या में करीब 3% की कमी आई है। इस बार आम चुनाव के लिए खड़े हुए 8,000 उम्मीदवारों में से महिला उम्मीदवारों की संख्या 10: से भी कम थी परन्तु संसद में जीतकर पहुंचने वाली महिलाओं का 14 प्रतिशत है। यह भारत की चुनावी राजनीति में आ रहे सकारात्मक बदलाव का ही संकेत है कि कृ ये चुनाव महिला उम्मीदवारों से जुड़े कई राजनैतिक पूर्वाग्रहों को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। साथ ही महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण करने भी कारगर सिद्ध होगा।

बतौर मतदाता यदि हम महिलाओं कि चुनावी भागीदारी पर चर्चा करें तो हमें पता चलता है कि कि साल 2009 और फिर 2014 के आम–चुनाव में महिलाओं की मतदान के माध्यम से जो भागीदारी थी उसमें 2019 में वृद्धि हुई है। इस चुनाव में महिलाओं ने पहली बार पुरुषों से अधिक मतदान किया। यह भी तथ्य गर गौर करने लायक है, कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 67.11% मतदाताओं ने अपने मतदान अधिकार का इस्तेमाल किया है। पिछले भारतीय चुनावों का अध्ययन न करें तो पता चलता है कि स चुनाव में देश कि 13 सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक थी। 1962 के आम चुनावों में महिला मतदाताओं का प्रतिशत 45 था, वहीं 2014 में यह बढ़कर 66 हो गया और 1962 के आम चुनावों में पुरुष एवं महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत का अंतर 17% था वो 2014 में 1.4% और इस बार 2019 के चुनावों में घटकर मात्र यह 0.4% रह गया है। इस बार के चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में 8.35 करोड़ पिए महिला वोटरो थे। यदि हम इन आंकड़ो को राज्यों के संन्दर्भ में अध्ययन करें तो ज्ञात होता ही कि इसमें उत्तर प्रदेश से

54 लाख के करीब, महाराष्ट्र में 48 लाख, बिहार में 42.8 लाख, पश्चिम बंगाल 42.8 लाख तमिलनाडु 39 लाख मतदाता शामिल थे।

इस चुनाव में महिलाओं ने पहली बार पुरुषों से अधिक मतदान किया। यह भी तथ्य गर गौर करने लायक है, कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 67.11% मतदाताओं ने अपने मतदान अधिकार का इस्तेमाल किया है।

इस बार के चुनाव में पहली बार महिला प्रतिनिधि एवं मतदाताओं की संख्या में जो बदलाव आया है उसमें राजनीतिक दलों ने भी अपनी चुनावी रणनीति एवं घोषणा पत्रों के माध्यम से मुख्य भूमिका निभाई है, जिसने महिला–पुरुषों के बीच में मतदान करने के अंतर को कम किया है जैसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री, बीजेडी नेता नवीन पटनायक ने आम चुनाव की तारीख घोषणा होने से पूर्व ही ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में 33ः सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करेगी। उसके बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी 40% टिकट महिलाओं को देने की घोषणा कर डाली। इसके साथ बीजेपी एवं कांग्रेस ने भी पहले कि अपेक्षा महिला प्रतिनिधियों को अधिक मौका दिया। इसका ही परिणाम है कि यह स्वतंत्र भारत में पहली बार होगा कि जहाँ सोलहवीं लोकसभा में करीब 11% महिलाएं थी, वहीं प्रथम लोकसभा में 5% महिलाएं थी। वहीँ इस बार के लोकसभा में 78 महिला सांसद यान कुल संख्या का 14% महिला लोकसभा में जनप्रतिनिधित्व करेंगी एक बात और ध्यान देने वाली है ली है वो ये कि इन 78 महिला सांसदों में से एक तिहाई तो ऐसी हैं जिनको जनता ने दोबारा संसद में भेजा है इनमें से 11 उत्तर प्रदेश से 11 ही पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुई हैं वहीं दलों के हिसाब से देखें तो 22 टीएमसी के सांसदों में से 9 महिलाएं, उड़ीसा में बीजेडी ने 7 महिलाओं को टिकट दिया था और उसमें से 5 ने जीत दर्ज की। भाजपा ने देश भर में कुल 54 महिलाओं को टिकट दिए और उनमें से 40 को जनता ने लोकसभा में भेजा साथ ही कांग्रेस ने 53 महिलाओं को टिकट दिया इनमें से 6 जीत कर आई हैं।

भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका

21वीं सदी शुरुआत से महिलाओं कि रही है। इन सालों में महिलाओं का भारत कि आर्थिक व्यस्था में योगदान बढ़ा है इसका ही परिणाम है कि आज भारत कि महिलाएं राजनीति, कारोबार, कला तथा नौकरियों में पहुँच कर नये आयाम गढ़ रही हैं। भूमण्डलीकृत विश्व में भारत की नारी ने अपनी एक नितांत सम्मानजनक जगह कायम कर ली है। आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रतिवर्ष कुल परीक्षार्थियों में 50 प्रतिशत महिलाऐं डॉक्टरी की परीक्षा उत्तीर्ण करती हैं स्वतंत्रता के बाद लगभग 12 महिलाएएं विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। भारत के अग्रणी सॉफ्टवेयर उद्योग में 21 प्रतिशत पेशेवर महिलाऐं हैं। फौज, राजनीति, खेल, पायलट और उद्यमी सभी क्षेत्रों में जहाँ वर्षों पहले तक महिलाओं के होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वहां सिर्फ महिलाओं ने स्वयं को स्थापित ही नहीं किया है बल्कि वहां सफल भी हो रहीं हैं।

महिलाओं को शिक्षा देने तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये जो सुधार आन्दोलन शुरू हुआ उससे समाज में एक नयी जागरूकता पैदा हुई है। बाल–विवाह, भ्रूण–हत्या पर सरकार द्वारा रोक लगाने का का काफी प्रयास हुआ है। शैक्षणिक गतिशीलता से पारिवारिक जीवन में परिवर्तन हुआ है। गाँधी जी ने कहा था कि एक लड़की की शिक्षा एक लड़के की शिक्षा की उपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है क्यों लड़के को शिक्षित करने पर वह अकेला शिक्षित होता है किन्तु एक लड़की की शिक्षा से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। शिक्षा ही वह कुंजी है जो जीवन के वह सभी द्वार खोल देती है। शिक्षित महिलाओं को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होने में बहुत मदद मिली। महिलाएएं अपनी स्थिति व अपने अधिकारों के विषय में सचेत होने लगी हैं, आज देखने में आया है कि महिलाओं ने स्वयं के अनुभव के आधार पर, अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के आधार पर अपने लिए नई मंजिलें, नये रास्तों का निर्माण किया है।

वर्तमान समय में भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा हैं इससे स्त्रियों की स्थिति में काफी बदलाव आए हैं, इसका ही परिण ााम है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी को जो अविस्मरणीय जीत हासिल हुई है उसको दिलाने में महिलाओं कि बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसकी रूपरेखा का निर्माण कहीं न कहीं प्रधानमत्री मोदी के द्वारा जो देश व्यापी योजनायें चलाई गईं उनका काफी योगदान है। केंद्र में एनडीए सरकार ने जो उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, सौभाग्य, जनधन, मुद्रा लोन आदि के रूप में जो योजनायें चलाई उन्होंने सीधे तौर पर महिला मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसको हम चुनावी परिणामों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि मोदी सरकार ने जिन पांच राज्यों उत्तर–प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्य–प्रदेश, राजस्थान की 216 सीटों पर जीत हासिल की है उसमें से भाजपा ने 156 यानी 66% सीटों पर जीत हांसिल कि है। ध्यान देने वाली बात है कि मोदी सरकार ने जो 4.30 करोड़ के करीब जो उज्वला गैस कनेक्शन बांटे हैं उनमें से 48% कनेक्शन उत्तर प्रदेश एवं बंगाल में बांटे गए। इससे इस बात का अनुमान लगया जा सकता है कि चुनाव परिणाम आने से पूर्व उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एसपी बीएसपी गठबंधन के चलते भारी नुकसान के जो कयास लगाये जा रहे थे उनको गलत साबित करने में उज्ज्वला योजना तथा अन्य महिला केंद्रित योजनाओं ने मुख्य भूमिका निभाई है।

आज की नारी सब पर भारी

आज 21वीं शताब्दी में भारत को अपनी उपलब्धियों पर गर्व है । चाँद पर कदम रखने से लेकर विज्ञान और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में हमने आशातीत सफलता हासिल की है । क्या यह सब महिलाओं के सहयोग के बिना संभव हो पाया है? नहीं, तो फिर महिलाओं को अबला –नारी समझना कहां तक सार्थक है? आज की नारी के बढ़ते कदमों ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है।

आज की 75% महिलाएं शिक्षित हैं। इसलिए हम कह सकते हैं – सशक्त नारी, सशक्त भारत। शिक्षा रूपी हथियार ने महिलाओं को उनके अधिकार और कर्तव्य से भली–भांति अवगत कराया है। पहले महिलाएं केवल घर का चूल्हा चौका करती थी और मात्र संतान उत्पत्ति का साधन मानी जाती थी। उनके पास इतना अधिक खाली समय होता था कि घर की औरतें छोटी–छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करती थी और वह झगड़ा कई बार बड़ा रूप लेकर घरेलू हिंसा का कारण बनता था।

भारत में महिला सशक्तिकरण

परन्तु आज की नारी अति व्यस्त है । वह दिन प्रतिदिन नई–नई चीजें सीख कर अपना शारीरिक और मानसिक विकास करने में जुटी है । महिलाएं सभी क्षेत्रों में पुरुषों से आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। आप किसी भी क्षेत्र का नाम लीजिए, सब जगह महिलाओं की बराबर की साझेदारी पाएंगे ।

भारतीय नारी की उपलब्धियां

भारत देश का इतिहास तो वीरांगनाओं के नाम से भरा पड़ा है । इस देश ने हमेशा ही संघर्ष कर आगे बढ़ने वाली महिलाओं की जय जयकार की है और सब उनके आगे नतमस्तक हुए हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती, भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, बछेन्द्री पाल, मिताली राज, सुष्मिता सेन। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो समाज और परिवार की बेड़ियों को तोड़कर आगे आई । इन्होंने विश्व को दिखा दिया है कि औरतें किसी भी तरीके से अपने पुरुष साथियों से कम नहीं है।

नारी- देवी का रूप

हम कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता? संस्कृत में एक श्लोक है– 'यस्य पूज्यंते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता' अर्थात, जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। भारत में महिलाओं को हमेशा से उच्च दर्जा दिया गया है। शिक्षित महिलाएं

अपने अधिकार और कर्तव्यों को अच्छी तरह पहचानती हैं । आज की महिलाएं केवल घर ही नहीं चलाती अपितु घर खर्च में आर्थिक सहयोग भी प्रदान करती है ।

आज की महिला जागरूक है, जिज्ञासु है, उसने ज्ञान अर्जित किया है। वह ज्यादातर मुद्दों पर अपनी राय प्रकट करती है। घर के सभी रिश्तों को शालीनता के साथ निभाते हुए वह अपने पति और बच्चों के साथ अपने जीवन का आनंद उठाती है ।

उच्च और निम्न दोनों ही वर्ग के माता–पिता अपने बच्चे और बच्चियों को समान रूप से शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं । ताकि, भविष्य में उनकी लड़कियां आत्मनिर्भर बन सकें। शादी के समय वर पक्ष के माता –पिता अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं, जो समाज में उनका नाम ऊंचा कर सके और साथ ही साथ घर के खर्चों में हाथ बंटा सके ।

पुलिस, मजिस्ट्रेट, मंत्री, उद्यमी, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, इंजिनियर, जैसे उच्च पदों पर पुरुषों के साथ महिलायें भी सुशोभित हैं। खेलों में भी पी.टी.उषा ,मिताली राज, सान्या नेहवाल, पी.वी. सिन्धु, सान्या मिर्जा, मैरी कोम जैसी बेटियों ने भारत को नई ऊचाईयों पर पहुंचाया है ।

भारत में महिला सुरक्षा कानून

भारत की आधुनिक नारी को आगे बढ़ाने में पुरुषों ने भरपूर योगदान दिया है। हमारे पिता,भाई और दोस्त सभी चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं कि लड़कियां आगे बढ़े । आज बेटी और बहू के बीच का भेद मिट गया है पुरुषों के इस समाज में स्त्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा रही हैं। निम्न वर्ग की मजदूर महिलाओं और घरों में काम करने वाली बाइयों की दशा सुधारने के लिए हमारी सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है। जैसेरू बेटी बचाओ बेटी पढाओ, महिला–ए–हात, स्वधर घर, सखी हेल्पलाइन इत्यादि।

आज औरतें और लड़कियाँ घर और देश के सभी मामलों में अपनी इच्छा से फैसलें लेने के लिए स्वतंत्र हैं वे कहीं भी घूमें, अपनी मर्जी के कपड़े पहनें और अपनी पसंद के व्यक्ति को वोट देकर देश की राजनीति में सक्रिय रहती है ।

औरतों के लिए इतनी सुविधाएं और कानून होने के बावजूद भी समाज के कुछ चरित्रहीन लोग तंदूर काण्ड, निर्भया काण्ड, जेसिका लाल मर्डर केस जैसे जघन्य अपराध करने से हिचकते नहीं हैं । कुछ मामलों में महिला सुरक्षा को लेकर चूक हो गई है इसके लिए हमारी सरकार को कुछ कड़े कानून बनाने होंगे ताकि जो लोग बलात्कार, हिंसा और महिलाओं से छेड़खानी जैसे कार्यों में संलग्न होते हैं उन पर रोक लग सके । ऐसे अपराधियों को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास जैसी सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि महिलाएं बिना डरे शान से सबको साथ लेकर आगे बढ़े सकें।

4

राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति और आत्म निर्भर भारत

जेंडर समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिपादित है। संविधान महिलाओं को न केवल समानता का दर्जा प्रदान करता है अपितु राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है।

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत हमारे कानूनों, विकास संबंधी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति को उद्देश्य बनाया गया है। पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–78) से महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति कल्याण की बजाय विकास का दृष्ठिकोण अपनाया जा रहा है। हाल के वर्षों में, महिलाओं की स्थिति को अभिनिश्चित करने में महिला सशक्तीकरण को प्रमुख मुद्दे के रूप में माना गया है। महिलाओं के अधिकारों एवं कानूनी हकों की रक्षा के लिए वर्ष 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधनों (1993) के माध्यम से महिलाओं के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में सीटों में आरक्षण

का प्रावधान किया गया है जो स्थानीय स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

भारत ने महिलाओं के समान अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और मानवाधिकार लिखतों की भी पुष्टि की है। इनमें से एक प्रमुख वर्ष 1993 में महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समापति पर अभिसमय (सीईडीएडब्ल्यू) की पुष्टि ह

मेक्सिको कार्य योजना (1975), नैरोबी अग्रदर्शी रणनीतियां (1985), बीजिंग घोषणा और प्लेटफार्म फॉर एक्शन (1995) और जेंडर समानता तथा विकास और शांति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र द्वारा 21वीं शताब्दी के लिए अंगीकृत बीजिंग घोषणा एवं प्लेटफार्म फॉर एक्शन को कार्यानवित करने के लिए और कार्रवाइयां एवं पहलें नामक परिणाम दस्तावेज को समुचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भारत द्वारा पूर्णतया पृष्ठांकित कर दिया गया है।

इस नीति में नौवीं पंचवर्षीय योजना की प्रतिबद्धताओं एवं महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित अन्य सेक्टोरल नीतियों को भी ध्यान में रखा गया है।

महिला आंदोलन और गैर सरकारी संगठनों, जिनकी बुनियादी स्तर पर सशक्त उपसथिति है एवं जिन्हें महिलाओं के सरोकारों की गहन समझ है, के व्यापक नेटवर्क ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए पहलों को शुरू करने में योगदान किया है।

तथापि, एक ओर संविधान, विधानों, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों, और सम्बद्ध तंत्रों में प्रतिपादित लक्ष्यों तथा दूसरी ओर भारत में महिलाओं की स्थिति के संबंध में परिसथितिजन्य वास्तविकता के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। भारत में महिलाओं की सथिति पर समिति की रिपोर्ट समानता की ओर, 1974 में इसका विस्तृत रूप से विश्लेषण किया गया है और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, 1988–2000, श्रम शकति रिपोर्ट, 1988 और कार्रवाई के लिए

मंच, आकलन के पश्चात पांच वर्ष'' में रेखांकित किया गया है। जेंडर संबंधी असमानता कई रूपों में उभरकर सामने आती है, जिसमें से सबसे प्रमुख विगत कुछ दशकों में जनसंख्या में महिलाओं के अनुपात में निरंतर गिरावट की रूझान है। सामाजिक रूढ़ीवादी सोच और घरेलू तथा समाज के स्तर पर हिंसा इसके कुछ अन्य रूप हैं। बालिकाओं, किशोरियों तथा महिलाओं के प्रति भेदभाव भारत के अनेक भागों में जारी है।

जेंडर संबंधी असमानता के आधारभूत कारण सामाजिक और आर्थिक ढांचे से जुड़े हैं, जो अनौपचारिक एवं औपचारिक मानकों तथा प्रथाओं पर आधारित है।

परिणामस्वरूप, महिलाओं और खासकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों की महिलाओं, जो अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में और अनौपचारिक, असंगठित क्षेत्र में हैं, की अन्यों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादक संसाधनों तक पहुंच अपर्याप्त है। अतरू वे ज्यादातर सीमांत, गरीब और सामाजिक रूप से वंचित रह जाती हैं।

लक्ष्य और उद्देश्य

इस नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तीकरण करना है। इस नीति का व्यापक प्रसार किया जाएगा ताकि इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी प्रोत्साहित की जा सके। विशेष रूप से, इस नीति के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं

(i) सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए वातावरण बनाना ताकि वे अपनी पूरी क्षमता को साकार करने में समर्थ हो सकें।

(ii) राजनीतिक, आर्थिक, सामजिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सिविल – सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ साम्यता के आधार पर

महिलाओं द्वारा सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की विधितरू और वस्तुतः प्राप्ति।

(iii) राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भागीदारी करने और निर्णय लेने में महिलाओं की समान पहुंच।

(iv) स्वास्थ्य देखभाल, सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, बराबर पारिश्रमिक, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी कार्यालय आदि में महिलाओं की समान पहुंच।

(v) महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति के लिए विधिक प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण।

(vi) महिलाओं और पुरूषों दोनों की सक्रिय भादीदारी और संलिप्तता के माध्यम से सामाजिक सोच और सामुदायिक प्रथाओं में परिवर्तन लाना।

(vii) विकास की प्रक्रिया में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना।

(viii) महिलाओं और बालिका के प्रति भेदभाव और सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करना, और

(ix) सभ्य समाज, विशेष रूप से महिला संगठनों के साथ साझेदारी का निर्माण करना और उसे सुदृढ़ बनाना।

न्यायिक-विधिक प्रणालियां

विधिक—न्यायिक प्रणाली को महिलाओं की आवश्यकताओं, विशेष रूप से घरेलू हिंसा और वैयक्तिक हमले के मामलों में अधिक अनुक्रियाशील तथा जेंडर सुग्राही बनाया जाएगा। त्वरित न्याय और अपराध की गंभीरता के समनुरूप दोषियों को दण्डित करने का सुनिश्चय करने के लिए नए कानून अधिनियमित किए जाएंगे और विद्यमान कानूनों की पुनरीक्षा की जाएगी।

सामुदायिक तथा धार्मिक नेताओं सहित सभी हितधारकों की पहल पर और उनकी पूर्ण सहभागिता से, इस नीति का उद्देश्य महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए विवाह, विवाह विच्छेद, गुजारा भत्ता और अभिभावकत्व से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों में परिवर्तन को प्रोत्साहित करना होगा।

पित्रसत्तात्मक सामाजिक प्रणाली में सम्पत्ति संबंधी अधिकारों के विकास ने महिलाओं के अधीनस्थ स्टेटस में योगदान किया है। इस नीति का उद्देश्य सम्पत्ति के स्वामित्व और उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों को जेंडर की दृष्टि से न्यायपूर्ण बनाने के लिए आम सहमति बनाने से इन कानूनों में परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना है।

निर्णय लेना

सशक्तीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रिया में निर्णय लेना सहित, सत्ता की साझेदारी और निर्णय लेने में महिलाओं की बराबर की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विधायी, शासकीय, न्यायिक, कोर्पोरेट, संवैधानिक निकायों तथा सलाहकार आयोगों, समितियों, बोर्डों, न्यासों आदि सहित प्रत्येक स्तर पर नीति निर्धारण वाले निकायों में महिलाओं की समान पहुंच एवं पूर्ण सहभागिता की गारंटी के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। जहां कहीं भी आवश्यक होगा, उच्चतर विधायी निकायों में भी आरक्षणध्कोटा समेत आरक्षणध्कोटा जैसी सकारात्मक कार्रवाई पर समयबद्ध आधार पर विचार किया जाएगा। विकास प्रक्रिया में महिलाओं की महिलाओं की प्रभावी सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए महिला अनुकूल वैयक्तिक नीतियां भी बनाई जाएंगी।

विकास प्रक्रिया में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना

उत्प्रेरक, भागीदार और प्राप्तकर्ता के रूप में विकास की सभी प्रक्रियाओं में महिलाओं के परिप्रेक्ष्यों का समावेशन सुनिश्चित करने के लिए नीतियां, कार्यक्रम और प्रणालियां बनाई जाएंगी। जहां कहीं

भी नीतियों और कार्यक्रमों में दूरियां होंगी वहां इन दूरियों को पाटने के लिए महिला विशिष्ट उपाय किए जाएंगे। मेनस्ट्रीमिंग के ऐसे तंत्रों की प्रगति का समय–समय पर आकलन करने के लिए समन्वय तथा मॉनीटरिंग तंत्र भी स्थापित किए जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं से संबंधित मुद्दों और सरोकारों का विशेष रूप से निराकरण होगा और ये सभी संबंधित कानूनों, क्षेत्रीय नीतियों, कार्रवाई योजनाओं और कार्यक्रमों में दिखाई देंगे।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण

गरीबी उन्मूलन

चूंकि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों में महिलाओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और वे ज्यादातर परिस्थितियों में अत्यधिक गरीबी में रहती हैं, अन्तर गृह और सामाजिक कड़वी सच्चाइयों को देखते हुए, समष्टि आर्थिक नीतियां और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ऐसी महिलाओं की आवश्यकताओं और समस्याओं का विशेष रूप से निराकरण करेंगे। ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार होगा जो पहले से ही महिलाओं के लिए विशेष लक्ष्य के साथ महिला उन्मुख हैं। महिलाओं की सक्षमताओं में वृद्धि के लिए आवश्यक समर्थनकारी उपायों के साथ उन्हें अनेक आर्थिक और सामाजिक विकल्प उपलब्ध कराकर गरीब महिलाओं को एकजुट करने तथा सेवाओं की समभिरूपता के लिए कदम उठाए जाएंगे।

माइक्रो क्रेडिट

उपभोग तथा उत्पादन के लिए ऋण तक महिलाओं की पहुंच में वृद्धि के लिए, नए सूक्ष्म–ऋण तन्त्रों तथा सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को स्थापित किया जाएगा एवं मौजूदा सूक्ष्म–ऋण तन्त्रों तथा सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि ऋण की पहुँच को बढ़ाया जाए। वर्तमान वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों के माध्यम से ऋण का पर्याप्त प्रवाहको सुनिश्चित करने के लिए अन्य सहायक उपाय किए

जाएंगे ताकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली सभी महलिाओं की ऋण तक पहुँच सरल हो। .

महिलाएं और अर्थव्यवस्था

ऐसी प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को संस्थागत बनाकर बृहद् आर्थिक और सामाजिक नीतियों के निर्माण एवं कार्यान्वयन में महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को शामिल किया जाएगा। उत्पादकों तथा कामगारों के रूप में सामाजिक–आर्थिक विकास में उनके योगदान को औपचारिक और गैर औपचारिक (घर में काम करने वाले कामगार भी शामिल) क्षेत्रों में मान्यता दी जाएगी तथा रोजगार और उनकी कार्यदशाओं से संबंधित समुचित नीतियां बनाई जाएंगी। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं–

उत्पादकों और कामगारों के रूप में महिलाओं के योगदान को प्रतिबिम्बित करने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, जैसे कि जनगणना रिकार्ड में, काम की परम्परागत संकल्पनाओं की पुनरू व्याख्या करना तथा पुनरू परिभाषित करना।

भूमंडलीकरण

भूमंडलीकरण ने महिलाओं की समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत की हैं जिसके जेंडर प्रभाव का मूल्यांकन व्यवसथित ढंग से नहीं किया गया। तथापि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा करवाए गए सूक्ष्म स्तरीय अध्ययनों से स्पष्ट तौर पर पता चला है कि रोजगार तक पहुंच तथा रोजगार की गुणवत्ता के लिए नीतियों को दोबारा बनाने की आवश्यकता है। बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था के लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं जिससे विशेष रूप से अनौपचारिक आर्थिक और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः बिगड़ती जा रही कार्यदशाओं तथा असुरक्षित कार्य परिवेश के कारण व्यापक आर्थिक असमानताओं, महिलाओं में निर्धनता, लैंगिक असमानता में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से निकलने वाले नकारात्मक

सामाजिक और आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए महिलाओं की क्षमता बढ़ाने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए कार्यनीतियां बनाई जाएंगी।

महिलाएं और कृषि

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादक के रूप में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, संकेंद्रित प्रयास किए जाएंगे जिससे यह सुनिश्चित हो कि प्रशिक्षण, विस्तार और विभिन्न कार्यक्रमों के लाभ उनकी संख्या के अनुपात में उन तक पहुंचें। कृषि क्षेत्र के महिला कामगारों को लाभ पहुंचाने के लिए मृदा संरक्षण, सामाजिक वानिकी, डेयरी विकास और कृषि से संबद्ध अन्य व्यवसायों जैसे कि बागवानी, लघु पशुपालन सहित पशुधन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन इत्यादि में महिला प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा।

महिलाएं और उद्योग

इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि उद्योग तथा वस्त्र उद्योग में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका इन क्षेत्रों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रही है। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भागीदारी के लिए उन्हें श्रम विधान, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सहायता सेवाओं के रूप में व्यापक सहायता दी जाएगी।

इस समय महिलाएं चाहकर भी कारखानों में रात्रि पारी में काम नहीं कर सकती हैं। महिलाओं को रात्रि पारी में काम करने में समर्थ बनाने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे। इसके लिए उन्हें सुरक्षा, परिवहन इत्यादि जैसी सहायता सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी।

सहायता सेवाएं

महिलाओं के लिए सहायता सेवाओं जैसे कि बाल देखाभल सुविधाएं जिनमें कार्यस्थलों और शैक्षणिक संस्थाओं में क्रेच भी शामिल है, वृद्धों और निरूशक्त लोगों के लिए गृहों का विस्तार तथा सुधार किया जाएगा ताकि परिवेश को अनुकूल बनाया जाए तथा सामाजिक,

राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन में उनका पूर्ण सहयोग सुनिश्चित किया जाए। विकासात्मक प्रक्रिया में प्रभावशाली ढंग से भाग लेने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु महिला अनुकूल कार्मिक नीतियां बनाई जाएंगी।

महिलाओं का सामाजिक सशक्तीकरण

शिक्षा

महिलाओं और लड़िकयों के लिए शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित किया जाएगा। भेदभाव मिटाने, शिक्षा को जन–जन तक पहुंचाने, निरक्षरता को दूर करने, लिंग संवेदी शिक्षा पद्धति बनाने, लड़कियों के नामांकन और अवधारण की दरों में वृद्धि करने तथा महिलाओं द्व ारा रोजगार/व्यावसायिक/तकनीकी कौशलों के साथ–साथ जीवन पर्यन्त शिक्षण को सुलभ बनाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में लिंग भेद को कम करने की ओर ध्यानाकर्षित किया जाएगा। लड़कियों और महिलाओं, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों समेत कमजोर वर्गों की लड़कियों और महिलाओं पर विशेष ध्यानाकर्षित करते हुए मौजूदा नीतियों में समय संबंधी सेक्टोरल लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। लिंग भेद के मुख्य कारणों में एक के रूप में लैंगिक रूढ़िबद्धता का समाधान करने के लिए शिक्षा पद्धति के सभी स्तरों पर लिंग संवेदी कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे।

स्वास्थ्य

महिलाओं के स्वास्थ्य, जिसमें पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं दोनों शामिल हैं, के प्रति सम्पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और जीवन चक्र के सभी स्तरों पर महिलाओं तथा लड़कियों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, जो मानव विकास के संवेदनशील संकेतक हैं, को कम करने को

प्राथमिकता दी जाती है। यह नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में निर्दिष्ट बाल मृत्यु दर (आईएमआर), मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) के लिए जन सांखयिकी के राष्ट्रीय उद्देश्यों को दोहराती है। महिलाओं की व्यापक, किफायती और कोटिपरक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच होनी चाहिए। ऐसे उपाय अपनाए जाएंगे जो महिलाओं को सूचित विकल्पों का प्रयोग करने में समर्थ बनाने के लिए उनके प्रजनन अधिकारों, लैंगिक और स्वास्थ्य समस्याओं जिसमें स्थानिक, संक्रामक और संचारी बीमारियां जैसे कि मलेरिया, टीबी और पानी से उत्पन्न बीमारियों के साथ–साथ उच्च रक्तचाप और हृदय रोग के प्रति अरक्षिता का ध्यान रखा जाएगा। एचआईवीध्एड्स तथा अन्य यौन संचारित बीमारियों के सामाजिक, विकासात्मक और स्वास्थ्य परिणामों से लिंग परिप्रेक्ष्य में निपटा जाएगा।

शिशु और मातृ मृत्यु दर तथा बाल विवाह जैसी समस्याओं से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए मृत्यु, जन्म और विवाहों के सूक्ष्म स्तर पर अच्छे और सटीक आंकड़ों की उपलब्धता अपेक्षित है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य किया जाएगा।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (2000) की जनसंख्या स्थिरीकरण संबंधी प्रतिबद्धता के अनुसरण में, यह नीति इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को स्वीकार करती है कि परिवार नियोजन की अपनी पसंद की सुरक्षित, प्रभावी और किफायती विधियों तक पुरूषों और महिलाओं की पहुंच होनी चाहिए तथा बाल विवाह एवं बच्चों में अन्तर रखने जैसे मुद्दों का उपयुक्त ढंग से समाधान किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रसार, विवाह का अनिवार्य पंजीकरण जैसे हस्तक्षेप और बीएसवाई जैसे विशेष कार्यक्रम विवाह की आयु में देरी करने में प्रभाव डालेंगे ताकि 2010 तक बाल विवाह की प्रथा समाप्त की जा सके।

समुचित प्रलेखन के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के

बारे में महिलाओं के परम्परागत ज्ञान को मान्यता दी जाएगी और उसके प्रयोग को प्रात्साहित किया जाएगा। महिलाओं के लिए उपलब्ध समग्र स्वास्थ्य अवसंरचना की रूपरेखा के अंदर दवा की भारतीय और वैकलपिक पद्धतियों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

पोषण

चूंकि महिलाओं को तीनों महत्वपूर्ण चरणों अर्थात शैशवकाल एवं बाल्यकाल, किशोरावस्था और प्रजनन चरण के दौरान कुपोषण और बीमारी का खतरा अधिक होता है, इसलिए महिलाओं के जीवन चक्र के सभी स्तरों पर पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने पर संकेंद्रित ध्यान दिया जाएगा। किशोरियों, गर्भवती और धात्री माताओं के स्वास्थ्य तथा शिशुओं और बच्चों के स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध होने के कारण भी यह महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से गर्भवती और धात्री महिलाओं में वृहद् और सूक्ष्म पोषण की कमियों की समस्या से निपटने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएंगे क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां और अपंगताएं होती हैं।

उपयुक्त कार्यनीतियों के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं के पोषण संबंधी मामलों में घरों के अन्दर भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास जाएगा। घरों के अन्दर पोषण में असमानता के मुद्दों और गर्भवती तथा धात्री महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए पोषण शिक्षा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। पद्धति की आयोजना, पर्यवेक्षण और प्रदायगी में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

पेयजल और स्वच्छता

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बसतियों में सुरक्षित पेयजल, सीवेज के निस्तारण, शौचालय की सुविधाओं और परिवारों की आसान पहुंच के अंदर स्वच्छता की सुविधाओं का प्रावधान करने में महिलाओं की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार

की सेवाओं की आयोजना, प्रदायगी और रख–रखाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

आवास और आश्रय

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवास नीतियों, आवासीय कालोनियों की आयोजना और आश्रय के प्रावधान में महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को शामिल किया जाएगा। महिलाओं जिसमें एकल महिलाएं भी शामिल हैं, घरों की मुखिया, कामकाजी महिलाओं, विद्यार्थियों, प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षार्थियों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित गृह तथा आवास प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

पर्यावरण

पर्यावरण संरक्षण और जीर्णोद्धार से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों में महिलाओं को शामिल किया जाएगा एवं उनके परिप्रेक्ष्यों को प्रतिबिंबित किया जाएगा। उनकी आजीविका पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण का संरक्षण करने और पर्यावरणीय विकृति का नियंत्रण करने में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ग्रामीण महिलाओं का अधिकांश भाग आज भी स्थानीय रूप से उपलब्ध ऊर्जा के गैर वाणिज्यिक स्रोतों जैसे कि जानवरों का गोबर, फसलों का अवशिष्ट और ईंधन लकड़ी पर निर्भर है। इन ऊर्जा स्रोतों का पर्यावरण अनुकूल ढंग से दक्ष प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों को प्रोन्नत करना नीति का उद्देश्य होगा। महिलाओं को सौर ऊर्जा, बायोगैस, धूँआं रहित चूल्हों और अन्य ग्रामीण संसाधनों के प्रयोग को प्रचारित करने में शामिल किया जाएगा ताकि पारिस्थितिकी प्रणाली को प्रभावित करने और ग्रामीण महिलाओं की जीवन शैली को परिवर्तित करने में इन उपायों का स्पष्ट प्रभाव पड़े।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं को और अधिक शामिल करने के लिए कार्यकमों को सुदृढ़ किया जाएगा। इन उपायों में उच्च

शिक्षा के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को चुनने के लिए लड़कियों को प्रेरित करना तथा यह भी सुनिश्चित शामिल होगा कि वैज्ञानिक और तकनीकी निविष्टियों वाली विकासात्मक परियोजनाओं में महिलाएं पूर्ण रूप से शामिल हों। वैज्ञानिक मनोदशा और जागृति को विकसित करने के प्रयासों को भी और भी अधिक बढ़ाया जाएगा। संचार और सूचना प्रोद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उनके प्रशिक्षण के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे जिनमें उनके पास विशेष कौशल हैं। महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त प्रौद्योगिकियां विकसित करने तथा साथ ही कोल्हू के बैल की तरह परिश्रम करते रहने की उनकी प्रथा को कम करने के प्रयासों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

विकट परिस्थितिग्रस्त महिलाएं

महिलिाओं की परिस्थितियों में विविधता तथा विशेष रूप से वंचित समूहों की आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए, उन्हें विशेष सहायता प्रदान करने के लिए उपाय और कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इन समूहों में अत्यधिक गरीबी में रहने वाली महिलाएं, निराश्रित महिलाएं, टकराव की स्थितियों में रहने वाली महिलाएं, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित महिलाएं, कम विकसित क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं, अशक्त विधवाएं, वृद्ध महिलाएं, विकट परिस्थितियों में रहने वाली एकल महिलाएं, परिवार प्रधान महिलाएं, रोजगार से विस्थापित महिलाएं, प्रवासी महिलाएं, वैवाहिक हिंसा की शिकार महिलाएं, परित्यक्त महिलाएं और वेश्याएं इत्यादि शामिल हैं।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा

महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार की हिंसा, चाहे यह शारीरिक हो अथवा मानसिक, घरेलू स्तर पर हो अथवा सामाजिक स्तर पर, जिसमें रिवाजों, परम्पराओं अथवा प्रचलित मान्यताओं से उत्पन्न हिंसा शामिल है, से प्रभावी ढंग से निपटना जाएगा ताकि ऐसी घटनाएं न घटें। कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न समेत ऐसी हिंसा एवं दहेज जैसी प्रथाओं की

रोकथाम के लिए, हिंसा की शिकार महिलाओं के पुनर्वास के लिए और इस प्रकार की हिंसा करने वाले अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं और तंत्रों/स्कीमों का निर्माण किया जाएगा और उन्हें सुदृढ़ किया जाएगा। महिलाओं और लड़कियों के अवैध व्यापार से निपटने वाले कार्यक्रमों और उपायों पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।

लड़कियों के अधिकार

घर के अन्दर और बाहर निवारक और दण्डात्मक दोनों प्रकार के दृढ़ उपाय अपनाकर लड़कियों के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव तथा उनके अधिकारों के हनन को दूर किया जाएगा। ये विशेष रूप से प्रसवपूर्व लिंग चयन और बालिका भ्रुण हत्या के रिवाज, लड़कियों की शैशव काल में हत्या, बाल विवाह, बाल दुरूपयोग तथा बाल वेश्यावृत्ति इत्यादि के विरूद्ध बनाए गए कानूनों को सख्ती से लागू करने से संबंधित होंगे। परिवार के अंदर और बाहर लड़कियों के साथ व्यवहार में भेदभाव को दूर करने तथा लड़कियों की अच्छी छवि प्रस्तुत करने के कार्य को सक्रियता से प्रोत्साहित किया जाएगा। लड़कियों की आवश्यकताओं तथा भोजन और पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश का लक्ष्य रखने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

जन संचार माध्यम

लड़कियों तथा महिलाओं की मानवीय अस्मिता से संगत छवि प्रस्तुत करने के लिए मीडिया का प्रयोग किया जाएगा। यह नीति विशिष्ट रूप से महिलाओं की मर्यादा कम करने वाली, विकृत करने वाली तथा नकारात्मक परम्परागत रूढ़िबद्ध छवियों और महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रयास करेगी। विशेष रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के भागीदारों तथा मीडिया

नेटवर्क को सभी स्तरों पर शामिल किया जाएगा। जेंडर रूढ़िबद्धता को दूर करने तथा महिलाओं और पुरूषों के सन्तुलित चित्रांकन को बढ़ावा देने के लिए मीडिया को आचार संहिता, व्यावसायिक दिशानिर्देशों तथा अन्य स्व विनियामक तंत्र विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्रचालनात्मक कार्यनीतियां

कार्य योजनाएं

केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी मंत्रालय महिला और बाल विकास के केंद्रीय/राज्य विभागों तथा राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोगों से परामर्श के माध्यम से इस नीति को ठोस कार्रवाइयों का रूप देने के लिए समयबद्ध कार्य योजनाएं तैयार करेंगे। योजनाओं में निम्नलिखित को विशिष्ट रूप से शामिल किया जाएगा–

1. वर्ष 2010 तक प्राप्त किए जाने वाले मापेय लक्ष्य
2. संसाधनों का पता लगाना तथा वचनबद्धता
3. कार्रवाई संबंधी बिंदुओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायित्व
4. कार्रवाई संबंधी बिंदुओं तथा नीतियों की दक्ष निगरानी, समीक्षा तथा जेंडर प्रभाव मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए संरचनाएं तथा तंत्र
5. बजट संबंधी प्रक्रिया में जेंडर परिप्रेक्ष्य की शुरूआत करना

बेहतर आयोजना और कार्यक्रम निर्माण तथा संसाधनों के पर्याप्त आबंटन में सहायता प्रदान करने के लिए, विशिष्टता प्राप्त एजेंसियों के साथ नेटवर्किंग करके जेंडर विकास सूचकांक (जीडीआई) तैयार किए जाएंगे। इनका गहनता से विश्लेषण तथा अध्ययन किया जाएगा। जेंडर लेखा परीक्षा तथा मूल्यांकन तंत्र विकसित करने का कार्य भी इसके साथ–साथ किया जाएगा।

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सभी प्राथमिक आंकड़ा संकलन एजेंसियों तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की शोध तथा शैक्षिक संस्थाओं से जेंडर संबंधी भिन्न–भिन्न आंकडों के संकलन का कार्य शुरू किया जाएगा। महिलाओं की सथिति को प्रतिबिम्बित करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में डाटा तथा सूचना संबंधी अन्तरालों को इनके द्वारा तत्काल पाटने का प्रयास किया जाएगा। सभी मंत्रालयों/निगमों/बैंकों/वित्तीय संस्थाओं आदि को जेंडर पृथक आधार पर कार्यक्रमों तथा लाभों से संबंधित डाटा एकत्र करने, मिलान करने, प्रसार करने तथा अनुरक्षित/प्रकाशित करने की सलाह दी जाएगी। इससे नीतियों की सार्थक आयोजना तथा मूल्यांकन में मदद मिलेगी।

संस्थागत तंत्र

महिलाओं की उन्नति को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय तथा राज्य स्तरों पर विद्यमान संस्थागत तंत्रों को सुदृढ़ किया जाएगा। ये उन उपायों के माध्यम से किए जाएंगे जो उपयुक्त हों तथा अन्य बातों के साथ–साथ ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्थूल नीतियों, विधायन, कार्यक्रमों आदि को कारगर ढंग से प्रभावित करने के लिए पर्याप्त संसाधनों, प्रशिक्षण तथा समर्थनीय कौशलों आदि के प्रावधान से संबंधित होंगे।

इस नीति के प्रचालन की नियमित आधार पर निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य परिषदों गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष होंगे तथा मुख्य मंत्री राज्य परिषदों के अध्यक्ष होंगे और इसकी संरचना व्यापक स्वरूप की होगी जिसमें संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रीय तथा राज्य महिला आयोगों, समाज कल्याण बोर्डों, गैर सरकारी संगठनों, महिला संगठनों, कारपोरेट क्षेत्र, श्रमिक संघों, वित्तीय संस्थाओं, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि के प्रतिनधि शामिल होंगे। ये निकाय वर्ष में दो बार इस नीति के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। राष्ट्रीय

विकास परिषद को सलाह तथा टिप्पणियों के लिए नीति के अंतर्गत आरंभ किए गए कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में समय–समय पर सूचित भी किया जाएगा।

सूचना एकत्र करने तथा प्रसार करने, अनुसंधन कार्य आरंभ करने, सर्वेक्षण करने, प्रशिक्षण तथा जागरूकता सृजन कार्यक्रम आदि क्रियानवित करने के अधिदेश के साथ राष्ट्रीय और राज्य महिला संसाधन केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। उपयुक्त सूचना नेटवर्किंग प्रणालियों के माध्यम से इन केंद्रों को महिला अध्ययन केंद्रों तथा अन्य अनुसंधान और शैक्षिक संस्थाओं के साथ जोडा जाएगा।

यद्यपि जिला स्तर पर संस्थाओं को सुदृढ किया जाएगा, बुनियादी स्तर पर, आंगनवाड़ी/ग्राम/कस्बा स्तर पर स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित तथा सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा अपने कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की सहायता की जाएगी। महिला समूहों की सहायता की जाएगी ताकि वे अपने आप को रजिस्टर्ड सोसाइटियों के रूप में संस्थानीकृत कर सकें तथा पंचायत/नगर पालिका स्तर पर संघबद्ध हो सकें। बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं समेत सरकारी तथा गैर सरकारी चौनलों के माध्यम से उपलब्ध संसाधन आहरित करके तथा पंचायतों/नगर पालिकाओं के साथ गहन अन्तरापृष्ठ (संबंध) स्थापित करके ये सोसाइटियां सामाजिक तथा आर्थिक विकास संबंधी सभी कार्यक्रमों का सहक्रियात्मक क्रियान्वयन करेंगी।

संसाधनों का प्रबंधन

इस नीति को क्रियानवित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय, मानव तथा बाजार संसाधनों की उपलब्धता का प्रबंधन संबंधित विभागों, वित्तीय ऋण संस्थाओं तथा बैंकों, निजी क्षेत्र, सभ्य समाज तथा अन्य संबद्ध संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल होंगे।

(क) जेंडर बजटिंग की कवायद के माध्यम से महिलाओं को होने वाले लाभों का आकलन तथा उनसे संबद्ध कार्यक्रमों को संसाधनों का आबंटन। इन स्कीमों के तहत महिलाओं को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए नीतियों में उपयुक्त परिवर्तन किए जाएंगे।

(ख) संबंधित विभागों द्वारा उपर्युक्त (क) के आधार पर पूर्व में रेखांकित नीति को विकसित करने तथा संवर्धित करने के लिए संसाधनों का पर्याप्त आबंटन।

(ग) फील्ड स्तर स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा महिला एवं बाल विकास के कार्मिकों तथा अन्य ग्राम स्तरीय पदाधिकारियों के बीच सहभागिता विकसित करना।

(घ) उपयुक्त नीतिगत पहलों तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से नई संस्थाओं के विकास के माध्यम से बैंकों तथा वित्तीय ऋण संस्थाओं द्वारा ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना।

सभी मंत्रालयों और विभागों से कम से कम 30 प्रतिशत लाभ/निधियां महिलाओं को प्राप्त होने का सुनिश्चय करने के लिए नवीं योजना में अपनाई गई महिला घटक योजना की कार्यनीति को कारगर ढंग से कार्यानवित किया जाएगा ताकि सभी संबंधित क्षेत्रों द्वारा महिलाओं और लड़कियों की जरूरतों तथा उनके हितों पर ध्यान दिया जा सके। नोडल मंत्रालय होने के कारण महिला एवं बाल विकास विभाग योजना आयोग के साथ मिलकर गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों दृष्टि से समय–समय पर घटक योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करेगा।

महिलाओं की उननति के लिए कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र के निवेशों को भी श्रृंखलाबद्ध करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

कानून

इस नीति को क्रियानवित करने के लिए अभिज्ञात विभागों द्वारा मौजूदा विधायी संरचना की समीक्षा की जाएगी तथा अतिरिक्त विधायी उपाय किए जाएंगे। इसमें लिंग संबंधी सभी भेदमूलक संदर्भों को दूर करने के लिए निजी, प्रथागत एवं जनजातीय कानूनों समेत विद्यमान कानूनों, अधीनस्थ कानूनों, संबद्ध नियमों और कार्यपालक तथा प्रशासनिक विनियमों की समीक्षा भी शामिल होगी। इस प्रक्रिया की योजना 2000–2003 की समयावधि में तैयार की जाएगी। अपेक्षित विशिष्ट उपाय सभ्य समाज, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को शामिल करते हुए परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किए जाएंगे। उपयुक्त मामलों में अन्य पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) को भी शामिल करने के लिए परामर्श प्रक्रिया को व्यापक बनाया जाएगा।

सभ्य समाज और समुदाय को शामिल करके कानून के कारगर क्रियान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ, तो कानून में उपयुक्त परिवर्तन किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, कानून को कारगर ढंग से क्रियानवित करने के लिए निम्नलिखित अन्य विशिष्ट उपाय किए जाएंगे।

(क) हिंसा और लिंग संबद्ध अत्याचारों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए, सभी प्रासंगिक कानूनी उपलबंधों का कड़ाई से प्रवर्तन तथा शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित किया जाएगा।

(ख) कार्य–स्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने तथा दंडित करने, संगठित/अंसगठित क्षेत्र में महिला कार्यकृर्तियों के संरक्षण और समान पारिश्रमिक अधिनियम एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे संगत कानूनों के कड़ाई से प्रवर्तन के लिए उपाय किए जाएंगे।

(ग) केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर सभी अपराध पुनरीक्षा मंचों

तथा सम्मेलनों में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों, उनकी घटनाओं, निवारण, जांच, पता लगाने तथा अभियोजन की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाएगी। लड़कियों तथा महिलाओं के विरूद्ध हिंसा तथा अत्याचार से संबद्ध शिकायतें दर्ज करने और पंजीकरण, जांच–पड़ताल और कानूनी कार्यवाही को सुकर बनाने के लिए मान्यता प्राप्त, स्थानीय, स्वैच्छिक संगठनों को प्राधिकृत किया जाएगा।

(घ) महिलाओं के विरूद्ध हिंसा और अत्याचार को दूर करने के लिए पुलिस स्टेशनों में महिला प्रकोष्ठों, महिला पुलिस स्टेशन परिवार न्यायालयों को प्रोत्साहन, महिला न्यायालयों, परामर्श केंद्रों, कानूनी सहायता केंद्रों तथा न्याय पंचायतों को सुदृढ किया जाएगा और उनका विस्तार किया जाएगा।

(ङ) विशेष रूप से तैयार किए गए कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों में और सूचना का अधिकार कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के कानूनी अधिकारों, मानवाधिकारों तथा अन्य हकदारियों के सभी पहलुओं पर सूचना का व्यापक रूप से प्रसार किया जाएगा।

लिंग (जेंडर) संवेदीकरण

नीति और कार्यक्रम निर्माताओं, क्रियान्वयन और विकास एजेंसियों, कानून प्रवर्तन तंत्रों और न्याय पालिका, तथा गैर सरकारी संगठनों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए, राज्य के कार्यपालक, विधायी तथा न्यायिक प्रकोष्ठों के कार्मिकों को प्रशिक्षित करने का कार्य आरंभ किया जाएगा। अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल होंगे।

(क) लिंग संबंधी मुद्दों तथा महिलाओं के मानवाधिकारों के बारे में सामाजिक जागरुकता को बढावा देना

(ख) लिंग संबंधी शिक्षा तथा मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों को शामिल करने के लिए पाठ्यचर्या तथा शैक्षिक सामग्रियों की पुनरीक्षा करना

(ग) सभी सरकारी दस्तावेजों तथा विधिक लिखतों से महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले सभी संदर्भों को हटाना

(घ) महिलाओं की समानता तथा अधिकारिता से संबंधित सामाजिक संदेशों को संप्रेषित करने के लिए जन संचार माध्यमों के भिन्न–भिन्न रूपों का प्रयोग करना।

पंचायती राज संस्थाएं

भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों (1993) ने राजनीतिक अधिकारों की संरचना में महिलाओं के लिए समान भागीदारी तथा सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता दिलाई है। पंयायती राज संस्थाएं सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सहभगिता बढ़ाने की प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाएंगी। पंचायती राज संस्थाएं तथा स्थनीय स्वशासन संस्थाएं बुनयादी स्तर पर राष्ट्रीय महिला नीति के क्रियान्वयन तथा निष्पादन में सक्रिय रूप से शामिल होंगी।

स्वैच्छिक क्षेत्र के संगठनों के साथ भागीदारी

महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतियों तथा कार्यक्रमों के निर्माण, क्रियान्वयन, निगरानी तथा पुनरीक्षा में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों, संघों, परिसंघों, श्रमिक संघों, गैर सरकारी संगठनों, महिला संगठनों तथा संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ, उन्हें संसाधन और क्षमता निर्माण से संबंधित उपयुक्त सहायता पदान की जाएगी तथा महिलाओं की अधिकारिता की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी को सुकर बनाया जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

इस नीति का उद्देश्य महिला अधिकारिता के सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं/प्रतिबद्धताओं जैसे कि महिलाओं के विरूद्ध सभी रूपों के भेदभाव पर अभिसमय (सीईडीएडब्ल्यू), बाल अधिकारों पर अभिसमय

(सीआरसी), अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन (आईसीपीडी) तथा इस तरह के अन्य लिखतों का क्रियान्वयन करना है। अनुभवों की हिस्सेदारी, विचारों तथा प्रौद्योगिकी के आदान–प्रदान, संस्थाओं तथा संगठनों के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से तथा द्विपक्षीय और बहु–पक्षीय भागीदारियों के माध्यम से महिलाओं की अधिकारिता के लिए अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने का कार्य जारी रहेगा।

5

ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण और रोजगार के अवसर

भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं, जो देश के सुदूर हिस्सों में कुशल और अकुशल दोनों तरह के श्रम क्षेत्रों में काम करती हैं, विभिन्न माध्यमों के जरिए अपने अधिकारों और मांगों का दावा करने में कामयाब रही हैं। उन्होंने पर्यावरण संबंधी चिंताओं, सामाजिक–आर्थिक उन्नति और डिजिटल माध्यमों का प्रभावी रूप से इस्तेमाल कर अपने समुदाय के भीतर अपने लिए विश्वसनीयता, स्वतंत्रता और प्रतिस्पर्धा की तलाश की है। इस तरह के मंच महिलाओं को परोक्ष रूप से हिम्मत देते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ने में सक्षम बनाते हैं, जिससे अंततरू वो राजनीतिक कौशल भी प्राप्त कर पाती हैं। भारत में पंचायती राज की शुरुआत करने वाले 72 वें संवैधानिक संशोधन की मदद से महिलाओं को स्थानीय विधानसभाओं और सरपंच के पद के लिए एक तिहाई आरक्षण मिला।

इस योजना ने सत्ता और सामाजिक ताकत का विस्तार कर महिलाओं को निर्णय लेने की शक्ति दी और देश के सुदूर इलाकों में लोकतंत्र की सीमाओं का विस्तार किया। इसमें क्षेत्र की पूंजी और वहां के मानव और बौद्धिक संसाधनों पर समान नियंत्रण प्रदान किया जाना

शामिल था, जिसने महिलाओं को अपना जीवन स्तर सुधारने और एक बेहतर जीवन जीने की अनुमति दी। हालांकि, राजनीति में स्थान पाने के लिए, महिलाओं को अन्य सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रों और विभिन्न ज्ञान आधारित क्षेत्रों में भी अपनी क्षमता साबित करनी होती है।

आर्थिक क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का उद्भव

ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य के लिए लागू की गई शुरुआती आर्थिक नीतियां काफी हद तक असफल रहीं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उप–योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (DWCRA) 1982–83 में 50 ग्रामीण जिलों में शुरू किया गया था। इसके चलते महिलाएं अपनी झिझक और कमजोरियों को दूर कर पाईं और संपत्ति व सामान की खरीद–फरोख्त के अलावा, महंगे साहूकारों के बजाय बैंक से ऋण लेने में सक्षम हुईं। नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर फॉर मैक्रो कंज्यूमर रिसर्च द्वारा 2011 में जारी एक अध्ययन के अनुसार, बैंकों की 12.6 प्रतिशत की ब्याज दर के मुकाबले साहूकारों के ऋण पर ब्याज उच्चतम स्तर पर 44 प्रतिशत कर हो सकता है। ऐसे में महिलाओं के लिए इन ऊंची दरों पर ऋण लेना और कामकाज शुरु करना बेहद कठिन था।

आर्थिक सशक्तीकरण के इस मॉडल को केवल भारत के छोटे क्षेत्रों जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में ही कुछ सफलताएँ मिलीं क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में ग्रामीण क्रेडिट नेटवर्क को लेकर समझ विकसित नहीं हो पाई और इसलिए वो प्रभावी नहीं रहे। इन योजनाओं के बाद, स्व–सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) जैसी सूक्ष्म–ऋण योजनाएं शुरू की गईं, जो क्षेत्र के स्थानीय बैंकों के साथ भागीदारी में चलते थे। ये एसएचजी 'सहकर्मी–निगरानी' (peer monitoring) के सिद्धांतों पर आधारित हैं। इस मॉडल के तहत यह स्वीकार किया जाता है कि हो सकता है कि बैंक गांव में स्थित हो या न भी हो, इसलिए प्रत्येक लाभार्थी पूरे समूह के लिए जिम्मेदार

और जवाबदेह है। यह योजना सफल रही, क्योंकि इसने महिलाओं को वित्तीय ज्ञान दिया और उन्हें आर्थिक अनुशासन के साथ काम करने और जीविकोपार्जन करने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं के ये समूह परस्पर सहयोग और भागीदारी से चलते थे जिससे ऋण चुकाने का स्तर बेहतर हुआ और भुगतान संबंधी चूक में उल्लेखनीय कमी आई। पहले की योजनाओं के विपरीत, इस मॉडल ने महिलाओं को अपनी गति और सहूलियत के साथ, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि अब ऋण लेने का एक भरोसेमंद स्रोत उनकी पहुंच के भीतर था।

आर्थिक सशक्तीकरण के इस मॉडल को केवल भारत के छोटे क्षेत्रों जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में ही कुछ सफलताएँ मिलीं क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में ग्रामीण क्रेडिट नेटवर्क को लेकर समझ विकसित नहीं हो पाई और इसलिए वो प्रभावी नहीं रहे।

स्व–सहायता समूहों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया और उनके जीवन में वित्तीय स्थिरता पैदा की जिससे वो उन्नति के राह पर अग्रसर हुईं, लेकिन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) यानी मनरेगा द्वारा पूरे हुए लक्ष्यों की तुलना में इन नीतियों की सफलता कम रही, क्योंकि मनरेगा के तहत मुख्य रूप से 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलती थी। यह एक ऐतिहासिक और उल्लेखनीय मॉडल है, जो 2 फरवरी 2006 को पहले चरण में 200 जिलों में प्रमुखता के साथ शुरु किया गया और उसके बाद 2007–08 में इसे बढ़ाकर 130 जिलों तक पहुंचाया गया। इन सब योजनाओं के जरिए महिलाएं अब एक ऐसे स्तर पर पहुंचने में सक्षम हुई हैं, जहां पंचायत और स्थानीय प्रशासन के दूसरे केंद्रों में उनकी बात को सुना जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है।

मनरेगा के प्रावधान गैर–कुशलता वाली नौकरियों में काम करने वाली माताओं की जरूरतों के प्रति भी संवेदनशील हैंय कामकाज की

जगहों पर बच्चों को संभालने के लिए क्रैच की सुविधा, काम और भुगतान के प्रति पूरी जवाबदेही, रोजमर्रा के कामकाज में पारदर्शिता और ठेकेदारों व बिचौलियों की भूमिका को खत्म किए जाने ने महिलाओं के लिए काम को आसान बनाया है और इन स्थितियों ने महिलाओं के पक्ष में काम किया है। इसने लैंगिक असमानताओं को भी कम किया है, और महिलाओं को अपने हक में सौदेबाजी की शक्ति दी है। हालांकि, ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों के बीच अभी भी वेतन का व्यापक अंतर मौजूद है। इससे शिक्षा और महिलाओं के रोजगार के बीच 'यू–आकार' का एक संबंध पैदा होता है, जिसके तहत अशिक्षित या कम शिक्षा प्राप्त महिला 'संकट से प्रेरित' होकर रोजगार तलाशती है, जबकि एक बेहतर शिक्षित महिला के पास बेहतर रोजगार चुनने और बेहतर वेतन पाने के व्यापक अवसर होते हैं। भुगतान से जुड़े रोजगार के अवसर ज्यादातर, सरकारी रोजगार यानी सरकार द्वारा उन लोगों के रोजगार पैदा किए जाने से जुड़े होते हैं, जिन्हें कोई दूसरा काम नहीं मिल रहा हो, अंग्रेजी में इसे "employer of the last resort" के रुप में समझा जाता है। ऐसे मामलों में मुमकिन है कि भुगतान की एवज में किए गए काम भी महिलाओं को सशक्त न बना पाएं। मनरेगा के माध्यम से श्रमिकों को अपने काम को स्वयं चुनने का विकल्प मिलता है। मनरेगा की शुरुआत के पीछे मुख्य लक्ष्य यह है कि यह रोजगार के जरिए लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से समानता का अधिकार देता है और उनके आत्म–सम्मान व आत्मविश्वास को बढ़ाता है। कई मामलों में यह ग्रामीण महिलाओं के लिए उनकी योग्यता और क्षमता को पहचानने के एक तंत्र के रूप में भी काम कर सकता है।

शिक्षा और महिलाओं के रोजगार के बीच 'यू–आकार' का एक संबंध पैदा होता है, जिसके तहत अशिक्षित या कम शिक्षा प्राप्त महिला 'संकट से प्रेरित' होकर रोजगार तलाशती है, जबकि एक बेहतर शिक्षित महिला के पास बेहतर रोजगार चुनने और बेहतर वेतन पाने के व्यापक अवसर होते हैं।

ग्रामीण महिलाओं को पर्यावरणीय माध्यमों के जरिए सशक्त बनाना

पर्यावरण अनुसंधान से जुड़े कई संस्थान भी ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार पैदा करते हैं। राजस्थान के तिलोनिया में बेयरफुट कॉलेज (Barefoot College) के पाठ्यक्रमों के माध्यम से, महिलाएं न केवल शिक्षार्थियों और प्रशिक्षुओं के रूप में काम करती हैं, बल्कि वे गाँवों में टिकाऊ ऊर्जा संयंत्रों के संरक्षण से जुड़ी कोशिशों का हिस्सा भी बन गई हैं। सामुदायिक आधार पर काम करते हुए कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं को मिलाकर एक ऊर्जा और पर्यावरण समिति बनाई जाती है। यह समिति सबसे गरीब घरों की पहचान करती है, और ये पुरुष और महिलाएं 3 से 6 महीने के लिए 'बेयर फुट सौर इंजीनियरों' के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (TERI) ने इन क्षेत्रों में लाइटिंग ए बिलियन लाइव्स कार्यक्रम की शुरुआत की और ग्रामीण क्षेत्रों की मुट्ठी भर महिलाओं के साथ काम शुरु कर उन्हें 'ऊर्जा उद्यमियों' में बदल दिया। इस परियोजना ने वैश्विक स्तर पर 5.65 मिलियन लोगों को प्रभावित किया है और भारत के 24 राज्यों के अलावा 13 देशों को अपने अभियान में शामिल करते हुए, जून 2017 से अबतक दुनिया भर में 1,130,570 से ज्यादा घरों को सहयोग प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के सदस्य के रूप में भारत ने टिकाऊ उर्जा क्षेत्र में महिला भागीदारी को बढ़ाया है। ऐसे में भारत के लिए अब अगला लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह इन ग्रामीण महिलाओं को टिकाऊ ऊर्जा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों की कौशल विकास संबंधी परियोजनाओं में संलग्न करे, ताकि वो इस क्षेत्र में बेहतर हुनर वाले काम भी कर सकें।

डिजिटलीकरण के जरिए महिलाओं का सशक्तिकरण

तकनीकी उन्नति और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण के संबंध में, यह माना जाता है कि नई तकनीकें महिला सशक्तिकरण में योगदान नहीं दे सकतीं। साथ ही बहुत मुमकिन है कि इससे लिंग ध्रुवीकरण और गहराए और अमीर–गरीब के बीच की दूरी या आर्थिक विभाजन

और अधिक बढ़ जाए। ऐसे में सबसे जरूरी सवाल यह है कि डिजिटल साक्षरता का उपयोग लिंग के अंतर को कम करने और मोबाइल प्रौद्योगिकी के स्वामित्व में लिंग संबंधी समानता पैदा करने के लिए किया जा सकता है या नहीं। नवंबर 2016 में भीषण सूखे के बाद, अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब (J & PAL) द्वारा नाइजर में किए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में, 96 गांवों के कुछ चयनित घरों में बिना किसी शर्त पैसे का हस्तांतरण किया गया। एक समूह को नकद प्राप्त हुआ, दूसरे समूह को ऑनलाइन धन हस्तांतरित किया गया और तीसरे समूह को नकद और ऑनलाइन दोनों रुप से धन हस्तांतरित किया गया। इस प्रयोग के परिणाम सामने आने पर पता चला कि जिन इलाकों में ऑनलाइन पैसे हस्तांतरित किए गए थे, वहां बच्चों की आहार संबंधी आवश्यकताओं में 10 प्रतिशत सुधार हुआ साथ ही उन क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा उगाई जाने वाली फसलों की उपज में भी वृद्धि हुई। इससे पता चलता है कि नकदी के सरल डिजिटल हस्तांतरण भर से महिलाओं के लिए सही जगह पैसे खर्च करना और परिवार के भीतर इस संबंध में मोलभाव करना संभव हो पाया।

तकनीकी उन्नति और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण के संबंध में, यह माना जाता है कि नई तकनीकें महिला सशक्तिकरण में योगदान नहीं दे सकतीं। साथ ही बहुत मुमकिन है कि इससे लिंग ध्रुवीकरण और गहराए और अमीर–गरीब के बीच की दूरी या आर्थिक विभाजन और अधिक बढ़ जाए।

इसी तरह की एक पहल वोडाफोन इंडिया ने एम–पैसा (M & pesa) के जरिए की जो, 2013 में केन्या के एक मॉडल से प्रेरित था। यह योजना काम नहीं कर पाई क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे नकद हस्तांतरण प्रणाली के बजाय बैंकिंग सेवा के रूप में देखा, और क्योंकि आवेदन और पंजीकरण की प्रक्रिया भी बेहद जटिल और समय लेने वाली थी। हालांकि, एम–पैसा को जिन इलाकों में शुरु

किया गया वहां, 8.4 मिलियन से ज्यादा लोगों को वित्तीय समावेशन का लाभ मिला। वोडाफोन और आइडिया सेलुलर के विलय के बाद इस योजना की काफी निंदा हुई क्योंकि इसके बाद ये दोनों ही इस योजना से बाहर निकल गए। फिर भी, इस प्रयोग ने PayTm, PayPal, GooglePay जैसी नई कंपनियों और पैसा हस्तांतरण के पहले से भी अधिक सुगम और नए तरीकों के लिए रास्ता बनाया, जिसने महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा किए और उन्हें पैसे से जुड़े फैसले खुद लेने का अधिकार दिया।

इस तरह की डिजिटल उन्नति को व्यापक रूप से शिक्षा पाठ्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले डिजिटल कौशल कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ताकि महिलाओं में वित्तीय मामलों की जानकारी बढ़े और वो अपने आर्थिक मामलों को बेहतर ढंग से समझने और निपटाने में सक्षम हों। यदि ऐसा हो पाता है तो इससे ग्रामीण इलाकों में पैठ कर चुके पितृसत्तात्मक मानदंडों और रीति–रिवाजों को भी चुनौती मिलेगी और महिलाएं व पुरुष रूढ़िबद्ध सोच से आगे बढ़ पाएंगे।

एक महिला जो पर्यावरण की दृष्टि से जागरुक है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, और डिजिटल रूप से मुखर है, अंततः देश के राजनीतिक फलक पर एक लोकतांत्रिक आवाज बन कर उभरेगी और इस क्षेत्र में बराबरी कायम करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।

एक महिला जो पर्यावरण की दृष्टि से जागरुक है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, और डिजिटल रूप से मुखर है, अंततः देश के राजनीतिक फलक पर एक लोकतांत्रिक आवाज बन कर उभरेगी और इस क्षेत्र में बराबरी कायम करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। साल 2015 में इंटेलकैप (Intellecap) नाम की एक वैश्विक विकास परामर्श कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखलाओं की पहचान और उनके डिजिटलीकरण की शुरुआत की। उन्होंने इस मॉडल के प्रमुख लाभार्थियों की पहचान करने का लक्ष्य रखा, क्योंकि महिलाएं गैर–कृषि संबंधित गतिविधियों में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाने, गांव के पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने और सौर–ऊर्जा उद्यमियों के रूप लगातार काम कर रही थीं। इस तरह के मॉडल ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को नई तकनीकों से रूबरू कराते हुए, रोजगार और सशक्तीकरण के नए अवसर पैदा कर सकते हैं, और इस दिशा में बहुत आगे जाने की संभावना रखते हैं।

6

सशक्त महिलाओं के लिए वित्तीय तकनीक

भयंकर गरीबी को दूर करने में वित्तीय समावेशन को एक अहम माध्यम माना जाता है। इस की मदद से किसी व्यक्ति की आर्थिक और उत्पादकता की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इस की मदद से किसी व्यक्ति का जीवन स्तर सुधारा जा सकता है। आज डिजिटल दुनिया में नए नए आविष्कारों से एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई है, जो एक बड़े बदलाव की ओर ले जा रही है। इन नई–नई तकनीकों की मदद से हम लोगों के वित्तीय समावेशन की रफ्तार को और आगे बढ़ा सकते हैं। भारत में ग्रामीण फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक, जो लोग संस्थागत वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकिंग व्यवस्था के दायरे से बाहर हैं, उन के सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन में नई डिजिटल तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस अध्ययन में पता चला था कि इलाहाबाद के बाहरी इलाके में स्थित झूंसी गांव में ज्यादातर लोगो अपनी रोजी चलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन, कुछ ऐसे परिवार भी थे जो सूक्ष्म वित्तीय संगठनों की मदद से मिले कर्ज की बदौलत अपने परिवार का अच्छे से पालन कर रहे थे और अपने बच्चों की शिक्षा का भी प्रबंध कर पा रहे थे। इन में से रामपति और उनके पति के नाम का जिक्र अध्ययन में खास तौर

से किया गया था। ये सूक्ष्म वित्तीय संस्थान पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय था। और दो लाख से ज्यादा गरीब महिलाओं की सेवा कर रहा था। छोटे स्तर पर वित्तीय मदद हासिल होने की वजह से रामपति और उस के परिवार ने छोटे स्तर पर बकरियां पालना शुरू किया। बैंकिंग सुविधाएं न होने की वजह से रामपति को डिजिटल माध्यमों से कर्ज मुहैया कराया गया। इस से रामपति को न केवल अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब रखने में मदद मिली, बल्कि इससे उसे बार–बार बैंक जाने की जद्दोजहद से भी निजात मिल गई। फिर उसे कर्ज जमा करने के लिए नकदी ले कर बैंक की लाइन में लगने की जरूरत भी खत्म हो गई।

वित्तीय संस्थानों तक महिलाओं की पहुंच बनाने में आने वाली चुनौतियां

अगर महिलाओं का वित्तीय समावेशन होता है और उन का सशक्तिकरण होता है, तो उस के दूरगामी सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे। वित्तीय समावेशन से किसी भी व्यक्ति को अपनी बचत को इकट्ठा करने और अपनी उत्पादकता सुधारने में मदद मिलती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ऐसा होना बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि आम तौर पर महिलाओं के साथ मजदूरी में भेदभाव होता है। और आर्थिक संसाधनों से लेकर वित्तीय माध्यमों पर उन का नियंत्रण नहीं होता। महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण से उन के समुदाय में एक नई लहर उठती है। क्योंकि आम तौर पर महिलाएं अपनी बचत के पैसे अपनी जिंदगी बेहतर बनाने में लगाती हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एक अध्ययन कहता है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में महिलाएं अपनी आमदनी की 90 फीसद रकम मानव संसाधनों के विकास में लगाती हैं। जैसे कि शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य की बेहतरी में। महिलाओं के मुकाबले, पुरुष अपनी आमदनी का केवल 40 प्रतिशत हिस्सा मानव संसाधनों की बेहतरी में लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर महिलाओं का वित्तीय समावेशन होता है और उन का सशक्तिकरण होता

है, तो उस के दूरगामी सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक महिलाओं और पुरुषों की आमदनी में लैंगिक असमानता दूर करने से किसी भी देश की जीडीपी में औसतन 35 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है। यानी इसका व्यापक आर्थिक लाभ हो सकता है।

विश्व बैंक के ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस 2017 के मुताबिक, आज भारत की केवल 76 फीसद महिलाओं के खाते ही संस्थागत वित्तीय संस्थानों में हैं। लेकिन, ये आंकड़ा उनके वास्तविक वित्तीय समावेशन का सूचक नहीं है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत जो खाते खोले गए थे, उन में गिरावट आ रही है। सितंबर 2019 तक, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों में से 13 प्रतिशत जीरो बैलेंस खाते थे, यानी उन में कोई रकम नहीं जमा थी। वहीं, 17 प्रतिशत खाते निष्क्रिय हो चुके थे। बड़ी तादाद में महिलाओं के खाते खोलने के बावजूद, भारत के कर्ज बाजार को देखें तो महिलाओं और पुरुषों के बीच बड़ा फासला नजर आता है। गोल्डमैन सैक्स की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च रिपोर्ट ने पाया है कि महिलाओं के मालिकाना हक वाले छोटे और लघु उद्योगों के लिए कर्ज की अर्जी खारिज करने की तादाद पुरुषों द्वारा चलाए जाने वाले ऐसे औद्योगिक संस्थानों को कर्ज देने से इनकार करने की तादाद से दो गुनी थी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि बेरोजगार महिलाओं से आम तौर पर ये अपेक्षा होती है कि वो घरेलू कामकाज निपटाएं। जबकि मर्दों से ये अपेक्षा होती है कि वो घर की वित्तीय जिम्मेदारी संभालें। महिलाओं के वित्तीय जिम्मेदारी उठाने की क्षमता तब और घट जाती है, जब पारिवारिक संपत्ति पुरुषों के मुकाबले उन्हें बहुत कम हिस्सेदारी दी जाती है। ये बात इस तथ्य से और भी साबित होती है कि कृषि क्षेत्र में सक्रिय कुल कामगारों में महिलाओं की तादाद 42 प्रतिशत है। लेकिन, कुल जमीन के मालिकाना हक में महिलाओं के नाम केवल दो प्रतिशत जमीन है।

वित्तीय तकनीक, वित्तीय समावेशन और सरकारी प्रयासों को जोड़ने की कोशिश

नई वित्तीय तकनीकों के इस्तेमाल में चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर है। यहां 57.9 प्रतिशत लोग वित्तीय तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में डिजिटलीकरण की मांग बढ़ रही है। मोबाइल की पहुंच बढ़ने के साथ इस में और तेजी से इजाफा हो रहा है।

पिछले तमाम वर्षों में पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं ने कम आमदनी वाले, शोषित समुदायों तक सेवाएं पहुंचाने में आधी अधूरी कामयाबी ही हासिल की है। वहीं, वित्तीय सेवाओं में नई तकनीक की आमद ने पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं के एकाधिकार को जबरदस्त चुनौती दी है। 2018 की एक रिसर्च के मुताबिक, नई वित्तीय तकनीकों के इस्तेमाल में चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर है। यहां 57.9 प्रतिशत लोग वित्तीय तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में डिजिटलीकरण की मांग बढ़ रही है। मोबाइल की पहुंच बढ़ने के साथ इस में और तेजी से इजाफा हो रहा है। 2020 तक देश की 90 फीसद आबादी के पास मोबाइल होने की उम्मीद जताई जा रही है। वित्तीय तकनीक की सेवाएं देने वाली कंपनियां कर्ज, बचत और बीमा जैसे माध्यमों से वित्तीय सशक्तिकरण को सुरक्षा कवच दे सकती हैं। ताकि समाज के हाशिए पर पड़े समुदायों, खास तौर से महिलाओं को रोजमर्रा की चुनौतियों से निजात दिला सकें। इस की रफ्तार बढ़ाने के लिए, सरकार को नई योजनाओं और नए अभियानों को शुरू करने की जरूरत होगी।

भले ही बैंकों में बहुत से खाते निष्क्रिय हों, फिर भी प्रधानमंत्री जन धन योजना से आज 35.7 करोड़ ऐसे लोगों के बैंक में खाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बैंक का खाता नहीं खोला था। अब इन के अपने नाम से बैंकों में खाते हैं। इन लोगों में से 53 प्रतिशत खाता धारक महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना और डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर जैसी योजनाओं ने वित्तीय तकनीक के प्लेटफॉर्म का रास्ता सुगम किया है। यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई (UPI) ने इसकाम को एक नई

धार दी है। अक्टूबर 2019 में 92 बैंकों ने यूपीआई का प्रयोग किया था। इस के माध्यम से 115 करोड़ लेन–देन किए गए। इसके अलावा, इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ ही गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों द्वारा एक दूसरे को कर्ज देने को बढ़ावा देने से, वित्तीय तकनीक प्रदान करने वाली कई स्टार्ट अप कंपनियां शुरू हुई हैं।

वित्तीय तकनीक से महिलाओं का वित्तीय समावेशन

हाल ही में हुई एक स्टडी से पता चला है कि मोबाइल बचत से महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति मे काफी सुधार हुआ है। तंजानिया के दो शहरों में रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के जरिए यहां दो महिलाओं को मोबाइल बचत माध्यम एम–पावा को उपलब्ध कराया गया। इस के साथ ही साथ, कुछ महिलाओं को कारोबार के हुनर बेहतर करने के लिए 12 हफ्तों की ट्रेनिंग भी दी गई। इस के बाद ये देखा गया कि एम–पावा ग्रुप से जुड़ी महिलाएं एक हफ्ते में उन महिलाओं से तीन गुना ज्यादा बचत कर रही थीं, जो किसी और समूह में थीं। जब कि एम–पावा के साथ साथ कारोबार की ट्रेनिंग पाने वाली महिलाओं की बचत पांच गुना तक ज्यादा थी।

वित्तीय सेवाएं देने वाली स्टार्ट अप तकनीकी कंपनियां भी महिलाओं का सशक्तिकरण कर रही हैं। साथ ही ये कंपनियां समाज के कमजोर तबके को भी मदद कर रही हैं। मसलन, एक वित्तीय तकनीक देने वाली स्टार्ट अप कंपनी कम पढ़े लिखे लोगों को आसानी से इस्तेमाल होने लायक इंटरफेस दिया है। इसका ये फायदा हुआ है कि इन लोगों को पश्चिमी शब्दों और लिखे हुए संदेशों पर कम से कम निर्भर रहना पड़ता है। एक और स्टार्ट अप कंपनी किराने की दुकानों में इस्तेमाल हो रहे तकनीकी संसाधनों में आवाज से निर्देश देने का विकल्प मुहैया कराया है। कई वित्तीय तकनीकी कंपनियां बैंकिग के साथ साथ दूसरी सुविधाएं भी मुहैया करा रही हैं। जैसे कि स्वास्थ्य बीमा और तकनीकी समझ न रखने वाले लोगों को बचत करने में मदद करना। बैंकों से

हट कर वित्तीय सेवाएं देने वाली तकनीकी कंपनियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिनटेक की मदद से किसी भी यूजर के लिए खास तौर से इस्तेमाल में आसान तकनीक तैयार कर सकती हैं।

वित्तीय तकनीकों के जरिए महिलाओं के बीच माइक्रो–आंत्रेप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देकर उन्हें अर्थव्यवस्था के चक्र की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। बांग्लादेश में वित्तीय समावेशन बढ़ाने और गरीबी मिटाने के लिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने 1983 में ग्रामीण बैंक के जरिए छोटे छोटे कर्ज बांटने शुरू किए थे। ग्रामीण बैंक छोटे छोटे लोगों को बिना की जमानत के कर्ज दिया करता था। वित्तीय सशक्तिकरण का ग्रामीण बैंक का ये मॉडल बहुत कामयाब रहा था। इस की मदद से बहुत सी ऐसी महिलाओं की मदद की गई, जिनके बारे में पहले ये माना जाता था कि उन्हें कर्ज नहीं दिया जा सकता। वो अशिक्षित थीं, और बेरोजगार भी थीं, इसलिए कोई बैंक उनकी मदद को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे जैसे छोटे लेन देन मे खर्च बढ़ने लगा तो, ब्याज ज़्यादा होने की वजह से लोग कर्ज के जाल में फंसने लगे। ऐसे मामले में अगर कोई वित्तीय तकनीक प्रदान करने वाली सेवा होती जो मोबाइल बैंकिंग से समाधान मुहैया कराती, उसे अगर सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों से जोड़ दिय जाए, तो ये गरीबी की समस्या से निपटने में काफी हद तक मददगार साबित हो सकती है। अपने व्यापक बुनियादी ढांचे की वजह से ग्रामीण बैंक जैसे सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं देने वाले संस्थान मोबाइल बैंकि समाधान मुहैया कराने वालों के मददगार साबित हो सकते हैं। बांग्लादेश में आज 59 फीसदी व्यापारी एमएफएस यानी मोबाइल बैंकिंग सॉल्यूशन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में एमएफएस की मदद से ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच बेहतर संपर्क सूत्र स्थापित किए जा सकते हैं। कुच भारतीय कंपनियां हैं जो वित्तीय तकनीक के माध्यम से मध्य, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को मदद दे रही हैं। ये संस्थान ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के रोजगारों जैसे हथकरघा, खाद्य और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सेवाएं दे रही हैं। वित्तीय तकनीक वाली स्टार्ट अप कंपनियां

तकनीक की मदद से ग्रामीण महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा दे रही हैं। वो इन्हें अलग अलग वित्तीय समाधान के जरिए कम ब्याज वाले छोटे कर्ज देकर अपना काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। ये स्टार्ट अप छोटे और मध्यम दर्जे के कारोबारियों को भी कर्ज मुहैया करा रहे हैं। ये स्टार्ट अप कंपनियां अक्सर ग्राहकों से सीधे संपर्क के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं। और स्मार्टफोन पर आधारित वित्तीय समाधान मुहैया कराते हैं।

भारत आज ऐसी तकनीक से लैस प्लेटफॉर्म अपना सकता है, जो लैंगिक भेदभाव को कम करे और उम्र के अलग–अलग दौर में महिलाओं की सहायता कर सके।

अफ्रीका में एक वित्तीय तकनीक कंपनी तकनीक का इस्तेमाल कर के ग्राहकों के व्यापक प्रोफाइल तैयार करती है। फिर इन आंकड़ों की मदद से लड़कियों की शिक्षा में आर्थिक मदद दी जाती है। इस कंपनी द्वारा जुटाए जाने वाले आंकड़ों में परिवार की जानकारी, स्कूल की हाजिरी का रिकॉर्ड जुटाया जाता है। इस से ये कंपनी उन लड़कियों की पहचान कर पाती है, जिन के पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने का डर होता है। फिर इन लड़कियों की मदद के लिए खास तौर से फंड जारी किया जाता, ताकि इन लड़कियों को पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने से रोका जा सके। नाइजीरिया में बेटर मामा, बेटर पिकिन (BMBP) जैसे मोबाइल प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य और जीवन बीमा के साथ साथ छोटी बचत करने जैसी सेवाएं देते हैं। खास तौर से गर्भवती महिलाओं को।

हालांकि, इस बात पर भी खास तौर से ध्यान देना चाहिए कि लोगों और विशेषकर से महिलाओं के वित्तीय समावेशन का एकमात्र हल फिनटेक यानी वित्तीय तकनीक नहीं है। इस चुनौती से निपटने की राह में कई रोड़े हैं। दिक्कत ये आती है कि महिलाओं के पास अक्सर मोबाइल फोन नहीं होते। उन्हें मोबाइल रखने से रोका भी जाता है। इसीलिए फिनटेक के साथ साथ व्यापक स्तर पर बुनियादी

ढांचे के विकास पर भी ध्यान देना होगा। लोगों को वित्तीय रूप से साक्षर करना होगा। साथ ही सरकार को तमाम जागरूकता अभियानों और परंपरागत बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से लोगों की सोच बदलने की भी कोशिश जारी रखनी होगी। भारत आज ऐसी तकनीक से लैस प्लेटफॉर्म अपना सकता है, जो लैंगिक भेदभाव को कम करे और उम्र के अलग–अलग दौर में महिलाओं की सहायता कर सके। ये काम एक सहयोगात्मक मगर नियामक माहौल में किया जाना चाहिए। इसके साथ सुरक्षा के ऐसे उपाय होने चाहिए कि आंकड़ों का बेजा इस्तेमाल न हो सके। वित्तीय तकनीक के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाले आर्थिक समावेशन से महिलाओं की मनोदशा सुधारने में काफी सहयोग मिल सकता है। उन्हें अपना आत्मसम्मान अर्जित करने में मदद मिल सकेगी। साथ ही उन्हें वित्तीय आत्मनिर्भरता हासिल होगी। जिसके बाद वो अपने जीवन की डोर अपने हाथ में रख सकेंगी। न कि किसी पर निर्भर होंगी।

7

भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति

प्राचीन काल से आधुनिक काल यानि वर्तमान समय तक भारत में स्त्रियों की स्थिति परिवर्तनशील रही है। हमारा समाज प्राचीन काल से आज तक पुरुष प्रधान ही रहा है । ऐसा नहीं है कि स्त्रियों का शोषण सिर्फ पुरुष वर्ग ने ही किया, पुरुष से ज्यादा तो एक स्त्री ने दूसरी स्त्री पर या स्त्री ने खुद अपने ऊपर अत्याचार किया है। पुरुष की उदंडता, उच्छृंखलता और अहम् के कारण या स्त्री की अशिक्षा, विनम्रता और स्त्री सुलभ उदारता के कारण उसे प्रताड़ित, अपमानित और उपेक्षित होना पड़ा। पहले हम इतिहास में भारतीय स्त्रियों की स्थिति पे नजर डाल लें फिर वर्तमान स्थिति का आंकलन करेंगे।

रायबर्न के अनुसार– "स्त्रियों ने ही प्रथम सभ्यता की नींव डाली है और उन्होंने ही जंगलों में मारे–मारे भटकते हुए पुरुषों को हाथ पकड़कर अपने स्तर का जीवन प्रदान किया तथा घर में बसाया।" भारत में सैद्धान्तिक रूप से स्त्रियों को उच्च दर्जा दिया गया है, हिन्दू आदर्श के अनुसार स्त्रियाँ अर्धांगिनी कही गयीं हैं। मातृत्व का आदर भारतीय समाज की विशेषता है। संसार की ईश्वरीय शक्ति दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती आदि नारी शक्ति, धन, ज्ञान का प्रतीक मानी गयी हैं तभी तो अपने देश को हम भारत माता कहकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं।

विभिन्न युगों में स्त्रियों की स्थिति

वैदिक युग– वैदिक युग सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से स्त्रियों की चरमोन्नती का काल था, उसकी प्रतिभा, तपस्या और विद्वता सभी विकासोन्मुख होने के साथ ही पुरुषों को परास्त करने वाली थी। उस समय स्त्रियों की स्थिति उनके आत्मविश्वास, शिक्षा, संपत्ति आदि के सम्बन्ध में पुरुषों के समान थी। यज्ञों में भी उसे सर्वाधिकार प्राप्त था। वैदिक युग में लड़कियों की गतिशीलता पर कोई रोक नहीं थी और न ही मेल मिलाप पर। उस युग में मैत्रेयी, गार्गी और अनुसूया नामक विदुषी स्त्रियाँ शास्त्रार्थ में पारंगत थीं। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता' उक्ति वैदिक काल के लिए सत्य उक्ति थी। महाभारत के कथनानुसार वह घर घर नहीं जिस घर में सुसंस्कृत, सुशिक्षित पत्नी न हो। गृहिणी विहीन घर जंगल के समान माना जाता था और उसे पति की तरह ही समानाधिकार प्राप्त थे। वैदिक युग भारतीय समाज का स्वर्ण युग था।

उत्तर वैदिक युग– वैदिक युग में स्त्रियों की जो स्थिति थी वह इस युग में कायम न रह सकी। उसकी शक्ति, प्रतिभा व स्वतंत्रता के विकास पर प्रतिबन्ध लगने लगे। धर्म सूत्र में बाल–विवाह का निर्देश दिया गया जिससे स्त्रियों की शिक्षा में बाधा पहुंची और उनकी स्वतंत्रता को तथाकथित ज्ञानियों ने ऐसा कहकर उनकी शक्ति को सिमित कर दिया कि– "पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने। पुत्रश्च स्थाविरे भावे, न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति।। वो घर की चारदीवारी में कैद हो गयीं, पढने–लिखने व वेदों का ज्ञान असंभव हो गया और उनके लिए धार्मिक संस्कार में भाग लेने की मनाही हो गयी। बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन हो गया और वैदिक युग की तुलना में उत्तर व दीर्घकाल में उनकी स्थिति निम्न स्तर की होती गयी।

स्मृति युग– इस युग में स्त्रियों की स्थिति पहले से ज्यादा बदतर हो गयी, कारण यह था कि बाल–विवाह तथा बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन और बढ़ गया। इस युग में विवाह की आयु घटाकर 12–13 वर्ष कर

दी गयी। विवाह की आयु घटाने से शिक्षा न के बराबर हो गयी, उनके समस्त अधिकारों का हनन हो गया। उन्हें जो भी सम्मान इस युग में मिला वह सिर्फ माता के रूप में न कि पत्नी के रूप में। स्त्रियों का परम कर्तव्य पति जैसा भी हो उनकी सेवा करना था। विधवा के पुनर्विवाह पर भी कठोर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

मध्यकालीन युग– इस युग में मुगल साम्राज्य होने से स्त्रियों की दशा और भी दयनीय हो गयी। मनीषियों ने हिन्दू धर्म की रक्षा, स्त्रियों के मातृत्व और रक्त की शुद्धता को बनाये रखने के लिए स्त्रियों के सम्बन्ध में नियमों को कठोर बना दिया। ऊँची जाति में शिक्षा समाप्त हो गयी और पर्दा प्रथा का प्रचलन हो गया। विवाह की आयु घटकर 8–9 वर्ष हो गयी। विधवाओं का पुनर्विवाह पूरी तरह समाप्त हो गया और सती–प्रथा चरम सीमा पर पहुँच गयी। इस युग में केवल स्त्रियों के संपत्ति के सम्बन्ध में सुधार हुआ उन्हें भी पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार मिलने लगा।

आधुनिक युग– आधुनिक युग में स्त्रियों की दयनीय स्थिति समाज सुधारकों तथा साहित्यकारों ने ध्यान दिया और उनकी दशा सुधारने के प्रयास किये। जहाँ कवि मैथिलीशरण गुप्त ने स्त्रियों की दशा की तरफ समाज का ध्यान आकर्षित करने के लिए मर्मस्पर्शी पंक्तियाँ लिखी कि– अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी। आँचल में है दूध और आँखों में पानी।।

वहीं कवि जय शंकर प्रसाद ने स्त्रियों की महत्ता का बोध समाज को अपनी इन पंक्तियों से कराया– नारी तुम केवल श्रद्धा हो , विश्वास रजत नग, पग तल में। पियूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।।

साहित्यकारों ने स्त्री की ममता, वात्सल्य, राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वाले गुणों के महत्व को समाज को समझाया और उनकी महत्ता के प्रति जागरूक किया।

अनेक समाज सुधारकों ने उनकी दशा सुधारने के लिए सकारात्मक प्रयास किया। स्वामी दयानंद ने स्त्री–शिक्षा पर बल दिया, बाल–विवाह के विरूद्ध आवाज उठाई। राजा राम मोहन राय ने सती–प्रथा बंद कराने के लिए संघर्ष किया। परिणामस्वरूप सन 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम द्वारा बाल विवाह का कानूनी रूप से अंत कर दिया गया, अब कोई भी माता–पिता लड़की का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले नहीं कर सकता।

1961 के दहेज विरोधी अधिनियम द्वारा दहेज लेना व देना अपराध घोषित कर दिया गया मगर व्यावहारिक रूप से कोई विशेष सुधार नहीं हो पाया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्री की स्थिति– स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्री की दशा में बदलाव आया। भारतीय संविधान के अनुसार उसे पुरुष के समकक्ष अधिकार प्राप्त हुए। स्त्री शिक्षा पर बल देने के लिए स्त्रियों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृति की व्यवस्था हुई। परिणामतः जल, थल व वायु कोई भी क्षेत्र स्त्री से अछूता नहीं रहा। 1995 के विशेष विवाह अधिनियम ने स्त्रियों को धार्मिक व अन्य सभी प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त होकर विवाह करने का अधिकार दिया, अब बहुपत्नी विवाह गैर कानूनी माना गया। स्त्रियों को भी विवाह विच्छेद का पूरा अधिकार मिला और विधवा विवाह भी कानूनी रूप से मान्य हुआ। पत्नी पति की दासी नहीं मित्र मानी जाने लगी।

उपर्युक्त सारी बातें इतिहास की किताबों या बीते समय की बातें हैं और वर्तमान समय में कितनी सही है और कितनी गलत ये इस बात पर निर्भर है कि हम व्यवहारिक रूप से स्त्रियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा की महत्ता को समझें। सिर्फ कानून की किताबों और कानून के रक्षक के हाथों की कठपुतली ही न बनकर रह जाएँ।

वर्तमान युग– वर्तमान युग या आज के समय की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि स्त्रियों की स्थिति पहले से अच्छी है,

लगभग सभी देशों में स्त्री ने पुनः अपनी शक्ति का लोहा मनवाया है। हम कह सकते हैं कि आज का युग स्त्री–जागरण का युग है। भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, को भी स्त्री ने सुशोभित किया। ज्ञान, विज्ञानं, चिकित्सा, शासन कार्य और यहाँ तक कि सैनिक बनकर देश की रक्षा के लिए मोर्चों पर जाने का भी साहस करने लगी है। स्त्री अपराजिता है और उसकी जीत में पुरुषों का योगदान ठीक वैसे ही है जैसे एक पुरुष की जीत में स्त्री का हाथ होता है। उसकी स्थिति को सशक्त बनाने में पिता, भाई, पति और पुत्र का हर कदम पर साथ मिला। स्त्रियों को कानून का भी साथ मिला है मगर अभी भी पूरे देश में स्त्रियों में वो जागरूकता नहीं आई है कि वो कानून से मिले अधिकारों से अपने साथ हो रहे अत्याचार, अन्याय और प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाये। ज्यादातर स्त्रियाँ अपने परिवार और समाज के खिलाफ कदम उठाने का साहस ही नहीं जुटा पातीं। आज भी स्त्रियों का एक बड़ा वर्ग अपने कानूनी अधिकारों से भी अनभिज्ञ है और जो वर्ग आवाज उठाने की हिम्मत करता है उन्हें भी बहरे और अंधे कानून से उचित न्याय नहीं मिल पाता।

सबसे बड़ा सवाल उसके आत्मसम्मान की सुरक्षा का है, आज भी स्त्री हर जगह असुरक्षित है। जिस पुरुष ने अपनी माँ, बहन, बेटी और पत्नी को आत्मनिर्भर बनने में साथ दिया क्या वो उसे समाज में सम्मान से जीने का भरोसा दे पाया? सुबह घर से काम पर निकलने वाली स्त्रियाँ शाम को सुरक्षित घर कैसे लौटें, सबको ये डर सताता रहता है। क्या कानून, पुलिस और हमारा समाज अपनी जिम्मेदारी निभा पाया? क्या ऐसे समाज को हम अच्छा कहेंगे जहाँ स्त्री को अपनी इज्जत की भीख मंगनी पड़े? क्या रिश्तेदारों का साथ होना सुरक्षा की गारंटी दे सकता है? क्या पुरुष पश्चमी सभ्यता नहीं अपनाते? क्या आजादी सिर्फ पुरुषों को मिली है? क्या स्वतन्त्र भारत में भी स्त्रियाँ परतंत्र बनी रहें? सच तो ये है कि वर्तमान समय में स्त्रियों के आत्मविश्वास और आत्मबल को हमारे समाज ने तोडा है, हमारा शिक्षित समाज आज भी

स्त्रियों को सम्मान देने के सम्बन्ध में अशिक्षित ही रह गया है। ये कहते हुए और भी दुःख होता है कि स्त्री स्वयं भी इस स्तिथि के लिए दोषी हैं? वो अपनी ही संतान से लिंग के आधार पर शुरू से ही भेद–भाव करती आई हैं। बेटे और बेटी को एक जैसा संस्कार नहीं दे पाई। अधिकतर स्त्रियों ने बेटों को प्यार और आजादी ज्यादा दी उसी का परिणाम है आज के समाज में स्त्रियों के लिए असुरक्षित वातावरण।

हमेशा से यही माना गया है कि स्त्रियाँ शारीरिक रूप से पुरुषों से कमजोर हैं पर मेरा मन ये नहीं मानता जो स्त्री सृजन की शक्ति रखती है वो कमजोर कैसे हो सकती है ज्यादातर हादसे का शिकार होने की वजह उनका डर और दहशत से कमजोर पड़ जाना ही होता है। एक छोटा बच्चा भी अगर अपनी पूरी शक्ति लगाकर हाथ पैर मारता है या शरीर कड़ा कर लेता है ख्जब बच्चा किसी बात के लिए जिद करता है, तो किसी के लिए भी उसे काबू में करना बहुत मुश्किल होता है। जब अकेली लड़की और स्त्री के साथ अकेले दुष्कर्म करना आसान नहीं रहा तब धोखे से उनके साथ दुष्कर्म होने लगे किसी सॉफ्ट ड्रिंक में नशे की गोली डालकर या फिर एक साथ कई दरिन्दे मिल कर दुराचार को अंजाम देने लगे। आज सबसे जरुरी है कि हमारा समाज अपनी सोंच को बदले जहाँ कानून सिर्फ पन्नों में धरे रह जाते हैं या तो समय पर साथ नहीं देते, उचित न्याय नहीं देते या समय पर न्याय नहीं देते तो हम अपने आप का भरोसा करें स्वयं न्याय करें। अगर स्वयं के घर में भी अपराधी या दुराचारी है तो उसे बचाएं या छुपायें नहीं बल्कि कानून के हवाले करें। अपने पास–पड़ोस और समाज में किसी को भी न्याय की जरुरत हो अन्याय के विरुद्ध खड़े हो न्याय का साथ दें। अपराधी को पनाह नहीं मिलेगी, उसे सजा मिलेगी तभी अपराधियों के मन में दहशत पैदा होगी। सजा भी सरेआम दिया जाये जिससे कोई भी जुर्म करने की जुर्रत न करे। अपने घर के बेटे और बेटियों को सही शिक्षा और संस्कार दें विशेष तौर पर बेटों को स्त्रियों का सम्मान करना सिखाएं उन्हें कभी भी ऐसी कोई शिक्षा न दे कि वह बेटा है तो जैसे

चाहे जी सकता है। बेटा और बेटी दोनों को स्वतंत्रता और स्वछंदता का अंतर अच्छी तरह समझाएं। उन्हें प्यार दें पर अनुशासन में भी रखें रिश्तों की गरिमा के साथ ही उनसे ऐसा सबंध रखें कि वो अपनी हर छोटी–बड़ी बात साझा करे। उचित शिक्षा, प्यार और विश्वास की कमी ही किसी को गलत राह पर ले जाती है।

बेशक कानूनी दृष्टि से स्त्रियों को पूर्ण समानता मिल चुकी है लेकिन सिद्धांत और वास्तविकता में अभी भी बहुत अंतर है। भारत के ग्रामीण स्त्रियों की स्थिति अभी भी अच्छी नहीं कही जा सकती और वहीँ शहरों में की कुछ स्त्रियाँ स्वतंत्रता के नाम पर स्वछंद हो गई हैं। सफलता का मार्ग अपने देश की सभ्यता और संस्कृति की भेंट चढ़ा कर या पश्चिमी सभ्यता का अन्धानुकरण करके पाना किसी के भी हित में नहीं न उनके स्वयं के और न आम स्त्रियों के बल्कि ऐसा करके वो आम स्त्रियों की स्थिति को बदतर बना रहीं हैं। अपने देश की मार्यादाओं को ध्यान में रखकर प्रगतिशील होना ही हितकर है।

समाजशास्त्री अफलातून ने कहा है कि– "समाज में नारी का स्थान व महत्व क्या है वही जो पुरुष का है न कम और न अधिक। स्त्री और पुरुष दोनों एक रथ के पहियों के सामान हैं यदि एक कमजोर या घटिया हुआ तो समाज का रथ निर्विकार रूप से आगे नहीं बढ़ सकता है। ये दोनों नभ में उड़ने वाले पक्षी के दो डैनों के समान हैं यदि एक डैना छोटा या अशक्त रहा तो पक्षी नभ में विचरण नहीं कर सकता।"

नये परिवेश के नये चेहरे

आखिर क्यों हमेशा एक लड़की या एक औरत को ही अपना सब कुछ त्याग देना पड़ता है? फिर व शिक्षित हो या अशिक्षित इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे ही अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है। शादी के बाद अपना घर, माता–पिता, भाई–बहन यहां तक कि अपनी पढ़ाई, अपना भविष्य भी वह अपने ससुराल वालों के लिए छोड़ देती है। वह पूरा दिन घर में काम करती है, उसके लिए उसे कोई पैसे नहीं मिलते,

पर वह उन पैसों की कोई कामना भी नहीं करती। वह हर सांचे में खुद को ढाल लेती है। वह शादी के बाद अपने ससुराल वालों के रंग–ढंग में रच–बस जाती है। और वह ये सब अपने परिवार की खुशी के लिए करती है। सोचिए अगर किसी पुरुष या लड़के को अपने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ने को कहें तो क्या वो छोड़ देगा? यह कदाचित संभव नहीं है। वह ऐसा कभी भी नहीं करेगा। पर एक लड़की, औरत ऐसा करेगी क्योंकि उसके दिल में सबके लिए प्यार होता है। उसे सबकी चिंता होती है।

आज का समाज इतना आगे निकल चुका है, परंतु फिर भी न जाने क्यों कुछ असामाजिक तत्व हमारे समाज में मौजूद हैं आज भी। इनके रहते हमारा समाज आगे कैसे बढ़ सकता है भला! क्या आपको लगता है कि हमारा समाज आगे हैं? मुझे तो नहीं लगता।

पता नहीं आज का समाज चाहता क्या है? क्यों आज के समाज ने उन्हें चुना है जिनका मन बहुत साफ होता है, चाहे तो लड़कियां हों या फिर गृहणियां, उनका मन शीशे की तरह साफ होता है, एक नए खिले फूल की कली जितना कोमल और नाजुक होता है। एक ऐसा साफ शीशा जिसमें वह हर किसी को झांकने की इजाजत दे देती है। पर वह ये कभी नहीं चाहेगी कि कोई उसके कली जैसे कोमल औ नाजुक दिल को ठेस पहुंचाए, उसके साथ खिलवाड़ करे या उसे रौंद दे, कुचल दे। यह हक किसी को नहीं है।

हमारे समाज में कुछ हिस्से ऐसे भी हैं, जहां पर औरतों ने काफी तरक्की भी की है और कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर उन्हें बोझ समझा जाता है। क्यों हमेशा औरतों/लड़कियों को ही किसी बात की आजादी नहीं मिलती। उन्हें भी हक है सुख से रहने का, अपना जीवन आजाद होकर जीने का। जहां तक मेरा ख्याल है– उन्हें पूरा–पूरा हक है, और उन्हें यह हक मिलना चाहिए। आज के समाज में मेरे हिसाब से 73 प्रतिशत औरतें/लड़कियां हर जगह आगे हैं। उदाहरणतया हमारे

देश की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, वो भी तो एक औरत ही हैं। उन्होंने भी तो हमारे देश की सारी बागडोर संभाले हुए हैं। कुछ ऐसे उदाहरण और भी हैंरू जैसे कि– सोनिया गांधी, मदर टेरेसा, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, किरन बेदी और आप लोग जानते हैं कि उस समय में जब भारत आाााद हुआ था, उसके कुछ वर्षों बाद श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं, वे भी एक औरत ही थीं।

इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद भी पता नहीं क्यों लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि लड़कियां बोझ हैं। सब कहते हैं हमारा देश तरक्की कर रहा है। लोगों का कहना है कि हम पहले के मुकाबले काफी हद तक पढ़–लिख गए हैं, हम काफी हद तक शिक्षित हैं, अब भी हमारे समाज में लड़का और लड़की के बीच बहुत यादा भेदभाव किया जाता है और यह बात हम सबसे छिपी नहीं है। इस बात से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि एक ही घर में अगर लड़का जन्म ले तो उसकी खुशी में मिठाइयां बांटी जाती हैं, उत्सव मनाया जाता है, और वहीं दूसरी ओर अगर लड़की का जन्म हो जाता है तो उसे बोझ माना जाता है, उसकी तुलना एक बोझ के साथ की जाती है। यह माना जाता है कि वह अपने परिवार वालों का कल्याण नहीं करा सकती। वह उनका वंश आगे नहीं बढ़ा सकती और तो और उसे जन्म लेने का भी हक नहीं हैं। हमारे देश के कई हिस्सों में लड़की को उसके जन्म से पहले ही उसे जन्म लेने का भी हक नहीं हैं। हमारे देश के कई हिस्सों में लड़की को उसके जन्म से पहले ही उसे उसकी मां के पेट में मार दिया जाता है। और वो जन्म ले तो उस नन्ही–सी जान को या तो गला दबाकर मार दिया जाता है, या फिर उसे दूध के उबलते कढ़ाईयों में डाल दिया जाता है, या उसे जिंदा गाड़ दिया जाता है। उस नन्ही–सी जान को बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है और इस पक्षपात का शिकार और कोई नहीं, बल्कि हमारे समाज के वो नाजुक स्तम्भ हैं, जिसे हम लड़कीऔरत के नाम से जानते हैं।

इस समाज में औरतों को हमेशा ही अपनी हक के लिए तरसना पड़ा है। उसके जन्म से लेकर उसके बड़े होने तक, उसकी शादी होने तक या उसका जीवन समाप्त होने तक। जब वह छोटी होती है तो माता–पिता सोचते हैं इसे पढ़ाने–लिखाने में पैसा खर्च करने से क्या मतलब इसे तो शादी करके ससुराल ही जाना है। वहां अपना घर बसना है। जब वह अपने माता–पिता के घर आती है तो वो उनके लिए काम करती है। शादी के बाद भी उसे दहेज न लाने पर या कम दहेज लाने पर मारा–पीटा जाता है। उसके साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जाता है। यहां तक कि उसे जान से भी मार दिया जाता है और अगर वह पढ़–लिख भी जाए तब भी इस समाज ने उनके लिए कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी हैं। उन्हें उस सीमा में ही रहना पड़ता है। आखिर क्यों हमेशा एक लड़की या एक औरत को ही अपना सब कुछ त्याग देना पड़ता है? फिर व शिक्षित हो या अशिक्षित इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे ही अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है। शादी के बाद अपना घर, माता–पिता, भाई–बहन यहां तक कि अपनी पढ़ाई, अपना भविष्य भी वह अपने ससुराल वालों के लिए छोड़ देती है। वह पूरा दिन घर में काम करती है, उसके लिए उसे कोई पैसे नहीं मिलते, पर वह उन पैसों की कोई कामना भी नहीं करती। वह हर सांचे में खुद को ढाल लेती है। वह शादी के बाद अपने ससुराल वालों के रंग–ढंग में रच–बस जाती है। और वह ये सब अपने परिवार की खुशी के लिए करती है। सोचिए अगर किसी पुरुष या लड़के को अपने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ने को कहें तो क्या वो छोड़ देगा? यह कदाचित संभव नहीं है। वह ऐसा कभी भी नहीं करेगा। पर एक लड़कीऔरत ऐसा करेगी क्योंकि उसके दिल में सबके लिए प्यार होता है। उसे सबकी चिंता होती है।

8

आत्मनिर्भर समाज के लिए महिला सशक्तीकरण

जिस प्रकार एक रथ को चलाने के लिए दो पहिए, एक ही वस्तु को देखने के लिए दो आंखों का, एक ही दूरी तय करने के लिए दो पैरों का महत्व होता है उसी प्रकार सृष्टि के क्रम को चलाने के लिए महिला एवं पुरूष दोनों की आवश्यकता होती है। इस बात को मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि परमात्मा ने मानवीय अस्तित्व के आधार पर महिला एवं पुरूष दोनों को समान शक्ति, समान प्रतिभा, समान अधिकार देकर इस जगत में भेजा, इन दोनों में कहीं विभेद भी नहीं किया, यदि किया तो सिर्फ संतानोपत्ति को ध्यान में रखकर विभेद किया और यही विभेद महिला को पुरूष से कहीं ज्यादा महान् बना देता है, क्योंकि यह विभेद महिला को 'माँ' का दर्जा देता है और माँ, ईश्वर के बराबर होती है। लेकिन बिडम्बना यह है कि परमात्मा के अस्तित्व को नकार कर, मानवता को तिरस्कृत कर इस समाज ने महिला और पुरूष में इतना बड़ा अन्तराल कर दिया है कि स्त्रियों को अपने अधिकार, अपनी स्वतन्त्रता, अपनी अस्तिमा को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, वहीं पुरूष इतना सबल हो चुका है कि उसे अधिकार बचाने, स्वतन्त्रता पाने की आवश्यकता ही नहीं रही है वह तो दूसरों के अर्थात् महिलाओं के अधिकार और उनकी स्वतन्त्रता को छीन रहा है।

उन्नीसवीं शताब्दी में इंग्लैण्ड की महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में महिला अधिकारों की बात कही गई और यह विषय लगभग सभी देशों में प्रचारित हुआ। यह विषय भी पुरूषों द्वारा उठाया गया। कुछ दिन, महीनों की चर्चा के पश्चात् महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। अर्थात् शासक चुनने में उनकी भी भूमिका निर्धारित हुई। धीरे– धीरे महिलाओं की जागरूकता व शासकों के प्रयास में महिलायें भी नौकरी में आईं। उनके कार्यों को यथोचित सम्मान भी मिला। अपनी कर्मठता के कारण उसकी शक्ति बढ़ी और चौखट के अन्दर रहने वाली नारी घर और बाहर दोनों मोर्चों पर सफल हुई। यह भी सुखद पहलू है कि आज वे ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, बी0डी0सी0, जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे पदों पर कार्यरत हैं। धीरे–धीरे ही सही उन्हें अपनी विचार अभिव्यक्ति का अवसर तो मिल रहा है। भले ही कहीं–कहीं महिला सशक्तिकरण्ण की शुरूआत अंगूठा लगाने व हस्ताक्षर से आरम्भ हुई पर एक दिन ऐसा भी आयेगा जब वे अधिकार सम्पन्न होकर कार्य करेंगी। कोई भी क्षेत्र महिलाओं से अछूता नहीं रहा। हजारों स्त्रियां सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, औद्योगिक, अंतरिक्ष, प्रशासनिक आदि समस्त क्षेत्रों में अपनी कार्य कुशलता व जीवटता का परिचय देकर सफलता के नित नये आयाम स्थापित कर रही किये हैं।

मानव शास्त्रियों के मतानुसार सम्पूर्ण समाज का स्पष्टीकरण आयु एवं लैंगिक आधार पर किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि मानवशास्त्रियों ने स्त्री और पुरूषों के मध्य असमानता को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया है। इसलिए दुर्खीम के कथानुसार मानव समाज के प्रारम्भिक श्रम विभाजन में लैंगिक आधार की भी प्रमुख भूमिका रही है। कुछ समाजों में स्त्रियां प्रभुत्ता सम्पन्न हैं जबकि अधिकांश समाजों में पुरूष की सत्ता है। अनेक समाजशास्त्रियों व मानवशास्त्रियों में मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मकता के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया है।

भारतीय नारी सृष्टि के प्रारम्भ से अनन्त गुणों की आगार रही हैं।

पृथ्वी की सी धैर्यता, सूर्य जैसा तेज, समुद्र सी गम्भीरता, चन्द्रमा सी शीतलता, पर्वतों सी उच्चता हमें एक साथ नारी के हृदय में दृष्टिगोचर होती है। वह दया, करूणा, ममता और प्रेम की पवित्र मूर्ति है और समय पड़ने पर प्रचण्ड–चण्डी भी। वह मनुष्य जीवन की जन्मदात्री है। नारी का त्याग और बलिदान भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। प्रेम और बलिदान की भावना कालान्तर में नारी के लिए विष बन गई। नारी का पुरातन सेवाभाव उसी के लिए घातक बन गया। तिरस्कार और उपेक्षा उत्तरोत्तर बढ़ती गई। ज्ञात और अज्ञात कारणों से भारत की वीरांगनाएं और विदुषियाँ घर की ऊँची–ऊँची चहारदीवारी में बन्द होकर, अविद्या और अज्ञान के गहन गर्त में डुबकियाँ लगाने लगीं। छोटी–छोटी सुकुमारियों को पत्नी का स्वरूप दिया जाता था, बेमेल विवाह होते थे। परिणामस्वरूप देश में कुरीतियां बढ़ने लगीं। विधुर हो जाने पर पुरूषों को दूसरे विवाह का अधिकार था, परन्तु बेचारी विधवा जीवन भर रोती रहे, तरसती रहे, इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। स्त्रियों का जीवन पुरूषों की दया पर निर्भर रहने लगा। पर्दा–प्रथा, विधवाओं की हीन दशा, कन्या पक्ष का नीचा समझा जाना, उच्च शिक्षा का बहिष्कार, बेमेल विवाह, उत्तराधिकार से वंचित होना तथा आर्थिक परतन्त्रता आदि सामाजिक कुरीतियों ने पराधीन भारत में नारियों को इतना निम्न बना दिया था कि वे अभी तक पूर्णरूप से जागृत नहीं हो सकी हैं।

भारतीय इतिहास में आदिकाल और वैदिक युग के दौरान सम्भवतः समाज में महिलाओं का स्तर और उनके अधिकारों को सर्वाधिक सम्मान दिया जाता था। हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आदि सभी धर्मों ने नारी को शक्तिशाली, महामाया के सर्वोच्च स्तर पर सम्मान दिया, जिसे अच्छाई की सृष्टा और संरक्षक तथा बुराई की नाश करने वाली माना गया। परन्तु ऐतिहासिक लेखन एवं पक्षपातपूर्ण पितृसत्तात्मक व्यवस्था में कहीं कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से नारी का सम्मान समाज में कम हो गया। भारतीय नारी के इतिहास में एक

महत्वपूर्ण आन्दोलन 19वीं सदी में हुआ। जिसके अन्तर्गत राजनीतिक और सामाजिक आन्दोलन हुए। कुछ चिन्तनशील व्यक्तियों जैसे–राजाराम मोहनराय, ईश्वरचन्द्र विद्या सागर, दयानन्द सरस्वती, केशव चन्द्र सेन, ऐनी बेंसेन्ट आदि ने भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर विचार करना प्रारम्भ किया। राजा राम मोहन राय ने सन् 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और इन्हीं के प्रयत्नों के द्वारा ही सन् 1929 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम बना। राजा राम मोहन राय ने ही बाल–विवाह को समाप्त तथा विधवा पुनर्विवाह को प्रचलित करने के पक्ष में जनमत तैयार किया। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा बाल विवाह और पर्दा प्रथा समाप्त करने के प्रयास किये और ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने बहुपत्नी विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह निषेध का विरोध किया और काफी प्रयत्नों के फलस्वरूप सन् 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना।

''नारी पुरूष की प्रशिक्षिका है वस्तुतः जब वह बालक होता है और जब वह वयस्य होता जाता है। नारी की शिक्षा के फलस्वरूप ही एक कुशल पुरूष, सम्रग जाति और राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि नारी के वास्तविक गुण (दया, कोमलता, पवित्रता, सहनशीलता आदि) उसमें हैं तो वह पुरूष, की रक्षा भी कर सकती है। नारी, जिसने कभी देवी बनकर हमारी रक्षा की, तो कभी पत्नी बनकर हमारा साथ दिया, कभी माँ तो कभी बहन बनकर हम पर स्नेह की वर्षा की, यहॉ तक की जो हमारी जीवन शक्ति है उसके लिए हमारी यह विडम्बना ही है कि उसकी स्थिति सदैव एक सी नहीं रही वरन् काल एवं समय के अनुसार अलग–अलग रूप में परिभाषित की गयी। सन् 1995 में बीजिंग में हुए चौथे विश्व सम्मेलन में भारतीय ग्रामीण रिपोर्ट के अनुसार, ''सशक्तिकरण का अर्थ एक कमजोर स्थिति से मजबूत और शक्तिशाली स्थिति की ओर बढ़ना है। इससे तात्पर्य महिलाओं के अन्दर निहित शक्ति को बढ़ावा देना है।'' महिला सशक्तिकरण का अर्थ वास्तव में महिला को शक्ति प्रदान करना है, न कि पुरूष को वर्चस्व

प्रदान करना। इसका तात्पर्य महिलाओं को समाज के प्रत्येक स्तर पर सही मूल्य प्रदान करना और उनकी उचित भागीदारी को सुनिश्चित करना है। सश्क्त बनने के लिए, महिलाओं को स्वयं पर, अपने अन्दर निहित शक्ति और उर्जा पर विश्वास करना होगा और साथ ही साथ यह आत्मबल भी पैदा करना होगा कि जो कोई भी समस्या उनके मार्ग में अवरोधक बनेगी उसे वे सुगमतापूर्वक समाप्त कर लेगी। उसे अपनी शान और न्याय के जन्मजात अधिकार पर विश्वास रखना होगा और साथ ही साथ अन्याय एवं विभेद के खिलाफ लड़ने की योग्यता पैदा करनी होगी और न्याय के लिए आबाज उठानी होगी।

आज मानव इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, जहाँ जैविकीय युद्ध, परमाणु युद्ध की आशंका और अनवार्यतः भेद—भाव पर आधारित आर्थिक व्यवस्था का बोलबाला है। मानव सभ्यता के लिए चिंता का कारण बने कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हमारी उपभोक्तवादी जीवन शैली की देन हैं। जबकि अन्य मुद्दे ऐसे है जो प्रभुत्व एवं सत्ता के सिद्धान्त की उपज हैं, किन्तु वर्तमान विश्व व्यवस्था के सबसे गूढ़ विषयों में परिस्थिति, की विकास और लिंग संबंधी मुद्दे हैं। अतः इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हाल में सामाजिक विश्लेषण संबंधी वार्तालाप में लिंग के मुद्दे को अन्य सभी मुद्दों के ऊपर माना गया है। क्योंकि इसकी व्यापकता और प्रभाव सबसे अधिक है। विकास के सिद्धान्त महिलाओं को सतत् गुलामी से मुक्ति दिलाने के में विफल रहे हैं। खेती के आधुनिकीकरण ने लिंग आधारित आश्रित श्रम के विभाजन का स्वरूप बदल दिया है, जिससे महिलाओं पर निर्भरता और उन पर काम का बोझ, दोनों ही बढ़ गये हैं। भूमि जैसे संसाधनों पर महिलाएँ अक्सर अधिकार खो बैठती हैं और नई प्रौद्योगिकी से वे सामान्यतः वंचित रहती हैं। विकासशील देशों में महिलाओं को न केवल परिवार का भरण—पोषण करना पड़ता है, बल्कि बेहद निर्धनता की स्थिति में गिरती प्रतिष्ठा, लिंग संबंधी भेदभाव, यौन एवं पितृसत्तात्मक प्रभुत्व का शिकार भी होना पड़ता है।

मेरे विचार से इस प्रश्न की परख इस बात से की जानी चाहिए कि क्या नारी भयमुक्त होकर, सम्मान खोए बगैर, जिस लक्ष्य को पाना चाहती हो, उसका प्रयास कर सकती है और अपने गंतव्य तक पहुँच सकती है। उसे संचार का हक हो, सुरक्षा मिले, आर्थिक निर्भरता समाप्त करने के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों, उसकी इच्छा–अनिच्छा एवं सुझावों को परिवार, समाज व देश के स्तर पर कदर हो, उसे अपनी योग्यता बढ़ाने का अवसर मिले, धन–संपत्ति में हक मिलें, रोज–रोज के एकरस, उवाऊ तथा कमर–तोड़ कामों से राहत मिलें, देश की प्रगति तथा देश का गौरव बढ़ाने में सहयोग का पूरा अवसर हो। संक्षेप में यह कहें कि समाज रूपी रथ के दो पहियों में एक पहिया अगर नारी है, तो उसे भी उतना ही सबल और सुयोग्य होना आवश्यक है जितना पुरूष है। यही सबलता और सुयोग्यता महिला सशक्तिकरण की असली पहचान है।

यदि हम विश्व इतिहास उलटकर देखें तो सहज ही इस तथ्य से अवगत हो जायेंगे कि मानव सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण पड़ाव महिलाओं की ऊर्जा, ओजस्विता और रचनात्मकता पर आधारित रहे हैं। यह प्रवृत्ति भारत में ज्यादा मुखर रही। वस्तुतः भारत दुनिया के उन थोड़े से देशों में है जहाँ कि संस्कृति और इतिहास में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त हैं और जहाँ मनुष्य को मनुष्य बनाने में उसके अवदान को स्वीकार किया गया है। लेकिन यह इतिहास की बात है।

बीसवीं सदी में सत्तर के दशक में नारीवादी आंदोलनों के विस्तार से विकासशील देशों में महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में आवाज बुलंद हुई जो एक दशक पहले कई विकसित देशों में भी फैल गई। विकास की शब्दावली में इसे ''विकास में महिलाओं की भागीदारी'' की संज्ञा दी गयी। इस धारणा में महिलाओं को जब विकास के वर्तमान आदर्शों से जोड़ने पर बल दिया गया तो शिक्षा तक लड़कियों की पहुँच लड़कों के समान न होने की ओर नए सिरे से ध्यान दिया गया, जिसका संबंध विकासशील देशों में व्याप्त गरीबी से जोड़ा गया। महिलाओं को आज निर्धनता के इस दुष्चक्र को तोड़ने की आवश्यकता है।

19वीं सदी में राजा राम मोहन राय, दयानन्द सरस्वती, एनी बेसेन्ट के प्रयत्नों, अंग्रेजों के प्रयत्नों यथा सती प्रथा अधिनियम, 1923 तथा भारतीय महिला समिति, विश्व विद्यालय महिला संघ, अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संस्था, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट, गांधी जी के प्रयत्नों से स्त्रियों की निर्योग्यता कम करने उनकी दशा सुधारने के प्रयत्न किये गये। स्वतंत्रता के पश्चात हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और कन्याओं के अनैतिक व्यापार अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 आदि ने स्त्रियों की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आधुनिक युग में महंगाई से उत्पन्न आर्थिक समस्या ने स्त्रियों को भी धनोपार्जन हेतु प्रेरित किया जिससे उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, पारिवारिक स्थिति में सुधार हुआ। प्रेम विवाह और अन्तर्जातीय विवाह ने दहेज और स्त्री पुरूष समानता के विकल्प प्रस्तुत किये।

भारतीय पुराणों एवम धर्मशास्त्रों में नारियों की करूणा, ममता, महत्ता तथा वीरता से भरा पड़ा है। नारी को यह सम्मान मिलने के पीछे सदियों से उनके तप, त्याग, सेवा, साधना तपश्चर्या, बलिदान, निःस्वार्थ प्यार तथा श्रद्धा, करूणा, आत्मीयता, ममता, स्नेह एवं संवेदना का एक स्वर्णिम इतिहास है। प्रकृति ने भी नारी को अपार करूणा और प्रेम से विभूषित करके धरा पर भेजा है। इसलिए वह माँ है। माँ! जिसके ममत्व की अजस्र धारा का प्रत्येक कण महान है। अगर वह जननी के साथ–साथ सृष्टि का मूलाधार है। उसकी गरिमा महत्ता के बारे में तर्क–वितर्क करना व्यर्थ है, क्योंकि वही सभ्यता की नींव का पत्थर है। उसी ने भटकती मानवता को मार्ग–दर्शन एवं कल्याण की राह दिखाई है।

भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति अलग–अलग प्रकार के दृष्टिकोण हैं हिन्दू धर्म में स्त्री को सम्मान प्रदान करने की दृष्टि से उसे धन, शक्ति और बुद्धि के आदर्श के रूप में प्रदर्शित किया गया है जबकि भारतीय नारी के सन्दर्भ में मान्यता बिल्कुल विपरीत है। आज

भले ही कानून लड़की के पिता के धन पर अधिकार स्वीकार करता है किन्तु इस कानून का क्रियान्वयन समाज में तब तक होना सम्भव नहीं है, जब तक कोई कुंजी कानून के द्वार पर दस्तक नहीं देती। हिन्दू धर्म में शक्ति का अवतार भले ही दुर्गा हो किन्तु भारतीय नारी को आज भी अबला ही माना जाता है। इसी प्रकार एक लम्बे समय तक स्त्री की बुद्धि और विवेक को समाज द्वारा सन्देह की दृष्टि से देखा जाता रहा है और आज भी देखा जा रहा है।

समाज हमेशा अपने पूर्ववर्ती समाज को देखते हुए ही अपनी परम्पराएँ बनाता एवं बिगाड़ता है। केवल भारतीय समाज ही नहीं बल्कि विश्व की किसी भी जाति, सम्प्रदाय, वर्ग का समाज प्राकृतिक रूप से पुरूष सत्तात्मक समाज (कुछ अपवादों को छोड़ कर) रहा है, और वर्तमान में है भी। यदि ऐसा न होता तो पाश्चात्य देशों में अनेक स्त्री लेखिकाओं/समाज सेविकाओं को नारीवादी की संज्ञा न दी गयी होती और उन्हें पुरूषों द्वारा बनायी गयी अनेक परम्पराएँ न तोड़नी पड़ती। उदाहरणतः सेकेण्ड सेक्स की विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखिका सीमोन–द–वोऊवार जिन्हें 20वीं सदी में नारी मुक्ति आंदोलन चलाने की क्या आवश्यकता थी? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की वर्जिनिया कामनवेल्थ विश्वविद्यालय में दर्शन एवं धार्मिक अध्ययन विभाग में इस्लामी अध्ययन की प्रोफेसर डॉ0 अमीना बदूद को कुरान एण्ड वुमेन–री रींडिंग द सिक्रेट टेक्सट फ्राम वुमेन प्रास्पेक्टिव नाम किताब लिखकर कुरान की रोशनी में मुस्लिम औरतों के हम की जोरदार वकालत करने की क्या आवश्यकता है और लज्जा, द्विखंण्डित आदि सैकड़ों पुस्तकों की बंगला देशी लेखिका तस्लीमा नसरीन को निर्वासित करने की क्या आवश्यकता है। यह तो सिर्फ कुछ उदाहरण है ऐसी सैकड़ों स्त्रियाँ हैं तथा कथित विकसित समाज में जिन्हें समय–समय पर स्त्री मुक्ति का आन्दोलन चलाना पड़ रहा है।

उसी तरह भारतीय समाज भी स्त्रियों के मामले में रूढ़िवादी ही रहा है।

(मनुस्मृति प्रकरण 9 श्लोक 3 पेज नं0 276) के अनुसार–

''पिता रक्षति कौमारेभती रक्षति यौवने।

रक्षन्ति स्थविरे पुत्राः न स्त्री स्वातन्त्रयमर्हति''

अर्थात् स्त्री को बचपन में पिता के अधीन, जवानी में पति के अधीन, बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहना पड़ता था अर्थात् कमोवेश यही स्थिति आज भी बरकरार है पूर्ववर्ती समाज में जो स्थिति दलित की थी वही स्थिति स्त्री की भी थीं। जो निम्न श्लोक से स्पष्ट है –

''यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयः किज्यित्समाचरेत।

तत्सर्वमाचरेद्युक्तो यत्र चास्य रमेन्मनः''

(मनुस्मृति प्रकरण 2, श्लोक 227

हमारी स्मृतियाँ भी स्त्री के अस्तित्व के विकास में योगदान नहीं देती। मनु के अनुसार तीस वर्ष पुरूष के लिए बारह वर्ष की कन्या उचित है। पांचवी सदी से लेकर दसवीं सदी के मध्य स्मृतिकारों ने काफी कम उम्र में विवाह पर बल दिया। फलस्वरूप बाल विवाह की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला जो स्त्रियॉ कम उम्र में किसी कारणबश अपना पति खो देती थीं। उन्हें या तो सही होना पड़ता था या जीवन भर वैधव्य भोगना पड़ता था। ऐसी विधवाऍ अनेक प्रपंचों में फँस जाती थीं। और यौन लौलुप पुरूषों का शिकार बन जाती थीं। आधुनिक युग के पुनर्जागरण आंदोलन के कारण बाल विवाह को अनुचित माना जाने लगा और विधवा विवाह को स्वीकृति मिलने लगी। किंतु पुरूषों का रूढ़िवादी मन आज भी खुले मन से इसे स्वीकार नहीं कर पाता। जब कहीं दंगे फसाद होते हैं। तो उन्मादी भीड़ दूसरे वर्ग के पुरूषों की हत्या करती है। किन्तु सबसे महिलाओं को पहले दुष्कर्म का शिकार बनाती है। एक ओर नृशंस हत्या दूसरी ओर दुष्कर्मों का होना क्या ये दोनों बातें एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं कहे जा सकते हैं ?

हमारी स्मृतियाँ भी स्त्री के अस्तित्व के विकास में योगदान नहीं

देती। मनु के अनुसार तीस वर्ष पुरूष के लिए बारह वर्ष की कन्या उचित है। पाचंवी सदी से लेकर दसवीं सदी के मध्य स्मृतिकारों ने काफी कम उम्र में विवाह पर बल दिया। फलस्वरूप बाल विवाह की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला जो स्त्रियॉ कम उम्र में किसी कारणबश अपना पति खो देती थीं। उन्हें या तो सही होना पड़ता था या जीवन भर वैधव्य भोगना पड़ता था। ऐसी विधवाएॅ अनेक प्रपंचों में फँस जाती थीं। और यौन लौलुप पुरूषों का शिकार बन जाती थीं। आधुनिक युग के पुनर्जागरण आंदोलन के कारण बाल विवाह को अनुचित माना जाने लगा और विधवा विवाह को स्वीकृति मिलने लगी। किंतु पुरूषों का रूढिवादी मन आज भी खुले मन से इसे स्वीकार नही कर पाता। जब कहीं दंगे फसाद होते हैं। तो उन्मादी भीड़ दूसरे वर्ग के पुरूषों की हत्या करती है। किन्तु महिलाओं को पहले दुष्कर्म का शिकार बनाती है। एक ओर नृशंस हत्या दूसरी ओर दुष्कर्मों का होना क्या ये दोनों बातें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

सभ्यता, संस्कृति, अंहिसा, दयालुता जैसे गुणों की कितनी भी चर्चा की जाए, सभी धर्मों के उपदेशों को कितना भी सुना और गुना जाए किंतु मनुष्य के आदिम स्वाभाव में कोई अंतर आता दिखाई नहीं देता। मनुष्य जब हिंसा पर उतारू हो जाता है। अथवा यौनाचार की दुर्दम्य आकांक्षा उसमें जाग उठती है। जब संस्कृति और सभ्यता का लबादा उतारने में उसे देर नहीं लगती।

भारत तथा संसार के अधिकांश देशों में स्त्रियों की प्रस्थिति को लेकर सिद्धान्त और व्यवहार के बीच एक बड़ा अन्तर देखने को मिलता है। इस्लाम के अतिरिक्त सभी धर्म तथा सामाजिक कानून स्त्रियों की प्रतिष्ठा एवं सम्मान को सबसे अधिक महत्व देते हैं तो दूसरी ओर व्यवहार में, अधिकांश समाजों द्वारा स्त्रियों को सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है।भारत के वैदिक युग में जहाँ स्त्रियों को सम्पत्ति, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक मानकर उन्हें लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के रूप में मान्यता दी गयी, वहीं स्मृतिकालीन

धर्मशास्त्रों में स्त्रियों को 'दासी' अथवा 'वस्तु' का भी रूप दे दिया गया, जिसके साथ पुरूष किसी भी तरह का मनमाना व्यवहार कर सकते हैं। पुरूष प्रधान सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को पुरूषों की वासना पूर्ति का एक साधन मात्र समझा जाता रहा है। यह बात उन सभी जातियों और वर्गों के लिए सच है कि जिनकी प्रणाली सामन्तवादी विचारों से प्रभावित हैं। दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली जगत जननी की समाज में जो स्थिति होनी चाहिए वह कहीं भी परिलक्षित नहीं हो रही है। कब तक पुरूष प्रधान समाज नारी की अस्मिता को पृथक और समग्र रूप में स्वीकार कर सकेगा? पत्नी को अपने बराबर या कुछ आगे बढ़ते देखकर उनका पुरूषत्व आहत क्यों होता है? पति की सफलता और तरक्की पर पत्नी जिस तरह प्रसन्न होती है, उसी तरह पति, पत्नी की सफलता को क्यों नहीं स्वीकार कर पाता?

अब प्रश्न उठता है कि आखिर सशक्तिकरण है क्या, वो भी महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में? महिला सशक्तिकरण – अर्थात् महिलाएं को सशक्त बनाना। सशक्त बनाने से तात्पर्य यह है कि उनको समाज में इस तरह का अधिकार व सम्मान प्राप्त हो सके जिससे समाज में उनके अस्तित्व की पहचान एक अबला के रूप में न होकर सबला के रूप में हो। नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता तब पड़ी जब भारत में शक, हूण, कुशाण, एवम मुगलों आदि का आक्रमण हुआ। तभी से 'नारी रक्षा' का प्रश्न उठा है।

सन् 1995 में बीजिंग में हुए चौथे विश्व सम्मेलन में भारतीय ग्रामीण रिपोर्ट के अनुसार, "सशक्तिकरण का अर्थ एक कमजोर स्थिति से मजबूत और शाक्तिशाली स्थिति की ओर बढ़ना है। इससे तात्पर्य महिलाओं के अन्दर निहित शक्ति को बढ़ावा देना है।" महिला सशक्तिकरण का अर्थ वास्तव में महिला को शक्ति प्रदान करना है, न कि पुरूष को वर्चस्व प्रदान करना। इसका तात्पर्य महिलाओं को समाज के प्रत्येक स्तर पर सही मूल्य प्रदान करना और उनकी उचित भागीदारी को सुनिश्चित करना है। सशक्त बनने के लिए, महिलाओं

को स्वयं पर, अपने अन्दर निहित शक्ति और उर्जा पर विश्वास करना होगा और साथ ही साथ यह आत्मबल भी पैदा करना होगा कि जो कोई भी समस्या उनके मार्ग में अवरोधक बनेगी उसे वे सुगमतापूर्वक समाप्त कर लेगी। उसे अपनी शान और न्याय के जन्मजात अधिकार पर विश्वास रखना होगा और साथ ही साथ अन्याय एवं विभेद के खिलाफ लड़ने की योग्यता पैदा करनी होगी और न्याय के लिए आबाज उठानी होगी।

महिला सशक्तिकरण वास्तविक अर्थों में महिला को इस योग्य बनाना है कि वे अपनी बुद्धिमता, अपनी सुविधाओं, अपना योग्यताओं एवं क्षमताओं को प्रत्यारोपित कर सकें और अपने अन्दर निहित उर्जा को पहचानें एवं विचार, कथन और कार्य करने की आजादी के साथ–साथ अपनी निजी जिन्दगी के प्रत्येक क्षेत्र को स्वशक्ति द्वारा संचालित कर सके। यह मात्र उन्हें अपनी क्षमताओं के प्रति मात्र जागरूक करना नहीं है वरन् उन्हें वह अवसर, सुविधाएं, आंतरिक एवं बाह्य वातावरण उपलब्ध कराने से है जिससे कि वे अपने अन्दर आत्म–विश्वास, आत्मबल, सामाजिक, आर्थिक आत्म निर्भरता का विकास कर सके और साथ ही साथ अन्याय, प्रताड़ना और अपने ऊपर हो रहे हिंसा के विरूद्ध आवाज उठने की योग्यता को विकसित कर सके। पुरातन काल में ऐत्रेई, इन्द्राणी, काक्षीवटी, सूर्या, सावित्री, दक्षिणा और रात्रि भारद्व ार जैसी विदुषियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेदों की ऋचाओं को संकलन किया। भवभूति ने उत्तर रामचरित में वर्णित किया है कि ऐत्रेयी ने वाल्मीकि आश्रम में वेदांत की शिक्षा लव और कुश के साथ अर्जित की थी। प्राचीन काल में अनुसुइया, कैकेयी, सीता, मनोरमा, कुन्ती और द्रोपदी ने अपनी बुद्धिमता से इतिहास की रचना की है।

नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण यह भी है कि नारी ने प्रत्येक युग में अपनी शक्ति का लोहा मनवाया है। प्राचीन काल की भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अब तक जितना भी अध्ययन और विश्लेषण हुआ है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि अतीत में भारतीय

नारी का स्वरूप और स्थान गौरवमय रहा है। उसे परिवार व समाज में आदर की दृष्टि से देखा जाता था। शिक्षा क्षेत्र से लेकर युद्ध के मैदान तक वह पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती और संघर्ष करती आ रही है। लक्ष्मीबाई, एनी बेसेन्ट, इन्दिरा गांधी, महादेवी वर्मा, मायावती, सोनिया गांधी, कल्पना चावला, किरण बेदी, वसुन्धरा राजे, अंजु गुप्ता, तसलीमा नसरीन , सन्तोष यादव आदि ऐसी महिलायें हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा और संघर्ष से अपना स्थान बनाया।

वर्तमान में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता में सबसे प्रमुख बाधायें अशिक्षा, बालिका भ्रूण हत्या, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, आर्थिक परावलम्बन, उनके प्रति बढ़त यौन अपराध, अधिकारों तथा कर्तव्यों की जानकारी का अभाव, निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी अवहेलना, पुरूष प्रधान समाज, चेतना का अभाव तथा हमारा सांस्कृतिक परिदृश्य आदि हैं। सशक्तिकरण बहुत ही व्यापक शब्द है। सशक्तिकरण का अर्थ सामाजिक न्याय, आर्थिक स्वावलम्बन, निर्णय लेने की क्षमता का विकास तथा उनका बहुआयामी विकास है।

महिलाओं का सशक्तिकरण पितृसत्ता और उसके नियंत्रणों के विरूद्ध है न कि पुरूषों के। महिलाओं के और अधिक सशक्तिकरण का उद्देश्य पुरूष और महिला दोनों का पूरा और समग्र विकास। अर्थात् पुरूष व महिला दोनों को ही विकास के समान अवसर प्राप्त कराये जायें। इस तरह महिला सशक्तिकरण की यह प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनेकों मुद्दे शामिल हैं और इसका उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना है। शक्तिहीनता से समाज के विभिन्न स्तर की महिलायें विभिन्न रूपों में प्रभावित होती हैं। गरीबी में रहने वाली महिलायें तो दोहरी मार को झेलती हैं, उन्हें गरीबी की चुनौतियों और विनाश से संघर्ष के साथ–साथ लैंगिक समानता और ज्यादा पाने के लिए भी लड़ाई करनी पड़ती है।

किसी भी देश के सांस्कृतिक विकास का निर्माण नारियों पर अधिक निर्भर करता है, तभी तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था – ‘‘तुम

मुझे एक योग्य माता दे दो; मैं तुम्हें एक योग्य राष्ट्र दूँगा।'' । स्वामी विवेकानन्द के अनुसार हमारी जाति के ह्यास का मुख्य कारण शक्ति के इन प्रतिरूपों कि प्रति आदर का अभाव है। महिलाएं ईश्वर द्वारा प्रदान की गयीं,उन नायाब तोहफों में से एक हैं जिसे उसने समाज एवं सभ्यता की विकास के लिए और विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए निरूपित किया है। महिलाएं सामाजिक मूल्यों एवं परम्पराओं की संरक्षक हैं तो समय पड़ने पर अपने सहयोगी की दिशा निर्देशक भी हैं। महिलाओं के बिना मानव के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक बार यदि वे अपने मूल्य एवं प्रतिष्ठा के प्रति जागरूक हो जाएगी और निश्चित दृढ़ प्रतिज्ञ होकर आगे बढ़ें तो वे समाज को समृद्ध बनाने के साथ–साथ स्वयं को पूर्ण तप से सशक्त कर सकती हैं। इसके लिए महिलाओं को स्वयं आगे आना होगा और जन आन्दोलन छेड़ना होगा एवं समाज में जन चेतना द्वारा इसकी परम्पराओं एवं रूढ़ियों में परिवर्तन लाना होगा। देश को भी कथनी और करनी में अन्तर की परम्परा को छोड़कर ऐसे कार्य करने होंगे जिससे कि समाज के प्रत्येक घटकों के साथ–साथ देश राष्ट्र एवं समाज का समग्र विकास हो सके।

परन्तु आज सम्पूर्ण विश्व में महिलाएं किसी न किसी रूप में असमानता, अत्याचार एवं शोषण की शिकार किसी न किसी रूप में हो रही हैं। महिलाओं की इस अवस्था में अब तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। हालांकि प्रजातंत्र के विकास के साथ–साथ महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिस्थितियों में कुछ अन्तर अवश्य दृष्टिगोचर होता है। आज प्रत्येक स्तर पर सशक्तिकरण हेतु महिलायें विश्व में हर स्थान में संघर्षरत हैं। इस सशक्तिकरण में समाज, पुरूषवादी मानसिकता तथा स्वयं महिलायें किसी न किसी रूप में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अनेक संवैधानिक प्रावधान महिलाओं के प्रति विकास की मुख्य धारा में लाने में बौने साबित हो रहे हैं, वर्तमान में केवल सतही सशक्तिकरण ही दिखता है। स्त्री सम्बन्धी इस प्रकार के दोहरे मापदण्ड पुरूष समाज की देन है। किन्तु इतना ही सत्य यह भी है कि नारी स्वयं भी इन मापदण्डों के लिए पुरूष के समान ही दोषी है।

स्त्रियों की प्रस्थिति में विविधता होते हुए भी इनके बारे में हमारी एक निश्चित विचारधारा है कि भारतीय स्त्रियां पवित्र और ईश्वरीय हैं और इस विचारधारा के ठीक विपरीत यह भी धारणा है कि रजस्वला होने के कारण स्त्रियाँ अशुद्ध एवं प्रदूषित हैं। कुछ लोगों का विचार है कि उच्च जाति की स्त्रियां पतिव्रता और श्रद्धालु होती हैं, इनमें दया, ममता और करूणा कूट–कूट कर भरी होती है ठीक इसके विपरीत यह धारणा है कि निम्न जातियों की स्त्रियां कमजोर हैं और पुरूषों पर निर्भर होती हैं।

वर्तमान समय की नारी ने प्रगति की ओर प्रयास किए हैं, लेकिन आपेक्षिक परिवर्तन नहीं हो सके हैं। इस परिवर्तन के युग में उस अनेक आरोप–प्रत्यारोप लगते रहते है जैसे कि आज की नारी तितलियों की तरह अपने केश रंगकर, कपोलों पर मेंहदी का रंग रचाएं, शारीरिक वाह्य सुन्दरता को सुरक्षित रखने में सलंग्न हैं। पुरूषों को मोहनें के लिए अपने आपको सजानें और संवारने की पुरातन प्रकृति को वह आज भी नहीं छोड़ सकी हैं। 'आधुनिक नारी ने निःसन्देह बहुत कुछ प्राप्त किया है, पर सब कुछ पाकर भी उसके भीतर का परम्परा से चला आया हुआ कुसंस्कार नहीं बदल रहा है, वह चाहती है कि रंगीनियों से सज जाए और पुरूष उसे रंगीन खिलौना समझकर उससे खेले, वह अपने को एक रंग बिरंगी तितली बनाये रखना चाहती है।

समाज में यह धारणा है। कि स्त्री भोग्या है। उसकी स्थिति वैसी ही है। जैसे विविध प्रकार के वस्त्रों और व्यंजनों की होती है। ''स्त्री का अपना अस्तित्व होता है। उसकी अपनी अस्मिता होती है। अपना व्यक्तित्व होता है। इस धारणा को पनपने में सदियों का समय लगा है। किंतु पुरूष मन आज भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसका यह उदाहरण एक है कि महिलाओं को संसद में 30 प्रतिशत आरक्षण देने संबधी विधेयक अनेक वर्षों से लटका हुआ है। सही दल इससे सहमति व्यक्ति करते है। किंतु कोई न कोई अंड़गा लग ही जाता है।

क्या वास्तव में नारी इतनी सबल नहीं है कि वह अपनी समस्याओं को बौना कर सके? यदि नहीं, तो सीता, राधा, रानी लक्ष्मीबाई, इन्दिरा गाँधी, मदर टेरेसा, कल्पना चावला, किरण बेदी, मेधा पाटेकर, वृन्दा करात, अरून्धती राय, कृष्णा शोभावती, अन्जू बॉबी जार्ज इत्यादि कौन है? क्या ये सभी सषक्त नारी को नहीं दर्शाती है। नारी सशक्त है, बस उसमें आत्मविश्वास, धैर्य, प्रयत्न तथा लालसा की कमी है जो उसे संगठित होकर ही मिल सकती है। 'अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता', 'एकता में शक्ति' होती है, के सिद्धान्त को मानकर महिलाओं को अपने विरोध में उठने वाली हर आवाज के प्रति संगठित होना होगा। किसी भी देश के विकास में वहाँ की श्रमशक्ति, मानव संसाधन के आकार, कार्य तथा कार्य में नियमतता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस प्रकार देश का समग्र विकास तभी समीप होगा, जब वह समानता कानूनी तौर पर तथा सैद्धान्तिक होने के साथ–साथ समाज में व्यवहारिक तौर पर स्वीकार हो।

लिंग संबंधी भेदभावों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं की प्रजनक भूमिका है, जो पुरूषों के मुकाबले महिलाओं के जीवन के अवसरों को अधिक जटिल बना देती है। पुरूष जब व्यस्क हो जाता है, तो वरिष्ठता के साथ उनकी भूमिका में कोई बदलाव नही आता, किन्तु महिलाओं की भूमिका उत्पादन और पुनरूत्थान की बदलती पद्धतियों के अनुरूप एक दशक से दूसरे दशक में परिवर्तित होती रहती हैं। महिलाओं की भूमिका को परिवार के रोजी कमाने वाले पुरूष की सहायता में प्रजनक और घरेलू समझा जाता है।

लेकिन मुर्दों की दुनिया में स्त्री की 'आजादी' का अर्थ माना गया है उसका 'पतित' और कुलटा होना। अरविन्द जैन ने अपनी पुस्तक में ठीक लिखा है कि एक स्त्री तो वह है जो घर में रहती है, समय पर खाना पकाती है, बच्चे पालती है, पति का काम करती है, ऐसी ही स्त्री को महान कहा जा सकता है। दूसरी है साझी संपत्ति, जिसमें कालगर्ल, वेश्याएं आदि आती हैं। अक्सर इन्हें 'आजाद' स्त्री की कोटि

में रखा जाता है। 'आजाद स्त्री' माने कुलटा स्त्री। अफसोस कि स्त्री की इस छवि को बनाने में न धर्मशास्त्र पीछे रहे है, न ही साहित्य।

बहुत से लोगों को जिस चिन्ता ने घेरा हुआ है, वह यह है, कि क्या महिलाओं का सशक्तिकरण पुरूषों के विरूद्ध किया जा रहा है, इस विषय में कुछ भ्रान्ति हो सकती है। परन्तु यह आशंका सच नहीं है, महिला सशक्तिकरण पुरूषों के हितों के खिलाफ होगा, और पुरूषों को शक्तिहीन बना देगा।

पुरूष और महिलाओं की सामाजिक स्थिति में अंतर यों तो पूरे समाज में मौजूद हैं, किन्तु ग्रामीण समाज में हालत बद से बद्तर हैं। गाँवों में इस चेतना का बहुत हल्का असर हुआ है। किन्तु ग्रामीण समाज में औरतें परिवार और समाज के घोर शोषण का शिकार हैं। लड़कियों का जन्म प्रायः अशुभ माना जाता है और कुछ समुदायों में तो पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता है। बच्चों के लालन–पालन में लड़कों की तुलना में भेदभाव के कारण लड़कियों को कम पौष्टिक आहार मिलता है जिससे वे बचपन में अकाल मृत्यु का शिकार या दुर्बलता के कारण अस्वस्थ रहती हैं। सामाजिक कुरीतियों बाल–विवाह, दहेज प्रजा, बंधुआ मजदूरी, नशाखोरी आदि का प्रभाव भी गाँवों में अधिक होता है। जिससे महिलाओं का स्वयं में आर्थिक स्वावलंबन का न होना है। महिला सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम शिक्षा और उसके बाद आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों में सहयोग कर हम महिलाओं को सशक्त बनाकर देश को विकासित राष्ट्र की श्रेणी में ला सकते हैं।

इस प्रकार हम देख रहे हैं। हमें सर्वप्रथम समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे– बाल विवाह, मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा, विधवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार, मृत्यु भोज, विवाह समारोह में अत्यधिक व्यय, भ्रूण हत्या, पुत्र को प्राथमिकता, पुत्रियों के जन्म पर शोक .... आदि–आदि अनेकानेक बुराइयों से दृढ़ता पूर्वक छुटकारा पाना होगा।

लड़कियों पर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक अत्याचार की कहानी सबसे पहले घरों से ही शुरू होती है। भ्रूण हत्या के जरिये वे माँ की कोख ही हिंसा का शिकार होतीं हैं। कोख से निकलकर यदि गोद में आ भी गयी तो अनेक मामलों में माँ की आंचल उन्हें पूरी–पूरी सुरक्षा नहीं दे पाता। वे घर पर खान–पान, रहन–सहन, शिक्षा और चिकित्सा के मामले में लैंगिक भेदभाव का शिकार बनती हैं।

इन सभी सामाजिक कुरीतियों में 'दहेज–प्रथा' महिलाओं के सामने बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। दहेज प्रथा एक ऐसी घातक एवं जघन्य प्रथा है, जिसने हमारे समाज के मजबूत ढांचे को लड़खड़ा दिया है। हमारी सामाजिक व्यवस्था की गाड़ी की धुरी मानों तड़तड़ाकर विखण्डित हो जाना चाहती है। दहेज की इस डायन ने समाज के भाई और बहनों के बीच द्वेष की दीवार खड़ी कर दी है, पिता और पुत्री के बीच घृणा की चिन्गारी सुलगा दी है, पति और पत्नी के पावन सम्बन्ध में अनाचार और स्वार्थ का विष घोल दिया है। इसी कारण आज समाज में पुत्री, पिता का भार है, भाई बहन से लाचार है, पति को पत्नी से नहीं धन से प्यार है। अगणित कुलीन कन्याएं विष का घूंट पीकर यमलोंक सिधार गईं, कितनी ही अग्निदेव की गोद में समा गई और कुछ ऐसी भी हैं जो ठीक समय पर वैवाहिक सम्बन्ध न हो पाने से जीवन के प्रकाशमान राजमार्ग से भटक कर ऐसी टेढ़ी–मेढ़ी पगडण्डी पर चल पड़ी हैं जो उन्हें पाप और सन्ताप से परिपूर्ण अन्धकारमयी नरक की नगरी में पहुँचा देता है।

अधिकांश स्त्रियों की स्थिति पुष्प में बन्द भंवरे के समान है जो सोचता है कि प्रातः काल या सुबह होगी तथा पुष्प खिलनें पर वह वातावरण का आनन्द विचरण करते हुए करेगा परन्तु बीच में ही हाथी के द्वारा पुष्प को डाल सहित तोड़ दिया जाता है तथा भंवरे की पूर्व योजना, सपनें सब टूट जाते हैं अथवा खण्डित हो जाते हैं उपर्युक्त उदाहरण भ्रूण हत्या के सन्दर्भ में है।

लड़कियों पर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक अत्याचार की कहानी सबसे पहले घरों से ही शुरू होती है। भ्रूण हत्या के जरिये वे माँ की कोख ही हिंसा का शिकार होतीं हैं। कोख से निकलकर यदि गोद में आ भी गयी तो अनेक मामलों में माँ की आंचल उन्हें पूरी–पूरी सुरक्षा नहीं दे पाता। वे घर पर खान–पान, रहन–सहन, शिक्षा और चिकित्सा के मामले में लैंगिक भेदभाव का शिकार बनती हैं।

समाज में नारी उत्पीड़न देखकर सम्भवतः माँ भी स्वयं ही यह कहती रही होगी 'प्रतिदिन मरने से अच्छा है एक बार मर जाना' उस जीव को धरती पर लाने के लिए वही जिम्मेदार थी इसलिए वह अपनी ममता को मारकर इस प्रकार के दुष्कृत्य में अनचाहे या स्वेच्छा से शामिल हो जाती थीं। आज के समाज में होने वाली असंख्य कन्या–भ्रूण हत्या का कारण भी समाज में व्याप्त दहेज जैसी अनेक कुरीतियां ही हैं जो माँ के ममत्व को भी चुनौती देती हैं। कन्या भ्रूण हत्या का सबसे महत्वपूर्ण कारण आज की संकीर्ण सोच है। इस समस्या का निदान तभी संभव है जब सामाजिक चिन्तन में परिवर्तन आये और हमारी अपेक्षाएं परिवर्तित हों।

आज आजादी के छःह दशक से अधिक वर्ष बाद भी भारत में बाल विवाह होते हैं। दहेज के लिए लड़कियों को जला दिया जाता है। दलित महिलाओं को निर्वस्त्र गांव में घुमाया जाता, दिल्ली में मेडिकल छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार होता है, ऐसा क्यों? आज की करोड़ों नारियों की स्थिति शोषित उपेक्षित एवं कुण्ठित है, जो महिलाएं नौकरी पेशा हैं, वे भी पुरूष प्रताड़ना, मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना का शिकार हैं। वर्तमान में बदलते परिवेश के अनुरूप नारी को बदलना भी आवश्यक है। स्वयं महिलाओं को जागरूक रहकर अपने अनुकूल वातावरण तैयार करना चाहिए एवं सामाजिक सहभागिता लेकर चलने का प्रयत्न करना चाहिए।

एक प्रश्न जो प्रत्येक मानव के मस्तिश्क को ग्रसित किए है वह यह कि, प्रत्येक स्तर पर इतनी कोशिशों के बावजूद,

सामाजिक–आर्थिक–वैज्ञानिक विकास के बावजूद महिलाओं पर इतने जुल्म, घरेलू हिंसा, मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना और लिंग भेद, जन्म से ही घर के अन्दर यहाँ तक की बाहर भी क्यों कर हो रहे हैं, आखिर क्यों? महात्मा गाँधी द्वारा 20 अक्टूबर 1936 को राजकुमारी अमृत कौर के पास लिखित एक पत्र में उन्होनें व्यक्त किया कि, ''यदि तुम औरतें अपनी गरिमा और सुविधाओं को पहचान जाओ और उसका मानव जाति के लिए पूर्ण रूप से उपयोग करो, तो तुम इसे इससे और बेहतर बना सकती हो। लेकिन पुरूष को तुम्हें गुलाम बनाने में प्रसन्नता होती है और तुमने भी स्वेच्छा से गुलामी स्वीकार है, जब तक कि गुलाम और उनके मालिक मानवता के ह्यास के गुनाह में एक हैं।''

नई दिल्ली में घटित हुए प्रियदर्शिनी मट्टू हत्याकाण्ड का फैसला सुनाते समय न्यायाधीश ने यह स्वयं स्वीकार किया था कि आरोपी अभियुक्त ही इस हत्याकांड का जिम्मेदार है परन्तु राजनीतिक दबाव के चलते सी.वी.आई. द्वारा सबूत इकट्ठा न कर पाने के कारण अभियुक्त को बरी कर दिया गया। न्यायालयों के इतिहास में शायद यह प्रथम फैसला था जिसमें अभियुक्त को हत्यारा तो माना गया परन्तु सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। कई घटनाओं के बाद धनंजय चटर्जी जैसे बलात्कारी को फांसी दिया जाना अपने आपमें एक महत्वपूर्ण घटना हो सकती है परन्तु क्या भारतीय न्यायालय द्वारा ऐसी सभी घटनाएं, जो कि महिला यौन प्रताड़ना से सम्बन्धित होती हैं, को क्या न्याय दिया जाता है। केवल महिलाओं की साक्षरता ही उन्हें सशक्त नहीं बनाती, उन्हें सशक्त बनाती है उनकी कार्य के प्रति लगन की भावना जो उन्हें और उच्च पद पर आसीन होने के लिए उत्साहित करती हैं तथा वो अधिकार जो स्त्री अस्मिता को बचाने के लिए उसे प्रदान किये जाते हैं। बस, इन अधिकारों का न्यायपूर्वक स्पष्टीकरण तथा कार्यान्वयन आवश्यक है ताकि महिलाएं न्याय, न्यायालय व न्यायाधीशों की ओर से त्वरित राहत पा सकें। चर्चित न्यायाधीश श्री वी0आर0 कृष्ण अय्यर ने एक जगह लिखा है कि Law is what Law

Does अर्थात् उसे ही कानून कहते है जो कानून करता हैं। अर्थात् संविधान में अच्छी बातें लिख देने से काफी न होगा, आवश्यकता है इन बातों को अमल करने की जो एक बेहतर मानवीय व न्यायपूर्ण समाज बना सके। महिला सम्मान के लिए जारी संघर्ष के लिए यह बात ज्यादा सटीक एवं जरूरी जान पड़ती है।

महिलाओं के ऊपर अत्याचार, उनका उत्पीड़न, उनके शोषण में हमेशा पुरूष ही नहीं रहा कई बार यह देखा जाता है कि इन सबके पीछे औरत का ही हाथ होता है। देखा गया है कि एक महिला दूसरी महिला को आगे बढ़ता नहीं देख सकती। इसी तरह की भावना पुरूषों में कम पायी जाती है। इसकी सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि यदि सुषमा स्वराज एवं उमा भारती ने विरोध न किया होता तो शायद भारत की प्रधानमंत्री एक बार फिर एक महिला होती। महिलाओं के सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाले तमाम अवरोधों में महिलाओं में एक दूसरे के प्रति द्वेष–भावना भी है।

कहने का तात्पर्य है कि महिलाओं के पिछड़ेपन एवं उन पर होने वाले अत्याचारों के लिए पुरूष वर्ग तो उत्तरदायी है ही, साथ ही साथ स्वयं महिलाएं भी इसके लिए बखूबी जिम्मेदार हैं। एक महिला ही दूसरी महिला को बढ़ते हुए नहीं देख सकती। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं उनके प्रति पैदा हो रही सामाजिक कुरीतियों के लिए स्वयं महिलाएं भी कम जिम्मेदार नहीं है। जैसे एक सामाजिक ज्वलंत कुरीति– 'दहेज' को लें तो, इसके पीछे पुरूष जितना जिम्मेदार है, उससे कहीं ज्यादा महिलाएं हैं। बल्कि यूँ कहें कि महिलाएं ही दहेज के लिए पुरूषों को प्रेरित करती हैं तो अतिश्योंक्ति होगी। बहरहाल इसके पीछे कोई भी जिम्मेदार हो, यदि हमें विकसित होना है, तो अपना चहुँमुखी विकास करना होगा और महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर भी ध्यान देना होगा।

प्रारम्भिक मानव के विकास के इतिहास का सूक्ष्म अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि प्रकृति–प्रदत्त वस्तुओं, पादपों एवं खाद्य–सामग्री

को संरक्षित करने में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नारी को महान इसीलिए कहा गया क्योंकि उसने न केवल सृष्टि का सृजन कर मनुष्य को जन्म दिया अपितु मनुष्य को प्रकृति में जीवित रहने के योग्य भी बनाया। बहरहाल कोई भी समाज कितना सभ्य है, यह इस बात से आंका जाता है कि उसमें निवास करते वाली महिलाओं के साथ कैसा सुलूक होता है? ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का नागरिक समाज अदालतें और अनेक इंसाफ पसंद लोग औरतों की लड़ाई में उनका साथ देगें। ट्रेनों में महिलाओं के साथ छेड़खानी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए 1992 में सबसे पहले मुंबई में दो लेडीज स्पेशल ट्रेन की शुरूआत की गयी थी लेकिन ये दोनों गाड़ियां वहॉ की कामकाजी महिलाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पर्याप्त नहीं थीं।

वर्तमान में महिलाएं समाज व राज्य की विभिन्न गतिविधियों में पर्याप्त सहभागिता कर रहीं है परन्तु इससे उनके प्रति घरेलू–हिंसा के अलावा कार्यस्थल, सड़कों एवं सार्वजनिक यातायात के माध्यमों में वे समाज के अन्य स्थलों पर होने वाली हिंसा में भी वृद्धि हुई है। सत्य है कि महिला सशक्तिकरण के अनेक प्रयासों संवैधानिक, कानूनी, लिंगभेद निवारक व अन्य दर्जनों अधिनियम, महिला नीतियों, योजनाओं व कार्यक्रमों के प्रचलन में रहने के बावजूद भी नारी वर्ग को आपेक्षित लाभ नहीं मिले।

1. भारत में 16 साल की 21 प्रतिशत महिलाएं किसी न किसी रूप से घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं।
2. प्रत्येक 7 मिनट पर 1 महिला अपराध तथा प्रत्येक 24 मिनट पर यौन शोषण का शिकार हो रही हैं।
3. 43 मिनट के अंतराल पर एक महिला का अपहरण 54 मिनट पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ एवं बलात्कार की कोशिश की जाती है।

अध्ययन के अनुसार महिलाओं के खिलाफ ज्यादातर हिंसा

पतियों द्वारा शराब के नशे में होती है। आकंड़ों के अनुसार 67 प्रतिशत घटनाओं का प्रमुख कारण समय पर पति को भोजन नहीं परोसा जाना है जबकि 51 प्रतिशत महिलायें अपने पतियों के मन पसंद व्यंजन नहीं परोसने के कारण पिटती हैं। 50 प्रतिशत से ज्यादा अपने वैवाहिक जीवन में कम से कम एक बार घरेलू हिंसा की शिकार हुई हैं। इनमें 44 प्रतिशत महिलाओं को चिकित्सा की आवश्यकता कराई जा सकी। आवश्यकता इस बात की यह है कि स्त्रियां स्वयं अपने बचाव हेतु आगे आएं। स्त्री जो जन्म दे सकती है, वह जीवन रक्षा भी कर सकती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में लड़का–लड़की में भेद करना एक महिला ही सिखाती है। लड़कियों को सारी जिम्मेदारी उठाने की सीख व अपमान सहन करना जैसे लैंगिक भेदभाव की जड़ को खाद–पानी स्वयं महिला ही देती हैं और भुगतती भी स्वयं है। यदि सही मायने में हमें महिलाओं की स्थिति को सशक्त करना है तो शुरूआत उन्हीं से करनी होगी। लिंगभेद के प्रति अवधारणा परिवार तथा स्वयं महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदलना होगा।

ये अपराध पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं पर भारत जैसे विकासशील देश में ही नहीं बल्कि विकसित देशों में भी महिला उत्पीड़न बहुतायत में देखने को मिलता है। कुछ देश जैसे मलेशिया में पत्नी को पीटने की घटना को वहां के समाज ने सामान्य व स्वीकृत माना है। बांग्लादेश में महिलाओं पर तेजाब फेंकना आम है। आश्चर्य तो तब होता जब अमेरिका जैसे विकसित देश में भी स्त्री अत्याचार व उत्पीड़न को सामाजिक अभिशाप न मानते हुए मात्र एक साधारण घटना एवं दुर्घटना माना जाता है। अमेरिका से प्राप्त रिपोर्टो के अनुसार लगभग 28 प्रतिशत महिलाओं को वर्ष में कम से कम एक बार शरीरिक यातना झेलनी पड़ती है। 39 प्रतिशत महिलाओं को शारीरिक कश्ट देने वाले उनके पुरूष साथी ही होते हैं।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिला उत्पीड़न की बात करें तो हाल यह है कि यहाँ हर आधे घंटे में एक महिला बलात्कार का शिकार होती है। तो

रोजाना 22 महिलाएं दहेज के कारण मार दी जाती हैं। इसमें कोई दो राह नहीं होना चाहिए कि नव उदारवादी नीतियों और आर्थिक मंदी ने महिलाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। लेकिन उन्हें इस स्थिति से उबारने के लिए कोई खास पहल नहीं की गई है। निर्यात और निर्माण क्षेत्र में खास तौर पर रोजगार कम हो रहे हैं। जबकि इन दोनों ही क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या उल्लेखनीय है। गैर कृषि क्षेत्र को मिलाकर आधे से ज्यादा महिलाएं स्वंय रोजगार के क्षेत्र में हैं। घरों में काम करने वाली हजारों महिला मजदूर आउटसोसिग की सबसे निचली सीढ़ी पर हैं। इस सीढ़ी का ऊपरी सिरा प्रायः बहुराष्ट्रीय या बड़ी देशी कंपनियाँ होती हैं। इस समय चूंकि इन्हीं पर वित्तीय संकट छाया हुआ है। तो स्वभाविक है कि उसका सीधा असर घर की महिलाओं की कमजोर आर्थिक स्थिति का आकलन करने के बाद राजनीतिक दलों से अपील की गई है। कि अपने राजनीतिक एजेंडे में सार्वजनिक विवरण प्रणाली के सार्वभौमिकरण और उसे मजबूत करने की दिशा में कदम उठाएं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गरीबी रेखा से नीचे (वीपीएल) के मुद्दे की अहमियत को महिलाओं के नजरिये से देखना और समझना होगा। जो वर्तमान की दृष्टि से अनिवार्य होगा।

किसी राष्ट्र की खुशहाली और तरक्की की जो बड़ी मानक कसौटियां होती हैं, उनमें उसके नागरिकों के शिक्षा का स्तर और उन्हें मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधायं सबसे अहम होती हैं। इस दृष्टि से भारत की यदि हम बात करें तो देश में प्रसव के दौरान महिलाओं की मौत के जो आंकड़े यूनिसेफ ने जारी किए हैं, वे देश के लिए शर्मनाक ही कहे जाएंगे। हर सात मिनट में एक गर्भवती की मौत कहें या एक वर्ष में 78000 स्त्रियों की प्रसव के दौरान मृत्यु, तथ्य यही है कि हम मानव विकास सूचकांक की एक बुनियादी शर्त पर बुरी तरह विफल हैं। और यह स्थिति तब है, जब हम अपने को मेडिकल टूरिज्म के हब के रूप में स्थापित करने के दाबे कर रहे हैं। दरअसल, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2009 की रिपोर्ट में यूनिसेफ ने देष की जो तसवीरें

पेश की हैं। इनसे पूरे हालात को समझना आसान हो जाता है। यदि तथ्यों एवं आंकड़ों को देखें तो देष के दक्षिणी राज्य केरल में प्रति पांच सौ गर्भवती औरतों में से एक महिला के प्रसव के दौरान मौत की आशंका रहती है, वहीं यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश में महज बयालीस में से एक के अनुपात पर आ जाता है। साफ है, उत्तरी राज्यों में स्थिति बदतर है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों में खास तौर पर स्थिति चिंताजनक है। वास्तव में, दक्षिणी राज्यों में स्त्रियों की उच्च शिक्षा दर ने उनमें जागरूकता भरी है। वे अपने अधिकारों और जीवनस्तर के प्रति उत्तरी राज्यों की महिलाओं के बनिस्बत अधिक सजग है। इसकी पुष्टि इस बात से की जा सकती है कि वर्ष 2007–08 में उत्तर प्रदेश में जहां मात्र 20 फीसदी महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना का लाभ उठा सकीं, वही तमिलनाडु में 82 प्रतिशत स्त्रियों ने इसका फायदा उठाया। जब ग्रामीण स्तर पर इतनी महिलाएं सक्रिय हैं तो वहां लकड़ी पैदा होने को कोई अभिशाप क्यों माने? यही वजह है कि दक्षिणी राज्यों में स्त्री–पुरूष अनुपात उत्तर के मुकाबले संतोषजनक है, ठीक हैं। केंद्र सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशीलता का परिचय दिया है। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाली महिलाओं को उसने न सिर्फ छह महीने के मातृत्व अवकाश की सुविधा मुहैया कराई है, बल्कि बच्चे के 18 वर्ष के होने तक वे समय–समय पर करीब दो वर्ष की सवैतनिक छुट्टी ले सकती हैं। निजी क्षेत्र में भी उन्हें कुछ अतिरिक्त सुविधाएं हासिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसका लाभ कितनी स्त्रियों को मिलेगा? तब तो और, जब देश की कुल श्रम शक्ति में स्त्रियों की भागीदारी महज 30 प्रतिशत है। जो सन्तोषजनक नहीं! क्ही जा सकती है। हाशिये पर पड़ी मांओं की सेहत को सुधारे बिना यह बदरंग तश्वीर नहीं सुधरने वाली। जब तक उन साठ फीसदी महिलाओं को अस्पताल उपलब्ध नहीं होता, जो अपने घरों में ही बच्चे जन रही हैं, तब तक हम न केवल अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के मुकाबले

तीन सौ गुणा अधिक प्रसवकालीन मौतों का दर्द झेलते रहेंगे, बल्कि हर वर्ष हमें लाखों नवजातों की मृत्यु का भी दंष झेलना होगा।

हम मानते हैं कि भावनात्मक शोषण जितना स्त्री का हुआ है, उतना तो जानवर का भी नहीं होता। दलील बड़ी पुख्ता दी जाती है। कि पति की सम्पत्ति ही उसकी सम्पति होती है। मगर जब तक पति जिंदा है। तब यह संपत्ति उसकी निजी नहीं हो सकती। अगर वह नहीं रहता है तो इस जायजाद में बेटों का हिस्सा होने के बाद एक हिस्सा उसे मिलता है। यही है पति की संपत्ति का रहस्य। तो क्यों नहीं स्वीकार कर लिया जाता है। कि सांमती विश्वास ही हमारी मान संस्कृति के रक्षक हैं। शायद इसलिए अब पुरानी धारणाओं को तोड़ने के लिए, स्त्री की आवाज उठ रही है। इस आवाज को दबाने और घटाने के लिए अचूक नुस्खे पुरूष सत्ता के पास हैं, मसलन अपार दया, करूणा और रहम की दुहाइयां, आदर और स्त्री–पूजा के आडबंर। क्या औरत जान गई है। कि दया, रहम के जरिये दीन–हीनो को बहलाया जाता है। और पूजा – अर्चना देवियो की होती है। जो पत्थर की मूर्ति से ज्यादा नहीं होती है आखिर क्यों? क्या सच में इतनी ही महान है स्त्री? वह शिकायत नहीं करती, अपने लिए उसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मानने वालों ने क्या उसकी अपीलों को सुना है?

सभ्यता, संस्कृति, अंहिसा, दयालुता जैसे गुणों की कितनी भी चर्चा की जाए, सभी धर्मों के उपदेशों को कितना भी सुना और गुना जाए किंतु मनुष्य के आदिम स्वाभाव में कोई अंतर आता दिखाई नहीं देता। मनुष्य जब हिंसा पर उतारू हो जाता है। अथवा यौनाचार की दुर्दम्य आकांक्षा उसमें जाग उठती है। जब संस्कृति और सभ्यता का लबादा उतारने में उसे देर नहीं लगती।

हिंसा के कारण पुरूष वर्ग इकहरी पीड़ा भोगता है। किंतु स्त्री दोहरी पीड़ा भोगने के लिए अभिशप्त है। हिंसा और दुष्कर्म में एक अन्तर भी है। पुरूष का हिंसक चेहरा कभी–कभी पहचान में आ सकता

है। किंतु बलात्कारी का चेहरा पहचानना बहुत कठिन होता है। वह साधु के रूप में हो सकता है। उपदेशक भी हो सकता है। और पुजारी के रूप में तो उसकी आम मान्यता मिल ही रही है।

महिलाओं के लिए अन्ध विश्वास एवं रूढ़ियां आज भी नरकीय जीवन बिताने के लिए जीवन्त है। इसकी शिक्षा के प्रति उदासीनता भविष्य के प्रति सजग न रहना सौन्दर्यभिवृत्ति की प्रगाणता एवं विलासिता का उत्पादन बनना, बाल विवाह, अनमेल विवाह, परित्यक्तता एवं दहेज हत्या जैसी घटनाएं हैं, जिनसे नारियों को निजात मिलना सम्भव नहीं हो पा रहा है। जबकि इनको रोकने के लिए पर्याप्त अधिनियम कानून बनाये गये है।

पितृसत्तात्मक परिवारों में पुरूष मुखिया होता है। सम्पत्ति पर अधिकार, वंश नाम सभी में पुरूष का नाम सर्वोपरि होता है। परिवार में, समाज में, पुत्र की माँ होना गर्व दिलाता है। महिला द्वारा अन्य महिला को 'सौ पुत्रों की माँ बनों, दूधों नहाओ, पूतो फलों, अथवा पुत्रवती भव', जैसे आशीर्वचन का दिया जाना यह प्रकट करता है कि पुत्र वास्तव में परिवार की रीढ़ है तो वही दूसरी ओर कन्या जन्म उपेक्षित है।

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्त्रियों को व्यवहारिक रूप से वे अधिकार नहीं मिल सकें हैं जो पुरूषों को प्राप्त होते रहते हैं। एक लम्बे समय तक संसार के विभिन्न भागों में जैविकीय, मनोवैज्ञानिक तथा धार्मिक आधार पर स्त्रियों को यह समझाया जाता रहा है कि स्त्री पुरूष का विभेद एक प्राकृतिक सत्य है तथा पुरूषों के सरंक्षण में ही उनका जीवन सुरक्षित रह सकता है। आज भी किसी महिला की पहचान किसी पुरूष की पत्नी, पुत्री अथवा माँ के रूप में की जाती है, क्यों किसी पुरूष की पहचान किसी स्त्री के पति, पुत्र अथवा पिता के रूप में नहीं की जाती है? कुछ स्त्रियाँ इस कथन का अपवाद हो सकती हैं।

यदि आज के समाज को हम सभ्य समाज कहते हैं तो क्यों अविवाहित स्त्री को भेद एवं सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है। यह

भी तो हो सकता है कि उसने परिवार, अपने माता–पिता या समाज की सेवा करने के उद्देश्य से विवाह न करने का फैसला लिया हो। उस लड़की को स्वयं अपने घरवालों से ज्यादा, आस–पड़ोस के लोगों और अन्य समाज के व्यक्तियों के सवालों का जवाब देना पड़ता है। एक स्त्री अगर अकेले रहती है तो क्यों उसे गलत ही समझा जाता है।

इस सच्चाई से कोई इंकार नही कर सकता कि हमारे समाज में पुरूष और स्त्री के महत्व, स्थान और रूतवे में काफी अन्तर रहा है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि सभी स्तरों पर औरत को पुरूष से हीन और दुर्बल माना जाता रहा है और यह सोच महिलाओं के प्रति समाज के व्यवहार में भी झलकती है। लेकिन यह भी सच है कि पुरूष और स्त्री के बीच लम्बे समय से बनी हुई खाई को पाटने के सार्थक प्रयास हुए हैं और उनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। हमारे संविधान में महिलाओं को न केवल पुरूष के समान मौलिक अधिकार दिये गये हैं बल्कि उन्हें परम्परागत बंधनों से मुक्त कराने के लिए विशेष रियायतों और प्रोत्साहनों का भी प्राविधान किया गया है।

यदि वर्तमान समय में स्त्री की स्थिति देखें तो इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियाँ इतनी उन्नति कर चुकी हैं कि अब शायद ही कोई इसलिए उनकी अनदेखी करे कि वे स्त्री हैं। बावजूद इसके अभी भी विचारों में, संस्कारों में उन्हें यथेष्ट समकक्षता प्राप्त करने में देरी है। इसका कारण वे स्वयं भी अपने भीतर मानो दबी हुई है। आखिर क्या कारण है कि एक माँ बेटी के जन्म पर मातम मनाती है? आखिर क्या कारण कि एक माँ बेटे के खाने–पाने का, पहनने–ओढ़ने का, पढ़ने–लिखने का जितना ध्यान रखती है, उतना बेटी का नहीं? माँ भी स्त्री और बेटी भी स्त्री। फिर एक स्त्री दूसरे स्त्री के विरोध में– यह एक विचित्र बिडम्बना है। इस तरह की स्थिति से उबरने का एक उपाय यह है कि स्त्री को कुछ विशेष सुविधाएं दी जायें जिससे उनकी सत्ता प्रतिष्ठानों में प्रभावशाली ढ़ंग से भागीदारी हो सके। सब कुछ–कुछ वैसा ही है जैसे कारवाँ के

कुछ लोग चले गये तो वे थोड़ी देर रूक जाते हैं, जिसमें पीछे रह गये लोग भी उनके पास आ जायें।

नई सदी में महिलाओं को यह भावना मन से निकालनी होगी कि आपका बेटा ही आपका तारनहार है। एक बार यह जिम्मेदारी अपनी बेटी को सौंप कर तो देखिए, उसे भी तो मौका दीजिए हो सकता है वह आपके बेटे से अधिक लायक निकले। आप अपनी बेटी को अपने बुढ़ापे की लाठी क्यों नहीं समझतीं। जब तक इस तरह की भावनाएं लोगों में नहीं आती तब तक महिला सशक्तिकरण का ख्वाब देखना बेमानी है। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर महिलाओं को गम्भीरता एवं गहनता से सोचना होगी। एक रणनीति बनानी होगी। इसके लिए उन्हें कूटनीति से काम लेना होगा। तभी महिला सशक्तिकरण सम्भव है।

शिशु ईश्वर की देन है, परन्तु वह जन्म लेते ही भेदभाव का शिकार होने लगता है। यदि लिंग स्त्री हुआ तब गर्भपात कराकर उसकी जन्म से पूर्व ही हत्या और यदि गर्भपात नहीं भी कराया गया तो उसे गर्भवती माँ को उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। शताब्दियों से बालिकाएं, किशोरियाँ, युवतियाँ, प्रौढ़ाएॅ, वृद्धाएं केवल इस आधार पर भेदभाव का शिकार होती आई हैं कि वे स्त्री हैं। हम अपने संविधान में की गई व्यवस्थाओं पर नजर डालें या अपने धर्म शास्त्रों और धर्मावलम्बियों के मतों पर गौर करें, अपने पुरानी परम्पराओं का उदाहरण देखें या फिर देश की न्यायायिक संस्थाओं के अभिमतों और नैसर्गिक सिद्धांन्तों पर दृष्टिपात करें तो देखेंगे कि सभी महिलाओं एवं पुरूषों में बराबरी और समानता की सिद्धान्तता तो स्वीकार करते हैं लेकिन वास्तविक अर्थों में कहीं भी महिलाओं की वर्तमान स्थिति किसी भी क्षेत्र में समानता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है।

मंगलोर में पिटाई तो बेचारी लड़कियों की हुई, दर्द सरकारों को हो रहा है। लेकिन मंगलोर पब कांड से जो विवाद उठा है, उसमें हम सभी को सोचने पर विवश कर दिया है कि आखिर पब क्या है और

'पब कल्चर' क्या है, वैलेंटाइन्स डे कल्चर का यह विवाद क्यों हिसंक होता जा रहा है? आज यह चिन्तन और चिन्ता कव विषय हो गया है।

जिन्हें लड़कियों के पब जाने, शराब पीनें, आपत्तिजनक कपड़े पहनने, लड़कों के हाथ में हाथ डालकर घूमने आदि से भारतीय संस्कृति पर खतरा दिखाई पड़ता है, उनसे चन्द सवाल इस शिष्टता के साथ पूछना चाहेंगे कि कथित संस्कृति के रखवाले हमें बताए कि लड़कियों को सड़कों पर दौड़ाने, धक्का देकर गिराने उनकी सार्वजनिक पिटाई करने, उन्हें भद्दी गालियाँ देने से भारतीय संस्कृति पर कोई आंच आती है या नहीं? अपनी संस्कृति में तो एक उम्र के बाद लड़कियों से पेश आने के ढ़ंग भी बदलने पड़ते हैं और किसी भी हालत में आप उनसे शारीरिक क्रूरता नहीं कर सकते। या फिर आप कहें कि आप भी उसी हिटलरी– सूत्र में भरोसा करते हैं कि हम जो कहें– करें वही सभ्यता है? अगर ऐसी सोच है आपकी, तो माफ कीजिए, यह भारतीय संस्कृति मेरी दृष्टि में कदापि नहीं हो सकती है।

आज भी देश की अधिकांश कामकाजी महिलाओं की कमाई का ज्यादातर हिस्सा उनके साथ रहने वाले पुरूषों (पिता, पति, पुत्र के रूप में) के ही काम आता है। ग्रामीण अनपढ़ दलित महिलाओं की बात ही छोड़िये जहाँ उनकी अर्थ से सीधा–सीधा कोई सरोकार ही नहीं वे श्रम करना ही जानती हैं और श्रम के बदले में जारे कुछ अनाज या चन्द रूपये पाती है वह बच्चों के भोजन या बेरोजगार पति की शराब पूर्ति का साधन बन जाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देश की 75 प्रतिशत स्त्रियों का श्रम लगा हुआ है। संयुक्तराष्ट्र रिपोर्ट 1980 के अनुसार विश्व के कुल कार्य का 2/3 भाग स्त्रियाँ करती हैं और 1/10 भाग आय प्राप्त करती है। वे जनसंख्या में विश्व के कुल आबादी का 2/3 भाग हैं और उनके पास विश्व की सम्पत्ति का 1 प्रतिशत हिस्सा है। कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में महिलायें अधिक श्रम एवं समय देती है और कम लाभ प्राप्त करती है भारत में 87 प्रतिशत स्त्रियाँ कृषि उद्योग में लगी हुयी हैं परन्तु 36 प्रतिशत के पास अपनी भूमि हैं शेष खेतिहर

महिलायें भूमिहीन हैं। आज भी अधिकांश भारतीय स्त्रियों के नाम से न तो मकान होता है न ही जमीन। उनका न तो मकान होता है न ही जमीन। उनका न कोई घर होता है न ही धन वे जहाँ रहती हैं चाहे पिता/पति/पुत्र का घर, वही उनका घर होता है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनको पिता/पति/पुत्र द्वारा जो धन प्राप्त होता है वही उनका धन होता है।

कामकाजी महिलाओं की अगली कड.ी की बात करें तो इसके अनुसार 1999 में लोकसभा की 545 सीटों में से केवल 49 सीटें महिलाओं के पास थीं। वर्ष 1996 में उच्चतम न्यायालय के 25 न्यायाधीशों में से केवल तीन प्रतिशत महिलाएं थीं। समस्त कानून न्याय नहीं होता और न ही सब प्रकार के न्याय के लिए कानून आवश्यक है। न्यायाधीश कृष्ण अय्यर के शब्दों में ''यह एक कठोर सत्य है कि शाब्दिक लफ्फाजी के बावजूद महिलाएं ऐसे घो भेदभाव और अपमान की शिकार हैं जिसे देखकर लगता है कि हम इंसानियत से गिर गए हैं' और यही भारत में स्त्री–पुरूष संबंधों की वास्तविकता हैं।'' महिलाओं के लिए काफी संख्या में विशेष कानून बनाएं गए हैं या फिर सामान्य कानूनों में महिलाओं के लिए विशेष प्राविधान किए गए हैं। लेकिन मूल मुद्दा यह है कि क्या ये कानून वास्तव में महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने में कारगर हैं। महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के अलावा समाज के लोगों तथा उनकी मानसिकता में सुधार हो जब तक देश का बच्चा–बच्चा महिला सशक्तिकरण की तरफ जागरूक नहीं होगा, तब तक महिलाएं सशक्त नहीं हो सकेगीं।

महिला साक्षरता को लेकर चाहे कितने ही दावे किये जायें लेकिन योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला और पुरूषों के बीच साक्षरता का अन्तर लगातार बढ़ रहा है। आज भी महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता। शहरों की स्थिति फिर भी ठीक है– परन्तु गांवो में आज भी 15–16 साल की उम्र में लड़की की शादी कर दी जाती है जो आज की सहस्त्राब्दी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय (1951) में महिलाओं में साक्षरता दर 8.86 प्रतिशत थी जो 50 वर्ष बाद सन् 2001 में 54.16 प्रतिशत हो गयी है। देखने में तो बड़ी वृद्धि लग रही है परन्तु क्या वास्तव में ऐसा है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भयावह है जहाँ कक्षा 1 में 100 लड़किया प्रवेश लेती हैं, कक्षा 5 तक केवल 40 बचती है, कक्षा 8 तक 18 से 20, कक्षा 10 तक 8 से 10 और इण्टर तक 1 से 2 ही रह जाती है और उच्च शिक्षा में यह प्रतिशत 1 से भी कम रह जाता है। जिस देश में सामान्य स्त्रियों की शिक्षा की यह दशा है उस देश में दलित स्त्रियों की शिक्षा की क्या दशा होगी सोचिये? जब की उन्हें घर के सारे घरेलू कार्य निपटाने के बाद स्कूल जाकर पढ़ना, दोपहर में अपनी माँ का खेती के कार्य में हाथ बटाना और छोटे भाई–बहनों को संभालना भी पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार 174 देशों के आंकड़े बताते हैं कि महिला शिक्षा में भारत, जिम्बाम्बे, न्यूगिनी, म्यामार और ईराक जैसे कम विकासशील देश से भी पिछड़ा हुआ है।

स्त्रियों को साक्षर ही नहीं, उच्च शिक्षित बनाने की आवश्यता है आज माँ–बाप अपने बच्चियों को उच्च शिक्षा हेतु घर से बाहर अकेले भेजने में कतराते हैं, कारण वही सामाजिक असुरक्षा का बोध। इसके लिए जिम्मेदार कौन? हम और हमारा समाज। जब तक स्त्रियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करते तब तक स्त्री सशक्तिकरण की बात करना बेईमानी है। जब तक हम सामाजिक सुचिता को सुनियोजित नहीं करते तब तक अभिभावक निर्भय होकर पुत्रों की भांति पुत्रियों को अकेला उच्च शिक्षा हेतु नहीं छोड़ सकते। यहीं कारण है कि उच्च शिक्षा में स्त्रियों का प्रतिशत 1 से भी कम है। ऐसे में हम कैसे 2020 तक एक विकसित राष्ट्र की कल्पना सकते हैं। आइये मिलकर सोचें। अबसे अपने सामाजिक ताने–बाने का दुरूस्त कर अपने स्त्रियों को उच्च शिक्षित कर उनको राजनीति में बराबर की भागीदारी देकर आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनने का अवसर देकर एक मजबूत विकसित राष्ट्र के निर्माण में स्त्रियों की भागीदारी सुनिश्चित करके जब हम

स्त्रियों को उच्च शिक्षित करने में सफल हो जायेंगे तो वे स्वयं अपने राजनैतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो जायेंगी और बिना पुरूष के सहारे घर की चाहर दीवारी से निकलकर देश की राज व्यवस्था में भली–भाँति योगदान कर सकेगीं। आज की महती जरूरत है कि हम अपनी माननीया राष्ट्रपति महोदया के सपनों को साकार करने का जी–जान से प्रयत्न करें।

वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए निम्न रणनीतियॉ होनी चाहिए–पंचायत में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए, लैगिंक भेदभाव को चुनौती, महिलाओं की पक्षधर नीतियों की पैरवी, महिला हिंसा का विरोध आदि। हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, चाहे वह महिला हो या पुरूष। परन्तु कामयाबी के सूत्र और सोपान न मालूम होने के कारण वह सफल नहीं हो पाता है। इन सूत्रों में सबसे महत्वपूर्ण है– जीवन शक्ति का अर्जन। जिस तरह से पत्थर में अग्नि व्याप्त है। और संघर्ष के बगैर उसमें से चिंगारी(आग) नहीं निकलती, उसी तरह नारी के अन्दर भी अथाह जीवन शक्ति है, जिसे अज्ञानतावश हम नहीं समझ पाते।

सदियों में रूढ़ियों और जर्जर परम्पराओं और शोषण के शिकंजे में कसी एवं जकड़ी हुई स्त्रियॉ आज थोड़ा सा समर्थन पाकर अपनी आजादी और अस्मिता की रक्षा का वास्तविक मार्ग तलासने निकल पड़ी हैं। आज शिक्षा, स्वतन्त्रता और आत्मनिर्भरता ने उसे नई दिशा दी है। आज जब शहरी युवतियॉ मुक्ति विकास और सशक्तिकरण का स्वर ऊँचा करते हुये कई माध्यमों से अपनी आवाज तेज कर रही हैं। तब यह मुद्दा भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि नारी के हक में उठे सामूहिक एवं व्यक्तिगत स्वर शहर की चमचमाती सड़कों से निकल कर गाँवों की खुरदुरी पगडंडी तक पहुँच रहे हैं या नहीं।

महिलाओं में प्रायः चेतना और नेतृत्व का घोर अभाव पाया जाता है, जिससे इनका शोषण बड़े पैमाने पर हो रहा है अतः इनमें चेतना जगाकर अधिकारों से अवगत कराने की आवश्यकता है, क्योंकि यह

समय की मांग है और इसी में समाज का कल्याण है, जो महिला शिक्षा के माध्यम से ही यह सम्भव है। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाये जाने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार अवश्य आया है परन्तु समाज में उन्हें वांछित स्थान दिलाने हेतु अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2001 को महिला अधिकारिता वर्ष के रूप में मनाया गया। उसी वर्ष महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के बारे में राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों को महिलाओं के पूर्ण विकास के लिये रचनात्मक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से एक ऐसा वातावरण बनाना, जिसमें वे अपनी पूर्ण क्षमता हासिल कर सकें, महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक सभी क्षेत्रों में पुरूषों के समान कानूनी अधिकार और राजनीतिक जीवन में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की समान भागीदारी हो, महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल सभी स्तरों पर गुणवत्तायुक्त शिक्षा, व्यवसाय और व्यवसायिक मार्गदर्शन, रोजगार तथा समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना, विधि व्यवस्था को मजबूर बनाना ताकि महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेद–भाव समाप्त किये जा सकें। पुरूषों और महिलाओं, दोनों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग से समाज के नजरिये में परिवर्तन लाना और सामुदायिक प्रयासों को बदलना, विकास प्रक्रिया में लिंग 'परिप्रेक्ष्य को मुख्यधारा में लाना, महिलाओं और बालिकाओं के विरूद्ध सभी प्रकार की हिंसा समाप्त करना और सभ्य समाज विशेषकर महिला संगठनों को निर्माण और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना आदि है।

महिलाओं को जागरूक और साहसी बनाने में सबसे सार्थक भूमिका स्वावलम्बन की है। आवश्यकता है औरतों को स्वावलम्बी बनने की। स्वावलम्बन स्त्री में स्वाभिमान पैदा करता है और स्वाभिमान उन्हें चेतना से सम्पन्न करता है और चेतना उसकी सामर्थ्य का निर्माण करती है। इसलिए महिला सशक्तिकरण हेतु स्वावलम्बन की अनवार्यता है।

समाज कार्य एक व्यवसायिक सेवा है जो कि वैज्ञानिक ज्ञान एवं मानव संबंधों की निपुणता पर आधारित है तथा जिसके द्वारा व्यक्ति, समूह और समुदाय का विकास होता है और उनकी इस प्रकार सेवा करता है कि वह अपनी सहायता स्वयं करने में सक्षम हो सके। महिलाओं को जागरूक करने में उसकी अहम भूमिका होती है, एक समाज कार्यकर्ता अपने कार्य में छः तरीकों का प्रयोग करता है–

वैयक्तिक सेवाकार्य, समूह कार्य, सामुदायिक संगठन, समाज कल्याण प्रशासन, सामाजिक शोध, सामाजिक क्रिया। समाज कार्य की प्रथम विधि वैयक्तिक सेवा कार्य है जिसमें कार्यकर्ता चाहे किसी संस्था का हो या स्वैच्छिक आधार पर महिला से बातचीत करके उनका विश्वास प्राप्त करके महिला के विचारों को जानकर उनमें आत्मजागरूकता का विकास करता है जिससे सामाजिक कार्य की दूसरी विधि समूह कार्य है। समाज कार्य की तीसरी विधि सामुदायिक संगठन है जिसके अन्तर्गत कार्यकर्ता एवं समुदाय की सभी महिलाओं को जागरूक करता है।

समाज कार्य की चौथी विधि समाज कार्य प्रशासन है। जिसके द्वारा समाज कार्यकर्ता बेसहारा, असहाय व निर्बल महिलाओं को मिलने वाले सामाजिक कार्यों व सेवाओं का संचालन करता है। समाज कार्य की पांचवी विधि सामाजिक शोध होता है जिसमें वह जहां पर कार्य करता है वहां की महिलाओं से व वहाँ के लोगों से मिलकर जानकारी प्राप्त करता है जिससे वह वहां का आँकड़ा तैयार करता है और इन आँकड़ों के आधार पर वह महिलाओं की समस्याओं को जानता है। उसके पश्चात् वह उन समस्याओं को समाप्त करने वाले माध्यम से वहां की महिलाओं को अवगत कराता है। छटी विधि सामाजिक क्रिया है। जिससे महिलाओं को उन क्रियाओं के माध्यम से जानकारी व सीख मिले तथा वह महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

यदि महिलायें समाज कार्यकर्ता के बताये गये विचारों पर विचार करके उसे अपनायें तो महिलाओं को वास्तविक आजादी अवश्य मिलेगी। आजादी हर व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरूष, का जन्म सिद्ध अधिकार है और आजादी की सार्थकता तभी है जब महिलायें अपनी निर्णय शक्ति से राष्ट्र का मार्ग दर्शन कर सकें उनके साथ भेदभाव न हो तथा उन्हें हर स्थान पर सम्मान मिले।

वर्तमान की राजनीति में जिस पुरूषवादी राजनीतिक विमर्श को छेड़ा गया है, वह स्त्रियों के लिए अपमान जनक और आपत्तिकारक दोनों है।यदि अम्मा जयललिता अपनी राजनीतिक रैली में गाना गा सकतीं है तो अगली बार वह डांस करेगी। छोटे–छोटे अपमानसूचक एवं लिंग भेद सम्बंधी वाक्यों को ऐसा कहकर उन्होने देश की समस्त औरतों का अपमान किया है। इक्कीसवीं सदी में पहुंचे भारत के सामाजिक, राजनीतिक जीवन का यह सबसे स्याह पहलू है कि राजनीति में महिलाओं की निरन्तर संख्या बढ़ रही है भागीदारी के वावजूद उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां बढ़ती ही जा रही हैं। पहले की अपेक्षा ज्यादा सुशिक्षित देश में पुरूष नेताओं के बीच महिला नेताओं को लांछित करने वाली शब्दाबली के इस्तेमाल की होड़ वर्तमान में उत्तरोत्तर तेज होती जा रही है। यह प्रवृत्ति भविष्य में किस हद तक नीचे उतरेगी, यह कोई नहीं जानता। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की चुनावी प्रक्रिया पर सचमुच एक धब्बा सा है। जाहिर है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को एकांगी रूप में देखने की बजाय उसे महिलाओं के सर्व सशक्तीकरण और संपूर्ण समाज और राष्ट्र के विकास के संदर्भ से जोड़कर देखना उचित होगा। महिलाएं देश की आबादी का करीब आधा हिस्सा है और उनका सौभाग्य ही देश का सौभाग्य है

कभी पुरूषों का सुरक्षित गढ़ समझे जाने वाली पत्रकारिता यानि खबरों की निर्भीक दुनिया आज महिलाएं धड़ल्ले से पत्रकारिता की दुनिया में आ रही हैं। वे यह मिथक तोड़ रही हैं कि फलां बीट

(रिपोर्टिग का क्षेत्र) सिर्फ पुरूष ही सम्भाल सकते हैं महिलाएं नहीं। आज महिलाएं अपराध से लेकर राजनीति तक, अर्थ से लेकर खेल तक, साहित्य से लेकर विज्ञान तक, हर बीट में खबरों और फीचर के साथ कामयाबी लिख रही हैं।

आज का युग सूचना क्रांति और सांस्कृतिक संक्रमण का युग है। आज टी.वी. विज्ञापन उपभोक्तावादी समाज को जिंदा रखने का सफल टानिक है। इन विज्ञापनों में स्त्रियों को जिस रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इससे आम महिलाओं पर एक किस्म का सामाजिक दबाव बनता हैं। वे अपनी पहचान विज्ञापन में दिखायी जाने वाली उसी वस्तु रूपी स्त्री से करती हैं। फिल्मों में स्त्री की जो छवि प्रस्तुत की जाती हैं उसमें अधिकाशं नायक के जीवन की सजावट वस्तु की भांति होती हैं। स्त्री की समानता की लड़ाई का लक्ष्य स्त्री और पुरूष के बीच अधिकतम समानता पर टिके ऐसे समाज की रचना करना है, जहाँ स्त्री पुरूष से एक दर्जा नीचे रहने के दर्द से स्थायी रूप से मुक्त हो सके।

यदि सरकारी प्रयासों की महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर दसवीं पंचवर्षीय योजना तक महिलाओं की समस्यायों में एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत महिला अधिकारिता सेल की स्थापना के बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। पहली योजना के दौरान महिलाओं की शिक्षा पर तो बल दिया गया लेकिन उन्हें गृहिणी के रूप में घर की चारदीवारी में सुरक्षित करने की भावना बरकरार रखी गयी। दूसरी, तीसरी, चौथी तथा पांचवी योजना तक इसी मार्ग का अनुसरण किया गया। केवल सातवें दशक के मध्य में सरकारी क्षेत्र और समाज में समान भागीदारी के रूप में महिलाओं के समग्र विकास के प्रयासों के प्रति जागरूकता पैदा हुई। विकास के अन्य क्षेत्रों से भिन्न प्रथम पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद की अवधि को छोड़कर, महिलाओं के विकास के लिए एक नियमित प्रणाली पर विचार कभी नहीं किया गया।

सरकार के प्रयासों के बाद भी महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों से वंचित हैं। कारण यह है कि अनेक स्थानों पर जब महिलाएं अपनी जागरूकता का परिचय देने या शक्तियों एवं अधिकारों के प्रति उत्सुकता दिखाने में आगे आती हैं, तो समाज के अधिकाशं दबंग पुरूष वर्ग महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार की पुनरावृत्ति करते हैं विकास का दंभ करने वाले अपने महान भारत देश में 50 करोड़ से ज्यादा औंरतें किस तरह उपेक्षित तथा पीड़ित हैं, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि अकेले राजधानी दिल्ली में 86 प्रतिशत स्त्रियां खुद को असुरक्षित मानती हैं।

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में महिला विकास हेतु प्रयासों का सिलसिला प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही शुरू हो गया था। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत विभिन्न कार्यक्रमों व नीतियों के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के प्रयास किये जा रहे है। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) ने महिला उत्थान हेतु ऐसा अभिगम अपनाया गया, जिसके माध्यम से महिलाओं के कल्याण को बल मिले ताकि परिवार व समुदाय में उनकी परिस्थिति मजबूत बन सके। दूसरी सं पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं ने महिलाओं के प्रति 'कल्याणकारी' अभिगम को अपनाये रखा। दूसरी योजनाओं के दौरान महिलाओं हेतु सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम तथा चौथी योजना के दौरान कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावास योजनायें शुरू की गईं। चौथी योजना के दौरान ही संसद में महिलाओं की स्थिति पर गठित समिति की रिपोर्ट पेश की गई, इस रिपोर्ट ने संसद में महिलाओं की बेहतर स्थिति हेतु रणनीति तय करने के लिए लम्बी–चौड़ी बहस या लक्षित समूह न समझ कर विकास के लिए आवश्यक तत्व समझा जाने लगा।

पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–78) के दौरान ही वर्ष 1976 में समाज कल्याण मंत्रालय के तहत एक महिला कल्याण एवं विकास ब्यूरो की स्थापना की गई। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के विकास हेतु

रणनीति तय करने के लिए रोजगार, प्रौढ़ शिक्षा, कृषि, ग्रामीण क्षेत्र पर चार कार्य बल तैयार किये गये।

छटी पंचवर्षीय योजना के दौरान महिला विकास के क्षेत्र में 'कल्याण से, विकास की ओर की अवधारणा विकसित हुई, जिसमें महिलाओं की सहभागिता पर बल दिया गया। सातवीं योजना में शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से महिला रोजगार पर पर बल दिया गया। इसी योजना के दौरान महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के समुचित संचालन हेतु वर्ष 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990–95) के दौरान महिलाओं हेतु विशेष विकास योजनायें लागू करने व दूसरी विकास योजनाओं का लाभ महलिाओं तक समान रूप से पहुँचाने की रणनीति तय की गई। इस अवधि के दौरान महिला विकास हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, संविधान का 73वां व 74वां संशोधन, जिसके द्वारा महिलाओं को पंचायतों व नगर निकायों के चुनाओं में सभी श्रेणियों में सभी स्तरों पर एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया। नवीं योजना के आते–आते भारत में सशक्तिकरण की अवधारणा विकसित हो चुकी थी। नेतृत्व विकास, निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी (परिवार से लेकर सामुदायिक स्तर तक), मुखरता, गतिशीलता (घर की चारदीवारी से बाहर निकल सकने की क्षमता के सन्दर्भ में), संगठन, संसाधनों विशेषकर आर्थिक संसाधनों तक पहुँच, सेवा प्रदाय संस्थानों (बैंक, डाकघर, चिकित्सालय) तक पहुँच व सेवा प्राप्ति व सेवा प्राप्ति, प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता विकास, नारियों के सशक्तिकरण हेतु उपरोक्त कुछ पैमाने निर्धारित किये गये।

महिला सशक्तिकरण के दूरगामी लक्ष्य की नवीं पंचवर्षीय योजना के नौ प्रमुख उद्देश्यों में शामिल किया गया। महिलाओं को पुरूषों के 'भागीदार' के तौर पर उभारने की बात की गई। इसी उद्देश्यों के

तहत वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति की घोषण ॥ की गई। इसके अतिरिक्त महिलाओं से जुड़े सभी क्षेत्र में विद्यमान संसाधन, बुनियादी सरंचनाओं/सुविधाओं/सेवाओं को एक दिशा में निर्देशित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके तहत राष्ट्रीय व राज्य सरकारों को आदेश दिया गया कि किसी भी कार्यक्रम या योजना का कम से कम तीस प्रतिशत हिस्सा महिलाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों तक पहुँचे तथा इस प्रक्रिया की समुचित मानीटरिंग भी हो। वर्ष 2001–2002 के दौरान भारतीय महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। 'स्वयं सिद्धा' व स्वाधार जैसी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों की उद्घोषणा की गई।

वर्ष 2001–2002 दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) की तैयारी का वर्ष था। इसी वर्ष तीन विशेष कार्यबल– महिला सशक्तिकरण, बाल विकास एवं देश की जनसंख्या विशेषतया दुर्बल वर्गों की पोषण पद्धतियाँ विकसित कीं गयी। महिला सशक्तिकरण कार्यदल ने महिला सशक्तिकरण को क्रमशः आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण में बांटते हुए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमतावर्द्धन जैसे–सामाजिक लाभ हासिल करने हेतु विद्यमान रणनीतियों (तरीकों) में परिवर्तन, सार्वजनिक संसाधनों का लाभ महिलाओं को सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्रों में व्याप्त विषमताओं में कमी करके, आदि बिन्दुओं पर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया। ''जब एक पुरूष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है और यदि एक महिला शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है।'' यद्यपि महिला और सशक्तिकरण के लिए अनेक सरकारी प्रयास हुए और वे काफी हद तक सफल भी हुए, लेकिन सरकार समाज की मान्यताएं प्रवृत्तियां एवं भ्रान्तियाँ नहीं दूर कर सकती हैं। उसके लिए हमें स्वयं व महिलाओं सहित पूरे समाज को आगे आना होगा, हमें अपनी पुरूषवादी मानसिकता त्याग कर समाज एवं राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के योगदान को स्वीकार करना होगा, तभी महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण हो सकेगा।

महिलायें किसी भी देश की आबादी का आधा हिस्सा हैं और उनकी अनदेखी करके वास्तविक विकास को मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार ने महिलाओं को संविधान में प्रदत्त समानता का दर्जा देने के लिए विभिन्न प्रकार के लिंग सम्बन्धी भेद–भाव देर करने की दिशा में प्रयास शुरू किये।

सरकार ने विभागों को यह भी आदेश दिया है। कि नियुक्तियाँ निकालते वक्त विज्ञापन में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाली करीब एक दर्जन विशिष्ट सुविधाओं की जानकारी भी प्रचारित करें। अब ऐसी रिक्तियों की विज्ञापन में न सिर्फ पदों की संख्या का व्यौरा होगा, बल्कि महिलाओं को मिलने वाले 180 दिन के मातृत्व अवकाश बच्चों को देखभाल के लिए 730 दिन की छुटिट्यां, बच्चा गोद लेने के लिए 135 दिन का अवकाश सरकारी कॉलोनियों में क्रेच सुविधा, सरकारी मकान आवंटन में विशेष प्राथमिकता ,पति के सरकारी कर्मचारी/अधिकारी होने की स्थिति में उसी स्थान पर नियुक्ति की सुविधा, यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए उपाय, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की नियुक्ति में विशेष छूट और शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपये विशेष भत्ता आदि सुविधाओं का जिक्र भी अनिवार्य होगा।

नैसकॉम के एक सर्वेक्षण के अनुसार, हमारे देश में बीते कुछ वर्षों में आई टी एवं बीपीओ उद्योग में महिला श्रम शक्ति में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है इसमें ज्यादातर वृद्धि बीपीओ सेक्टर में देखने को मिली। इसलिए केन्द्र सरकार यदि वाकई कामकाजी स्त्रियों की समस्याओं को लेकर संजीदा है, तो उसे महिला कर्मियों की संख्या और गुणवत्ता, दोनों को महत्व देना होगा। कार्य स्थलो पर श्रमशक्ति में लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए उसे बुनियादी ढ़ांचे में निवेश करना होगा। तभी योग्य कामकाजी महिलाओं का एक पुल तैयार हो सकेगा।

आज की नारी प्रशासनिक कार्यों से लेकर राजनीतिक क्षेत्र तक अपनी सजग साधना के लिए तत्पर हैं। चिकित्सा, खेल, पत्रकारिता,

इन्जीनियरिंग, वैज्ञानिक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, व्यवस्था एवं प्रशासन सभी क्षेत्रों में नारी की सहभागिता बराबरी की है। ये प्रत्यक्ष रूप से समाज के निर्माण में मनसा, वाचा, कर्मणा अपना भरपूर सहयोग देती हैं। महिलाएं प्रबन्धन, डाक्टरी, इंजीनियरिंग, तकनीकी, प्रशासनिक, पुलिस, वकालत, पत्रकारिता, डाकतार, रेलवे, बसों, बैंकों, साइबर कैफे, होटलों, हवाई यातायात, ज्ञान, विज्ञान, सहित हर क्षेत्र में कामकाज करते हुए देखी जा सकते हैं। पुरूषों के वर्चस्व का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ महिलाओं की उपस्थिति एवं हस्तक्षेत्र न हो।

कुछ अपवादों को छोड. दे ंतो महिलाओं ने काफी लम्बे अर्से के पश्चात अपने को पहचाना है कि जब घर की चारदीवारी से बाहर आयेंगी तभी वह अधिक सुखी रहेंगी। इसका कारण यह है कि घर से बाहर आकर उन्हें अपनी नई पहचान मिली है। आज महिलाओं में कुछ कर दिखाने का हौसला बढ़ा है। आर्थिक रूप से समृद्ध घरों की महिलाएं भी कामकाज हेतु बाहर निकली हैं। और पुरानी परम्परा को बदलना प्रारम्भ कर दिया है।

इन्हीं कारणों से स्त्रियों (महिलाओं) में महत्वकांक्षा बढ़ी है। वह चाहती हैं कि वह जानी व पहचानी जाय। कल्पना चावला, किरण बेदी, अरून्धती राय, मेघा पाटेकर ने वह सब हासिल कर लिया है जो वह चाहती थी। यहाँ यह बात उन सभी महिलाओं की है जिन्होंने अपने—अपने स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं।

महिलाओं को जागरूक तथा साहसी बनाने में दो तत्व सबसे अधिक सारगर्भित, व्यापक, उत्कृष्ट एवं सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। ये हैं— शिक्षा और आर्थिक स्वावलम्बन, ये दोनों तत्व न केवल महिलाओं में स्वाभिमान और आत्मविश्वास पैदा करते हैं, बल्कि उन्हें हर दृष्टि से सशक्त और अधिकार सम्पन्न बनाने में भी सहायक हैं। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण की अनिवार्य आवश्यकता है जिसके द्वारा वो अपनी स्थिति को और भी सुदृढ़ कर सकती है। अतः महिलाओं को शिक्षित करना सम्भवतः सशक्तिकरण का सबसे अधिक कारगर

उपाय है। यह बात इस बात से भी साबित होती है कि देश के जिन राज्यों में महिला साक्षरता की दर ऊँची है, वहाँ जनसंख्या, बाल और मातृ मृत्यु दर, औसत आयु, विवाह आयु जैसे मानक भी उसी अनुपात में ऊँचे हैं। आर्थिक स्वावलम्बन और शिक्षा के बाद सत्ता में भागीदारी महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण कारण है। निर्णय लेने के स्तर पर महिलाओं की हिस्सेदारी के बिना उन्हें समानता और सम्मान का स्थान देने का सपना पूरा नहीं हो सकता। 73वें संविधान संशोधन के जरिये पंचायती राज संस्थाओं में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने का कदम इस दृष्टि से बहुत कारगर सिद्ध हुआ है।

तेज जीवन शैली, प्रगतिशील विचार धारा व कुछ कर गुजरने की लालसा ने उन विपरीत परिस्थितियों व चुनौतियाँ को पीछे ढकेल दिया जो इनकी प्रगति में बाधक थी। आज की महिला सम्पूर्ण रूप से विकसित कही जा सकती है, परन्तु संघर्षों का स्वरूप आज भी वैसा ही है, जैसे आज से आजादी के पूर्व था। कामकाजी महिलाओं की समस्यायें, जेल के अन्दर उत्पीड़न, सुधार गृहों में उत्पीड़न, अवसर प्राप्ति में उत्पीड़न, महिलाओं पर दोहरे काम की समस्या, निम्न मजदूरी, कार्य की कठिन दशायें, छेड़छाड़ व असामाजिक तत्वों से सुरक्षा की समस्या, आवास, यातायात, मनोरंजन व आर्थिक समस्या, साथ ही लैंगिक भेदभाव, साक्षरता एवं शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य एवं पोषाहार की समस्याओं ने सदैव महिला सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न की है, परन्तु आज की महिला ने सभी चुनौतियों को पीछे धकेल कर, सशक्तिकरण के मार्ग पर अपने कदम अत्यन्त तीव्र गति से बढ़ाये हैं।

वैश्विक स्तर पर यदि हम देखें तो महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हो गया है तथा वे राष्ट्रीय विधायिका एवं अन्य निकायों में चुनकर पहुँचने भी लगी हैं।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास आदि मामलों में उनके साथ काफी बड़ी सीमा तक बराबरी का व्यवहार किया जाने लगा है।

इसके साथ ही विभिन्न देशों में महिलाओं के विकास एवं प्रोन्नयन हेतु संविधान एवं अन्य कानूनों में विशेष प्रावधान किए गए हैं तथा उनके विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन सबके बावजूद वैश्विक स्तर पर यदि हम अवलोकन करें तो महिलायों में पर्याप्त सुधार नहीं हुए हैं। कुवैत जैसे देश में आज भी महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की अति न्यून संख्या इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं को अभी भी पुरूषों के साथ बराबरी का दर्जा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर अभी तक एक भी महिला का न पहुँच पाना यह सिद्ध करता है कि विकसित देशों में भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पुरूषों का वर्चस्व है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इजराइल आदि देश भले ही इस बात पर गर्व कर लें कि उन्होंने अपने शासनाध्यक्षों के रूप में महिलाओं को चुना है परन्तु इन्हीं देशों में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार तथा उत्पीड़न इस बात की गवाही देते हैं कि समाज में महिलाओं की प्रस्थिति आज भी दोयम दर्जे के नागरिक की है।

स्त्री की महत्ता एवं विकास में उसकी भूमिका को हमारे महापुरूषों , ऋषियों एवं महात्माओं ने अच्छी तरह प्रस्तुत किया है। सीता–राम, राधे–कृष्ण, उमा–शंकर ये सभी नाम स्त्रियों से शुरू होते हैं, जो उनके सम्मान के परिचायक हैं। आज भारत में महिलाएं संसद, विधानसभा, विश्वविद्यालय, रंगमंच, साहित्य, कृषि–अनुसंधान, विज्ञान, कला, हवाई–जहाज परिचालन आदि क्षेत्रों में क्रियाशील हैं उनमें न केवल हिमालय पर्वत की चोटी पर पहुँचने का साहस है बल्कि वह अंतरिक्ष में भी उड़ान भर सकती हैं। सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी, इंदिरा गाँधी, संतोष यादव, कल्पना चावला, किरण बेदी आदि महिलाएँ अदम्य क्षमता एवं मानसिक परिपक्वता की जीती–जागती मिसाल हैं। मानव विकास रिपोर्ट 1995 के अनुसार भारत में 15 वर्षों से अधिक आयु की मात्र 28 प्रतिशत महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं तथा 70 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं।

सरकार की ओर से महिलाओं को कानूनी सरंक्षण व अधिकार देने को जो दिखावा हो रहा है वो मात्र महिलाओं को भ्रमित करने का एक जरिया है। सच्चाई तो यह है कि आज भी महिलाओं को अधिकार मिलते ही नहीं और यदि संघर्ष के बाद मिल भी जाते हैं तो वो उन्हें प्रयोग करने के लिए स्वतन्त्र नहीं हैं।

अनुच्छेद–11 के अनुसार भारतवर्ष के समस्त नागरिक (महिलाओं सहित) कानून की दृष्टि से समान हैं तथा उन्हें कानून से समान सरंक्षण पाने से वंचित नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद–16 में प्रावधान किया गया है कि राज्य के अधीन किसी भी सेवायोजन के पद के सम्बन्ध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या इनमें से कोई किसी भी आधार पर न तो कोई नागरिक आपत्र होगा और ना ही उसके साथ भेदभाव किया जायेगा।

अनुच्छेद–39 में यह प्रावधान किया गया है कि महिला एवं पुरूष दोनों प्रकार के श्रमिकों की शक्ति का दुरूपयोग नहीं किया जायेगा तथा महिला तथा पुरूषों को एक समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गयी है।

अनुच्छेद–41(क) के अनुसार महिलाओं सहित सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार दिया गया तथा धारा–45 के अनुसार राज्य को यह निर्देश दिये गये हैं कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनुवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किये जाये।

अनुच्छेद–41(ख) में राज्यों को निर्देश दिया गया है उसके द्वारा महिलाओं तथा पुरूषों दोनों को बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकालांगता की स्थिति में जन सहायता उपलब्ध कराने हेतु अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रभावशाली प्रावधान किये जायें।

अनुच्छेद–243 के अधीन महिलाओं के लिए पंचायतो एवं नगरपालिकाओं में स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है।

जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 में पुरूषों एवं महिलाओं दोनों को ही वोट देने तथा चुनाव लड़ने का समान अधिकार दिया गया है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम–1976, अनुच्छेद–5 के अनुसार कोई सेवायोजन के दौरान प्रतिबन्धित एवं निषिद्ध कार्य को छोड़कर समान एवं समान प्रकृति वाले कार्य को करने वाले पुरूषों एवं महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं करेगा।

कारखाना अधिनियम–1948 में महिलाओं को हानिकारक एवं खतरनाक क्रियाओं में लगाने तथा रात्रि सात बजे तक सेवायोजित करने का निषेध किया गया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए अलग सुलभ शौचालयों की व्यवस्था की गयी है तथा जहाँ तीस या उससे अधिक महिलायें कार्यरत हैं वहाँ पर शिशुग्रह बनाने की व्यवस्था का प्रावधान मिलता है।

इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में संसद व विधान सभाओं में 84वें संशोधन विधेयक में संसद व विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। 73वें व 74वें संविधान विधेयक द्वारा पंचायत चुनावों में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं। हॉलाकि संविधान के अन्तर्गत महिलाओं को वास्तविक समानता, राजनीतिक समानता तथा राष्ट्रीयता, समान शिक्षा, रोजगार, कर्ज एवं उधार लेने का समान अवसर, विवाह सम्बन्धी अधिकार भी मिले हुए हैं,जिससे कुछ हद तक महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भी हुआ है।

आज हमें सभी भेदभाव भूलकर महिलायों के लिए निम्न संयुक्त प्रयास करने होंगे–

1. भारतीय संविधान में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की वचनवद्धता को निभाना तथा महिलाओं को आदर एवं सम्मान प्रदान करना ताकि भारतीय समाज में एकता व समानता की अभिवृद्धि हो सके।

2. महिलाओं को राष्ट्रीय जीवन एवं विकास की मुख्य धारा में जोड़ना तथा उन्हें इस प्रकार के अवसर उपलब्ध कराना ताकि वे राष्ट्रीय विकास में अपने भागीदारी सुनिश्चित कर सकें, और निर्धारित की गई भूमिका को प्रतिपादित कर सकें।
3. विशेष प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त महिलाओं जैसे अनैतिक व्यापार में फंसी महिलायें, काम करने वाली महिलायें, मजदूरी करने वाली महिलायें निराश्रित महिलायें, सामाजिक कुरीतियों की शिकार महिलायें इत्यादि के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम चलाना ताकि उनकी स्थिति एवं परिस्थितियों में सुधार किया जा सके।

इन सभी उपरलिखित तथ्यों को देखते हुए हम यह अवश्य कह सकते हैं कि आज की नारी की स्थिति अत्यन्त दयनीय तो नहीं है परन्तु चिंताजनक अवश्य है। अतः इस पर विचार करना आवश्यक है। आधुनिक युग की महिलायें विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न हैं तथा अपने अधिकारों, दायित्वों से पूर्णतया परिचित हैं। यदि महिलाओं को पुरूषों के समान स्वतन्त्रता व समानता प्राप्त हो तथा उनके कार्यो में किसी का कोई अवरोध न हो तो वह हर प्रकार से सफल व सशक्त हैं।

आज हर हिन्दुस्तानी औरत को अपने मुरझाये हुए दीन–हीन चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जागना होगा। अपने पक्ष में बने कानूनों विकास के कार्यक्रमों, योजनाओं की सही जानकारी रखनी होगी उनमें जागरूकता लानी होगी तभी उन्हें उनका अधिकार प्राप्त होगा।

आज के इस समाज में महिलायें तभी सशक्त बन सकती हैं जब सरकार उन्हें सामाजिक सुविधा जैसे–भेदभाव की समाप्ति अर्थात सभी बुनियादी न्यूनतम सेवाएँ सरलता से और बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराये ताकि वे अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर सके। महिलाओं में उद्यमशीलता का भाव विकसित करने के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षण और प्रोत्साहन कार्य–कम चलाया जाये। सरकार को महिलाओं के

आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर देना आवश्यक है क्योंकि यदि एक बार महिलायें आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो जायें तो वे समाज और घरों पर अपनी निर्भरता को समाप्त कर देंगी।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की तरफ से नियम एवं कानून बनाने होंगे, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं समाज कार्यकर्ताओं को समय के साथ ऐसे कार्यक्रम प्रत्यारोपित करने होंगे, जिससे कि महिलाएं समाज में अपने मूल्य एवं प्रतिष्ठा के प्रति जागरूक हो सकें, उनके शिक्षा के स्तर को विकसित करना होगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करनी होगी और उनके अधिकारों की रक्षा करने के साथ–साथ उनके सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाले समस्त व्यवधानों को समाप्त एवं समूल रूप से नष्ट करना होगा। समाज की विचारधारा एवं रूढ़िवादिता को बदलना होगा।

उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि समानता, आय उत्पादकता और सामाजिक लाभ के आधार पर महिला शिक्षा पर एक स्पष्ट नीति जरूरी है (भारत सरकार, राष्ट्र, पेइचिंग सम्मेलन, 1995) महिला शिक्षा की विफलता का एक बड़ा कारण यह भी है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से फीडबैक का अभाव रहता है और विकास प्रक्रिया में भागीदारी के मामले में व्यक्ति एवं समूह के बीच मतभेदों पर ध्यान नहीं दिया जाता। जब तक जीवन के सभी क्षेत्रों और निर्णय लेने की प्रक्रिया के सभी स्तरों पर महिलाओं और पुरूषों को समान रूप से भागीदार नहीं बनाया जायेगा तब तक सच्चा लोकतंत्र और शासन तथा विकास प्रक्रिया में बल्कि लक्ष्य निर्धारित करने में भी महिलाओं की पूर्ण एवं सक्रिय भागीदारी के बिना विकास के लक्ष्य हासिल नहीं किये जा सकते।

महिला सशक्तिकरण पर अन्त में मात्र इतना ही कहा जा सकता है कि समाज में बराबरी का दर्जा व भागीदारी महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण कारण है और आज सम्पूर्ण समाज महिला सशक्तिकरण

के उदाहरणों से भरा पड़ा है। नई सोच के साथ घर व समाज में स्वयं को स्थापित करना, शारीरिक आर्थिक, मानसिक रूप से स्वयं को प्रत्येक चुनौती के लिए तैयार रखना व इसका डटकर मुकाबला ही सशक्तिकरण की धारणा को सार्थक कर देती है और यही वह प्रथम उदाहरण भी माना जा सकता है जो महिला को निरन्तर सशक्त बना रहा है।

स्त्रियों को दबाने, कुचलने या तुच्छ समझने के पीछे सिर्फ पुरूषों का हाथ नहीं है, बल्कि स्वयं महिलाओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इस देश में आगे बढ़ने वालों के पैर खींचे जाते हैं। यहाँ प्रतिस्पर्धा को प्रतिद्वन्दिता के रूप में समझा जाता है और यह काम स्वयं उसकी अपने जाति के, अपने सगे–सम्बन्धी एवं पास पड़ोस के लोग ही ज्यादा करते हैं।

महिलायों को आज अपने देश के विकास के लिए, सामाजिक संतुलन के लिए, परिवार के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए तथा स्वयं के विकास के लिए 'मानसिक जड़त्व की स्थिति से बाहर आना होगा और प्रस्थिति के अनुसार कभी दुर्गा, कभी चण्डी–काली तो कभी सीता बनना होगा।

असल बात यह है कि दर्द ही चेतना का उद्बोधक होता है। और कुचलने, घोंटने वालों की जमातें गांव और शहर में एक सी होती हैं। रूपकुंवर को सती करायें या नैना साहनी को तदूंर में भूने, फर्क क्या है? हत्यारों के अट्टहास हों या साफ बच निकलने की साजिशें, अंतर यहां भी नहीं है। ऐसे सिलसिलों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए महिलाएं देहरी के बाहर निकली हैं, तो वे किसी भी रूप में औरत को बचाने की मुहिम छेड़े हुए हैं कारण, पुरूष वर्चस्व की शौर्य गाथाएं, स्त्रियों के शिकार की कथाएं, मान्यता प्राप्त व्यभिचारों की धार्मिक चर्चाएं अब औरत के काम की नहीं। इसीलिए स्त्रियों ने स्त्री समाज के लिए चेतना संपन्न साहित्य देने की वर्तमान में पूरी कोशिश की है।

समाज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किये बिना मात्र पुरूष वर्ग के योगदान से विश्व का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं है। जैसे किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए पुरूष तथा महिला रूपी दो पहियों की आवश्यकता होती है अतः समाज को एकता के सूत्र में बाँधने के लिए महिला तथा पुरूष का मजबूत होना बहुत जरूरी है।

कल तक स्त्री को मात्र ''कोख'' माना जाता था। आज वह समाज को चलाने वाली शक्तिशाली ''स्त्री'' बनने की तरफ बढ़ रही है। ठीक है कि रास्ते बहुत आसान नहीं है लेकिन परिवार की चाहरदीवारी को लांघकर नारी जिस तरह से आगे बढ़ी है वह अब लौट नहीं सकती। उसे लौटना नहीं, वरन् बढ़ते ही जाना चाहिए जो कि स्त्रियों की वर्तमान अवस्था से प्रतिबिम्बित होता है।

हमें यह याद रखना होगा कि वर्षों से खामोश पड़ी ठंडी शिलाओं की गर्मी से ही लावा निकलता है। आज जरूरत है अपने अधिकारों को जानने की। हमारे हाथ में वोट का सशक्त हथियार है। सारे राजनीतिज्ञ वोट की ही भाषा समझते हैं और इस हथियार का प्रयोग तो तभी कर सकती हैं जब उनकी सोच स्वतन्त्र हों, वो मानसिक रूप से गुलाम न हों, जरूरत है, जागरूकता की जिससे महिलाओं को ये पता हो कि उन्हें अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है उनकी अपनी एक पहचान है।

अब समय आ चुका है कि भारत की नारी समाज आगे, अपने स्वरूप, अपनी शक्ति और अपने महत्व को पहचानें। अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों के प्रति जागरूक हो और देश की अवनति व्यवस्था को बदलने में अपना सहयोग दे। उन्हें अपने मस्तिष्क से यह भाव निकाल ही देना चाहिए कि उनका क्षेत्र केवल चूल्हा–चौका और बच्चों के लालन–पालन तक ही है और केवल इतना भर कर देने से उनके कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है। समय की परिस्थितियों एवं देश की आवश्यकताएं उसे एक नयी आशा के साथ आमंत्रित कर रही हैं, उन्हें

इस आशा का समुचित सक्रिय एवं सार्थक उत्तर देना चाहिए। भारत की नारी जाति को जागना चाहिए एवं जगी हुई नारियों को चाहिए कि वे प्रसुप्त नारियों को जगायें। अपने देश में सुशिक्षित एवं सुयोग्य महिलाओं की संख्या कम है, यह संख्या बढ़नी चाहिए। इस तथ्य से सभी सहमत हैं कि किसी भी स्वस्थ एवं विकसित समाज के निर्माण में स्त्री एवं पुरूष दोनों की सहभागिता होना आवश्यक है। साथ ही साथ नैसर्गिक सिद्धान्त एवं पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से भी ऐसा अनिवार्य माना जाता है। वैसे भी मानव समाज के समुचित एवं सर्वांगीण विकास में महिलाओं का योगदान कभी भी कम नहीं रहा है, परन्तु यह विडम्बना ही है कि पूरी तरह बराबरी का दर्जा शायद ही कभी महिलाओं को प्राप्त हुआ हो।

9

आत्मनिर्भर समाज में महिला सामाजिक न्याय का विश्लेषण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में जहाँ एक तरफ भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को 'विधि के समक्ष समता' (Equality before the Law) तथा 'विधियों के समान संरक्षण' प्रदान करने की बात कही गई है, वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 15(3) में राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह स्त्रियों व बालकों के लिए विशेष विधि बना सके लिंग पर आधारित विभेदकारी कानून बनाने की शक्ति राज्य को इस अनुच्छेद में इसलिए दी गई है, ताकि स्त्रियाँ मातृत्व रूपी प्राकृतिक दायित्व को निभा सकें तथा सदियों से पुरूष प्रधान समाज के कारण उस पर हो रहे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व सामाजिक शोषण का सामना कर सकें, भारतीय लोकतंत्र (Indian Democracy) एवं विधि के शासन (Rule of Law) के पिछले वर्षो का विश्लेषण करें तो ज्ञात होता है कि भारतीय महिलाओं को सामाजिक न्याय देने की दृष्टि से भारत की विधायिका, संसद व राज्य विधान मण्डलों ने अनेक कानून बनाए हैं, वहीं भारत की न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों ने अनेक न्यायिक निर्णयों के माध्यम से स्त्रियों को अनेक कानूनी संरक्षण प्रदान किए हैं।

विभिन्न सामाजिक न्याय प्रदान करने वाले कानूनी संरक्षणों को हालांकि सूचीबद्ध किया जाना सम्भव नहीं है फिर भी यहाँ महत्वपूर्ण प्रावधानों का विश्लेषण किया गया है जो इस प्रकार है :–

(1) **वैवाहिक स्वतंत्रता** :– भारत में प्रचलित विभिन्न वैवाहिक कानूनों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि पुरूषों की तरह अब भारतीय महिलाएं स्वतंत्र हैं कि वे कब विवाह करें? किसके साथ विवाह करें? कोई भी व्यक्ति चाहे वह परिवार का सदस्य ही क्यों न हो उसे अपनी इच्छा के विरूद्ध विवाह करने को बाध्य नहीं कर सकता।

भारतीय नारी अन्तर्जातीय अन्तर्धर्मीय व अन्तर्राष्ट्रीय विवाह कर सकती है। बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम, 1929 के अधीन 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह दण्डीय अपराध घोषित किया गया है। यदि किसी बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व कर दिया गया है (मुस्लिम विवाह 15 वर्ष से पूर्व) तो 18 वर्ष होते ही वह स्त्री इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह चाहे तो अपना विवाह शून्य घोषित कर लें।

(2) **गर्भधारण की स्वतंत्रता** :– गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत यदि किसी महिला के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो वह बिना पति, सास–श्वसुर की इजाजत के अपना गर्भपात करा सकती है। इसी प्रकार कोई महिला इस बात के लिए भी स्वतंत्र है कि वह कितनी संख्या में बच्चों को जन्म दे तथा उनमें से कितने पुरूष व स्त्री बच्चे हों, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत प्रसूति अवकाश के लिए महिला का गर्भवती होना पर्याप्त है विवाहित हो या न हो, इस अर्थ में यदि अविवाहित महिला गर्भवती हो जाती है, तो वह चाहे तो अपनी संतान को जन्म दे सकती है। यदि वह सेवारत है, तो उसे नियोक्ता को प्रसूति अवकाश स्वीकृत करना होगा।

इसके अलावा 15 वर्ष से कम उम्र की विवाहित स्त्री के साथ यदि उसका पति उसकी इच्छा के विरूद्ध सम्भोग करता है, तो ऐसे पति को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 375 के अधीन बलात्संग (Rape) का दोषी माना जा सकता हैं

(3) **विवाह-विच्छेद (तलाक) का अधिकार** :– पुरूषों की तरह अब भारतीय स्त्रियों को भी अपना विवाह 'विवाह–विच्छेद की आज्ञप्ति' द्वारा समाप्त कराने का कानूनी अधिकार प्राप्त है, ऐसा अधिकार हिन्दू स्त्री को हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 में वर्णित आधारों पर तथा मुस्लिम स्त्रियों को मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 की धारा में वर्णित आधारों पर प्राप्त है। इनके अलावा ये अपना विवाह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 27 व 28 के अधीन भी करा सकते हैं, क्योंकि यह अधिनियम सभी धर्मों पर समान रूप से लागू है।

विवाह–विच्छेद के आधारों में 'क्रूरता' भी एक आधार है जिसमें पति द्वारा पत्नी के प्रति की जा रही शारीरिक व मानसिक क्रूरता होना शामिल है। विवाह–विच्छेद के पश्चात् तलाकशुदा स्त्री यदि पुनः विवाह करना चाहे, तो वह ऐसा करने के लिए पुरूष की तरह ही स्वतंत्र है। हालांकि मुस्लिम स्त्री को यह अधिकार इद्दत की अवधि बिताने पर ही प्राप्त है। इस अवधि का मुख्य आधार उसके गर्भवती होने या न होने का पता चलना है, ताकि बच्चे का मातृत्व व पितृत्व सुनिश्चित किया जा सके।

(4) **भरण-पोषण का अधिकार** :– वैध विवाह पति पर यह सामाजिक व विधिक दायित्व डालता है कि वह अपनी पत्नी का भरण–पोषण करें। यदि पति ऐसा नहीं करता तो हिन्दू पत्नी हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम, 1957 की धारा 18 में भरण–पोषण प्राप्त कर सकती है तथा वैवाहिक वादों के दौरान वह हिन्दू विवाह अधिनियम, 1953 की धारा 24 व 25 के अधीन भरण–पोषण व स्थायी निर्वाहिका माँग सकती है।

इसी प्रकार एक मुस्लिम स्त्री विवाह के दौरान व इद्दत की अवधि तक अपने पति से शरीअन अधिनियम, 1937 के अधीन भरण–पोषण प्राप्त कर सकती है। हिन्दू व मुस्लिम स्त्रियाँ दोनों अपनी वैयक्तिक विधियों (पर्सनल लॉ) के अलावा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125–128 के अधीन भी भरण–पोषण की माँग कर सकती हैं, क्योंकि यह संहिता धर्म निरपेक्ष है अर्थात् सभी धर्मों की विवाहित महिलाओं पर लागू होती है। मुस्लिम स्त्री इद्दत के बाद भी अविवाहित रहने तक भरण–पोषण इस संहिता में ले सकती है। यह बात मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम के वाद में सन् 1985 में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है। इसके अलावा मुस्लिम स्त्री मुस्लिम विवाह (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन अपने रिश्तेदारों से या राज्य के बफ्फ बोर्ड से भी भरण–पोषण की राशि पाने की अधिकारिणी हैं।

वर्ष 1999 के महत्वपूर्ण वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभयौल्लाह एम.सुब्बा रेड्डी बनाम पदमनम् के वाद में यह निर्णय दिया कि यदि कोई विवाहित पुरूष धोखा देकर किसी अन्य महिला से विवाह रचाता है, तो इस शून्य विवाह (Void Marriage) की महिला भी उस पुरूष से उसी प्रकार भरण–पोषण प्राप्त कर सकती है, जैसे कि एक वैध विवाह के अन्तर्गत विवाहित महिला भरण–पोषण प्राप्त कर सकती है।

(5) **दहेज के विरूद्ध संरक्षण** :– दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत यह विशेष प्रावधान बनाए गए हैं कि यदि पति या उसका कोई रिश्तेदार 'वधू' या उसके रिश्तेदारों से विवाह से पूर्व, विवाह के समय या विवाह के पश्चात् उनकी हैसियत से ज्यादा किसी भी वस्तु या सम्पत्ति की माँग करते हैं, तो वह दहेज माना जाएगा तथा दोषियों को दंडित किया जा सकेगा। इसी प्रकार दहेज लेने व देने का करार विधि विरूद्ध होने से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है।

इसके अलावा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 498। में किसी स्त्री के पति या पति के नातेदारों द्वारा की गई क्रूरता दण्डनीय अपराध है। धारा 304–ख के अन्तर्गत 'दहेज मृत्यु' को भी दण्डनीय घोषित किया गया है। इस धारा में प्रावधान बनाए गए हैं कि यदि किसी स्त्री की विवाह के सात वर्षों के दौरान संदिग्ध मृत्यु होती है, तो न्यायालय यह अवधारणा कर सकता है कि वह दहेज मृत्यु है तथा पति या उसके रिश्तेदारों को दण्डित कर सकता है।

(6) **महिला श्रमिकों को कानून अधिकार** :– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (क) में पुरूष की तरह स्त्रियों को भी जीविका के समान अवसर प्रदान किए गए हैं। अब महिला पुरूष के समान प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकती है। इसके साथ ही अनुच्छेद 39 (घ) में पुरूषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, परन्तु कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन महिला श्रमिकों को यह संरक्षण प्राप्त है कि उन्हें खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जाए तथा रात्रि को 10 बजे पश्चात् व 6 बजे पहले के दौरान कभी भी कार्य पर नहीं बुलाया जाए।

(7) **बच्चों की संरक्षकता का अधिकार** :– हिन्दु अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 'माँ' को अपने 5 वर्ष तक के बच्चे की प्राकृतिक संरक्षक घोषित किया गया है। इस संरक्षकता की अवधि को उच्चतम न्यायालय ने गीथा हरिहरन बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, 1999 के वाद में अवयस्कता की सम्पूर्ण अवधि तक बढ़ा दिया है। अब यदि पिता शारीरिक व मानसिक कारणों से अपने बच्चे की संरक्षकता निभाने में असमर्थ है, तो पिता के जीवित रहने पर भी माता उस बच्चे की अवयस्कता तक प्राकृतिक संरक्षक होगी। प्राकृतिक संरक्षण के रूप में माता को वे सभी कानूनी अधिकार बच्चे के शरीर व सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्राप्त हैं, जो पिता को प्राप्त हैं।

(8) **यौन पीड़िताओं के पुनरूत्थान हेतु मुआवजा दिलाने की शुरूआत** :– उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसलों में यौन अपराधियों को कड़ी सजा देने के साथ–साथ यौन पीड़िता को मुआवजा दिलाने की ओर भी ध्यान दिया है जिसके आधार पर दोषी व्यक्तियों से एक मुश्त या मासिक राशि दिलाई गई है, ताकि पीड़िता समाज में अपने आपको स्थापित कर सके। इस सम्बन्ध में दिल्ली डोमोस्टिक वर्किंग विमेन फोरम बनाम भारत संघ का वाद महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका द्वारा पीड़िता के कल्याण की दिशा में किया गया यह सराहनीय प्रयास है।

(9) **महिला द्वारा अपने लिए दत्तक ग्रहण की सुविधा** :– हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 8 में हिन्दू नारी को यह अधिकार है कि वह अपने लिए स्वतंत्र रूप से पुत्र या पुत्री को दत्तक ले सके पहले ऐसा वह विधवा होने पर पति के लिए ही कर सकती थी। इस धारा में वयस्क अविवाहित स्त्री को तलाकशुदा स्त्री को, विधवा को, पूर्ण रूप से संसार त्याग चुके पति की स्त्री को यह अधिकार है कि वह दत्तक ग्रहा कर सके।

(10) **पारिवारिक न्यायालय** :– पारिवारिक झगड़ों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद ने 1984 में एक पारिवारिक न्यायालय ;थ्3उपसल ब्वनतजद्ध की स्थापना करने के बारे में एक कानून बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य पारिवारिक झगड़ों को सुलझाना था और मुख्यतः नारी अधिकारों की रक्षा करना ही इसका उद्देश्य था। इस न्यायालय में नियुक्ति भी महिलाओं में से भी की जाती है। इस न्यायालय की भरसक कोशिश यह रहती है कि दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का तकरार न हो पाए, किन्तु फिर भी कुछ कारण ऐसे भी हो जाते हैं जिनके परिणामस्वरूप पति–पत्नी को कुछ ही दिनों के बाद मारना–पीटना आरम्भ करें, पत्नी के गर्भवती होने के बाद भी उसे पीटे, जिससे उसे घाव

हो जाए या शारीरिक पीड़ा पहुँचे, तो विवाह होने के एक वर्ष के भीतर भी तलाक हो सकता है।

यदि विवाह के समय किसी के साथ धोखा हुआ है या जबरदस्ती विवाह करवाया गया है, तो ऐसी स्थिति में तलाक शीघ्र मिल सकता है।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विवाह–विच्छेद का प्रावधान रखा हुआ है। इस अधिनियम के 22वें सेक्शन के अन्तर्गत सम्भोग के अधिकार की माँग की जा सकती है। सेक्शन 23 एवं 25 के अन्तर्गत न्यायिक अलगाव एवं विवाह–विच्छेद का प्रावधान है। विशेष विवाह अधिनियम और हिन्दू विवाह अधिनियम में विवाह–विच्छेद की शर्तें मिलती–जुलती हैं। केवल एक ही अन्तर है कि इसमें यदि पति–पत्नी में से किसी ने धर्म परिवर्तन किया है, तो यह विवाह–विच्छेद का कारण नहीं बन सकता है। विवाह–विच्छेद, रजिस्ट्रार के कार्यालय के रजिस्टर में दर्ज होने के एक वर्ष पूरा होने के बाद ही हो सकता है।

इस प्रकार भारतीय स्त्री को अबला से सबला बनाने की दिशा में विधायिका व न्यायपालिका ने अनेक सराहनीय प्रयास किए हैं। आवश्यकता है इन प्रयासों को भारतीय स्त्रियों की जानकारी में लाया जाए। आज स्त्री को खतरा पुरूष से नहीं अपितु नारी से ही अधिक है। 'सास' के तौर पर विवाहित नारी 'बहू' का शोषण जग जाहिर है। इस सोच को कानून द्वारा नहीं सुधारा जा सकता है। इसके लिए सामाजिक व पारिवारिक सोंच में परिवर्तन जरूरी है। भारतीय स्त्री को स्वयं यह सोच बदलनी होनी कि वह अबला है, कमजोर है। प्रकृति ने उसको शोषण के लिए बनाया है।

10

महिलाओं के अधिकार एवं सामाजिक विधान

भारतीय नारी हमारी संस्कृति और परम्परा धरोहर की वाहक रही है। कई उतार चढ़ावों के बावजूद उन सर्वोत्कृष्ट मूल्यों, मानकों और आदर्शों को जिसमें हमारी सम्यता जीवित, पुष्पित व पल्लवित रही है अगली पीढ़ी को हस्तान्तरित करने की जिम्मेदारी उन्हीं की रही है। विश्व जननी नारी भारतीय समाज और परिवार की न केवल महत्वपूर्ण कड़ी, बल्कि समाजीकरण की प्रक्रिया के विकास की सशक्त माध्यम होने के बाद भी भारतीय समाज में एक लम्बे समय समय से अवमानना, यातना, शोषण का शिकार होती रही है। रूढ़िवादी विचारधारा, संस्थागत रिवाजों एवं समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने नारी के उत्पीड़न में निरंतर वृद्धि की है। ऐसे रूढ़िवादी परम्पराओं एवं विश्वासों तथा प्रथाओं में जकड़े हुए समाज को रातों रात नहीं बदला जा सकता है और न ही इनके विरूद्ध प्रबल जनमत तैयार करना सरल है।

महिलाओं की स्थिति किसी भी समाज के विकास के लिए प्रगति के निर्धारण का महत्वपूर्ण मानदंड होती है। उनकी शैक्षिक दशा राजनीतिक एवं सामाजिक निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भूमिका एवं उनके सामाजिक अधिकार उनकी स्थिति को जानने का संकेत है।

महिलाओं के विकास और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में 18 दिसम्बर 1979 को महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया जो 3 सितबंर 1981 में प्रभावी हुआ।

महिला अधिकारिता को लेकर संपूर्ण विश्व की जागरूकता एवं प्रयासों के बावजूद महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की बनी हुई है ''महिला अधिकारिता'' का अर्थ–''ऐसी प्रक्रिया से है। जिसमें महिलाओं की अपने आप को संगठित करने की क्षमता विकसित एवं सुदृढ़ होती है।'' महिला अधिकारिता को जब तक हम सिर्फ वैधानिक एवं संवैधानिक अधिकारों से जोड़ कर देखते रहेगे। तब तक महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ता मिलना मुश्किल है। वैधानिक एवं संवैधानिक अधिकारों के साथ–साथ जब तक महिलाएं स्वयं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगी तब तक महिला अधिकारिता का प्रश्न अधूरा रहेगा।

भारत में महिला कल्याण संबंधी गतिविधियों को संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराने और संवैधानिक सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु अनेकों प्रयास किए गए। आजादी के बाद से ही महिलाओं का विकास देश की आयोजन प्रणाली का केन्द्रीय विषय रहा है। 1970 के दशक जहां कल्याण की अवधारणा बनाई गई वहीं 1980 के दशक में विकास पर बल दिया गया। 1990 के दशक से निरंतर महिला अधकारिता पर बल दिया जा रहे हैं। जिससे महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो और नीति निर्माण के स्तर पर भी उनकी सहभागिता बढ़े।

वर्तमान युग में लोकप्रिय होती जनतंत्र प्रणाली व लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत में महिला विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है अतः उन्हें सुप्तावस्था से जागृत करने के लिए कई समाज सेवक व बुद्धिजीवी वर्ग सामने आए। कानूनी प्रावधान व योजनाएं बनी। स्वैच्छिक संगठनों ने पहल की, तब कहीं जाकर कुछ महिलाएं अपने अधिकारों के

प्रति जाग्रत हुई। उन्हें एहसास होने लगा कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है लेकिन तब तक रूढ़िगत समाज की जड़े काफी गहरी हो चुकी थी। संकुचित सोच व मानसिकता के दायरे में आकर महिलाओं को अपने अधिकारों को पाने की धारणा कशमसाने लगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिला उत्पीड़न एवं शोषण रोकने हेतु समय–समय पर कानून बनाए गए। संवैधानिक अधिकारों के आश्वासन के अतिरिक्त राज्य सरकारों को भी यह अधिकार दिए गए कि वे समय–समय पर ऐसे विधान लागू करें जो स्त्रियों के साथ व्यवहार में भी उन्हें वरीयता दी जाए। इस आधार पर सरकार समय समय पर ऐसे वैधानिक उपाय करती रही है जिससे सामाजिक व्यवस्था एवं न्याय बना रहे। गत तीन या चार दशकों में काफी संख्या में महिला अधिकार संबंधी विधान लागू किए गए एवं कुछ में सुधार किए गए है। जिनसे महिलाओं के समान स्तर एवं अवसरों को सुनिश्चित किया गया है। इन विधानों का मूल्यांकन तीन स्तरों पर किया जा सकता है:–

1 सामाजिक विधान

2 आर्थिक विधान

3 राजनैतिक विधान

सामाजिक विधानः– महिलाओं से संबंधित तथा सामाजिक कानूनों से संबंधित चार प्रमुख मामले है–

1 विवाह

2 बच्चा गोद लेना

3 संरक्षता

4 गर्भपात

विवाह संबंधी समस्या

1 जीवन साथी का चुनाव

2 विवाह की आयु

3 बहु पत्नि विवाह

4 नियोग्य विवाह

5 निस्प्रभावी विवाह

6 विवाह विच्छेद

7 दाम्पत्य अधिकार

8 गुजारा भत्ता

9 बच्चे का संरक्षण

10 दहेज

11 पुनर्विवाह

समाज में महिलाओं को शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु कुछ लागू हो चुके विधान निम्नानुसार है–

1955 का हिन्दू विवाह अधिकनियम

1954 का विशेष विवाह अधिनियम

1956 का पुनर्विवाह अधिनियम

1956 का बच्चों को गोद लेने संबंधी अधिनियम

1970 में गर्भपात को वैधानिक दृष्टि से अपराध मानना

1971 में चिकित्सा गर्भ समापन अधिनियम

2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम

1961 दहेज विरोधी अधिनियम

1966 भ्रूण हत्या निषेध अधिनियम

1929 बाल विवाह अवरोध अधिनियम

1978 बाल विवाह अवरोध संशोधित अधिनियम

धारा 359, धारा 360, धारा 361, धारा 363, धारा 375 के अनुसार छेड़छाड़ अपहरण एवं बलात्कार संबंधी कानूनी प्रावधान

समाज में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने एवं विकास की मुख्य की धारा से जोड़ने में ये कानून कारगर साबित होगें।

आर्थिक विधान

महिलाओं से संबंधित आर्थिक विधान के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक धरातल पर सुदृढ़ता प्रदान कर पुरूषों के बराबर लाने का प्रयास किया गया। आर्थिक विधानों से संबंधित विषय है–

1 सम्पत्ति का अधिकार

2 समान पारिक्रमिक

3 कार्यकरने की दशाएं

4 प्रसूति लाभ

5 कार्य सुरक्षा

एक महिला के सम्पत्ति अधिकार का अर्थ है इसकी पत्नि पुत्री विधवा तथा माँ के रूप में सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त करना। इस संबंध में कामकार महिलाओं को समाज में आर्थिक समानता के अधिकार के लिए संवैधानिक रूप से अनेक कानून बनाए जो इस प्रकार हैः–

1 1956 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम

2 1976 समान पारिभ्रमिक अधिनियम

3 1948 फैक्ट्री अधिनियम

4 पैतृक सम्पति में अधिकार अधिनियम

5 1997 कामकाजी महिलाओं को बुनियादी अधिकार अधिनियम

1976 समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत भर्ती एवं सेवा शर्तों में महिला और पुरूष भेदभाव दूर करने का भी प्रावधान है। कामकाजी

महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण हेतु केन्द्र सरकार ने पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए कामकाजी महिलाओं के लिए कई ऐसी बातों को नियमों में बदला है ऐसे विभाग एवं सार्वजनिक संस्थाएं जहां महिला कर्मचारियों की संख्या अधिक है उन जगह पर बच्चों के लिए क्रेश खोलना अनिवार्य बनाया गया है। महिलाओं को एक दिन में अधिकतम 9 घण्टे तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे के बीच कोई भी कार्य न देने का प्रावधान भी इस कानून में है।

राजनैतिक अधिकार

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त महिलाओं को दो प्रमुख अधिकार है महिलाओं को मताधिकार और विधान मण्डल के लिए योग्यता महिला मताधिकार की मांग सर्वप्रथम 1917 में की गई थी किन्तु साउथ फ्रेन्चाइज कमेटी ने 1918 में इस मांग को अस्वीकार कर दिया। 1919 में सरकार ने राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया कि वे स्त्री मताधिकार के संबंध में अपने अलग विधान लागू करें। इस प्रकार के विधान समस्त राज्य में पारित किए गए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्त्री मताधिकार प्रदान किया गया। फलस्वरूप 1937 में 56 महिलाओं ने चुनाव के माध्यम से विधान मण्डलों ने प्रवेश किया स्वतंत्रता के बाद स्त्री मतदाताओं की संख्या तथा राज्य विधान मण्डलों तथा लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

यह सत्य है कि महिला अधिकारिता के संबंध में इन संवैधानिक विधानों से उनकी स्थिति में बुनियादी बदलाव आया है। वास्तविकता यह है कि समस्त सरकारी प्रयास व कानून तभी सफल हो सकते है जब परिवार व समाज का हर व्यक्ति पूर्वाग्रहों से मुक्त हो और महिलाओं के प्रति स्वस्थ व व्यापक दृष्टिकोण अपनाए। हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा और जो हमारे संस्कार परंपराएं और सोच के दायरे है उनसे निकल कर एक नई सोच पर अमल करें

तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगें। समूचे विवेक और समूची सृजन शक्ति अपनी संवेदन शीलता, ममता और करूणा को एक साथ एकत्रित कर अपने लिए, पुरूष के लिए और संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए सही दिशा की घोषणा करें। साथ ही हमें इस बात से भी सहमत होना पड़ेगा कि वैधानिक उपायों से उनकी स्थिति व उनकी दशा को ऊंचा नही किया जा सकता बल्कि संयुक्त प्रयास से ही हमारे समाज में महिलाओं को अधिकार एवं न्याय मिल सकता है।

11

सामाजिक दृष्टिकोण से महिलाओं की वैधानिक स्थिति

महिलायें समाज की आधारशिला हैं। मानव सभ्यता के विकास में उसकी सृजनात्मक भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मनुष्य को विकृतियों से बचाने में उसका योगदान सराहनीय है। अपने विविध रूपों में स्त्री–पुरुष को संवर्धन, प्रोत्साहन और शक्ति प्रदान करती है, लेकिन समाज आज भी विरोधाभाषों से भरा हुआ है। आज भी समाज में महिलायें परम्पराओं की बेड़ियों में उलझी हुई है। 59 प्रतिशत महिलाओं को बाजार या रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए अभी इजाजत लेनी पड़ती है। यहाँ तक कि कार्यक्षेत्र में संलग्न 37 प्रतिशत महिलाओं को भी कहीं आने–जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। स्पष्ट है कि आज भी महिलायें निजी अधिकारों के लिए दूसरों पर आश्रित हैं। एक ओर तकनीकी प्रगति के द्वारा विश्व शक्ति बनता हुआ यह देश और दूसरी ओर नवजात बेटियों अथवा कन्या भ्रूणों की अमानवीय से लेकर आधुनिक उपायों से हत्या करने वाला यह समाज महिलाओं की समाज में स्थिति जानने के लिए भ्रूण हत्या की तस्वीर ही काफी है। दो बेटे तो अच्छे हैं, लेकिन दो बेटियां नहीं। क्योंकि सभ्यता के पास कन्या को कोख में ही मार देने की गारण्टी है। आधुनिक शिक्षित समाज भी जो

एक ओर महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वहीं दूसरी ओर उसका शोषण करता है। पंजाब जैसे विकसित व शिक्षित प्रदेश में भी पुरुषों और महिलाओं का लिंगानुपात 1000:874 है, वहीं अशिक्षित व पिछड़े कहे जाने वाले प्रदेश बिहार में लिंगानुपात 1000:921 है।

आम भारतीय महिला वह है जो घर का काम करती है। खेतों में काम करती है। इस श्रमशील महिला की न तो कहीं कोई पहचान है, न ही इसके श्रम का कोई मूल्य है। अमृता प्रीतम का यह कथन कि ''एक दर्द था जो सिगरेट की तरह मैंने चुपचाप पिया है, सिर्फ कुछ नज्म है जो सिगरेट से मैंने राख की तरह झाड़ी है।'' यह दर्द उनका नहीं विश्व की प्रत्येक महिला का दर्द है, जो सदियों से पुरुष के अधिपत्य से आजाद होने की छटपटाहट को दर्शाता है। कहा तो यही जाता है कि 21वीं सदी महिलाओं की सदी होगी, उन्हें अधिक अवसर, अधिक अधिकार मिलेंगे, परिवार व समाज में उनका जीवन सुरक्षित होगा। उनके कार्यों का मूल्यांकन होगा, किन्तु हाल में प्रकाशित एक सर्वे के अनुसार पुरुष को फर्स्ट एवं महिला को सेकेण्ड सेक्स माना गया है। अर्थात् आज भी महिला समाज में अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित है। शिक्षा एवं सामाजिक चेतना के अल्प प्रसार के बाद भी महिलाओं की गतिविधियों पर लगे सामाजिक बंधन कुछ–कुछ ढीले पड़ रहे हैं। आज महिलायें अपेक्षाकृत कुछ स्वतंत्रता एवं स्वावलम्बन का अहसास कर पा रही हैं। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्जनायें शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मजबूत हैं। समाज ने महिलाओं के समान अधिकारों की बात, उनके सार्वजनिक जीवन एवं सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों में नियोजन तथा सहभागिता की बात को स्वीकारना प्रारम्भ कर दिया है। कामकाजी स्त्रियां किसी न किसी रूप में परिवार की आय में सहयोग भी कर रही हैं, किन्तु उनकी आय पर अधिकार उन्हीं का है, यह कह पाना संभव नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा घरेलू अर्थव्यवस्था में लगने वाले श्रम का अधिकांश भाग महिलाओं का है, किन्तु यह बेगार श्रम है। इस श्रम का आर्थिक मूल्यांकन नहीं होता

है। यह उनके पारिवारिक दायित्व के रूप में लिया जाता है। महिलायें अपने कार्यस्थल पर तो अपने अस्तित्व की सार्थकता प्रमाणित करने हेतु जद्दोजहद करती ही हैं, घर में भी उसे इस जद्दोजहद से मुक्ति नहीं मिलती है। उसे घर पर भी वे सब कार्य करने पड़ते हैं, जो एक सामान्य गृहणी करती है। पिछले 60 वर्षों में यह बात स्पष्ट हो गयी है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता के नाम पर कामकाजी महिलायें दोहरा बोझ ढोने को विवश हैं।

पूरी दुनिया में शिशु को जन्म देते समय सबसे अधिक महिलाएं उत्तर प्रदेश में ही मरती है। कुपोषण, शरीर में खून की कमी, कम उम्र में शादी का होना जहां इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं वहीं स्वास्थ्य सेवाएं न मिल पाना भी इसकी एक बड़ी बजह है। जब यह पता चलता है। कि ग्रामीण क्षेत्र के सिर्फ 23.8 फीसदी औरतें किसी प्रशिक्षित स्वस्थ्य सेविका और सिर्फ 9.9 फीसदी ग्रामीण औरतों को प्रसव के बाद किसी प्रकार की स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होती है तो हम उन नारकीय परिस्थितियों की कल्पना करने की शुरूआत कर सकते हैं जिन्हें लाखों महिलाएं मां बनते समय भुगतती हैं।

उत्तर प्रदेश में महिलाओं का स्वास्थ्य कभी भी किसी सरकार की प्राथमिकता नहीं रही है। समाज के विकास के लिए लड़कियों और औरतों का हर तरह का विकास कितना अनिवार्य है, शायद आज भी इस सामान्य सच्चाई को शासन में बैठे लोग समझने के लिए तैयार नहीं। पिछले एकाध वर्षों से प्रदेश में महिलाओं की मृत्यु दर घटाने की दिशा में सरकार ने महिलाओं को सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्रो और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव के लिए आने के लिए प्रोत्साहित करने का काम शुरू कर दिया है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को महिलाओं को समझाने का काम सौंपा गया है। जो भी महिला अपने प्रसव के लिए सरकारी सेवाओं का फायदा उठाती है। उसे जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकार ने कुछ धनराशि भी मिलती है। इन तमाम कदमों का नतीजा हैं कि बड़ी संख्या संख्या में गर्भवती औरतें

प्रसव के लिए सरकारी सेवाओं का फायदा उठाने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन उनकी इस उत्सुकता पर स्वास्थ्य सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार और अमानवीय व्यवहार पानी फेरने का काम कर रहा है। लेकिन सामाजिक स्थिति का एक पहलू यह भी है कि गाँवो में भी लड़कियां वेमेल और शराबी दूल्हे को लौटा रहीं है। कुछ वर्षो पूर्व तक यह सोचा भी नहीं जा सकता था। यह क्रान्ति धीरे–धीरे आ रही है, ऐसी क्रान्ति जो महिलाओं को अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार कर रही है, इसका सबसे सुखद पहलू यह है कि इस क्रान्ति का नायिकायें दिल्ली–मुम्बई जैसे बड़े शहरों की महिलायें नही है बल्कि ये नायिकायें छोटे–कस्बों –गावों से उभर रहीं हैं। उन गाँवों में जहाँ भारत बसता है और जहाँ के लोगों के पास जिन्दगी काटने का पूरा इंतजाम नही है, यानि यह क्रान्ति पूरे भारत के लिए है। पुरानी मान्यतायें धीर–धीरे ही सही, अपना वजूद खो रहीं हैं। वर्षों पहले शुरू किये गये सामाजिक सुधार कुछ–कुछ असर दिखा रहे हैं। सरकार समाज का सहयोग ओर तकनीक के प्रचार–प्रसार के चलते खुले विचारों की हवा अब सुदूर गॉवों तक भी पहुँच रहीं हैं, उन्हें कानूनी सरंक्षण एवं मार्गदर्शन देकर सरकार उनका साथ देने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन समाज को भी रूढ़ियों और अहं को त्यागकर महिलाओं का साथ देना चाहिए।

कठोर कानून, महिलाओं में शिक्षा, का प्रसार, खासकर गांवों मे व चेतना के जरिये महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाया जा सकता हैं। पर मानसिकता में बदलाव में अभी कुछ बक्त लगेगा। यह कहने में भी संकोच नही कि महिलाओं की दुर्दशा के लिए केवल पुरूष मानसिकता ही दोषी नही, बल्कि इसके लिए कहीं न कहीं वर्तमान महिला मानसिकता भी दोषी है। जब तक स्वयं महिलाए अपनी मानसिकता से नही उबरेगीं, तब तक दुनिया का कोई भी तंत्र उनकी दशा नहीं बदल सकता है। समाज में महिलाओं को आपनी नई भूमिका के लिए नया रास्ता खुद ही तलाशना होगा और चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार होना होगा। गांवों में महिलाओं को समाज में अभी भी दोयम

दर्जे का नागरिक समझ जाता है। वे आज भी उपेक्षापूर्ण व्यवहार का शिकार हैं। वे अनपढ़ या लाचार छबि से निकल नहीं पा रही हैं। गांवों में गुम हो चुकी महिला आजादी को जरूरी मानकर खोजना होगा। यह अभिनय शिक्षा के प्रचार–प्रसार में छिपा हुआ हैं शिक्षा के प्रसार से ही उन्हें स्वायन्तता व स्वावलम्ब दोनों हासिल होंगें। यह उनकी सोच में तब्दीली का कारण भी बनेगें।

महिलाओं में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक प्रस्थिति में सुधार के बावजूद लिंगानुपात में उत्तरोत्तर कमी आयी है। हमारी तमाम वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगिक क्रान्ति और आधुनिकता को अंगीकार करने के दावों के बाद भी समाज में बालिका शिशु प्राप्त करने की चाहत विकसित नहीं हुई है। अभी भी बालिका शिशु जन्म एक अभिशाप है। आधुनिक तकनीकी के विकास ने लिंगानुपात वैषम्य को बढ़ाया है। महिलाओं ने अपने अधिकारों का क्रमिक विस्तार तो किया है किन्तु उनके चारों तरफ एक नये असुरक्षा का माहौल तैयार हुआ है। घर की परिधि में वह दबी, कुचली, कुण्ठित, हताश एवं पहले से अधिक आक्रामक पति द्वारा उत्पन्न असुरक्षा एवं घर से बाहर सड़क, विद्यालय और कार्यालय में उत्पन्न असुरक्षा के नये माहौल ने भी लैंगिक असमानता को बढ़ाया है। सच तो यह है कि उच्च वर्गीय, शिक्षित, कमाऊ पत्नी हो या अनपढ़ गॅवार होने पर भी मेहनत–मजदूरी करके निठल्ले पतियों को खिलाने–पिलाने वाली आम महिला सभी पर पुरुष सत्ता अपनी हुकूमत मानती है और हुकूमत बातों से नहीं, बल्कि शारीरिक एवं मानसिक हिंसा के द्वारा भी करने में कोई शर्म नहीं आती है। अध्ययन बतलाते हैं कि लगभग 70 प्रतिशत महिलायें अपने पतियों के द्वारा किसी न किसी रूप में हिंसा का शिकार होती हैं। कुछ पति तो लातों–घूंसों के अलावा डंडे, बेल्ट, बैट आदि का भी प्रयोग करते हैं। विडम्बना यह है कि ऐसे क्रूर पतियों के लिए भी महिलायें समाज के सामने उनकी लम्बी आयु के लिए निर्जल व्रत–उपवास रखती हैं। दरअसल वर्तमान समाज में जहाँ स्त्री सशक्तीकरण की गति तेज हुई है, वहीं महिलाओं

का मानसिक–शारीरिक शोषण, टूटते परिवार, समाज के दोहरे मापदंड भी तेजी से बढ़े हैं। आश्चर्यजनक ढंग से टूटते परिवार, बढ़ते तलाक के लिए महिला स्वतंत्रता को जिम्मेदार ठहराया जाता है। परन्तु कारण यह है कि महिलायें तो बदल रही हैं परन्तु पुरुष बदलना नहीं चाहता है। कथा लेखिका मन्नू भंडारी कहती हैं कि ''शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, अपनी अस्मिता की पहचान, बड़े–बड़े पदों पर काम करने से विकसित आत्मविश्वास ने एक बिल्कुल नयी महिला को जन्म दिया है, लेकिन उसकी अपेक्षा पुरुषों में बहुत कम परिवर्तन हुआ है। आधुनिक, शिक्षित और महिला समानता व स्वतंत्रता की बड़ी–बड़ी बातें करने वाले पुरुषों की चमड़ी की बस एक परत हटाइये तो आप वही सामंती संस्कारों वाला पति पायेंगे, जो महिला पर शासन करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझता है।''

वर्तमान की बात करें तो आज शिक्षित–कामकाजी, अधिकार–सजग, बौद्धिक, अर्थ–स्वतंत्र पत्नियों ने पुरूषों के लिए समस्याएँ खड़ी कर दी है। शिक्षा, राजनीति खेल, धर्म, फिल्म, सेना, साहित्य, प्रशासन, मीडिया, संविधान और विज्ञान ने नए क्षितिज खोल दिए हैं। अनुगामिनी एक दिन सहगामिनीं बन जाएगी, आदम की पसली से जन्म लेने वाली उसके सम्मुख हकूक की बात करेगी, पौराणिक कथाओं का अध्ययन करने वाली विश्वविद्यालयों में लॉ क्लासेज लगाएगी अथवा नारीवादी नारे उछालेगी, नाखूनों से लेकर सिर के बालों तक अपने को ढककर तीर्थयात्राएं करने वाली के प्राण ब्यूटी पॉर्लर में बस जायेंगे, बालायें अन्तरिक्ष को मुट्ठी में भर लेंगी–ऐसा पति–परमेश्वरों ने कभी नहीं सोचा था।

पूँजीवाद के उदय के साथ जीवन में आधुनिकता, बौद्धिकता का प्रवेश होता है, वैज्ञानिक दृष्टि का विकास होता है, स्त्री–पुरूष के समान अधिकारों की घोषणा होती है। इसके साथ ही हजारों सालों की बेड़ियाँ एक झटके के साथ टूट जाती हैं और स्त्री के कदम आत्म सम्मान की दिशा में बढ़ चलते हैं। स्त्री को कानूनी अधिकार मिलते हैं।

सन् 1956 ई. के पहले स्त्री का कानूनी अधिकार शून्य था। धीरे–धीरे अब उसमें बढ़ोरी हो रही है और यहीं से स्त्री की अपनी स्वतंत्र पहचान बननी शुरू होती है। संयुक्त रूप से ये चारों घटनायें एक तरफ से विभाजक रेखाएँ हैं जिसके एक ओर पूरे विश्व में स्त्री उत्पीड़न की लगभग एक सी यूनीवर्सल परम्परा है तो दूसरी ओर इससे मुक्ति की लगभग एक सी तड़प और अकुलाहट भरी संघर्ष कथा।

देश में घरेलू हिंसा का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। उस अनुपात में मामले प्रकाश में नहीं आते हैं। दरअसल, देश में अब भी 70 प्रतिशत से अधिक महिलायें घरेलू हिंसा की शिकार हैं, साथ ही वे उनके लिए बनाये गये कानूनों से अनजान हैं या फिर उदासीन, 37 प्रतिशत महिलायें केवल पतियों से ही प्रताड़ित रहती हैं। देश में हर 29वें मिनट पर एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हो जाती है। दहेज उत्पीड़न की लगभग 32 प्रतिशत घटनायें उत्तर प्रदेश में होती हैं, जबकि बिहार में 14 प्रतिशत दहेज उत्पीड़न की घटनायें घटती हैं। इन पीड़ित महिलाओं का एक बड़ा तबका कानून के लाभ से वंचित रहता है। हालांकि इसका एक सामाजिक–मनोवैज्ञानिक पहलू भी है, जिसकी अमूमन सभी सरकारों ने कानून बनाते समय उपेक्षा की है, अब भी महिलाओं का सुरक्षा कवच परिवार है, न कि कानून। महिलाओं की दिलचस्पी कानून में न ही के बराबर है। वे अपने पारिवारिक विवाद को पुलिस व कचहरी के बजाए आपस में ही सुलझाने में यकीन करती हैं, इसके चलते ही महिलायें घरेलू हिंसा पर उफ नहीं करती, जब तक पानी सिर से ऊपर नहीं निकल जाता, वे सहती हैं। कहने को आज की महिला आजाद है, लेकिन इस आजादी की कीमत उसे हर कदम पर चुकानी पड़ती है। यहाँ तक कि आज स्कूल जाने वाली छोटी बच्चियों से लेकर 50–55 साल की महिला भी सुरक्षित नहीं है। छोटी है तो करीबी रिश्तेदारों और पड़ोसियों की विकृत मानसिकता से खतरा, स्कूलों, कालेजों में सिरफिरे मनचलों से खतरा, और तो और अब तो स्कूलों में गोविंद समान शिक्षकों से खतरा। बस–ट्रेन, बाजार कहीं भी

धक्का–मुक्की में नोंच खसोंट का खतरा, कामकाजी हो तो बॉस या सहकर्मियों की कामुक निगाहों और विवाह के बाद कभी–कभी ससुराल में भी पति की अनुपस्थिति में अन्य सदस्यों की निगाहों से असुरक्षा और ऐसा कुछ हो भी जाये तो सारा समाज एक सिरे से महिला को ही बदचलन या अपवित्र करार देता है। यौन शुचिता का सारा ढेका महिलाओं के माथे पर ही आ जाता है। घरेलू हिंसा और विशेष रूप से यौन उत्पीड़न के सम्बन्ध में आज भी सभ्य समाज किसी भी प्रकार की चर्चा करने से कतराता है। महिलाओं पर हो रही हिंसा के आंकड़ें जितने लम्बे चौड़े हैं, उतने ही डरावने भी है। हाल ही में पेश की गई राष्ट्रीय अपराध सांख्यिकी की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर घंटे दो दुष्कर्म, दो अपहरण, चार छेड़खानी और पतियों या सगे सम्बन्धियों से सात महिला उत्पीड़न की घटनायें घटती हैं। उत्पीड़न, प्रताड़नाओं और अवहेलनाओं के कटीले तारों से बींधता महिला जीवन का यह अध्याय तब तक समाप्त नहीं हो सकता, जब तक शोषणकर्ता अपनी संवेदनहीनता को त्याग न दे।

उपेक्षा की शिकार फैक्ट्री, मिलों, कारखानों में जोखिम भरे काम करने की वजह से श्रमिक महिलाओं की जिन्दगी उनकी सेहत पर होने वाले बुरे असर से अंधेरी सुनसान गलियों में कहीं गुम हो जाती है। इन उपेक्षित श्रमिक महिलाओं की बदतर जिन्दगी में महिला दिवस की रोशनी भी कोई उजाला नहीं ला पाती है और उनके हालात ज्यों–के–त्यों बदस्तूर बने हुए हैं। पिछले साठ वर्षों में भारत में हुई जबरदस्त औद्योगिक क्रान्ति ने भारत को विश्व का छठा सबसे बड़ा औद्योगिक देश तो बना दिया, मगर औद्योगीकरण की इस अंधी दौड़ में उत्पादन के साधनों में सबसे महत्वपूर्ण श्रमिक महिलाओं के स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सारा ध्यान केवल इस बात पर केन्द्रित रहा कि उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में 5 लाख महिलायें फैक्ट्रियों में काम करती हैं। 5 लाख 60 हजार महिलायें खनन उद्योग में कार्यरत हैं और लगभग 6 लाख

58 हजार महिलायें कृषि कार्यों में लगी हैं। इसके अलावा इतनी ही मिलाकर कुल महिलायें लघु उद्योगों में काम करती हैं। सबसे पहले महिला श्रमिकों की दुर्दशा की तरफ 1873 में मेजरमूर ने लोगों का ध्यान खींचा, जिसकी वजह से भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1881 में बनाया गया। इसी अधिनियम के कारण टेक्सटाइल मिलों में काम करने वाली महिला श्रमिकों के काम की समयावधि आठ से दस घंटे तय की गयी तथा कम उम्र की नाबालिग लड़कियों से मिलों में काम करवाने पर पाबंदी लगाई गयी। हालांकि लघु उद्योग के रूप में घरों में चलने वाले टेक्सटाइल कारखानों में आज भी कम उम्र लड़कियां ही श्रमिक के रूप में दस से बारह घंटे तक काम करती हैं। आजादी के बाद भारत ने एक कल्याणकारी देश के रूप में अपना निर्माण किया और संविधान के अनुच्छेद 21, 39, 42, 47 और 48 के तहत् श्रमिकों के हितों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा के नियम संविधान में शामिल किये, ताकि महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा हो सके और वे स्वस्थ जीवन गुजार सकें। 1948 में फैक्ट्री एक्ट और 1952 में खनन अधिनियम तथा 1980 में मजदूर अधिनियम बनाये गये, लेकिन इन सभी नियमों के बावजूद कार्यरत महिला श्रमिकों की हालत आज भी संतोषजनक नहीं है। माचिस और आतिशबाजी उद्योग में लगभग 2 लाख से अधिक श्रमिक काम करते हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत महिलायें हैं। इस उद्योग में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक रसायनों के प्रभाव से श्रमिक महिलायें गंभीर बीमारियों से ग्रसित रहती हैं। बीड़ी, तम्बाकू और सिगरेट उद्योग में भी अधिकतर कम उम्र की लड़कियां या महिलायें ही कार्यरत हैं। तम्बाकू के विषकारक और जहरीले प्रभाव से उनमें निकोटिन की मात्रा का स्तर बहुत ज्यादा हो जाता है जिससे वे कैंसर जैसे रोग की शिकार हो जाती हैं और वक्त से पहले मौत का शिकार बनती हैं। स्लेट उद्योग में गुजरात के सैकड़ों गांवों की लगभग 60 हजार महिलायें काम कर रही हैं। काम के दौरान स्लेट के महीन कण सांस के साथ फेफड़ों में पहुँचते हैं, जिससे उन्हें खांसी, दमा, टीबी जैसे गम्भीर रोग हो जाते

हैं। चाय और काफी उद्योग में केवल महिलायें ही काम करती हैं। चाय बागानों में कीटनाशक और उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग का असर श्रमिक महिलाओं पर पड़ता है, जिससे अनेक गम्भीर बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। निर्माण उद्योग में 6.5 लाख श्रमिक कार्यरत हैं, इनमें से 15 प्रतिशत महिलायें हैं, जो मजदूर के रूप में ईंट, गारा आदि ढोने का काम करती हैं। लगातार भारी बोझ ढोने के कारण इन्हें शारीरिक विकलांगता घेर लेती है। इन महिला श्रमिकों के नवजात शिशुओं की मृत्यु दर व गर्भपात की दर बहुत अधिक होती है। जूट व कॉपर उद्योग में भी दक्षिण भारत में अधिकतर महिलायें ही काम करती हैं। इन्हें मलेरिया, फाइलेरिया व त्वचा के रोग बहुत होते हैं। देश में प्रति वर्ष लगभग दो लाख मीट्रिक टन मसालों का उत्पादन होता है। यह देश का सबसे प्राचीन उद्योग है, जिसमें सिर्फ महिलायें ही कार्यरत हैं। इनमें कार्यरत महिलायें एलर्जी और गैस्ट्रो इन्सटाइनल रोग से ग्रसित रहती हैं। इतने अधिक उद्योगों में महिला श्रमिकों की कुशलता व भागीदारी पर ही इन उद्योगों का भविष्य टिका हुआ है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं समान पारिश्रमिक की व्यवस्था की जाए, ताकि वे उत्पादन में अधिक योगदान दे सकें।

उत्तर प्रदेश में नवरात्र के मौके पर लड़कियों को देवी मानकर पूजा तो जाता है, लेकिन पुरुष इन देवियों को पढ़ाने—लिखाने में अधिक यकीन नहीं करते हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की 54 प्रतिशत लड़कियों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा है। इस विरोधाभाषी नजरिए का ही नतीजा है कि तमाम कोशिशों के बाद महिलाओं की साक्षरता दर 45 प्रतिशत ही है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई खास बदलाव न आने से नारी सशक्तीकरण की आवाज भी कोई खास रंग नहीं दिखा पा रही है। नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे—3 और अन्य एजेन्सियों की साक्षरता दर में तीव्र वृद्धि का दावा किया जाता है। एनएफएचएस—3 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में सिर्फ 18 फीसदी महिलायें दस वर्ष या उससे अधिक

शिक्षा प्राप्त करती हैं। उत्तर प्रदेश में लड़कियों के विवाह की औसत उम्र 16 वर्ष है जबकि कानूनन 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह करना अपराध है। शायद यह शिक्षा की कमी का ही नतीजा है। एनएफएचएस–3 की सर्वेक्षण रिपोर्ट बतलाती है कि 6–17 वर्ष आयु वर्ग में सिर्फ 64 प्रतिशत लड़कियां ही स्कूल जाती हैं। रिपोर्ट में बतलाया गया है कि स्वयं 34 प्रतिशत महिलायें भी बेटियों के मुकाबले बेटों की चाहत रखती हैं।

वर्तमान भूमण्डलीकृत विश्व में आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को सुधारने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। देश में राष्ट्रीय आय में महिलाओं का योगदान केवल 10 प्रतिशत है। उनका शेष 90 प्रतिशत कार्य असंगठित क्षेत्र में कम मजदूरी और प्रायः बिना मजदूरी के होता है। असंगठित क्षेत्र में लगभग 80 प्रतिशत महिलायें काम करती हैं, लेकिन उनकी दशा चिन्तनीय है। औद्योगिक एवं संगठित क्षेत्रों में महिला कर्मियों की संख्या को पर्याप्त एवं उचित शिक्षा के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। सामाजिक स्तर पर महिला का शिक्षित होना सर्वाधिक आवश्यक है क्योंकि यही वह क्षेत्र है, जहां महिलायें सर्वाधिक प्रताड़ित की जाती हैं। बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा आदि सामाजिक बुराइयों से वह बिना शिक्षित हुए नहीं लड़ सकती है। महिलाओं को घरेलू उत्पीड़न से बचाने के लिए 26 अक्टूबर 2006 से लागू घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम तथा इसी प्रकार के अन्य विधि प्रावधानों का लाभ शिक्षा सम्पन्न महिलायें ही ले सकती हैं। स्त्री अधिकारिता के संदर्भ में प्रदत्त शिक्षा महिलाओं को बाजारवाद एवं उपभोक्तावाद के शिकंजे से अपनी आजादी और अस्मिता को बचाये रखने में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा द्वारा महिलाओं में आत्मसम्मान का सृजन होगा और उन्हें यह आभास होगा कि महिला की मुक्ति और अधिकारिता की लड़ाई को देह की नग्नता और उपभोग की स्वच्छंदता से परिभाषित करना व्यर्थ है। आज महिलाओं के लिए इस तथ्य का संज्ञान अत्यन्त आवश्यक है

कि वे वर्जनाओं से मुक्ति पाने का प्रयास करें, वस्त्रों से नहीं। शिक्षित व मजबूत महिलायें न केवल राष्ट्र के अधूरे एवं एकांगी विकास को पूर्ण एवं सर्वांगीण बना सकती हैं, बल्कि वह समाज, सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा आदि क्षेत्रों में बढ़कर योगदान कर सकती हैं। यकीनन रूढ़िवादी भारत की तस्वीर तभी बदलेगी, जब महिलायें शिक्षित होंगी। किसी भी समाज की उन्नति शिक्षा के बिना संभव नहीं है। आधी आबादी भी इस सत्य से अछूती नहीं है लेकिन इस वर्ग के साथ एक सकारात्मक बात यह है कि अगर किसी बालिका को शिक्षित किया जाता है तो इससे पूरे परिवार में शिक्षा की लौ जल उठती है। अगर समाज को समग्र रूप से तरक्की करनी है, तो महिलाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने की परीक्षा पास करनी ही होगी। देश में विविध क्षेत्रों में उच्च पदों पर कार्यरत महिलाओं पर नजर डालते हैं तो ज्ञात होता है कि उनकी आधी आबादी के अनुपात में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत नगण्य ही है। ऐसा लगता है मानों भरे–पूरे गुलदस्ते में कार्यरत महिलाओं के नाम पर कुछ सुन्दर फूल सुशोभित हैं। आलम यह है कि किसी शीर्ष पद पर महिलाओं की नियुक्ति आज भी कौतूहल के साथ पढ़ी जाती है। आज भी न्याय पालिका में 3.3 प्रतिशत, भारतीय पुलिस सेवा में 4.4 प्रतिशत, प्रशासनिक सेवा में 10.4 प्रतिशत और भारतीय विदेश सेवा में 13.5 प्रतिशत महिलायें ही कार्यरत हैं।

भारत में राजनीतिक क्षेत्र में स्त्री व पुरुष को सहभागी के रूप में समान स्थान व अधिकार प्राप्त हैं। देश में महिलाओं को आजादी से पहले ही वोट देने का अधिकार सन् 1921 में प्राप्त हो चुका था, लेकिन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में चुनाव के समय मतदान में महिलाओं की भागीदारी जहां बहुत अधिक देखने को मिलती है, वहीं राजनीति में प्रतिनिधित्व की बात आने पर महिलायें उस अनुपात में नहीं दिखाई देती हैं। कड़क सत्य यह है कि राजनीति में महिलाओं की प्रतिनिधि के तौर पर भागीदारी में कोई खास बदलाव नहीं आया है। शिक्षा के बाद भी स्थिति यथावत् है। यदि अपवाद स्वरूप कुछ नाम छोड़ दें

तो आज भी महिला राजनीति पत्नी, बेटा, पुत्री, पुत्र बधु, प्रेमिका आदि से कुछ खास आगे नहीं बढ़ी है। संसदीय राजनीति में अपने बलबूते प्रवेश कर पाना महिलाओं के लिए आज तक लगभग असंभव सा ही रहा है। राजनीति में आने वाली कुछ महिलाओं की पृष्ठभूमि पर अगर ध्यान दें तो यह बात उभरकर आती है कि धन–बल की राजनीति के दौर में सफल महिलायें या तो राजनीतिज्ञों के या राजसी परिवारों से आयी हैं या फिर किसी ग्लैमर क्षेत्र या किसी बड़े नेता की आश्रित बनकर सत्ता के गलियारे में प्रवेश पा सकी हैं। सामान्य, निम्न या मध्यम वर्ग की जागरूक महिला के लिए संसद के दरवाजे शायद आसानी से नहीं खुलेंगे। मानव संसाधन का आधा हिस्सा महिलाओं का है। अतः स्वाभाविक रूप से ही वे देश की राजनीतिक सम्प्रभुता में बराबरी की भागीदार हैं। विगत वर्षों में कई कारणों से, जिनमें संचार क्रान्ति व वैश्वीकरण मुख्य है, समाज में जो परिवर्तन आये हैं, उन्होंने हमारे सोच व जीवन मूल्यों में बड़ा परिवर्तन उपस्थित किया है। इस बड़े बदलाव के बाद भी हमारे पुरुष प्रधान ''धन–बल'' पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था में महिलायें आज भी समग्र रूप में अपने अधिकार से वंचित हैं। तमाम अध्ययनों एवं सर्वेक्षणों से इस बात को एक मत से स्वीकारा गया है कि आने वाला समय महिलाओं का ही होगा। महिलायें हर क्षेत्र में अपनी धाक जमातीं भी दिख रही हैं। राजनीतिक क्षेत्र भी इससे अलग नहीं है। पंचायतों में एक तिहाई आरक्षण के बाद देश की संसद में एक तिहाई आरक्षण की ओर महिलाओं की आस जगी है। आज जिला पंचायतों में, जहां महिलाओं की भागीदारी 49 प्रतिशत है, वहीं ग्राम पंचायतों में भी महिलायें 40 प्रतिशत की भागीदारी के साथ प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। राजनीतिक दल क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इसे उनकी चुनावी कार्यप्रणाली में देखा जा सकता है। उनके लिए न तो महिलायें महत्वपूर्ण होती है और न ही पुरुष। उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, अपने प्रतिद्वन्दी से आगे निकल जाना। संविधान में 73वां संशोधन ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में बेहतरी के

लिए किया गया। प्रधान के रूप में चुनी जाने वाली महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि भी हुई है, लेकिन इसकी आड़ में एक नये पद ''प्रधान–पति'' की रचना से कोई इंकार नहीं कर सकता है। प्रधान बनकर भी महिलाओं की भूमिका कठपुतली की तरह ही है। पंचायतों में आज भी 50 प्रतिशत महिलायें गूंगी बनी रहती है। महिला प्रधानों को उनसे सम्बन्धित पुरुष रिश्तेदार अपने मंसूबों की अदृश्य डोर से जैसा चाहे नचाते हैं। जहाँ तक देश की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात है, तस्वीर निराशाजनक ही है। पुरुष प्रधान राजनीति देश की आधी आबादी को 33 प्रतिशत भागीदारी देने को ही तैयार नही है। अपने हक के लिए महिलाओं की जद्दोजहद जारी है। लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी जहाँ 11 प्रतिशत है, वहीं राज्य सभा में महिलाओं की भागीदारी मात्र 10 प्रतिशत है। इसे किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

सन् 1948 ई0 में विश्व का प्रथम महिला सम्मेलन अमेरिका में आयोजित करते हुए यह उद्घोषणा की गयी कि सभी महिलाएँ और पुरूष समान बनाए गए हैं, सभी को उनके निर्माता–द्वारा अहस्तांतरणीय अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें जीवन, स्वतंत्रता एवं प्रसन्न रहने के अधिकार शामिल हैं। 1945–62 के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा महिला अधिकारों को विधिक मान्यता प्रदान करने का प्रयास और महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करने हेतु आयोग का गठन किया गया (कमीशन आन व स्टेटस ऑफ वीमेन)। इस समय तक महिला आन्दोलन को धार देने के लिए 1967 में बालेरी सोलानस द्वारा स्कम मेनिफेस्टो, 1968 में फ्रीमैन द्वारा बिच मैनिफेस्टो, 1969 में स्टकिंगस मैनिफेस्टो लाया गया। इनका उद्देश्य था पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए पुरूष प्रधान समाज से संघर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित कर प्रथम विश्व महिला सम्मेलन मैक्सिको में आयोजित किया गया। इसका लक्ष्य रखा गया–समानता, विकास एवं शांति। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा

1976 से 1985 के दशक को महिला दशक घोषित करते हुये 1980 में दूसरा महिला सम्मेलन कोपनहेगन में आयोजित कर, अब तक के प्रयासों का मूल्यांकन किया गया। इस सम्मेलन के आयोजन के पूर्व वर्ष 1979 में महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करने के लिये सीडा की घोषणा की गयी। (कन्वेशन फॉर दि एलीमिनेशन ऑफ फार्म्स ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनशन अंगेस्ट वीमेन) जो महिला अधिकारों के दृष्टिकोण से ''मैग्नाकार्टा'' के रूप में विश्रुत है। वर्ष 1985 में नैरोबी में तृतीय विश्व महिला सम्मेलन का आयोजन कर, विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को रेखांकित किया गया। वर्ष 1993 में वियाना में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा पर प्रतिबंध लगाने हेतु सम्मेलन करके 1979 के घोषणा पत्र को स्वीकार कर, महिलाओं के प्रति हिंसा निवारण को लक्ष्य बनाया गया। वर्ष 1995 में बीजिंग में चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी सम्मेलन में महिला अधिकारों को स्पष्ट रूप से मानवाधिकार की मान्यता प्रदान की गयी। यहीं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना सुनिश्चित किया गया। इस प्रकार महिलाओं की पुरूषों के समकक्ष समानता का मार्ग प्रशस्त हो गया।

इक्कीसवीं शताब्दी के आरंभ में ही पृथ्वी गृह की जनसंख्या 6 अरब पार कर चुकी है। इसकी आधी संख्या महिलायें हैं। बेतहाशा और अविवेकी विकास के पश्चिमी यूरोप तथा अमेरिका के प्रतिमानों ने महिलाओं की प्रस्थिति को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित किया है। महिलाओं की कुल अनुमानित जनसंख्या का अधिकांश भाग विकासशील देशों एवं अल्पविकसित देशों में संकेन्द्रित है। वर्तमान औद्योगिकीकरण के युग से लेकर अद्यतन विकसित देश विकासशील देशों की कीमत पर अपना विकास करते आ रहे हैं। इस विकास के उपउत्पाद के रूप में जलवायु परिवर्तन का खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। इण्टर गवर्नमेण्टल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज से लेकर स्वतंत्र विश्लेषकों तक का मानना है कि महिलायें इस जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक

संवेदनशील समूह में आती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि विकसित देशों की चिमनी से अल्पविकसित देश की बुघना की रोजी रोटी छिन जाती है। कदाचित इस सत्य का आभास बंगारी मथायी को 1977 में ही हो गया था। उन्होंने हरित पट्टी आन्दोलन के माध्यम से कीनिया की महिलाओं की आर्थिक दशा में पर्याप्त सुधार किया। उनके उक्त प्रयास को नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किये जाने के संदर्भ में देखा जाना चाहिये। वस्तुतः निर्वनीकरण तथा अंधाधुन्ध विकास का सबसे ज्यादा दुष्परिणाम महिलाओं को भोगना पड़ा है। हमें अपने विकास के प्रतिमान पुनःनिर्धारित करने होंगे, क्योंकि विकास का कोई भी मॉडल, जो आधी जनसंख्या को बाईपास कर देता हो, वह इक्कीसवीं सदी में स्वीकार करने योग्य मॉडल नहीं हो सकता है।

आज हम एक आत्मनिर्भर विश्व में जीवनयापन कर रहे हैं। यह आत्मनिर्भरता वैश्वीकरण की उपज है। वैश्वीकरण विश्व के संचार एवं तकनीक के माध्यम से एक हो जाने का दूसरा नाम कहा जा सकता है। इस एकीकरण की प्रक्रिया से हमारे आचार–व्यवहार और आदतें प्रभावित हुई हैं। वैश्वीकरण का उद्देश्य अपना उत्पाद बेचने के लिए लोगों की सांस्कृतिक चेतना को बदलना है। इस चेतना में परिवर्तन द्वारा ही किसी विकासशील देश में उत्पाद विक्रय का बाजार निर्माण सम्भव है। इस बाजार ने एक शिशु को पोषक माँ के दूध से दूर कर दिया है, उसे डेयरी उत्पाद बेचने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हथकंड़ों से सहज ही समझा जा सकता है। प्रायः बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ माँ के दूध की जगह अपना उत्पाद बेचने के क्रम में नवजात शिशुओं एवं माँ को जान लेवा बीमारियों के मुख में ढकेल देती है। इस प्रकार बाजार स्वयं मानवाधिकार तथा जीवनयापन को प्रतिबंधित कर देता है। इस बाजारवादी संस्कृति ने ही पूज्यनीय महिला को मानवीय गरिमा से च्युत कर 'उत्पाद विक्रेता' और 'देह दर्शना' बना दिया है। यह सत्य है कि इस विज्ञापन के बदले महिला को मोटी रकम प्राप्त होती है, परन्तु इसी प्रक्रिया के कारण उक्त महिला ही नहीं अपितु महिला जगत को

कितना नुकसान उठाना पड़ा है? उसकी स्वतंत्रता ही अपहृत कर ली गयी है। दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वीमेन्स फोरम बनाम भारत सरकार के वाद में माननीय उच्च न्यायालय ने उत्पीड़ित महिलाओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए क्षतिपूर्ति देने को निर्देश जारी किया है। महिला सशक्तीकरण के इतिहास में यह प्रथम निर्देश है तथा क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास से सम्बन्धित होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण है। इसी वाद के दौरान महिला आयोग को भी महिलाओं की सुरक्षा और लैंगिक भेदभाव से रक्षार्थ सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया। वर्तमान भारतीय समाज वैश्वीकरण, निजीकरण और तकनीकीकरण के चुनौती पूर्ण दौर से गुजर रहा है। ऐसी दशा में लैंगिक विभेद या महिलाओं के गिरते अनुपात पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हमारा विकास हमें अधिक समय तक विकासोन्मुख नहीं रख पायेगा।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में महिला साक्षरता, महिला आत्मनिर्भरता, महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा, घरेलू हिंसा के क्षेत्र में अपेक्षित प्रतिरोध द्वारा ही विकास के आयामों को प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वाधान में आयोजित 'विजन फार वीमेन ऑफ टुमारो' के परिचर्चा सत्र में पूर्व राष्ट्रपति माननीय ए.पी.जे. कलाम ने अपेक्षा की थी कि महिलाओं को उनकी महानता की अनुभूति करायी जाए, इसके द्वारा उनका मनोबल ऊँचा होगा। इस मनोबल के द्वारा ही जीवन की चुनौतियों का तर्कसंगत प्रत्युत्तर देकर भारतीय महिला विश्वक्षितिज पर अभिनव कीर्तिमान स्थापित कर सकेगी और करेगी।

महिला सशक्तीकरण एक लगातार चलने वाली अनवरत् और गतिशील प्रक्रिया है, इसका मूल उद्देश्य हाशिये के लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सके और सत्ता संरचना में भागीदार बनाया जा सके। सशक्तीकरण एक लक्ष्य है और संयोजित विकास की आवश्यक दशा भी है। स्त्रियों का सामाजिक, राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व दक्षता में आमवृद्धि, कार्य क्षति और अन्यत्र उनके अन्य किये जा रहे बुरे व्यवहार की समाप्ति, सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति आदि वे

कार्य हैं, जिनकी पूर्णता द्वारा सशक्तीकरण का वास्तविक लक्ष्य पाना सम्भव है।

पुरूष प्रधान समाज में कार्य क्षेत्रों का आंतरिक (स्त्रियों के लिए) और वाह्रय (पुरूषों के लिए) विभाजन हो। नये परिदृश्य में जबकि उन्हें अवसर मिला है, उनकी सकारात्मक भूमिका अपेक्षित है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रों में स्त्रियां पदार्पण कर चुकी हैं। सामाजिक अभिजन, राजनीतिक अभिजन के रूप में वे अन्य महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करती हैं।

सशक्तीकरण का अर्थ है– आत्म सम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास, यदि कोई महिला अपने और अपने अधिकारों के बारे में सजग है, उसका आत्म सम्मान बढ़ा हुआ है, तथा सशक्त है समर्थ है। व्यापक और व्यावहारिक तौर पर महिला सशक्तीकरण का अर्थ एक ऐसी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, जिसमें महिलाओं के लिए सर्व सम्पन्न और विकसित होने हेतु संभावनाओं के द्वार खुले एवं नये विकल्प तैयार हो।

पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सरकार ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का भरपूर प्रयास किया और सफलता भी मिली। इसी परिवर्तन के संबंध में शिक्षा शास्त्री के नटराजन ने कहा सौ वर्ष पूर्व मरने वाला व्यक्ति आज फिर जीवित हो तो उसे आश्चर्य चकित करने वाला सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन स्त्रियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। इधर पिछले कुछ वर्षों में स्त्रियों के प्रति यौन हिंसा के अलावा स्त्री विरोधी दूसरी तरह के हिंसाओं जैसे, मारपीट, दहेज उत्पीड़न, हत्या, अपहरण और तेजाब फेंकने जैसे मामले में बढ़ोतरी होना चिन्तनीय है।

भारतीय संविधान न केवल महिलाओं को समान अवसर प्रदान करता है, बल्कि सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेद–भाव के लिए कदम उठा सके। वर्तमन समय में महिलाओं की सशक्तीकरण की उसकी हैसियत के

निर्धारण को केन्द्रीय विषय माना जाने लगा है। पुनः महिलाओं के विकास पर जोर दिया गया। इस तरह यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था कि विभिन्न क्षेत्रों से होने वाले लाभों से महिलाएं वंचित न रहे। महिलाओं के लिए नियोजन की संरचनात्मक व्यूह रचना में उल्लेखनीय परिवर्तन किये गये। सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के अभिकर्ता के रूप में महिलाओं के सशक्तीकरण की रणनीति प्रमुखता से जारी रही। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में महिलाओं की सशक्तीकरण की जो परिकल्पना की गयी है, उसमें समावेशी और अभियोजित विकास, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के साथ–साथ स्त्री के लिये समान न्याय को प्रमुखता दी गयी है। विकास की ऊँची दौड़ में जहां कारपोरेट सेक्टर की दुनिया बड़े–बड़े महानगरों तक सिमट कर रह गयी है, रोजगार अब वे ही दे रहे हैं। यह एक्ट एक आशा जगाता है कि आने वाले वर्षों में पंचायत और सशक्त होगी और गांवों नगरों के बीच की खाई पाटने में सहायक होगी।

महिलाओं का सामाजिक, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व, दक्षता में अभिवृद्धि एवं सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति को हासिल करके उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। महिलाओं का सशक्तीकरण उन्हें क्षितिज पर दिखाने का प्रयास है, जिसमें वे नयी क्षमताओं को प्राप्त कर स्वयं को नये तरीके से देखेगीं, घरेलू शक्ति सम्बन्धों का बेहतर समायोजन करेगी तथा घर एवं पर्यावरण में स्वायत्तता की अनुभूति करेंगी। लैंगिक असमानता, दहेज, स्वास्थ्य आदि कुछ पहलुओं की दिशा में प्रयास करके ही महिला सशक्तीकरण किया जा सकता है। महिला सशक्तीकरण की गतिविधियों के द्वारा नारी समाज के नवजागरण और कल्याण की ठोस शुरूआत की जाती है। महिला सशक्तीकरण आधुनिक परिवर्तन में सामाजिक न्याय की जड़ों को मजबूत करता है। इसके माध्यम से समाज के रवैये में बुनियादी परिवर्तन लाकर महिलाओं के विवेक, सामर्थ्य एवं योग्यताओं को मिलने वाली चुनौतियों के बीच उन्हें प्रोत्साहित करना है। ताकि वे अपनी

क्षमताओं को पहचान कर उन्हें व्यवहार में तब्दील कर सकें, जिससे समाज का उत्थान हो।

यदि सशक्तीकरण को व्यापक दृष्टि से देखा जाय, तो आज की दुनिया में उनका समन्वय तब कठिन हो जाता है, जब प्रत्येक राष्ट्र अपनी एक अलग स्त्री प्रथा, स्त्री कानून, स्त्री रूढ़िवादिता, प्रत्येक देश महिला के लिए एक अलग आचरण, संस्कार तथा बंधन रखता है। भारत के ही विभिन्न क्षेत्रों में स्त्रियों के लिए विभिन्न प्रथायें पायी जाती हैं। ऐसे में सशक्तीकरण को कानूनी जामा पहनाना कठिन ही नहीं असंभव प्रतीत होता है। कुछ बिन्दु जो आज भी प्रभावी हैं, जैसे महिलाओं की आर्थिक परतंत्रता, सीमा बद्धता, कर्तव्य बलता और साथ में परम्पराओं का निर्वहन करना भी। वास्तव में महिलाओं की इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? समाज या सरकार तो अपनी विभिन्न नीतियों के माध्यम से सशक्तीकरण लाना चाहती है। समाज की अपनी दोहरी भूमिका है। सही मायने में महिलायें सशक्तीकरण चाहती हैं तो उन्हें अपनी सोच, निर्णय की क्षमता, अपनी दोहरी भूमिका के साथ ताल–मेल बैठाना और अपनी शक्ति को विकसित कर सशक्तीकरण का पहला कदम स्वयं उठायें फिर समाज प्रोत्साहित करे, सरकार रास्ता दिखाये, इन तीनों के मिले–जुले प्रयास से ही संभव है। भूमण्डलीकरण भी प्रबल माध्यम बन सकता है। क्योंकि इसके माध्यम से क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद और धीरे–धीरे कार्यवाद धराशायी होता जा रहा है। महिला सशक्तीकरण हो रहा है, यह समय की माँग है। मध्य वर्ग में भी महिला सशक्तीकरण हो रहा है, लेकिन यह पुरुष नियंत्रित महिला सशक्तीकरण है। यहाँ पुरुष नियंत्रण की डोर जहाँ तक ढीली करता है, महिला उतनी हद तक ही आगे बढ़ती है। इस लक्ष्मण रेखा से आगे जाने की वह सोच भी नहीं सकती। इसीलिए मध्य वर्ग की महिलायें इस नियंत्रण की हदबंदी में घुटती–पिसती रहती हैं। पुरुष चाहे कितना भी आधुनिकता का दम भरे, लेकिन आजाद ख्याल महिला को मन ही मन नापसंद करता है। उसे किचन और कोख से मुक्त नहीं होने देना

चाहता। इन्हीं में स्त्री उसे भली लगती है। महिला सशक्तीकरण तभी सफल हो सकता है, जब महिलायें रोजगार असुरक्षा, अपर्याप्त भोजन और पारिवारिक चिंताओं से मुक्त हो सकें। इसके बावजूद उम्मीद का सूरज आम भारतीय महिलाओं की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। अब हजारों महिलायें शासन प्रणाली के विभिन्न स्तरों या पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से अपने अधिकारों को पहचान रहीं हैं और भविष्य में सफल होने का संकेत दे रही हैं।

महिलाओं पुरुषों की कानूनी समानता और सामाजिक हैसियत दो अलग–अलग विषय है। कानूनी रूप से भारतीय महिलाओं की स्थिति दुनिया के कई मुल्कों की तुलना में बेहतर है और वे पहले से तकनीकी रूप से काफी शक्तिशाली है। संविधान में उन्हें पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त है। बाद में संसद में उनके सामाजिक, आर्थिक वैधानिक हितों को संरक्षण देने वाले कई कानून भी बनाये, लेकिन ये कानून मौजूदा सामाजिक संरचना को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सके। इसी कारण महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बहुत फर्क नहीं आया। किसी देश का सामाजिक ताना–बाना समाज में महिलाओं की वास्तविक स्थिति का निर्धारण करता है। कानून तो उनके अधिकारों की हिफाजत के लिए एक औजार है। कानून के युग में महिलाओं के मुख्य रूप से दो वर्ग देखे जा सकते हैं। महिलाओं का एक खास वर्ग तो इन कानूनों का सहारा लेने में कुछ हद तक सफल भी हो रहा है, लेकिन एक बड़ा तबका अब भी उनके लिए बने कानूनों से अनभिज्ञ है। इसकी एक वजह शिक्षा का अभाव एवं सामाजिक मान्यताओं का बंधन है। स्पष्ट है कि जब तक महिलायें इस चुनौती को खुद स्वीकार नहीं करती है। तब तक कानून बहुत कारगर साबित नहीं होंगे। उन्हें आगे आकर अपनी राह खुद बनानी होगी। किसी भी कानून का असर और उसकी व्यापकता उसके सामाजिक सरोकार पर निर्भर है। महिलाओं के हित में बने अनेक कानूनों का असर इसलिए कम हुआ क्योंकि उन्हें सामाजिक मान्यता नहीं मिल सकी। खुद महिलायें भी ऐसे कानूनों के

प्रति उदासीन रही। मसलन दहेज निषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह, भ्रूण लिंग परीक्षण, महिलाओं का पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार ऐसे कानून है, जो बनाये तो गये परन्तु उन्हें सामाजिक स्वीकृति समर्थन नहीं मिल सका। इसी तरह बहुत सारे कानून सामाजिक मर्यादा के बोझ तले दब जाते हैं। देश में दुष्कर्म की घटनाओं में जिस गति से वृद्धि हुई है, उस अनुपात में मामले दर्ज नहीं होते हैं। ऐसे में अदालतों की भूमिका भी अत्यन्त सीमित हो जाती है। नीति निर्माण में महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं के बराबर है। महिला विधेयक की उपेक्षा पुरुष मानसिकता एवं महिला उदासीनता की ही कहानी है, लेकिन अब वक्त की मांग है कि देश और समाज की उन्नति के लिए हम सब महिला–पुरुष एकजुट होकर महिला हितों के लिए काम करने का संकल्प लें। छोटी ही सही, पर शुरूआत तो होनी चाहिए। तमाम जद्दोजहद और लम्बी लड़ाइयों व चारों तरफ फैली विषम परिस्थितियों के बावजूद भी उपन्यासकार मैत्रेयी पुष्पा की तरह सभी महिलाओं का भी अटूट विश्वास है कि ''यह सदी महिला के अस्तित्व की थी, अगली शताब्दी उसके व्यक्तित्व व कृतित्व की होगी।''

बदलते दौर के साथ भारतीय महिलायें भी स्वयं को बदलने में लगी हैं। आज की भारतीय नारी की रूचियाँ भी अलग हैं और महत्वाकांक्षाएं भी। आधुनिक नारी को अपनी चाहतों व महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का रास्ता मालूम है। वह जो चाहती हैं, उसे पाना भी जानती हैं। वह जो कुछ हासिल करना चाहती है, उसके प्रति वह बहुत ज्यादा सजग भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह अपनी छिपी हुई सामर्थ्य से परिचित हो रही हैं। निःसंदेह आधुनिक नारी घर और अपने बाहरी दायित्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने में सफल भी हो रही है। जाहिर है, आधुनिक नारी पर दबाव बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद वह 'अधिक' की चाह कर रही है। अधिक की कामना ही उसका अभीष्ट बना दिखाई पड़ता है। वर्तमान समय में नारी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर तार्किक और सूझबूझ से सम्पन्न होने की

जद्दोजहद में है। भारतीय नारी ने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रों में लम्बी छँलागें न सही, लेकिन मजबूती से छोटे कदम अवश्य आगे बढ़ाये हैं। उसके अस्तित्व को स्वीकारा जा रहा है। वह देवी और 'गृहलक्ष्मी' के अलंकरणों से मुक्त होकर समान अधिकार प्राप्त सहधर्मिणी बनने की और अग्रसर है। यह सही है कि भारतीय नारी के सामने अवरोध भी बहुत अधिक हैं। आर्थिक स्वावलम्बन और सशक्तीकरण भारतीय नारी के जीवन के उदात्त लक्ष्य बन चुके हैं। यही कारण है कि नारी पुरुष प्रधान समाज के बनाये अवरोधों को हटाने में सफल हो रही है। या फिर उसके रास्ते के अवरोध स्वयं ही उसके रास्ते से हट रहे हैं। भूमण्डलीकरण के दौर में महिलायें अपने अधिकार और कर्तव्यों को नये ढंग से परिभाषित करने में कुछ हद तक सफल भी हो रही हैं।

नई अर्थव्यवस्था, नई जीवन–शैली और नये परिवर्तित माहौल के बाबजूद पुराने मूल्यों खासकर शादी के सम्बन्ध में आज तक पुरानी बाते कायम हैं। पिछले कुछ सालों में जो जनमत सर्वेक्षण हुए है, उनसे इस बात का खुलासा हुआ है कि युवक और युवतियां शादी से पहले कौमार्य को महत्व देते हैं। अधिकतर युवक–युवतियां अपनी जाति, समुदाय और धर्म के दायरे में रहकर ही शादी करना चाहते हैं। देश में दहेज हत्याओं की भी आये दिन घटनायें होती रहती है। स्पष्ट है कि इस समग्र परिदृश्य में महानगरों में कार्यरत कामकाजी महिलायें दुविधा में हैं। वे हासिल हुई स्वतन्त्रता को खोना नही चाहती हैं। साथ ही अपने मिजाज के अनुसार जीवन साथी भी चाहती है।

कुल आबादी में लगभग एक तिहाई कार्यशक्ति महिलाओं की हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर महिलायें कृषि से ओर शहरी महिलायें विभिन्न नौकरियों से सम्बन्ध है। आज महिलायें उन क्षेत्रों में भी कार्यरत् हैं जहाँ एक पीढ़ी पहले वे काम नही कर सकती थी। कुछ नौकरियों ऐसी थीं, जहाँ पर वमुश्किल ही महिलाओं की नियुक्ति की जाती थी। जैसे पेट्रोल पम्प, कैफै, बार, पत्र–पत्रिकाओं में सम्पादक का पद और

साफ्टवेयर्स प्रोग्रामर्स। युवा कामकाजी महिलायें भयभीत हुए बगैर अपनी जिंगदी जी रहीं हैं और वे शहरी क्षेत्रों की मुख्यधारा का प्रमुख अंग बन चुकी हैं।

ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है जब किसी आम भारतीय घरेलू महिला के साथ कामकाजी महिला की नियति भी मायके से पति के घर तक सीमित थी। कालेज के जिंदगी में उसे जरूर कुछ स्वतंत्रता हासिल थी, जब वह कैम्पस में उन्मुक्त हो भ्रमण करती थी या वुमन्स हॉस्टल में एक या दो साल के लिए रहा करती थीं। इसी बिन्दु पर परिवर्तन को वाहक बनी विकासशील अर्थव्यवस्था, जिसने युवा प्रोफेशनल्स के लिए नौकरियों के नये अवसर प्रदान किये। शिक्षित लड़कियों ने इन अवसरों का लाभ उठाया और वे घर से दूर अन्य शहरों में अपनी शर्तो पर रहने लगीं।

ऊपर उठने के प्रयास में महिलाओं को नई अनिश्चितताओं और नये विकल्पों के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। अनेक युवा महिलायें इन बदलाओं को प्रयोगात्मक या अजमायशी तौर पर स्वीकार कर रहीं है। ऐसा लगता है कि वे अतीत की अप्रांसंगिक हो चुकी परम्पराओं के जाल से मुक्त होने के लिए छटपटा रही हैं। इनमेंसे अनेक कामकाजी महिलायें दो–चार वर्ष या इससे अधिक वर्षों तक अपनी शादी को स्थगित करना चाहतीं हैं। वे रूपया कमाकर उस तरह की जिदंगी जीना चाहती हैं। जिसके बारे में उनकी मांओं ने कभी सपना भी नही देखा था।

बंगलुरू की गणना देश के सर्वाधिक प्रमुख टेक्नोलोजी और विजनेस सेंटर के रूप में की जाती है, जो उपर्युक्त बदलावों का साक्षी है। सन् 2010 की जनगणना के अनुसार इस शहर की आधी से अधिक आबादी 30 वर्ष से कम आयु वाले युवक–युवतियों की है। बंगलुरू मैं इस आशय के पोस्टर चारों ओर लगे दिखाई देते है। कि अकेले महिलाओं के रहने के लिए कमरे उपलब्ध हैं। शाम को कॉफी बार कामकाजी महिलाओं से भरे रहते हैं। सब्जियों बेचने वाले देर रात तक इनके लिए दुकान खोले बैठे रहते हैं।

मीडिया ने आज एक नयी स्त्री–छबि को जन्म दिया है। विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं या फिर धारवाहिकों एवं विज्ञापनों में जहाँ एक ओर स्त्री को रूढ़िगत एवं आदर्शात्मक छबि के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर उसे आधुनिक बनाने के प्रयास में एक उपभोक्तावादी वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है ? छोटे परदे पर स्त्री की नकारात्मक भूमिका को बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। वह भारतीय संस्कृति एवं परम्परा के अत्यधिक प्रतिकूल है। अपना उत्पादन बेचने के लिये विज्ञापनों में स्त्री की भोगवादी, बिकाऊ छबि उसे वस्तु के रूप में परिवर्तित कर रही है। रीमिक्स एलबमों में स्त्री को जिस तरह अर्धनग्न, फूहड़ एवं उत्तेजक रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे समाज में एक विकृत मानसिकता पनप रही है। इसका दुष्परिणाम महिलाओं एवं लड़कियों के साथ छेड़छाड़, अश्लीलता एवं बलात्कार के रूप में प्रकट हो रहा है। वहीं दूसरी ओर मीडिया सामाजिक सरोकारों के निर्वहन में भी महती भूमिका निभा रहा है। स्त्री के प्रति संवेदनशीलता की माँग एवं स्त्रियों की समस्याओं को उठाने में भी मीडिया सशक्त आवाज बनकर उभरा है। इस क्षेत्र में प्रिंट मीडिया के व्यापक प्रसार के साथ–साथ इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ने अधिक प्रभावी भूमिका निभाई है। मीडिया ने स्त्रियों की दुनिया बदल डाली है। उनके रहन–सहन, बोलचाल एवं सम्पूर्ण व्यक्तित्व पर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की गहरी धारा दिखाई पड़ती है। पति पर नितांत निर्भर स्त्री के मुकाबले अपनी क्षमता से अपने बलबूते पर खड़ी स्त्री की छबि भी दिखाई पड़ती है। अंतर्विरोधी और सीमित ही सही आज मीडिया ने स्त्री को एक नयी पहचान एवं समाज में स्थान दिलाने में योगदान दिया है। स्त्री की यह एक नयी छबि है। अपेक्षाकृत अधिक आत्मविश्वास से परिपूर्ण, सजग और अपनी बात कहने में सक्षम, बदलाव का यह दायरा सीमित तो हो सकता है। लेकिन भारतीय नारी की दस्तक को चारों ओर महसूस किया जा रहा है।

वर्तमान समय में प्रिंट मीडिया एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में

विज्ञापनों को लेकर एक तरह से एक्सपोजर की होड़ चल रही है। व्यावसायिकता की आड़ में विज्ञापनों में अंग प्रदर्शन एवं अश्लीलता का प्रदर्शन हर दृष्टि से अनुचित है। स्वयं महिलाओं का भी मानना है कि इससे समाज में विकृति जन्म ले रही है। ऐसे विज्ञापन जिनका महिलाओं से सम्बन्ध नही है उसमें भी महिलाओं के शरीर को प्रदर्शित करना अनुचित है। विज्ञापन स्त्रियोचित मर्यादा में रहकर करने में कोई बुराई नहीं है। विज्ञापन की दुनिया में एक नयी और बेढंगी संस्कृति जन्म ले रही है। स्त्री की देह को एक वस्तु के रूप में प्रचारित एवं प्रसारित करने का कार्य सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री उद्योग, मीडिया और पूँजीवादी बाजार की शक्तियों ने बखूबी किया है। विज्ञापन जगत एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की आड़ में अश्लीलता एवं स्त्री देह को परोस रहा है। मीडिया एवं सम्पन्न आधुनिक वर्ग की संस्कृति ने आत्म नियंत्रण एवं सामाजिक अनुशासन को खत्म किया है। आज अलग–अलग उत्पादों के विज्ञापनों में अगर कोई एक बात समान है, तो वह है महिलाओं की उत्तेजक प्रस्तुति।

आजादी के बाद से प्रिंट मीडिया ने धीरे–धीरे ही सही लेकिन भारतीय नारी के सामाजिक अधिकारों के संघर्ष को संजीदगी से समाज के सामने रखा है। लेकिन इलैक्ट्रानिक मीडिया गाँव से लेकर शहर तक भारतीय महिलाओं के संघर्ष, उनके अधिकारों की जद्दोजहद को काफी हद तक समाज के सामने लाने में सफल हुआ है। आज मीडिया की प्रभावी भूमिका के कारण ही भारतीय महिलाओं ने संघर्ष के द्वारा रूढ़ियों को तोड़ा है वे समाज में विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक बंधनों को तोड़कर अपने अस्तित्व को स्थापित करने में सफल हुई हैं। भारतीय नारी ने वर्तमान सन्दर्भों में यह जाना है कि उनका आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना ही पारिवारिक व सामाजिक संरचना को बदलने में निर्णायक होगा। लेकिन इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिस गति से विकास किया है उतनी तेजी से ही उसमें दिखाये जाने वाले नैतिक मूल्य गौण हुये हैं। वर्तमान समय में विभिन्न धारावाहिकों में विवाह पूर्व एवं

विवाहेत्तर सम्बन्ध भारतीय महिलाओं की आदर्श छबि के विपरीत हैं। ऐसे सम्बन्ध दिखाकर भारतीय परिवारों को बिखराव के रास्ते पर लाया जा रहा है। विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में परोसे जा रहे साहित्य, विज्ञापनों एवं धारावाहिकों में उन आदर्श महिलाओं पर आधारित कार्यक्रमों को स्थान मिलना चाहिए कि उन्होंने किस तरह विपरीत परिस्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, ताकि समाज में आम महिलायें उन्हें रोल मॉडल मानकर उनसे प्रेरणा ले सकें। मेरी समझ से अश्लीलता को प्रगति की संज्ञा नहीं दी जा सकती। विज्ञापनों में महिलाओं के अश्लील प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होना चाहिए अपनी अस्मिता और अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए स्वयं महिलाओं को उपभोक्तावादी संस्कृति के शिंकजे से बाहर निकलना होगा। आधुनिकता का अर्थ जिस्मानी फैशन या पाश्चात्य का अंधानुकरण नही है। समाज में भारतीय महिलाओं के सन्दर्भ में मीडिया की भूमिका बहुत सकारात्मक है। लेकिन महिलाओं के अस्तित्व एवं सामाजिक अधिकारों के संघर्ष में अभी भी यकीनन मीडिया से बहुत अधिक आशायें एवं अपेक्षायें हैं।

आज हमारा देश गिरते हुए लिंगानुपात तथा महिलाओं के प्रति हिंसक घटनाओं और अपराध के लिए जाना जाता है। घर की परिधि में स्त्री दबी, कुचली, कुंठित, हताश एवं पहले से अधिक आक्रामक पति द्वारा अपना असुरक्षा एवं घर से बाहर सड़क, विद्यालय अथवा आफिस में उत्पन्न असुरक्षा के नये माहौल में असमान लिंगानुपात पर प्रभाव डाला है। घरेलू हिंसा, बाह्य शारीरिक एवं मानसिक हिंसा, दहेज हत्या एवं तलाक जैसे मामलों में वृद्धि हो रही है। पत्नी रूप में स्त्री ने जिस अनुपात में अपने अधिकारों का विस्तार किया है। उसी अनुपात में अपनी सुरक्षा एवं मानसिक शांति खो दी है। स्त्रियों के खिलाफ हिंसक घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि आज स्कूल जाने वाली बच्चियाँ भी ऐसे हादसों का शिकार हो रही हैं। रास्ते में, ट्रेनों में, बसों में यहाँ तक कि घर और दफ्तर में भी स्त्रियाँ हिंसक घटनाओं और अभद्र व्यवहार का शिकार हो रही हैं।

वह समाज कभी भी खुशहाल, उन्नत और सभ्य नही माना जा सकता है। जहाँ स्त्रियाँ उपेक्षित, असमानता का शिकार और शोषित हों, अब वक्त आ गया है कि समाज की बेहतरी के लिये घर, परिवार, समाज में स्त्रियों को सम्मान एवं समान अधिकार दिये जायें। छोटी ही सही पर शुरूआत तो होनी चाहिये।

आज हमारे समय को बाजार नियंत्रित कर रहा है। पूँजी का प्रभाव बढ़ा है। पिछले वर्षों में वित्तीय पूँजी से सैलाब के साथ आसान तरीके से सफलता पाने की होड़ बढ़ी है। सच तो यह है कि आज बाजार ने समाज को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बाजार के इस खेल को सारा राय की कहानी 'धूप का खेल' पूरी तरह से उजागर करती है। समकालीन लेखन के बहुआयामी सृजन को पुरुष और महिला लेखन के रूप में विभाजित करके देखना एक गैर वस्तुवादी नजरिया है। जीवन स्थितियों के साथ लेखकीय सम्बन्धों का विभेद उचित नहीं है। किन्तु सामाजिक यथार्थ के कुछ पहलू हैं जो केवल नारी–संवेदना के अन्तर्गत आते हैं। स्त्री मन का मनोविज्ञान, आज की विवेक सम्पन्न, दृढ़, आत्मनिर्णयी स्त्री मन की निर्द्वन्द्वता को नारीवादी लेखन ने निर्भीकता से अभिव्यक्त किया है। स्त्री चरित्रों का प्रामाणिक चित्रण, उसके अन्तर्मन का खुलना, उसकी विविध वर्णी छबियां, इच्छाएँ, स्वप्नों, संघर्ष और उसकी जिजीविषा का अंकन, बाजारवादी संस्कृति के प्रभाव में अतृप्त इच्छाओं की विफलता को समकालीन नारीवादी लेखन ने अनुभूति के स्तर पर चित्रित किया है। अगर पुरुषवादी लेखन की बात करें तो बहुत पहले ही स्त्री की छटपटाहट और स्वतंत्रता की अनुभूति को प्रेमचन्द्र की सिलिया और मालती जैसे स्त्री पात्रों ने और जैनेन्द्र की सुनीता और मृणाल जैसी स्त्री पात्रों ने तोड़कर उसे अभिव्यक्ति की नयी जमीन प्रदान की थी। उपभोक्तावादी संस्कृति, बाजारवाद और भूमण्डलीकरण के प्रवाह की व्यापकता के कारण ही रांगेय राघव के उपन्यासों की मूल चेतना स्त्री मुक्ति और स्वतंत्रता है। विषय वस्तु की विविधता की दृष्टि से समकालीन नारीवादी और पुरुषवादी लेखन

की अन्तर्वस्तु घर–परिवार, स्त्री–पुरुष सम्बन्ध, विवाह पूर्व या विवाहेत्तर सम्बन्ध, बाजारवाद, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार, वर्तमान समय के बहुस्तरीय, संलिष्ट, जटिल यथार्थ तक फैली हुई है। छोटे नगरों से लेकर महानगरीय जीवन बाजारवाद के मकड़ जाल में उलझा दिखाई दे रहा है। किसी भी कीमत पर सब कुछ हासिल करने की चाह अब प्यास में बदलती जा रही है। वैचारिक अतृप्तता एवं नैतिक–अनैतिक सिद्धान्तों के बीच का महीन धागा अस्तित्व खोता जा रहा है। मानवीय सम्बन्धों का बनावटीपन, विवाहेत्तर सम्बन्धों की बाजारवाद की आँधी में मौन स्वीकृति के प्रतिबिम्ब यकीनन आज के लेखन में सहज रूप से परोसे जा रहे हैं। क्योंकि बाजारवाद की आड़ में अनैतिकता की सभी हदें आधुनिकता के धरातल पर स्वीकारे जा रहे हैं।

आजाद भारत में नारी स्वतंत्रता का मुद्दा सर्वाधिक चर्चित है। औद्योगीकरण, वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण एवं शिक्षा के प्रचार–प्रसार के आलोक में स्त्री अपने ही नये रूपों से परिचित हुई है। आज नारी अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए घर की दहलीज से निकल रही है, आत्मनिर्भर हो रही है। अपने जीवन को दिशा देने, भविष्य के निर्णय लेने की क्षमता हासिल कर रही है। आज की नारी की बात को समाज में, परिवार में ध्यान से सुना ही नही जा रहा है, बल्कि उसे स्वीकार भी किया जा रहा है। नारी स्वतंत्रता के आन्दोलनों के प्रभाव ने वास्तव में भारतीय नारी को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक मोर्चे पर स्वतंत्रता के धरातल पर खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया है। लेकिन यह भी सच है कि भारतीय सामाजिक संरचना के सन्दर्भ में हमें यह दृश्य भी देखने को मिल रहे हैं कि नारी की यह स्वतंत्रता कभी–कभी स्वच्छंदता में भी बदल रही है। आज हम यह देख रहे है कि पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण तथा खोखली आधुनिकता के नाम पर विवाह पूर्व सम्बन्ध, विवाहेत्तर सम्बन्धों के प्रकरणों में बहुत वृद्धि हो रही है। परम्परावादी भारतीय समाज आज नारी स्वच्छंदता के परिणामस्वरूप एक ओर जहाँ पारिवारिक विघटन का दंश झेल रहा

है। वहीं उच्च वर्ग ही नहीं बल्कि मध्य वर्ग में भी तलाक के प्रकरणों में तेजी से वृद्धि हो रही है। आज की नारी स्वच्छन्द प्रकृति के कारण ही अपने स्वार्थ एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु परिवार को तोड़ने या झूठे यौन शोषण के आरोप लगाने में संकोच नहीं कर रही हैं।

आजादी के बाद शिक्षा के आधुनिकीकरण के दौर में लम्बे समय तक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किये गये। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों के स्वरूप को समय–समय पर बदला गया। प्रारम्भ में पाठ्य सामग्री में स्त्री और पुरुष लेखन के विभाजन जैसा कोई उद्देश्य भी नहीं रहा। इतना अवश्य है कि प्रारम्भ में साहित्य हो या अन्य विषयों की विषय सामग्री, सभी का निर्धारण पुरुष लेखकों द्वारा ही किया गया। अपवाद स्वरूप स्त्री लेखन को पाठ्यक्रमों में स्थान मिला। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि स्त्री लेखन की हलचल आजादी के पूर्व ही शुरू हो चुकी थी। यही कारण था कि हिन्दी की पहली मौलिक कहानी लिखने का श्रेय राजेन्द्र बाला घोष ''बंग महिला'' को मिला। स्त्री लेखन एक सशक्त धारणा के रूप में आगे तो बढ़ा। लेकिन सम्माजनक स्थान पाने की जद्दोजहद सदैव बनी रही। आज भी पाठ्यक्रमों में स्त्री की पारम्परिक छबि को दर्शाने वाली रचनायें देखने को मिलती हैं। आधुनिक युग में विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करते हुए, पुरुषवादी मानसिकता से संघर्ष करके अपने अस्तित्व को स्थापित करने वाली स्त्री का चित्रण करने वाले स्त्री लेखन को हाशिये पर ही रखा जा रहा है। फिर भी यह सत्य है कि सुभद्रा कुमारी, महादेवी वर्मा के लेखन ने पाठ्यक्रमों को सुसज्जित एवं समृद्ध किया है। आधुनिक काल में देखे तो स्पष्ट होता है कि कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, ऊषा प्रियवंदा, मैत्रेयी पुष्पा जैसी लेखिकाओं ने हर विद्या में श्रेष्ठ लेखन के द्वारा सशक्त एवं सम्माजनक स्थान ही नही प्राप्त किया है, अपितु शिक्षा के प्रथम सोपान से लेकर उच्च शिक्षा के विशेष पाठ्यक्रमों को अपने प्रभावी लेखन से ऊँचाई प्रदान की है। सामयिक सन्दर्भों को लेखन का आधार बनाते हुये स्त्री लेखन ने आम स्त्री की भयावह समस्याओं

को सामने रखने में सफलता पाई। साथ ही समाज के पटल पर आधी आबादी के सच को स्त्री लेखन ने संजीदगी से प्रस्तुत किया। यही कारण है कि यथार्थवादी एवं वास्तविकता के समीप रचित आधुनिक स्त्री लेखन आधिपत्य की विसंगतियों को भेदकर पाठ्यक्रमों में स्थापित हो सका।

स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास में बाधक होने के कारण विवाह संस्था के प्रति पूर्णतया अनास्थावान होते हुये भी विवाह द्वारा मिलने वाली सामाजिक, मानसिक, आर्थिक सुरक्षा ने उसे हमेशा निर्णायक रूप से दुर्बल बनाया। फलतः गालियों और आसुओं के जरिये अपने आवेश और आक्रोश की 'पनीली' अभिव्यक्ति और फिर पुरूषों तथा पितृत्तात्मक व्यवस्था के समक्ष विकल्पहीन समर्पण। उदाहरण के लिए शशि प्रभा शास्त्री के 'नावें' एवं 'सीढ़ियाँ' उपन्यास, मृदुला गर्ग का 'उसके हिस्से की धूप' मँजुल भगत का 'अनारो' कुसुम अंसल का 'उसकी पंचवटी', 'ऊषा प्रियंवदा का 'पचपन खम्भे लाल दीवारें' और 'रूकोगी नहीं राधिका', मन्नू भण्डारी का 'आपका बन्टी'। अमृता प्रीत (रसीदी टिकट), इस्मत चुगताई (लिहाफ), कृष्णा सोबती (सूरजमुखी अधेरे के, मित्रों मरजानी) ममता कालिया (वेघर), प्रभा खेतान (छिन्न– मस्ता, पीली आंधी), राजी सेठ (तत्सम), मेहरून्निसा परवेज (अकेला पलाश) कुसुम अंसल (अपनी अपनी यात्रा) मृणाल पाण्डेय(लड़कियां), अलका सरावगी (कलिकथा–बाया बाईपास), नासिरा शर्मा (ठीकरे की मंगनी, शाल्मली) दीप्ति खण्डेलवाल (प्रतिध्वनियां, देह की सीता) आदि लेखिकाएं स्त्री विमर्श को सुविचारित रूप में कथा साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हैं। स्त्रियों के बहुआयामी जीवन की विसंगतियों और विडम्बनाओं को कतरा–दरकतरा निचोड़ता हुआ रेशा–दर रेशा बुनता हुआ यह कथात्मक साहित्य उनकी जिन्दगी के अंधेरे कोनों में सूर्य रश्मियों की भाँति घुसकर आर–पार देखने का जोखिम उठा रहा है।

निजी सुखों की झोंक में क्या व्यक्ति समाज को बदरंग भविष्य नहीं देगा ? ये कल्चर, स्पर्म बैंक, सरोगेटेड मदर, ह्यूमन क्लोनिंग

की सम्भावनाएं, समलिंगी सम्बन्धों के प्रति बढ़ती आसक्ति। इन पर गम्भीरता पूर्वक पहली बार दो टूक राय उठाने का जोखिम उठाया गया है मृदुला गर्ग के 'कठ गुलाब' उपन्यास में। मृदुला गर्ग मानती हैं कि पुरूष अनादि काल से प्रकृति का अनवरत दोहन और स्त्री का मानसिक शोषण करता आया है जिसके चलते आज धरती और स्त्री दोनों बंजर हो गई हैं। दुलार और स्नेहिल स्पर्श से दोनों लहलहा सकती हैं। बशर्ते पुरूष डूबकर उनकी परिचर्या में जुट जाए। आनें वाला समय यदि बीहड़ और बंजर है तो हुआ करे, उर्वर सम्भावनाओं के बीज तो मुट्ठी में बंद हैं। उपन्यास का आस्थावादी स्वर तमाम वैज्ञानिक पेचीदगियों से मुठभेड़कर अंततः मनुष्यता का जयघोष करता है। इक्कीसवीं सदी का स्त्री–विमर्श का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण 'दीवार में एक खिड़की रहती थी' में देखा जा सकता है। विपिनके समरूप यहाँ रघुबर है। और पत्नी सोनाली के आने से वह कार्य अपने स्तर पर तथा सोनाली के उपयोग के आधार पर करता है और सम्पूर्ण दृष्टि जैसै उसकी अभ्यर्थना में व्यस्थ और नत हो जाती है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि स्त्री लेखन ने समाज की आधी आबादी को सच से अवगत कराया। थेरी गाथा की स्त्रियों से लेकर अब तक की स्त्रियों का लेखन समाज को स्त्री चिंतन से सहज ही अवगत कराता है। अब पुरूषों को समाज में स्त्रियों के संग ताल से ताल मिलाते हुए चलने के लिए स्त्री चिंतन को समाज में नारी के प्रति जागृति लाना तथा नारी के स्वत्व को, अस्तित्व को, पहचान को स्थापित करने के प्रयास को ही नारीवाद अथवा नारी विमर्श कहा जाता है। नारी के व्यक्तित्व की पहचान हेतु अनेक संघर्ष तथा आन्दोलन हो रहे हैं जिनका उद्देश्य नारी के लिए एक सुखद भविष्य निर्माण करना है। नारी के निष्पक्ष न्याय मिले तथा उसके प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण हो तभी समाज में व्याप्त लिंग भेद समाप्त हो सकेगा।

''नई सामाजिक परिस्थितियां नई सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को जन्म देती हैं। विश्व को एक बाजार बनाने और उदारीकरण से उत्पन्न

आधुनिकीकरण की तमाम कोशिशों के बावजूद इस तथ्य से आखें नहीं मूंदी जा सकती कि भारतीय समाज में सामंती अवशेष अब भी मौजूद है और इन सामंती संस्कारों से मुक्ति हासिल किये बिना समाज वास्तविक मायनों में गतिशील नहीं हो सकता। स्त्री जीवन का चित्र इन सामंती संस्कारों के प्रति विद्रोह तथा समाज के जनतांत्रिकीकरण की आवश्यकता है। जनतांत्रिकीकरण की इस आवश्यकता में अनेक जटिले अंतर्विरोध भी शामिल है। नारी/स्त्री लेखन में भी यह अंतर्दिशोध देखने को मिलते हैं। किसी सामाजिक चिंतक का कथन है कि वास्तव में स्त्री की मुक्ति में ही पुरूष की मुक्ति भी शामिल है। मेरा मानना हे कि स्त्रीवादी लेखन समूची मान्यता की मुक्ति का आकांक्षी होता है।

स्त्री आन्दोलन का पहला पक्ष है वर्चस्वहीन समाज की स्थापना। यहाँ स्त्री आन्दोलन को मार्क्सवाद से बहुत कुछ सीखना है क्योंकि स्त्री–पुरूष का सम्बन्ध भी उत्पादन और पुन सद्पादन की प्रक्रिया से प्रभावित होता रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह सम्बन्ध केवल अपनी भौतिकता में ही कैद रहना चाहेगा। यही कारण है कि आज नारीवाद परिवार में श्रम के विभाजन और कौटुम्बिक सम्बन्धों में नेटवर्क की ऐतिहासिक खोजबीन में भी लगा हुआ है। नारीवादी आन्दोलन जीवन के उन पक्षों पर प्रकाश डालता है जहाँ स्त्री अब तक उपेक्षिता और वंचिता की हैसियत से रहती आई है। समाजवादी स्त्रियां वामपंथी खेमें में पुरूष सत्ता को चुनौती दे रही है, क्योंकि मार्क्सवादी पुरूषों ने भी स्त्रियों को पितृसत्तात्मक मूल्यों के अनुसार ही ढालने की चेष्टा की।"नारीवादी केवल नर–मादा के आन्तरिक सम्बन्धों का ही उल्लेख नहीं करता। यह स्त्री की यौनिकता को स्थापित जरूर करना चाहता है मगर सबसे अधिक नारीवाद स्त्री की यौनिकता के प्रति उस समझ की अभिव्यक्त करना चाहता है और उस बोध को हासिल करना चाहता है जिसके बारे में अब तक स्त्री खामोश रहती आई है।

इतिहास में जब भी किसी एक जाति ने दूसरी जाति को अधिकृत एवं नियन्त्रित करने की कोशिश की है तो इसके परिणाम से हम सभी

वाकिफ है। ऐसी वर्चस्वशाली व्यवस्था में देर सबेर विद्रोह और अपात तो होना ही है। आखिर किस आधार पर एक जाति दूसरी जाति को इतने लम्बे समय तक शोषित करती रही ? आखिर पुरूष को स्त्री की तुलना में श्रेष्ठ किसने कहा ? कम से कम स्त्री ने तो ऐसी व्यवस्था नहीं चाही। इतिहास में यह किस वर्ग और जाति का निर्णय रहा है कि परिवार में जब सब लोग खा चुके हो तभी औरत को थाली पर बैठने का हक है। आखिर और कितनी शताब्दियां औरत अपने पेट पर कपड़ा बांधकर काम करती रहेगी ? क्या पेट करने का पहला अधिकार पिता को ही है ? क्या माँ अधिक मेहनत नहीं करती और ऐसा कहकर संस्कृति और परम्परा की नजर में हम गलत नहीं हो जाएंगे यदि हम यह पूछें कि आखिर मुफ्त के श्रम की अपेक्षा स्त्री से ही क्यों ? सीमोंन द बुआ ने ठीक ही सेकेन्ड सेक्स में लिखा है कि औरत की पहली लड़ाई अर्थ की दुनिया से शुरू होती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह सत्य के अधिक नजदीक है कि पैसे कमाने से स्त्री निर्णय लेना सीखती है और निर्णय की क्षमता उसके संघर्ष को मजबूत करती है। आज भी अधिकतर व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नीचे के सारे काम लड़कियां करती है। मगर प्रधानता पुरूष की ही रहती है। किसे दोष दिया जाये? ऐसा क्यों? इसमें कोई दो राह नहीं कि काम के घण्टे पुरूष की तुलना में कहीं ज्यादा है। संसार में दो–तिहाई काम औरतें ही करती है। वास्तविकता यह है कि सबसे गरीब इसमें औरतें ही अपेक्षाकृत है। पूंजी के प्रभुत्व का शिखर होने के बाद भी भूमण्डलीकरण इस नारी विरोधी यथा स्थिति को बदल नहीं पाया हैं। दरअसल वह इस स्थिति का लाभ ही उठाता दिख रहा है।

बाजारवाद और खुली अर्थव्यवस्था ने स्त्री पुरूष सम्बन्धों के समीकरण को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इसके ठोस प्रभाव अब खुलकर सामने आने लगे है। महिलाएं समाज में अपनी स्थिति, अधिकारों और समस्याओं को लेकर अधिक मुखरित हुई हैं। चालीस वर्ष पहले यानी कि अस्सी के दशक में नारी मुक्ति आंदोलन को कुछ

अवरोध का सामना करना पड़ा था। महिलाएं स्वयं को नारीवादी या नारी–मुक्ति का पक्षधर कहलाने में संकुचाने लगी थी। लेकिन पिछले दो दशकों में यह तस्वीर कुछ बदली है। विश्व प्रसिद्ध लेखिका नाओभी वुल्फ के अनुसार केवल सामाजिक तौर पर ही नहीं राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में भी स्त्रियों के वोट और पोस्ट (पद) के महत्व को अब मान्यता मिल रही है। राजनीतिक क्षेत्र में अमेरिकी आंकड़ों के अनुसार बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति इसलिए बने क्योंकि उन्हें महिलाओं का अधिक समर्थन हासिल था और उन्होंने अपने कार्यकाल में कई नारीवादी लगने वाले कदम भी बढ़ायें। कनाडा में भी पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गयी। आस्ट्रेलिया में पॉल कीटिंग इसलिए चुनाव जीते क्योंकि उन्होंने महिलाओं की समस्याआओं पर सलाह देने के लिए एक विशेष सलाहकार नियुक्त किया था। भारत में महिलाएं न केवल अपने काम में सत्ता व अधिकार हासिल कर रही है बल्कि इसमें भी अहम यह है कि वे अपने अधिकारों और शक्ति के प्रति अधिक जागरूक हो रही है। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन महिलाएं इसकी सशक्त उदाहरण है। भारत में महिलाएं वर्तमान में मुखर ही नहीं उग्र भी हुई है। बाजार के बढ़ते हुए प्रभाव और खुली अर्थव्यवस्था ने भी इस बात का एहसास कराया है कि स्त्रियों को लुभाए बिना और उन्हें महत्व दिए बिना टिके रहना मुश्किल है। नाओमी वुल्फ ने अमेरिकी विज्ञापनों व फिल्मों के जरिए दिखाने का प्रयास किया है कि 'जब महिलाओं ने यह बताना शुरू किया कि उन्हें क्या चाहिए तो, राजनीति और वित्त के क्षेत्र की उन शक्तिशाली संस्थाओं को भी उन्हें लुभाना पड़ा जिन्होंने बिना किसी अपराध बोध के महिलाओं की खामोशी का लाभ उठाया था। उनके साथ चालबाजी की थी और उन्हें अलग–अलग कर दिया था .... अदनी आवाज के प्रति महिलाओं की समझ को इस बात ने नहीं बदला कि उनके विचार एक से हैं, बल्कि इस तथ्य ने कि उनके विचारों की विविधता मायने रखती है।

तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नारी मानव समाज

की जननी और दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली कड़ी है। धैर्य, सहनशक्ति, प्रेम, अनुराग, सहानुभूति, और उदारता आदि उच्च भारतीय नारी का आदर्शभूत और अनुकरणीय गुण है। भारतीय संस्कृति में इस वर्ग को अधिक महत्व दिया गया है। एक प्रेममयी नारी आंखों की ज्योति है। प्रो0 राधाकृष्णन् ने जीवन के महत्व को स्पष्ट करते हुए बताया है कि जब आकाश बादलों से काला पड़ जाता है, जब हम अंधकार में बिल्कुल अकेले होते हैं और प्रकाश की एक भी किरण नहीं दीख पड़ती और जब सभी ओर कठिनाई ही कठिनाई होती है, तब हम अपने आपको प्रेममयी नारी के हाथ में छोड़ देते हैं। भारत में स्त्रियों की स्थिति उत्थान–पतन एवम् पुनः उत्थान की कहानी है। यह स्पष्ट है कि सहकार्य प्रयत्नों और सुधार आंदोलनों के फलस्वरूप स्त्रियों की स्थिति में अनेक परिवर्तन तथा सुधार हुए हैं किन्तु यह स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है, सिद्धांत और वास्तविकता में पर्याप्त अंतर है। आज भी अधिकांश भारतीय नारियाँ सामाजिक प्रतिबंधों और निर्योग्यताओं में जकड़ी हुई है। फिर भी आज स्त्रियाँ वैज्ञानिक, सामाजिक, व्यावसायिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आदि क्षेत्रों में छायी हुयी हैं। आधुनिक शिक्षा ने उनके व्यक्तित्व के सर्वागीण विकास के लिए समुचित अवसर प्रदान किया है, उन्हें रूढ़िवादी विचारों से काफी सीमा तक मुक्त किया है। नारी के प्रश्नों पर महिलाओं का लेखन अपनी कहानी खुद कहना और सच्चाई को समाज के समक्ष लाना यही उसका उद्देश्य है। इन महिला लेखिकाओं का व्यक्तिगत मानना है कि हमें पुरुषों से दुगुना–तिगुना श्रम इसलिए करना पड़ता है कि हम सिद्ध कर सकें कि हम महज सुंदर ही नहीं हैं... और जब यह साबित हो जाता है तो जाने क्यों हमारे पुरुष सहकर्मियों को इसे स्वीकारना अपमानजनक लगता है।

नारी मानव सृष्टि का अपरिहार्य अंग है। आधुनिक युग में सामाजिक परिवर्तन के दौर में सामाजिक संरचना में भी अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। अनेक रास्तों को पार करके वर्तमान समय में शिक्षित, कामकाजी

अधिकार सम्पन्न, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर स्त्रियों ने समाज में विविध क्षेत्रों में ऊँचे मुकाम हासिल किये हैं। स्त्री आज अनुगामिनी नहीं बल्कि सहगामिनी बन रही है। हजारों–लाखों स्त्रियों की इन्हीं उपलब्धियों ने समाज में नारीवाद अर्थात नारी विमर्श का मार्ग प्रशस्त किया है। नारी विमर्श के प्रभाव का ही यह परिणाम है कि आज लिंग भेद को मिटाने की बहस प्रमुख चर्चा बनकर छायी हुई है। आज समाज स्त्री–अधिकार एवं उसके आर्थिक स्वावलम्बन के समर्थन में आगे बढ़ रहे वैचारिक आन्दोलन को अपनी सहमति के स्वर प्रदान कर रहा है। लेकिन नारी विमर्श को व्यापक धरातल तभी उपलब्ध हो सकता है जब समाज में बुद्धिजीवी वर्ग खुले मन से आगे आयें। साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक शैक्षणिक संस्थायें तथा विभिन्न स्वयंसेवी संगठन अपने वैचारिक कार्यक्रमों एवं योजनाओं को ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की समस्याओं को ध्यान में रखकर उन्हें अमली जामा पहनायें। आखिर नारी विमर्श का उद्देश्य ही यही है कि हमें आधी आबादी में विकास की रोशनी दिखाई दें और वास्तव में हाशिये से हटकर समाज के केन्द्र में प्रभावशाली भूमिका में दिखाई दे। विभिन्न प्रदेशों एवं केन्द्र सरकार द्वारा लागू अनेक योजनाओं का उद्देश्य स्त्रियों के कल्याण, उनकी प्रगति, आर्थिक आत्म निर्भरता का धरातल विकसित करने एवं शोषण, अन्याय एवं उत्पीड़न के अंधेरे से बाहर निकलना ही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार एवं लापरवाह नौकरशाही के कारण इन योजनाओं का वास्तविक क्रियान्वयन नहीं हो पाता है और अनेक योजनाओं को तो फाइलों में भी दबाकर रख दिया जाता है। कुछ हद तक अशिक्षा, जागरूकता का अभाव भी स्त्रियों को विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित रखता है। यही कारण है कि बालिका छात्रवृत्ति योजना, दहेज उत्पीड़न अधिनियम, तलाक का अधिकार गुजारा भत्ता एवं सम्पत्ति में अधिकार सम्बन्धी अधिनियम लम्बे समय के बाद भी स्त्रियों को वांछनीय लाभ प्रदान करने में असफल हुये हैं। स्वयं सहायता समूहों का गठन भी ग्रामीण

क्षेत्रों में आशानुरूप नही हुआ है। इस योजना में ब्याज मुक्त ऋण की उपलब्धता ने स्त्रियो को आत्मनिर्भरता की रोशनी दिखाई है। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, स्वास्थ्य सखी योजना बालिका, समृद्धि योजना, किशोरी बालिका योजना, इंदिरा महिला विकास योजना ऐसी योजनायें हैं जिन्हें ईमानदारी से स्त्रियों के उत्थान एवं उनकी आर्थिक समृद्ध ता के संवर्धन हेतु व्यापक स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है ताकि स्त्रियाँ भी आधुनिक दौर में बराबरी से समाज में सहभागिता करते हुये हर क्षेत्र में अपने अस्तित्व को सम्मान के साथ स्थापित कर सकें। आखिर नारी विमर्श की सार्थकता इन्हीं उपलब्धियों की रोशनी में निहित है।

12

पंचायती राज में महिला विकास

राष्ट्रीय प्रणेता स्वामी विवेकानन्द ने विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता को आवश्यक बताते हुए कहा था कि "जिस प्रकार एक पंख से चिडिया उडान नहीं भर सकती है, उसी प्रकार बिना महिलाओं की सहभागिता के कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता" निःसंदेह रूप से, महिलाऐं समाज की अभिन्न अंग है। अतः महिलाओं की भागीदारी के बिना सामाजिक–आर्थिक विकास की अवधारणा अधूरी है।

हमारे देश में स्वतन्त्रता से पूर्व महिलाऐं उपेक्षा, भेदभाव एवं शोषण का दंश झेल रही थी। पुरूष वर्ग ने पुरूष प्रधान सत्ता में अपना वर्चस्व यथावत बनाए रखने के लिए महिलाओं को निर्णयाधिकार से वंचित रखते हुए उनका कार्यक्षेत्र चूल्हे चौके तक सीमित कर दिया। निर्णयाधिकारों से अछूती महिलाऐं संसाधनों के असमान वितरण, अपने हितों की उपेक्षा एवं शोषण व अत्याचारों को मूक दर्शक बनकर सहती रही। इन विविध सामाजिक दंशों व आर्थिक पराधीनता के कारण महिलाऐं सामाजिक–आर्थिक विकास की दौड में पिछड गई तथा राजनैतिक क्षेत्र में उनकी भूमिका नगण्य रही। राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण ही व लैंगिक

आधार पर एक सफलतापूर्वक समाज की स्थापना में सफल नहीं हो पाई।

जितनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत की है उतनी बडी विश्व के किसी भी देश में नहीं है। लोकतंत्र मुख्य रूप से विकेन्द्रीयकरण पर आधारित शासन व्यवस्था है। शासन के उपरी स्तरों (केन्द्र एवं राज्य) पर कोई भी लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक की निचले स्तर पर लोकतांत्रिक मान्यताऐं तथा मूल्य शक्तिशाली ना हो यदि लोकतंत्र का तात्पर्य जनता की समस्याऐं दूर करना उनके समाधान की प्रक्रिया में जनता समग्र तथा प्रत्यक्ष भागीदारी है तो प्रत्यक्ष, स्पष्ट एवं विशिष्ट लोकतंत्र का प्रमाण उतना सटीक अन्य जगह देखने को नही मिलेगा। जितना स्थानीय स्तर पर । इसकी बजह यह है कि वहां जनता एव उसके प्रतिनिधियों शासक तथा शासितो के मध्य सम्पर्क तुलन्तात्मक रूप से लगातार सतर्कतापूर्ण एवं ज्यादा नियत्रंणपूर्ण होते हैं। लोकतंत्र की सबसे श्रेष्ठ पाठशाला और उसकी सफलता की सबसे ज्यादा गारण्टी स्थानीय स्वायत्त शासन का संचालन है।

पंचायती राज लोक व्यवस्था भी एक प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसके द्वारा जनता और प्रशासन के बीच की दूरी कम होती है और दोनों में नजदीकी सम्बन्ध बनाता है। भारत जैसे बड़ी आबादी, विविधता, क्षेत्रीयता विभिन्नता वाले बडे देश में लोकतंत्र को सार्थक और कल्याणोन्मुखी बनाने हेतु विकेन्दीकरण अन्तर्निहित जरूरत है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ शक्ति का अन्तरण होना लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में अति आवश्यक तथा वांछित प्रक्रिया है। लोकतंत्र में सम्प्रभुता का प्रवाह उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ और निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ होना चाहिए।

भारतीय लोकतंत्र की राजनीतिक व्यवस्था में पंचायती राज के माध्यम से ही प्रशासन को साधारण लोगों के पास तक पंहुचाया जा

सकता है। लोकतंत्र की संकल्पना को ज्यादा यथार्थ में अस्तित्व देने की दिशा में पंचायती राज व्यवस्था एक ठोस कदम है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय लोगों की स्थानीय शासन कार्यो में सतत् रूचि बनी रहती है क्योंकि वे अपनी स्थानीय समस्याओं का स्थानीय प्रणाली से हल कर सकते हैं। ये लोग अपने स्थानीय स्तर पर नियामकीय तथा वैकल्पिक कार्यों का सम्पादन करने में सहायक साबित होते हैं। अतः इस अर्थ में पंचायती राज संस्थाऐं स्थानीय जन सामान्य को शासन कार्य में भागीदारी की प्रक्रिया के जरिए लोगों को प्रत्यक्षतः एवं परोक्ष रूप से शासन एवं प्रशासन का प्रशिक्षण स्वयं ही प्रदान करनी रहती है। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण लेकर ये स्थानीय पुरूष एवं महिला जन प्रतिनिधि कालान्तर में विधानसभा एवं संसद का प्रतिनिधित्व कर राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं।

स्वतन्त्रता के पश्चात् देश में महिलाओं की स्थिति सुधारने, सशक्त व सुदृढ करने हेतु अनेक नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया गया। किन्तु इन सबके बावजूद राजनीति में महिलाओं की सहभागिता न्यून दर्ज की गई। इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए महिलाओं से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि" सख्या की दृष्टि से महिलाऐ अल्पसख्यक नही मानी जा सकती, परन्तु स्थिति व राजनीतिक शक्ति मे असम्भावना के कारण उनमे अल्पसख्यको के लक्षण बढते जा रहे है।

जहाँ तक स्त्रियों के अधिकारों का प्रश्न है, संविधान द्वारा घोषित नई सामाजिक व्यवस्था के मूल्यों और समकालीन भारतीय समाज की वास्तविकताओं के मध्य जो खाई है, वह आज भी उतनी ही गहरी और चौडी है, जितनी कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय थी।" इस समिति ने अपनी स्थिति में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने तथा उनको समान अवसर प्रदान करने के लिए स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी की अनुशंसा की। इन सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए ही महिलाओं की आधिकारिक

परिस्थिति के संवर्धन, उनके सामाजिक व पारिवारिक जीवन स्तर को सुधारने तथा राजनैतिक जागरूकता में वृद्धि करने हेतु सरकार ने अप्रैल 1993 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान किया।

गौरतलब है कि केवल सदस्य स्तर पर ही नहीं अपितु अध्यक्ष जैसे सर्वोच्च पद के लिए भी सरकार ने आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए पुरूष प्रधान राजनीतिक वातावरण में महिलाओं को समान वर्चस्व व भागीदारी स्थापित करने का संकल्प अभिव्यक्त किया है। निःसंदेह रूप से वर्ष 1993 को पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास में "विभाजक वर्ष" कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। वर्ष 2009 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया कि देश के संविधान के अनुच्छेद 243 में संशोधन हेतु विधेयक पारित करके पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को न्यूनतम 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। निःसंदेह रूप से यह विधेयक महिला सशक्तीकरण एवं राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नियुक्त होने वाले पदों पर भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। गौरतलब है कि वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित लगभग 28.18 लाख प्रतिनिधियों में महिलाओं का अंश 36.87 प्रतिशत अर्थात दस लाख है।

प्रस्तावित संविधान संशोधन के कारण महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढकर 14 लाख हो जायेगी। बिहार, उत्तराखण्ड, राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मे महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जा चुका है। यह सभी जानते है कि देश का समग्र एवं सन्तुलित विकास महिलाओं की सक्रिय भागीदारी व सशक्तीकरण के बिना सम्भव नहीं है। महिला सशक्तीकरण की दिशा में बढने हेतु यह नितान्त आवश्यक है कि महिलाओं से सम्बन्धित नीतियों, योजनाओं व विविध कार्यक्रमों के

निर्माण, क्रियान्वयन व मूल्यांकन में उनकी सक्रिय सहभागिता व उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाए। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो निःसंदेह रूप से पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था महिला सशक्तीकरण एवं राजनीतिक शक्ति संरचना में उनकी भागीदारी हासिल करने की दिशा में उठाया गया एक साहसिक सशक्त कदम है।

हर्ष का विषय है कि इसी कारण से लगभग 15 लाख महिलाओं को घर की देहरी से बाहर कदम रखकर ग्राम पंचायतों व शहरी निकायों के चुनावों में भागीदारी का स्वर्णिम अवसर उपलब्ध हो सका है। इतना ही नहीं, इन पंचायतों में निर्वाचित महिला पंचों की संख्या लक्षित 33 प्रतिशत से अधिक करीब 40 प्रतिशत रही है।

पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण रूपी कवच की प्रगति होने के कारण ही महिलाओं में राजनैतिक चेतना, राजनैतिक जागृति एवं राजनैतिक सहभागिता का सूत्रपात हुआ हैं। इसके साथ ही महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी के कारण बढोतरी दर्ज की गई है। पुरूष वर्ग भी महिलाओं की योग्यता, क्षमता व अनुभव का लोहा मानने लगा है। पुरूष वर्ग की संकीर्ण मानसिकता में परिवर्तन आने के कारण भी महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा व लैंगिक समानता जैसे उदात्त विचारों के क्रियान्वयन को प्राथमिकता देते हुए महिला सशक्तीकरण की राह को आसान बना रहे है। इन सब सकारात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप महिलाओं में नई चेतना, नई सामर्थ्य व आत्म विश्वास की किरणों का संचार हो रहा है, जिससे महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया सशक्त व मजबूत होती जा रही है।

निश्चित रूप से पंचायतों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त व सक्षम बनाया जा रहा है। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिये बिना एक तरफ तो उनके प्रतिनिधित्व के अभाव में लोकतांत्रिक संरचना पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है तो दूसरी तरफ महिलाओं के सशक्तीकरण

के बिना राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अधूरी रह जाती हैं। राजनीतिक धरातल पर महिलाओं की भागीदारी से शासन की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पचायतो के माध्यम से पर्दा प्रथा, अन्धविश्वास, रूढियो एव भ्रष्टाचार के उन्मलन में भी महिला पंच एवं सरपंच प्रभावी भूमिका निभा रही है। अब यह तथ्य स्वीकारा जाने लगा है कि महिलाओं में भी योग्यता, दक्षता, कौशल व क्षमता है तथा पर्याप्त व समान अवसर उपलब्ध होने पर वे अपनी क्षमताओं व योग्यताओं का पूर्ण व सार्थक उपयोग करके देश के विकास की गति को तीव्र कर सकती हैं।

इस सकारात्मक प्रभाव के बावजूद विभिन्न राजनैतिक प्रभुत्व वाले व्यक्ति एवं ग्रामीण समाज के प्रतिष्ठित वर्ग येन–केन प्रकारेण प्रताड़ित करके डरा धमकाकर उनकी इज्जत पर अंगुली उठाकर महिला प्रतिनिधियों को गैर कानूनी व असामाजिक कृत्यों के लिए बाध्य कर देते हैं। निरक्षरता व राजनैतिक जागरूकता का अभाव होने के कारण निर्वाचित महिला पुरूष वर्ग के दिशा–निर्देशानुसार विभिन्न प्रस्तावों पर अंगूठा लगाकर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देती है। जिसकी वजह से इन महिला प्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार, हेराफेरी व गबन जैसे मुकदमों की संख्या बढती जा रही है।

समाज की तुच्छ सोच व संकीर्ण मानसिकता के कारण महिलाऐं आरक्षण व्यवस्था का समुचित लाभ उठाने से वंचित हो रही है। प्रस्तुत शोध में यह तथ्य रेखांकित किया है कि पुरूष प्रधान समाज में निर्वाचित महिलाऐं पुरूषों के हाथों में कठपुतली मात्र बनकर रह गयी। महिलाऐं दब्बू, संकोचशील व राजनीतिक कार्य प्रणाली से अनभिज्ञ होने के कारण पुरूष वर्ग के निर्देशों व मार्गदर्शन के अनुरूप मकदर्शक की भाति कार्य करने को विवश है।

जातिगत बन्धन व जातिगत प्रथाऐं भी महिलाओं की स्वतन्त्र भूमिका में व्यवधान है। प्रस्तुत शोध में यह भी तथ्य सामने आया है

कि पंचायत के पुरूष सदस्य महिला सदस्यों को बैठकों में आमंत्रित ही नहीं करते हैं। अतः बैठकों में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अभी भी अधिकांश महिला पंच व सरपंच निर्णयाधिकारों से कोसों दूर हैं। घर पर ही रजिस्टर भेजकर महिलाओं की उपस्थिति दर्ज करवाने से महिलाओं की सार्थक भूमिका पर सवालिया निशान लग जाता है।

महिला प्रतिनिधियों की उपलब्धियाँ -

1. **स्थिति में सुधार** :– पचायती राज व्यवस्था से महिलाओं की स्थिति मे सुधार हुआ है। यह भी सच है, उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना है।

2. **राजनीतिक चेतना जगी है** :– पंचायत में महिला प्रतिनिधित्व के आ जाने से ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ है। जब महिला ही महिलाओं का चुनाव करेंगी तो निश्चित रूप से उनमें इस भावना का संचार होगा कि एक दिन वह भी चुनी जा सकती हैं जब इनमें चुनाव के सम्बन्ध में चेतना उत्पन्न होगी तो निःसंदेह वो इस बात पर ध्यान देगी कि कौन सी महिला उनका सही प्रतिनिधित्व करेगी। अतः प्रतिनिधित्व वास्तविक और सही होगा।

3. **आत्म सम्मान बढ़ा है** :– भारतीय संविधान में संशोधन करके परम्परावादी भारतीय समाज में बहुत बडा परिवर्तन कर दिया है। इस आधी आबादी को पूरी आजादी देने का सही रास्ता संसद से होकर ही गुजरा और 73वें संशोधन के रूप में परिणाम सामने हैं। अब महिलाओं को पंचायती राज में 50 फीसदी आरक्षण मिलने के बाद अधिक संख्या में चुनाव जीतकर आने लगी है। महिला आरक्षित सीटों पर चुनावो में पुरूष अधिक संख्या में प्रचार करते हैं, और उनके हाथो मे महिलाओं के पोस्टर होते है। जिससे महिलाओं का आत्मसम्मान बढता है।

4. **शोषण के विरूद्ध जागृति** :— भारतीय समाज में प्राचीनकाल से महिलाओं ने शोषण का दंश झेला हैं। रामराज्य में सीता को भी वनवास जाना पड़ा था। राजा महाराजाओं द्वारा किये जाने वाले बहु विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जैसे अन्ध विश्वासों ने वर्षों तक महिलाओं के शोषण में पुरूषों की मदद की थी। पुरूष महिलाओं को सार्वजनिक कार्यों से दूर रखने का ही प्रयास करता रहा है, पंचायतों को केवल पुरूषों के लिए बनाई गई संस्था ही मानते थें। 73वें संशोधन के बाद पंचायतों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला और कुछ हद तक शोषण के विरूद्व महिलाओं मे जागृति भी आई है।
5. **सामाजिक प्रतिष्ठा बढी है** :— महिला सरपंचों का परिवेश ज्ञान प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी तथा अन्य संस्थाओं से सम्पर्क निरन्तर बढ रहा है। इन्होंने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है, इससे पर्दा प्रथा थमी हैं।
6. **निर्णय क्षमता में इजाफा** :— पुरूष प्रधान समाज की सामाजिकता के तमाम दबावों के बाबजद राजस्थान के अलवर जिले के निमनों गॉव की सरपच कोमल देवी ने अपने ही पति और ससुर को अधिसूचना जारी कर पूछा कि पंचायत की जमीन हडपने की वजह से उनके विरूद्ध कार्यवाही क्यों न की जाए।
7. **कार्य पद्धति में खुलापन** :— महिला प्रतिनिधित्व के कारण सार्वजनिक विषयों तथा निर्णयों पर विचार—विमर्श का दायरा रसोईघर तक पहुॅच गया है, जबकि पहले ये चौपालों तक ही सीमित था। सार्वजनिक मामलों में पुरूषों की जोड—तोड को महिलाऐं समझ नहीं पा रही है, और वे उसे गोपनीय भी रख पाती है। फलस्वरूप कार्यप्रणाली में स्पष्टवादिता तथा खुलापन पहले की तुलना मे अधिक है। इससे भ्रष्टाचार के अवसर भी कम हो रहे है।

समाधान :– पंचायती राज की सफलता के लिए जागरूकता एक महत्वपूर्ण शर्त है। महिलाओं को उनके अधिकार शक्तियाँ और कर्तव्यों के बारे में प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। महिला जन प्रतिनिधियों के लिए ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षण केन्द्र लगाकर इन्हें विकास के विभिन्न पहलुओं से भी परिचित कराया जाना चाहिए, उन्हें उनकी क्षेत्रीय भाषा में ही प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जिससे महिलाऐ जल्दी समझ सके, प्रशिक्षण छोटे–छोटे समहों मे देना चाहिए जिससे प्रत्येक महिला पर प्रशिक्षक उचित समय दे सके।

- चूँकि पंचायत प्रतिनिधि पढने–लिखने की सामान्य अवस्था पास कर चुके हैं। अतः उनके स्तर पर ही शिक्षण–प्रशिक्षण देना चाहिए। इसके लिए स्थानीय महिला प्रशिक्षिका आवश्यक है।
- पंचायत प्रतिनिधि अधिकतर काम करने वाले है, अतः प्रशिक्षण देते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस प्रशिक्षण से उनके जीविकोपार्जन में किसी प्रकार का व्यवधान न आए।
- बाल विवाह पर रोक हो, जिससे बालिकाओ ं को पूर्ण व्यक्तित्व विकास का अवसर मिल सके।
- हाई स्कूल स े ऊपर की बालिकाओ ं को व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
- निर्धनता निवारण कार्यक्रमो ं में महिलाओ ं की भागीदारी बढाई जाय।
- महिला विकास कोष पंचायत स्तर पर बनाया जाय।
- राष्ट्रीय महिला कोष का प्रचार–प्रसार किया जाये।
- ऐसे परिवारों की पहचान की जाए जिनकी मुखिया महिला हों तथा जिनके पास रोजगार, आवास और स्वच्छ जल के स्त्रोत नहीं है, उन्हें आवास दिया जाए तथा व्यस्क महिलाओं को रोजगार पर लगाया जाए।

- गॉव के उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दिया जाए।
- महिला पंचायत प्रतिनिधि बड़ी संख्या में अशिक्षित है। केवल साक्षर जो इनके लक्ष्य तक पहुंचने में मुख्य बाधा है। अतः महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान देना होगा। महिला शिक्षा को अनिवार्य करना होगा। शिक्षा के आधुनिक तरीकों, फिल्म, कम्प्यूटर आदि से उन्हें इस प्रकार से शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। जिससे उनके पढने के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो। गॉव की महिला शिक्षिका द्वारा स्थानीय तरीके से शिक्षा का प्रबन्ध करना होगा।
- महिलाओ ं को लघु एवं कुटीर उद्योगों में लगाना चाहिए, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ पारिवारिक रोजगार एवं आय में वृद्धि की जा सकती है।
- वानिकी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
- महिलाओं को सगंठित होकर पुरूष प्रधान मानसिक व्यवस्था को बदलना होगा। महिला प्रतिनिधि संगठन बनाना होगा।
- महिलाओं को समझौतावादी नीति छोडकर अपनी राय को महत्व देना होगा।

पचायती राज की चुनौतियाँ

73वां संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया था। एक वर्ष के अन्दर राज्य सरकारों को अपने पंचायती राज अधिनियमों को 73वें संविधान संशोधन को ध्यान में रखते हुए संशोधित करना था। लेकिन राज्य सरकारों ने अपने पंचायती राज अधिनियम को अन्तिम समय सीमा में पारित किया। मणिपुर व केरल के अधिनियम को अन्तिम दिन अर्थात 23 अप्रैल 1994 को पारित किया। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडू, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश व

हरियाणा राज्यों में अधिनियम अन्तिम से एक दिन पहले पारित हुआ। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों का मुख्य कार्य आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाऐं बनाकर उनको क्रियान्वित करना है। इस कार्य के लिए पंचायतों की कार्यात्मक, वित्तीय व प्रशासनिक स्वायत्ता उसके सामने सबसे बडी चुनौती है। क्योंकि बिना इस स्वायत्ता के पंचायतों के लिए पूर्ण रूप से संभव नहीं है कि वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभा सकें।

कार्यात्मक चुनौतियां - ग्राम सभा के कार्य

संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार ग्राम सभा अपने स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वाह कर सकेगी जो राज्य के विधान मण्डल द्वारा विधि द्वारा उपबन्धित किए जाऐं। स्पष्ट है कि ग्राम सभा को कितने कार्य व शक्ति प्रदान की जाए। यह राज्य विधान मण्डल की इच्छा पर छोड दिया गया है। पंजाब, तमिलनाडू, मध्यप्रदेश एवं केरल राज्यों को छोडकर सभी राज्यों ने ग्राम सभा को मात्र बातचीत करने की संस्था मात्र बताया है। क्योंकि इन राज्यों में ग्राम विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना और विकास कार्य कलाप चलाना, विभिन्न गरीबी हटाओ कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को चुनना, एकता व सौहार्द बनाना तथा ग्राम पंचायत द्वारा पिछले वर्ष का लेखा–जोखा आने वाले वर्ष के भावी कार्यक्रम आदि को इस सभा के सामने रखने व अनुमोदित करने का अधिकार इस सभा को दिया गया है। हां मध्यप्रदेश राज्य ने तो इस सभा को चुने गये प्रतिनिधि अर्थात पंच व सरपंच को वापस बुलाने का अधिकार भी प्रदान किया है। वैसे अधिकतर राज्यों ने इसे कोई विशेष अधिकार व शक्तियां प्रदान नहीं की है। अधिकतर राज्यों ने इसे सुझाव प्रदान करने की संस्था मात्र रखा है। इसके द्वारा प्रस्तावित सुझावों को मानना या न मानना ग्राम पंचायत की इच्छा पर निर्भर करता है।

ग्राम सभा सम्पूर्ण पंचायती राज व्यवस्था का दिल व दिमाग है। यह संस्था जिला पंचायत से ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को चुनने के

अलावा ग्राम स्तर पर समाज के सभी वर्गों को ग्राम पंचायत के कार्यों व लाभों में भागीदार होने का अवसर प्रदान करती हैं। राजस्थान में पंचायत के तीनों स्तरों पर कार्यों का बंटवारा बुनियादी सिद्धान्त के आधार पर नही किया गया है। उदाहरण के लिए अनुसची के अन्तर्गत पशुपालन, डेरी तथा मुर्गी पालन के अधीन एक कार्य पशुओं मुर्गियो तथा अन्य पशुधन के प्रजनन मे सुधार लाना है।

यह कार्य ग्राम पंचायत के सामर्थ्य के भीतर संभव नहीं हैं। पंचायत अधिनियम की अनुसूची 3 में ग्रामीण आवास के अन्तर्गत जिला परिषद् का एक कार्य बेघर परिवारों का पता लगाना है। यह कार्य यदि ग्राम पंचायत को सौंपा गया होता तो वह ग्राम सभा के माध्यम से इस प्रकार के लाभार्थियों का पता लगा सकती थी।

वित्तीय चुनौतियां – पंचायतों को चाहे कितने ही कार्य सौंप दिये जाएें लेकिन पर्याप्त वित्तीय साधनों के अभाव में वे अर्थहीन है। इसलिए पर्याप्त वित्तीय उपलब्धता होना उनके लिए सबसे बडी चुनौती है। 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243ज के अनुसार राज्य विधान मण्डल विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व सीमाओं के भीतर शुल्क, पथकर और शुल्क लगाने का अधिकार दे सकती है। कुछ विशेष सीमाओं और नियमों के अन्दर राज्य सरकार इन्हें चुंगी, शुल्क, महसूल उगाही आदि के कुछ अधिकार दे सकती है। राज्य सरकार अपनी किसी समेकित निधि से भी पंचायतों को अनुदान प्रदान कर सकती है। सरकार विभिन्न मदों की उधारी या शाख के लिए धन लेने वसूलने के लिए पंचायत के माध्यम से जमा करने व निकालने का भी अधिकार दे सकती है। जिन्हें पचायत अधिनियमों मे वर्णित किया गया है।

कर व गैर कर प्रावधान – अधिकतर राज्यों में जिनमें मुख्य है बिहार, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश कर लगाने की अधिक शक्ति ग्राम पंचायतों को दी गई है। जबकि ग्राम पंचायतों के पास करों को लागू करने की पर्याप्त मशीनरी भी नहीं है। इसके अतिरिक्त

ग्राम पंचायतें गांवों के बहुत करीब है व ग्राम प्रधान या सरपंच दिल से भी नहीं चाहता कि कर लगाए जाऐं। क्योंकि ऐसा करने से वे लोगों के बीच अप्रिय नही बनना चाहते। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों में पंचायतों के तीनों स्तरों को राज्य स्तर से अनुदान देने का प्रावधान है। लेकिन यहां पर कर्नाटक व महाराष्ट्र के अनुदान से सम्बन्धित प्रावधानों का जिक्र करना आवश्यक है। कर्नाटक में प्रत्येक ग्राम पंचायत राज्य सरकार से प्रतिवर्ष 2लाख रूपये का अनुदान देने का प्रावधान है। यह अनुदान ग्रामीण क्षेत्र में बिजली के रख–रखाव पानी की उपलब्धता, स्वच्छता व अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए है। इस तरह का प्रावधान अन्य किसी राज्य में नही है। महाराष्ट्रमें जिला स्तर पर कुल अनुदान का 50 प्रतिशत भाग जिला पंचायत को देने का प्रावधान है। लेकिन ऐसे गिने–चुने उदाहरण है।

हरियाणा, केरल, पंजाब व पश्चिमी बंगाल ने पंचायतों द्वारा विकास कार्यो के लिए अपने स्तर पर कर लेने का भी प्रावधान किया है। पंचायती राज अधिनियमों में राज्य सरकारद्वारा लगाये गये सभी करों की हिस्सेदारी का प्रावधान नहीं किया गया है। जो विकेन्द्रीकरण के विपरीत है। चूंकि 73वें संविधान संशोधन में कौन–कौन से करों की हिस्सेदारी राज्य सरकार व पंचायतों के मध्य होगी। इसका जिक्र किया गया है। इससे अर्थ निकलता है कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए सभी करों का हिस्सा पंचायतों के साथ बांटना है। अधिकतर राज्यों ने कर हिस्सेदारी का प्रावधान मात्र भूमि राजस्व कर में किया है। जिसकी राशि कुल राज्य की कर आय से बहुत कम है।

पंचायतों की वित्तीय स्थिति की एक झलक – पंचायत वित्त पर किए गए विभिन्न माध्यमों के अनुसार पंचायतों के वित्त की क्या स्थिति है। अशोक मेहता समिति 1978 के अनुसार 1962–63 से 1977–78 के बीच पंचायतों द्वारा लगाए गए कर वगैरह से प्राप्त आय उनकी कुल आय का आन्ध्र प्रदेश में 33 प्रतिशत, गुजरात में 34 से 37 प्रतिशत, उडीसा में 23 से 37 प्रतिशत, पंजाब में 0.6 से 10 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश

में 60 प्रतिशत 1977–78 में तथा केरल में 79–85। इसका अर्थ यह है कि कुछ राज्य जैसे केरल व गुजरात को छोडकर अन्य राज्यों में पंचायतों द्वारा स्वयं जुटाई गई राशि बहुत कम थी। जिसके अनुसार 1982–83 के दौरान पंचायतों की करों द्वारा जुटाई गई राशि राज्यों द्वारा जुटाई गई राशि का केवल 0.1 प्रतिशत थी।

अगर हम 1982–83 से पचायतों की वित्तीय स्थिति की वर्तमान वित्त समिति से तुलनाकरे तो यही पता चलता है कि लगभग दो दशक के बाद भी कोई विशेष सुधार नही हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि पंचायतों के पास इतने भी समाधान नहीं कि वे अपनी मूल आवश्यकता व परिसम्पत्तियों का ही रख–रखाव कर सकें। 1997 में स्वैच्छिक संस्था "प्रिया" ने 9 राज्यों (बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्यप्रदेश, उडीसा, राजस्थान व उत्तरप्रदेश) 8 जिला परिषदों, 6 पंचायत समितियों एवं 148 ग्राम पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन किया है। जिससे निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आये है।

1. दसवें वित्त आयोग ने पंचायतों के वित्तीय साधन हस्तांतरित करने के लिए 1991 की जनसंख्या की बजाय 1971 की जनसंख्या को आधार मानकर 1996–2000 के दौरान पंचायतों को 4381 करोड रूपये केन्द्र सरकार से हस्तांतरित करने की सिफारिश की थी। जो स्वकीर कर ली गई थी। वह केन्द्र सरकार के कुल राजस्व का मात्र 0.56 प्रतिशत ही था। यदि 1998 की जनसख्या को आधार माना होता तो 2700 करोड रूपये पचायतों को अतिरिक्त मिले होते।
2. पंचायतों के तीनों स्तरों को अगर देखें तो ज्यादा जिम्मेदारी पंचायतों के सबसे निचले स्तर अर्थात ग्राम पंचायत का है। जबकि पंचायत के इस स्तर पर कर्मचारियों व अन्य संरचनात्मक सुविधाओं की कमी है। कर्मचारियों की कमी के कारण न तो कर लगाये जा सकते और न ही जुटाये जा सकते हैं ।

3. यही नहीं ज्यादा आय प्रदान करने वाले आमदनी के साधन लघुवन उत्पाद खनन, बडे तालाब पंचायतों के नियंत्रण में नहीं है। पंचायतों के पास ग्रहकर, भूमि लगान, गैर मशीन द्वारा चालित वाहन कर आदि अधिकार क्षेत्र में है। इनसे पंचायतों को नहीं के बराबर आमदनी होती है।

4. सांसद के लिए 5 करोड़ की योजना जिसका नाम सांसद स्थानीय विकास हैं। इस योजना के अन्तर्गत जो 23 मद है। वे लगभग वही है जो 73वें संविधान संशोधन की 11वीं अनुसूची में 29 विषयों में सूचीबद्ध है। पंचायतों की वित्तीय आवश्यकता के बारे मे दो उदाहरण राजस्थान, उडीसा के देने उचित प्रतीत होते है। राजस्थान वित्त आयोग के अनुसार पंचायतों को अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता 34.84 करोड रूपये थी। जबकि स्वय आयोग ने 17.97 करोड रूपये वार्षिक विभाजित पल से हस्तातरित करने की सिफारिश की है और अतिरिक्त लाख वार्षिक साधन हस्तांतरित करने की सिफारिश 1995 से 2000 के बीच में की है। फरवरी 2000 के दौरान "प्रिया" स्वैच्छिक संस्था का 10 राज्यों का पंचायती वित्तीय सर्वेक्षण बताता है कि पंचायतों के कुल साधनों में उनके स्वयं के द्वारा जुटाए गए साधन कम होते जा रहे है।18

सामाजिक आर्थिक चुनौतियां :— 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों के तीनों स्तरों पर लगभग 34 लाख प्रतिनिधि सदस्य एवं अध्यक्ष के रूप में चुनकर आये है। इनमें एक तिहाई अर्थात 11लाख महिलायें है। चूंकि पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का भी आरक्षण है। इन वर्गो के प्रतिनिधियो की सख्या भी 6लाख के आस–पास है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण होने के कारण इन वर्गो की महिलाओं की संख्या लगभग

2लाख है। इन वर्गो का विकेन्द्रीकरण प्रणाली में कार्य का अनुभव कम या नहीं के बराबर है और ये वर्ग आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर हैं। सारे वर्ष अपनी रोजी–रोटी में उलझे समाज के निचले तबके के ये ग्रामीण अशिक्षित भी हैं और इनके पास जमीन जायदाद भी कम या नहीं के बराबर है। इसके अतिरिक्त आज भी गांवों में सामाजिक ऊँच–नीच का बोलबाला है। जिसके चलते कमजोर तबके के लोग ऊँची जातियों के साथ बैठ तक नहीं पाते, पर अब वे पंचायतों की अध्यक्षता कर रहे हैं।

सामाजिक चुनौतियां – हिन्दू शास्त्रों में लिखा है कि धर्मानुसार स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के संरक्षण में युवावस्था में पति के संरक्षण में और पति का देहांत हो जाने पर पुत्रों के अधीन रहना है। नारी को जन्म लेते ही सिखा दिया जाता है कि तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। तुम्हारा आदर्श अपने आप को पति को समर्पित करना है। परिणाम स्वरूप नारी को हाड मांस के पुतले के अलावा कुछ भी नहीं समझा जाता है। इस तरह की व्यवस्था के कारण वह अपनी पहचान ही खो बैठती है। इसी आत्म सम्मान की भावना की कमी के कारण उसके सीखने की प्रक्रिया धीमी पड जाती हैं।

पुरूष मानसिकता भी एक बड़ीी चुनौती महिलाओं के सामने है। पुरूष वर्ग नहीं चाहता कि महिलाऐं घर से बाहर निकलें। मध्यप्रदेश मे मन्दसौर जिले की ग्राम पंचायत अम्बा सरपच मोडी बाई की पति ने इसलिए हत्या कर दी कि वह पंचायत की बैठक में जाती थी। इसी सामाजिक व्यवस्था के बारे में डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि सामाजिक व्यवस्था संस्कृति के द्वारा समाज के सदस्यों की भावना को नियमित करती है और संस्कृति की जडें इतनी गहरी होती है कि उनको हटाना व्यवस्था के आधार में परिवर्तन के बिना संभव नहीं है। जाति एवं वर्गों में बंटे समाज में निम्न जातियों की स्थिति तो और भी दयनीय है। ऊँची जातियों की महिलाओं की आर्थिक स्थिति फिर भी ठीक है। लेकिन गरीब परिवारों की महिलाओं के बारे में तो गरीब

की जोरू सबकी भाभी वाली कहावत चरितार्थ होती है, क्योंकि उनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है।

आर्थिक चुनौतियां – पंचायत प्रतिनिधियों के सामने सामाजिक चुनौतियों के अलावा आर्थिक चुनौतियां भी कम गम्भीर नहीं है। ये प्रतिनिधि वित्तीय साधनों के अभाव के कारण अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने में समर्थ नही हो पाते। नई आर्थिक नीति जिसके अन्तर्गतधीरे–धीरे जल, जंगल व जमीन पर नियन्त्रण आम लोगों का कम होता जा रहा है। ये कमजोर तबकों की पहले से बिगडी आर्थिक स्थिति पर जले पर नमक छिडकने का कार्य किया है।

महिलाओं की भूमि व सम्पत्ति में क्या भागीदारी है। इससे पहले एक नजर ग्रामीण गरीब पर डाल ली जाए। उपलब्ध आंकडे बताते है कि कुल ग्रामीण जनसंख्या का 37.27 प्रतिशत भाग गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या का प्रतिशत 48.11 है। कुछ राज्य जैस बिहार 70.66, उत्तर प्रदेश 58.55 तथा महाराष्ट्र 51.64 प्रतिशत में इन वर्गो में गरीबी राष्ट्रीय स्तर से भी अधिक है। अनुसूचित जन जाति वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या का प्रतिशत 51.94 हैं। कुछ राज्य जैसे बिहार 69.45 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश 67.94 प्रतिशत, उडीसा 71.26 प्रतिशत व पश्चिमी बंगाल 61.95 प्रतिशत में गरीबी का स्तर राष्ट्रीय स्तर से भी अधिक है। इन आंकडों से आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार में अधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवार हैं। इन गरीब परिवारों में भी गरीबी की ज्यादा मार महिलाओं पर पड़ती है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार देश के लगभग 30 प्रतिशत परिवारों की मुखिया महिलाए है। जिनमे अधिकतर गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही है। इनमहिलाओं के पास कोई सम्पत्ति जैसे भमि नही है, न ही इन महिलाओं को व्यवस्थित सस्थागत साख उपलब्ध है। संसाधनों के अलावा ये कैसे सोचे कि महिलाएं अपनी

भूमिका पंचायतों में प्रभावी ढंग से निभा सकेंगी। महिला कामगारों की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत है। जहां उन्हें पुरूषों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती है। स्थिति यह है कि रात दिन कार्य करने के पश्चात् अर्थशास्त्रियों के मापदण्डों के अनुसार भारत की आधी जनसंख्या कुल राष्ट्रीय आय का केवल 19 प्रतिशत हिस्सा ही कमा पाती है।

आर्थिक सुधार व वंचित वर्ग – सुधार का अर्थ होता है कि जनता में खुशहाली लाना। लेकिन 1991 से जो आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है। उसके अन्तर्गत ढांचागत समायोजन कार्यक्रम निजीकरण भू मण्डलीकरण आते हैं। इसमें महिलाओं की स्थिति को सुधारने की वजाय बिगाडा हैं अध्ययन से पता चला है कि पिछले 5 सालों में महिलाओं का कार्य करने का अनुपात बढ़ा है। जिसका मुख्य कारण और कुछ नहीं महिलाओं का सस्ता श्रम है। स्थायी नौकरियों में 25 प्रतिशत तथा स्थायी कार्यो के लिए महिलाओं को पुरूषो की तुलना में 25 प्रतिशत कम पारिश्रमिक मिलता है। आंकडे यह भी बताते है कि दो तिहाई खेतिहर श्रमिक महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। 24–25 अप्रैल 1998 को सामाजिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने महिला राजनैतिक सशक्तीकरण दिवस मनाया था।

पुरूषों का वर्चस्व – फार्म भरने से लेकर चुनाव जिताने तक का सारा कार्य पुरूष यानि पिता, पति, भाई या बेटा करता है। ये महिलाओं का निर्णय करने का कार्य भी उनके पति ही करते हैं। महिलाऐं साफ कहती है कि उनके पति व घरवालों ने ही उनका पर्चा भरवाया था। उन्होंने ही वोट मांगे थे। इसलिए हम तो जैसे वे कहते हैं वैसे ही दस्तखत कर देते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों में महिला प्रतिनिधि पुरूष प्रधान मानसिकता का शिकार नजर आई है। महिलाओं के साथ एक अलग बीमारी घूंघट का झंझट है। चूंकि महिलाएं घर के भीतर ही रहती है और अगर घर से बाहर जाएंगी भी तो पर्दे में ही जाएंगी। इससे उनको अपने कार्य के सम्पादन में

मुश्किलें आ रही है। हरियाणा में सन् 1994 में पंचायत चुनाव में 1978 महिला सरपंच चुनकर आई थी जो अधिकतर 45 व ऊपर की आयु की थी। युवतियों को चुनाव में नहीं लाया गया कि वे घर में पर्दे में रहती थी। ऐसा करने से शिक्षित महिलाऐं पंचायतों से चुनकर नहीं आई। यूनिसेफ ने मध्यप्रदेश में महिला पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अनेक प्रशिक्षण शिविर लगाए थे। उनको घूंघट की समस्या महिला व प्रशिक्षक के मध्य आई। घूंघट के कारण न तो वे ब्लैक बोर्ड, न टी.वी. को भली भाति देख पाती थी। पंचायत कर्मचारियों से भी घूंघट होने के कारण वे अपनी बात अच्छी तरह नही बता पाती थी। पर्दा वास्तव में महिलाओं को शर्मिला व साहसहीन बना देता है। पर्दा महिलाओं की प्रभावशीलता को भी प्रभावित करता है। बहस के दौरान पर्दे के भीतर महिलाऐं न अपनी बात औरों को बता पाती है और न औरों की बात अच्छी तरह सुन पाती है। महिला प्रतिनिधियों की बडी समस्या शिक्षित न होना है। इस कारण से सामाजिक आदेशों का बिना किसी तर्क के पालन करती रहती हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्ध ान्तों की धारा 45 के अनुसार राज्य को स्वतंत्रता प्राप्ति के 10 वर्ष के अन्दर 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध करना था। लेकिन 1991 की जनगणना के अनुसार स्वतंत्रता के 44 वर्ष बीतने के बाद भी मात्र 39 प्रतिशत महिलाऐं साक्षर है। महिला साक्षरता दर में राष्ट्रीय स्तर से पिछडे बिहार 22.89 प्रतिशत, राजस्थान 20.44, अरूणाचल प्रदेश 29.69, उत्तरप्रदेश 25.31, आन्ध्रप्रदेश 32.72 और मध्यप्रदेश 28.85 प्रतिशत थी।

देश की आधी से ज्यादा निरक्षर महिलाओं की जनसंख्या उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में है। राजस्थान में आदिवासी जिलों में महिलाओं की साक्षरता दर 5 प्रतिशत से भी कम है। महिलाओं को पंचायत प्रतिनिधि बनाकर ऐसा लगता है कि उन्हें तलवार दे दी। लेकिन चलाना नहीं आता। उनके हाथ में कलम तो दे दी लेकिन लिखना नहीं आता। महिलाओं को अपना कार्य सम्पन्न करने

के लिए अपने घर वालों पर आश्रित रहना पड़त़ता है। अनपढ होने के कारण वह अपने आप तो यह देख ही नहीं सकती कि कितना पैसा पंचायत में आया है और अगर वह परिवार वालो से पूछना भी चाहती है तो उसे यह कह कर दुत्कार दिया जाता है कि तू तो अनपढ है। तेरे को क्या पता इसमें क्या है। तू तो अपना दस्तखत दे, इस कागज पर।

प्रशासनिक चुनौतियां :– 73वें संविधान संशोधन की धारा 243छ के अनुसार पंचायतें स्वायत्त शासन की संस्थाऐं है। जिसका अर्थ है कि पंचायतों को कार्यात्मक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्ता होनी जरूरी है। पंचायतों का स्तर सरकार के नियन्त्रण से मुक्त वातावरण में कार्य करना तथा उसके पास पर्याप्त कार्मिकों का होना, क्योकि अगर उनकेपास कार्य व वित्त दोनों है, लेकिन कार्य सम्पन्न करने के लिए बिना नियन्त्रण वाला वातावरण व जरूरी कार्मिक नही है तो पचायते अपनी जिम्मेदारी प्रभावी ढग से नही निभा सकेगी।

पंचायतों पर राज्य सरकार व नौकरशाही का नियन्त्रण :– राज्य पंचायती राज अधिनियमों में पंचायतों का निरीक्षण करने, पंचायतों को बर्खास्त करने, पंचायतों के प्रस्तावों को खारिज करने, पंचायतों को निर्देश देने, पंचायत प्रतिनिधियों को बर्खास्त करने से सम्बन्धित विभिन्न प्रावधान किये है। यही नहीं राज्य सरकार के हाथ में अन्तिम हथियार पंचायतों को 6 महिनों के लिए बर्खास्त करने का भी है। सिक्किम में एक वर्ष तक का प्रावधान है। असम व कर्नाटक में आयुक्त को सरपंच को हटाने व बर्खास्त करने का अधिकार है। महाराष्ट्र में स्टेंडिग समिति एवं राजस्थान में जिला परिषद् के मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को सरपंच को उसके पद से हटाने व बर्खास्त करने का अधिकार है।

पंचायत व उनके कार्मिक – पंचायतों को संविधान की धारा 243 छ की 11वीं अनुसूची के द्वारा 29 विषय हस्तांरित किये गए हैं।। इन 29 विषयों में कृषि, सामाजिक वानिकी, लघु व कुटीर उद्योग, पेयजल,

सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी निवारण कार्यक्रम, शिक्षा स्वास्थ्य व सफाई परिवार कल्याण आदि विषय शामिल है। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने व लागू करने का कार्य भी पंचायतों को सौंपा गया हैं। इस प्रकार पंचायतों के तीनों स्तरों अर्थात ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद् पंचायत को अपने स्तर पर आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजना बनाने व क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दी गई है।राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों पर नजर डालने पर पता चलता है कि अधिनियमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुव्यवस्थित प्रशासन लोगों की भागीदारी द्वारा आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है न कि स्वायत्त शासन की संस्थाऐं स्थापित करना है।

महिला प्रतिनिधियों की समस्याऐं :– लगभग पुरूषों तथा एक चौथाई महिलाओं एवं कर्मचारियो का मानना था कि पचायत गतिविधियों मे समय देने के कारण घरेलु कार्य की उपेक्षा हो रही है।

1. **जागरूकता की कमी** :– गॉव का विकास संभव है जब पंचायत के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियो को विकास सम्बन्धी उठाये जाने वाले कदमो की जानकारी हों
2. **अशिक्षित या अल्पशिक्षित** :– ग्रामीण महिलाओ का गरीबी रेखा से नीचे रहना भी समस्या है।
3. **जातिगत भेदभाव** :– दलित वर्ग की महिला प्रतिनिधियों को गॉव में कोई सुनना नहीं चाहता। गॉव में उच्च वर्ग के लोगों का ही प्रभाव रहता है। सरकारी अधिकारी भी उनके यहॉ न आकर दबग या स्थापित राजनीतिक परिवारो के यहा जाते है।
4. **सम्बन्धों से जुडा होना** :– पुरूष प्रधान समाज वर्चस्व को बनाए रखने के लिए सम्बन्धों का उपयोग कर रहा है। महिला सरपंच की खुद की कोई राय नहीं है। राजस्थान मे कुछ शब्दो का चलन आम हो गया है, जैसे सरपच पति, सरपच पुत्र।

5. **भ्रष्टाचार** :– पहले से व्यापक रूप से फैले भ्रष्टाचार के कारण भी महिलाऐं कार्य करने में असमर्थ है। उनका कहना है कि कोई भी महिला बिना हिस्सा दिए आगे नहीं बढती, जिससे ग्राम विकास में अडचन आती है।

6. **चरित्र हनन** :– गॉव का रूढिवादी नीतियों के कारण भी प्रतिनिधि कार्य करने में असमर्थ है। महिलाऐं घर से बाहर निकलकर ग्रामीण विकास का कार्य करती है, तो समाज उनके चरित्र पर उॅगली उठाकर उन्हें हतोत्साहित करता है। पुरूष सरकारी कर्मचारी अथवा अन्य किसी पुरूष से पंचायत कार्यो में मदद लेती है तो उसे प्रताड़ित किया जाता है।

7. **अविश्वास प्रस्ताव** :– 73वें संविधान संशोधन के अनुसार महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण सैद्वान्तिक तो मिल गया, परन्तु व्यवहारिकता में आरक्षित वर्ग की महिलाऐं निर्वाचित होने के बाद कई समस्याओं का सामना करती हैं। जिस पंचायत में सामान्य वर्ग के लोग अधिक संख्या में रहते है वहॉ महिला के लिए सीट आरक्षित होती है और वार्ड पंच पुरूष होते है तो वे महिला सरपंच को कार्य नहीं करने देते, उसके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटा देते है।

8. **अधिकारों के प्रति अनभिज्ञता** :– महिला जनप्रतिनिधि आरक्षण के कारण पुरूष रिश्तेदारों की प्रेरणा से पंचायती राज व्यवस्था के चुनावों में भाग लेती है और चुनाव भी जीत जाती है। लेकिन ये महिला जनप्रतिनिधि अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहती है। उन्हें यह मालूम नहीं होता की उन्हें कौन से अधिकार मिले है और उनका कैसे प्रयोग किया जाए। आरक्षित वर्ग की महिला जनप्रतिनिधि तो हमेशा पुरूषों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाती है। लोकतंत्र की सही सफलता इसमें है जब महिला जनप्रतिनिधि अपने अधिकारों का स्वयं प्रयोग करें ।

9. **दबंगो का वर्चस्व** :– पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत डरा और सहमा रहता है क्योंकि पंचायतों में वहॉ के दबंग लोगों का वर्चस्व होता है। जो पुरूष स्थानीय संस्थाओं में भाग लेना चाहते है लेकिन सीट महिला हेतु आरक्षित हो जाती है तो वे नाराज होकर महिला जनप्रतिनिधियों को कार्य नहीं करने देते । आरक्षित वर्ग की महिला जन प्रतितिनिधि तो दबंग लोगों के सामने कार्य करने में असमर्थ साबित होती हैं।

ग्रामीण महिला नेतृत्व की समस्याऐं – देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी बिना संभव नहीं है, क्योंकि देश की आधी जनसंख्या महिलाऐं है। स्थानीय स्वायत्त शासन में प्राचीन काल से ही महिलाओं की भागीदारी हुआ करती थी, किन्तु कालान्तर में महिलाओं की यह भागीदारी लगभग समाप्त सी हो गई। समाज निर्माण में महिला और पुरूष समान भूमिका का निर्वहन करते हैं। यह भी सत्य है कि सामाजिक परिवेश में दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। 20वीं सदी के अन्तिम दशक के साथ नारी को शिक्षा रोजगार एवं राजनीति के क्षेत्रों में अनेक अवसर प्रदान किये गये है। 2014 में भी अध्ययन के दौरान यह देखने को मिला कि जिन ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच हैं, वहां पुरूष वर्ग आज भी अपना वर्चस्व बनाए हुए है। ग्रामीण समाज में महिलाओं के स्तरहीन जीवन के लिए यद्यपि अनेक सामाजिक कुरीतियों को उत्तरदायी माना जा सकता है। जैसे समाज में व्याप्त पर्दा प्रथा, पुराने रीति रिवाज तथा रूढिवादिता आज भी विद्यमान हैं जिससे महिलाऐ विकास की प्रक्रिया में पर्ण भागीदारी नही निभा पारही है।

पारिवारिक समस्याऐं–परिवार मानव समाज की आधारभूत या सार्वभौमिक संस्था है। जिसका व्यक्ति से अजीव समन्वय होता है। व्यक्ति को ऊँचा उठाने व गिराने में उसकी अहम् भूमिका होती है। अनौपचारिक विचार विमर्श करने पर पता चला कि 80 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों के सम्मुख सबसे बडी चुनौती के रूप में उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी व परिवार का परम्परागत स्वरूप होना है। महिलाऐं परिवार

की देखभाल व घर का काम करने के कारण बैठकों में भाग नहीं ले पाती है। खासतौर पर ग्रामो मे 85 प्रतिशत महिला सदस्यो का व्यवसाय कृषि है, कृषि कार्य के कारण भी वे बैठकों मे नही जा सकती एव अपनी भमिका अदा नही कर पाती है।

बाहुबल का प्रभुत्व – पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के बारे में आमतौर पर आरक्षित पदों पर वे ही दलित विजयी होकर आते है। जिनके ऊपर ग्रामीण क्षेत्र से सर्वथा बाहुबलियों का प्रभुत्व है व पंचायती राज संस्थाओं की अनौपचारिक बैठकों में ग्रामीण समाज में ये बाहुबलि दलित मुखौटा प्रतिनिधियों द्वारा अपना उल्लू सीधा करते है। इस प्रकार योग्य उम्मीदवार चुनकर नही आ पाती और अगर आ भी जाती है तो वे किसी मामले पर स्वविवेक से निर्णय नही ले पाती है और महिला हितों, कार्यक्रमों की उपेक्षा होती है।

सामाजिक रूढियॉ तथा परम्पराऐं – ग्रामीण समाज अत्यन्त पिछडा तथा रूढिवादी है। वहां महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी परम्पराऐं आज भी कायम है कि स्त्रियॉ घर की चार दीवारी से बाहर निकल कर पंचायतों में अपनी सक्रिय भूमिका, अन्तर्जातिय विवाह, बाल विवाह का समर्थन आदि में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रही है। शोध के सर्वेक्षण में सामने आया कि लगभग 85 प्रतिशत महिला सरपंचों की शादी 18 वर्ष की आयु से पूर्व ही हो चुकी थी।

जाति प्रथा – यद्यपि भारतीय संविधान जातीय भेदभावों को प्रश्रय नहीं देता, फिर भी भारतीय समाज में जीवन के हर क्षेत्र में जाति की स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। इससे कोई चाहकर भी नहीं बच सकता। आज भी गांवों में जाति वाद विद्यमान है। गंगापुर सिटी की पंचायत समिति में गुर्जर, मीना जाति का वर्चस्व है।

राजनैतिक समस्याऐं – देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है, क्योंकि देश की जनसंख्या में

आधी महिलाऐं है। लेकिन राजनीति में निरन्तर बढती जा रही हिंसा, अपराधीकरण, चरित्र हनन, वंशवाद, भ्रष्टाचार आदि के कारण ग्रामीण परिवारों की महिलाऐं सक्रिय राजनीति को अपना कार्यक्षेत्र नहीं बना पाती।

भारत में पंचायती राज – सकारात्मक पक्ष – शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ रूप अर्थात लोकतंत्र की ग्रास रूट स्तर पर स्थापना पंचायती राज के माध्यम से ही संभव हुई है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की मूर्त रूप पंचायती राज संस्थाओं ने निर्धन निरक्षर, असंगठित तथा उपेक्षित ग्राम जनो को आवाज एव जुबान दोनो दी है। इस सुख को वही बता सकताहै जिसने इसे वास्तव में भोगा है। स्वतत्रता के इन छः दशकों मे विश्व भर मे कौतहल का विषय रहा है कि तमाम प्रकार की विसंगतियों के उपरान्त भी भारतीय लोकतंत्र जीवित कैसे है? विगत कुछ दशक निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए झंझावत ही थे जो उसने अपनी सनातन परम्परा के द्वारा सहज ही झेले भी है। लोकसभा एवं विधान सभा चुनावों में कम मतदान की जो उदासीनता प्रदर्शित होती है। वह पंचायत चुनाव में उडन छ हो जाती है। वैसे भी स्थानीय सस्थाऐ पचायती राज लोकतत्र की पाठशाला कही जाती है।

आज भारत को दुनिया का सबसे बडा लोकतंत्रा कहा जाता है, क्योंकि भारत में न केवल संघीय एवं प्रान्तीय सरकारें प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सशक्त प्रमाण हैं। बल्कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकारें भी हैं। भारत में कुल जन प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 31 लाख है। जिनमें पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 22 लाख जन प्रतिनिधि चुने जाते है। जिनमें महिलाओं का एक बडा हिस्सा है। सामान्यतया हर वार्ड पंच के निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 340 व्यक्ति (70 परिवार) सम्मिलित होते है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का इससे बडा उदाहरण क्या हो सकता है?

73वें संविधान संशोधन के पश्चात् पंचायती राज संस्थाओं को संस्थागत या संरचनात्मक स्वरूप प्राप्त हो चुका है। अर्थात इन

संस्थाओं की स्थापना निर्वाचन तथा आरक्षण व्यवस्था नियमित प्रक्रिया बन चुकी है जो कि पूर्व के दशकों मे स्थायित्व प्राप्त नहीं थी। अब चाहे कैसी भी विषम परिस्थितियॉ हो ये संस्थाऐं विद्यमान रहेंगी। हाँ, इनका कार्यक्षेत्र, प्रकृति एवं स्वरूप परिवर्तित हो सकता है लेकिन कदम आगे की ओर ही बढेगे यह निश्चित हो चुका है।

आरक्षण व्यवस्था ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों एवं महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण हुआ है। महिलाओं को मिले आरक्षण में पुरूष प्रधान समाज में घूॅघट में सिसक रही "आधी दुनिया" की सारी दुनिया ही बदल दी हैं। अग्र राजस्थान में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है।

भारत में पंचायती राज : नकारात्क पक्ष – पंचायती राज के कारण गांवों का परम्परागत प्रेम, सौहार्द तथा भाईचारा समाप्त हो गया है। वस्तुतः इसके लिए सीधे ही पचायती राजको दोषी नही कहा जा सकता है। लेकिन यह भी सत्य है कि लोकसभा चुनावों मे जो गांव 40–45 प्रतिशत वोट डालता है, वह पंचायत चुनाव में 90–95 प्रतिशत वोट देता है। मूँछों की लडाई के रूप में लडे जाने वाले पंचायत चुनावों में हिंसा भी खूब होती है तथा भाई–भतीजावाद से लेकर जातिवाद तक तथा राजनीतिक विद्वेषों से लेकर भ्रष्ट आचरण तक सब कुछ सरे आम सिर चढकर बोलता है। संविधान, कानून तथा अनुशासन किसी कोने में दफन हो जाता है तथा एक अजीब सा भयनुमा एवं परस्पर अविश्वास से भरा वातावरण बन जाता है।

संभवतः यह आश्चर्य का विषय है कि ग्रामीण क्षेत्रों की राजनीति किसी दंगल या अखाडे से कम नहीं होती हैं। स्थिति यह है कि एक ग्राम पंचायत में एक साथ चार सरपंच कार्य करते है। जैसे कि –

1. **पदासीन सरपंच** – वास्तविक जो चुनाव जीतकर आया है।
2. **हारा हुआ सरपच** – हारा हुआ उम्मीदवार, जिसके समर्थक पदासीन सरपच का विरोध करते है।

3. **निवर्तमान सरपंच** – वर्तमान पदासीन सरपंच से पूर्व कार्यरत रहा सरपंच हाल ही में पूर्ण हुए निर्माण कार्यो के पूर्णतः प्रमाण पत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र, मस्टररोल तथा माप पुस्तिका इत्यादि कार्य करता है। अतः उसका महत्व बना रहता है।
4. **भावी सरपंच** – वह महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो भविष्य में सरपंच बनना चाहता है। वह प्रत्येक कार्य में अपना महत्व जताने हेतु विरोध एवं संघर्ष का नारा देता रहता है। यद्यपि आज के पंचायती राज की ग्राम सभा संवैधानिक स्तर प्राप्त निकाय है। किन्तु कुछ यथार्थ यह है कि ग्राम सभा की बैठक मात्र एक औपचारिकता बनकर रह गई है।

लेकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती हैं। प्रस्तुत शोध के अध्ययन से यह सामने आया है कि महिला सरपंच गरीब हो या अमीर अब आने निर्णय स्वय लेने लगी है। प्रशासनिक अधिकारियो की बाध्यता के कारण महिला सरपच के पुरूष सहयोगी चाहकर भी बैठकों में भाग नही ले पाते है। अब महिला सरपंच निरक्षर नहीं हैं। वो अब अंगूठा नहीं लगाती। अब उनका दुरूपयोग नहीं किया जा सकता। महिला सरपंचों को योजनाओं का ज्ञान भले नहीं हो, परन्तु व`अब पूर्ण सजगता से कार्य करती हैं। स्थानीय पंचायत स्तर पर महिला प्रतिनिधि होने के कारण वहां की महिलाऐं अब अपनी समस्याओं को सरपंच तक आसानी से पहुंचा सकती है। प्रस्तुत शोध का ध्येय यही है कि महिला जन प्रतिनिधियों के सहारे महिला सशक्तीकरण हो सके। सामान्य वर्ग, अनुसचित जाति,जनजाति एव अन्य पिछडे वर्ग की महिलाओ मे जन सहभागिता बढाई जा सके।

13

महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व

महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से हैं जिसमें महिलाओं के लिए सर्वसम्पन्न और विकसित होने हेतु संभावनाओं के द्वारा खुले नए विकल्प तैयार हों। महिलाएँ समाज के लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक सहभागिता लगभग नगण्य रही है। वर्तमान पंचायती राज सामाजिक समता और न्याय, आर्थिक विकास और व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आधारित ग्रामीण जीवन को नया रूप देने का एक सामूहिक प्रयास है। इसी क्रम में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी महिला सशक्तिकरण के लिये हो रहे प्रयासों का प्रमुख घटक हैं। महिलाओं को प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था से समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं को पंचायत राज संस्थाओं में स्थान प्राप्त हुआ है। महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक भूमिका स्वतंत्रता के पश्चात से नगण्य रहने के कारण इन्हें पिछड़ें वर्गों में रखकर आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है संपूर्ण महिला वर्ग में भी वर्गों के आधार पर महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति में अंतर है। राजनीति का क्षेत्र भी महिलाओं के प्रभाव से अछूता नहीं है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जिसमें जनता के द्वारा देश की संचालन व्यवस्था हेतु अपने मत

में जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है और इन्हीं जनप्रतिनिधियों के द्व ारा सत्ता में पहुॅच कर देश की नीतियों एवं दिशा निर्देशों को बनाया एवम् क्रियान्वित किया जाता है। देश की राजनीति में महिलाओं की भूमिका शुरूआत के दिनों में अशिक्षा, पर्दाप्रथा के कारण कम भी लेकिन जैसे–जैसे सामाजिक कुरीतियॉ खत्म हो रही है महिलाओं की भूमिका राजनीति में मजबूत होती जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, कानून, अभियांत्रिकी, प्रबंधन के साथ–साथ राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाए आगे आ रही है और अपनी स्थिति को सुधारने के प्रयास में लगी हुई है।

यह सर्वविदित है कि हमारे देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाऐं हैं। जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को स्वीकार किया गया है क्योंकि महिला एवं पुरूष विकास रूपी गाड़ी के दो पहिए है। महिलायें राष्ट्र के विकास में उतना ही महत्व रखती हैं जितना कि पुरूष। अतः देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बगैर संभव नहीं है। भारतीय महिलाओं ने देश दुनिया के विभिन्न क्षेत्र में अपना सम्मानित स्थान बनाया है। आज महिलाऐं बेहतर रोजगार के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नही जहां महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो। राष्ट्र के विकास की अग्रदूत बनी महिलाओं द्वारा देश ही नही वरन् विदेशों में भी अपने राष्ट्र का परचम लहराया है यह सब अथक प्रयासों के द्वारा धीरे–धीरे संभव हो पाया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व महिलाओं की स्थिति अत्यन्त सोचनीय थी। वह शोषण तथा कुप्रथा जैसी विसंगतियों का शिकार थी। समाज में कई प्रकार की रूढ़िया, अंधविश्वास व्याप्त थे। महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी एवं परम्परागत सोच स्त्री को पिता, पति या पुत्र का आश्रित मानते हुए उसे मुख्य रूप से घर की चारदीवारी तक सीमित रखा गया। जिसका मुख्य कारण तात्कालिक सामाजिक विचार का पिछड़ापन तथा स्त्रियों का अज्ञानता के बंधन में जकड़ा होना था। स्वतंत्रता के बाद से ही नारी के स्वरूप

में तेजी से परिवर्तन आया है। जिस देश में नारी को घर की दहलीज से बाहर निकलने की आज्ञा नही थी, उसी देश में आज नारी पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। वह घर की चारदीवारी से निकलकर अंतरिक्ष तक जा पहुंची है। जिस देश की नारी जागृत, शिक्षित तथा गुणवत्ती होती है वही देश संसार में सबसे अधिक उन्नति करता है इसी विचार धारा को ध्यान में रखकर हमारे यहां स्त्रियों को पुरूषों के बराबर अधिकार प्रदान किये गये और इनके लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था की गयी, तब किसी ने सोचा भी न था कि वह पिछड़ा हुआ नारी वर्ग पुरूषों से भी आगे निकल जायेगा। शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा महिलाओं की रोजगार तथा स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारा जा सकता है।

हमारा समाज मूल रूप से पुरूष प्रधान रहा है। पहले महिलाओं के पास किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता न होने के कारण उसकी सामाजिक व पारिवारिक स्थिति एक पराश्रित से अधिक नहीं थी। जिसे हर कदम पर एक पुरूष के सहारे की जरूरत होती थी। वैसे तो आजादी के बाद से ही महिला उत्थान के उद्देश्य से विभिन्न प्रयास किये जाते रहें है। लेकिन पिछले कुछ वर्षो में महिला सशक्तिकरण की कार्य में तेजी आयी है। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप महिलाओं के आत्म विश्वास में बढ़ोत्तरी हुयी है। वे किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार करने लगी है। एक ओर जहॉ केन्द्र व राज्यों की सरकारें महिला उत्थान की नई–नई योजनायें बनाने लगीं है। वहीं कई गैर सरकारी संगठन भी उनके अधिकारों के लिये उनकी आवाज बुलन्द करने लगें है। महिला में ऐसी प्रबल भावना को उजागर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। कि वह अपने अन्दर छिपी की ताकत को सामने लाकर बिना किसी सहारे के आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकें।

सृष्टि की उत्पत्ति एवं सभ्यता के विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। पुराणों के अनुसार चाहे धर्म की रक्षा हो या

उसकी पुर्नस्थापना इन सभी कार्यो को आदि शक्ति मॉ जगदम्बा ने ही पूर्ण किया है। सीता, सावित्री के धर्मपालन को आज भी आदर्श के रूप में समाज में माना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई, मदरटेरेसा के वीरता बलिदान तथा सेवा की मिशालें आज भी हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान करती है।

महिलाए कई रूपों में जीवन व्यतीत करते हुए एक सभ्य एवम् सुसंस्कृत समाज की निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह कभी बेटी के रूप में कभी बहन के रूप में तो कभी पत्नी एवम् प्रेमिका के रूप में कभी मॉ के रूप में समाज को विकसित एवं परिमार्जित करने का अथक प्रयास करती रहती है।

समाज की प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरा करने में महिलाऍ पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलती है। समाज में विकास में सहभागिता का जो सम्मान उन्हें प्राप्त होना चाहिए या वह नही मिल पाया है। क्योंकि इस सभ्य समाज में पुरूषवर्ग का वर्चस्व विद्यमान है। पुरूष वर्ग हर क्षेत्र में महिलाओं के सहयोग से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते है लेकिन जब सम्मान एवं अधिकार की बात आती है तो महिलाऍ पुरूषों से कहीं पीछे छूट जाती है। महिलाओं को अपने अस्तित्व की बार–बार लड़ाई लड़नी पड़ती है लेकिन यह प्रकृति गवाह है कि जब भी समाज में कोई परिवर्तन या क्रांति हुई है महिलाओं ने उस पर अपना सर्वस्व अर्पण किया है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा दिशा–निर्देशक सिद्धांतों में लैंगिक समानता के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। संविधान न केवल महिलाओं की समानता को सुनिश्चित करता है, बल्कि राज्यों को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव का निर्देश देता है।

लोकतांत्रिक राजनीति के ढांचे में हमारे कानून, विकास नीतियां, योजनाएं तथा कार्यक्रम को विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान की

ओर उन्मुख रखा गया है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974—78) से महिला कल्याण से लेकर विकास तक के मुद्दे को उठाया जा रहा है। हाल के वर्षों में महिला सशक्तीकरण को महिला की दशा का एक केंद्रीय मुद्दा माना गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वर्ष 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई है, जिसके तहत महिला के अधिकारों तथा कानूनी अशिकारों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। संविधान का 73वां तथा 74वां संशोधन (1993) में पंचायत तथा नगर निकाय के चुनावों में महिला को आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिससे स्थानीय स्तरों पर उनकी भागीदारी का मार्ग प्रशस्त होता है।

पूर्व में किये गये कार्यो की संक्षिप्त समीक्षा

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका विषय पर पूर्व में काफी लेखन कार्य किया गया है जिसमें कई राजनीतिज्ञों एवं समाजशात्रियों ने विवेचनाए की है। जिसमें डॉ. लक्ष्मीराजी कुलश्रेष्ठ (2001) ने अपने लेख में ''पंचायती राज और महिलाएं में लिखती है कि पंचायतीराज व्यवस्था महिला आरक्षण के परिणामस्वरूप अब महिलाओं की मनः स्थिति बदल रही है। वे अब अपना पक्ष पूरी निर्भीकता तथा निष्पक्षता से बैठक में रखने लगी है। बहरहाल पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से उन्हें जो नया परिवेश मिल रहा है। वह उनके लिये प्रगति और विकास के द्वार तो खोल रहा है। पुरूष तथा स्त्री के बीच समाज में जो सामाजिक विषमता है, उसमें भी कमी हो रही है। भारतडोगरा अपने लेख ''सार्थक है महिलाओं का आरक्षण'' में निर्वाचित महिलाओं पर पारिवारिक दबाव से उत्पन्न तनावों के बारे में लिखते हैं कि राजनीतिक महत्वकांक्षा वाले पुरूष अपने परिवार की महिलाओं को अपनी निजी महत्वकांक्षा की दौड़ का साधन या मुखौटा मात्र बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आरक्षण का लाभ उठाकर उनके परिवार की महिला निर्वाचित हो, पर इसके आगे वे यह भी चाहते हैं निर्वाचित होने के बाद वे उनके दबदबे में उनके कहे अनुसार काम करें। सुधापिल्लै

ने ''पंचायतीराज द्वारा अधिकार संपन्नता'' में लिखती हैं कि संविधान के 73वें संशोधन से लगभग 10 लाख महिलायें त्रि–स्तरीय ढ़ांचे में सदस्य और अध्यक्ष पदों पर कार्यरत है। निश्चित ही इससे हाल तक ठहरें ग्रामीण समाज में बदलाव आया है। महिला आरक्षण की राजनीति शीर्षक में राजनाथ सिंह सूर्य ने स्पष्ट किया कि सभी राजनीति दल महिला आरक्षण पर राजनीति कर रहे हैं। पंचायतों की तरह विधानसभा तथा लोकसभा में पिछड़े वर्ग की महिला तथा मुस्लिम महिलाओं के लिए भी मुस्लिम सांसदों ने पहली बार आरक्षण की मांग की।

भारत में सैद्धान्तिक रूप से आज, आदि और हमेशा से ही नारी की मर्यादा है कहा जाता है कि समाज में नारी का स्थान पुरूष के समान ही है न कम और न अधिक प्राचीन काल से आज तक महिलाओं की राजनीतिक व सामाजिक स्थिति में काफी उतार चढ़ाव आए हैं आधी दुनिया को प्रतिष्ठा व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। तो कभी उन्हे दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। आजादी से पूर्व भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नही थी। ब्रिटिश शासकों के जाने के पश्चात जब भारतवासियों को आजादी मिली तो हमारे नीति को आजादी मिली तो हमारे नीति निर्धारकों ने महिलाओ की सामाजिक, राज नीतिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास करने प्रारम्भ कर दिए, क्योंकि आधी दुनिया के विकास की दौड़ में पीछे रह जाने पर कोई भी राष्ट्र अपने समग्र विकास का दावा नहीं कर सकता फलस्वरूप आजादी के बाद शुरू हुआ महिला सशक्तिकरण का आन्दोलन आज भी जारी है। इस दौरान इसे कुछ असफलताए मिलीं तो इसके खाते में बहुत सी सफलताए भी दर्ज हैं सरकार ने वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया है। जिसका उद्देश्य महिला अधिकारों और उससे संबंधित मुद्दो के बारे में व्यापक जागरूकता लाना है। आज भी नारी सशक्तिकरण का नारा चारो ओर ध्वनित हो रहा है इसके पीछे यह भावना निहित है कि नारी को शक्ति सम्पन्न बनाना उसको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। आज उसकी सोच

का दायरा विस्तृत होता जा रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में वह सफलता चाहती है। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में महिला, पुरूष जाति की सोच में परिवर्तन को रह ढूढ रही है। सशक्तिकरण एवं शिक्षा के बीच संबंध महिला का विकास शिक्षित होने में ही निहित है। तभी वह आर्थिक तौर पर सशक्त बन सकेगी।

आधुनिकता की ओर अग्रसर करने में भी शिक्षा सहयोगी है। शिक्षा के द्वारा ही महिलाएँ प्राचीन समय की अच्छाइयों बुराइयों से लेकर नये समाज से संबंधित कुरीतियों, अंधविश्वास से हट कर नये समाज के निर्माण में सहयोग दे रही है, यही कारण है कि आज की नारी पुरानी परंपराओं से दूर होती जा रही है। आज गांवों में भी आधुनिकता दिखाई पड़ रही है। जिसके प्रभाव के कारण आज महिलाऍं स्कूल, कॉलेज, बैंक, अस्पताल, आफिस में स्वयं जाकर अपना कार्य कर रही है और आत्मनिर्भर होती जा रही है।

महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को आज समाज की स्थिति के विकास के एक निर्धारक के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि महिलाएं प्रत्यक्षतः तथा अप्रत्यक्षतः राजनीतिक क्रियाओं में योगदान देती है। वह समस्त पारिवारिक दायित्वों को बोझ उठाकर पुरूषों को केवल राजनीतिक क्रियाएं सम्पादित करने का पूरा समय व अवसर प्रदान करती हैं अथवा स्वयः भी पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के साथ–साथ पुरूषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर राजनीतिक क्रियाओं में संलग्न होती है। आज भागीदारी की दृष्टि से कृषि, पशु व्यवसाय, हैण्डलूम आदि में महिलाओं के अनुपात में काफी सीमा तक वृद्धि हुई है। पिछले दशक में महिलाओं की क्रियाओं से सम्बन्धित नये आयाम उभरकर सामने आये है। अब महिलायें इलेक्ट्रानिक्स, टेली कम्यूनिकेशन, उपभोक्ता उत्पादन, संगठित क्षेत्र के उद्योग, विधि, चिकित्सा, प्रशासनिक तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यवसायी में भाग ले रही है। महिलाओं के लिए कार्य शब्द का कोई अर्थ, परिभाषा व सीमा निर्धारित नहीं है। यद्यपि महिलाऍं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 60–80 प्रतिशत तक

योगदान देती हैं तथापि उनकी बहुत सारी क्रियाओं को सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सम्मलित नही किया जाता है। अनुमानों के आधार पर महिलाओं की अभुगतानिक श्रम की नकद वार्षिक कीमत लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर होती है जो विश्व के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक तिहाई भाग है। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की आर्थिक क्रियाओं में संलग्नता विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

महिलाओं का राजनीति में प्रवेश के कारण से सामाजिक संगठन में 10 प्रतिशत परिवर्तन हुए हैं। भौतिक जगत में महिलाओं का राजनीति में प्रवेश के कारण से ही परिवर्तन संभव हुआ है। समाज के भौतिक जगत में जो परिवर्तन हुए है, वे महिलाओं का राजनीति में प्रवेश के कारण से हुआ है। समाज शांत समाज या सरल समाज के प्रभाव से हुआ है। महिलाओं का राजनीति में प्रवेश के कारण से समाज भी नगरीय समाज की तरह ही धीरे–धीरे विकसित हो रहा है।

महिलाओं का राजनीति में प्रवेश के कारण से परिवार में भी परिवर्तन हुआ है। समाज में मुखतः संयुक्त परिवार होते है। लेकिन महिलाओं का राजनीति में प्रवेश के कारण से ग्रामीण परिवार का आकार लघु हो गया है।

समाज में सामाजिक संबंध प्राथमिकता आमने–सामने के होते है। इनमें हम की भावना पायी जाती है, लेकिन महिलाओं का राजनीति में प्रवेश के कारण से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आ गया है। प्राथमिक संबंधों के स्थान पर द्वितीयक तथा अप्रत्यक्ष संबंध बनते जा रहे है इसके कारण हम के स्थान पर व्यक्तिवादिता की भावना का जन्म हुआ है।

महिलाओं का राजनीति में प्रवेश के कारण प्रमुख सामाजिक परिणाम निम्न है–

महिलाओं का राजनीति में प्रवेश के कारण समाज से परम्परागत आधार टूट चुके है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से 20 प्रतिशत वृहद समाजों का जन्म हुआ है।

महिलाओं का राजनीति में प्रवेश के कारण जहां एक ओर परम्परागत प्रदत्त पदो ंके महत्व में कमी होती है वहीं दूसरी ओर अर्जित पदों की संख्या 30 प्रतिशत बढ़ी है। आधुनिकीकरण प्राथमिक समूहों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उसके कारण उनका संगठन शिथिल हो जाता है। प्राथमिक सम्बन्ध छूटते जाते है जिसकें फलस्वरूप द्वितीय संगठनों 20 प्रतिशत का निर्माण हुआ है।

महिलाओं का राजनीति में प्रवेश के कारण आर्थिक क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है। इस प्रकार आर्थिक परिणाम निम्नलिखित हैं–

महिलाओं का राजनीति में प्रवेश के कारण समाज में भी औद्योगिक इकाइयों का महत्व बढ़ता जा रहा है। परम्परागत उद्योगों के प्रति उपेक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित हो गया है। गृह–उद्योग समाप्त होते जा रहें है और उनके स्थान पर नवीन औद्योगिक संरचना का विकास हो गया है।

नगरीकरण ही आधुनिकीकरण का दूसरा परिणाम है। शिक्षा, उद्योग आवागमन और सन्देशवाहन के साधनों में वृद्धि के कारण नगरीकरण का विकास होता जा रहा है। विशेषीकरण आधुनिक औद्योगिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। औद्योगिक श्रमिकों को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इस प्रशिक्षण के अनुसार उन्हें कार्य दिये जाते है। जो जिस कार्य का विशेषज्ञ होता था उसे वही कार्य सौपा जाता है ताकि उस कार्य को सफलता पूर्वक अंजाम दे सकें।

वैश्विक परिदृश्य में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता

विश्व के अधिकांश देशों में राजनीति में महिलाओं की सहभागिता कम ही है। महिलाएं विश्व की आबादी का आधा भाग है लेकिन विश्व के विभिन्न देशों की संसद में महिला प्रतिनिधित्व मात्र 20.87 प्रतिशत है। विश्व के सभी देशों में महिलाओं को वैधानिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन राजनीति में भी लैंगिक असमानता व्याप्त है। विश्व स्तर पर राजनति में महिला सहभागिता बहुत कम है। विश्व में स्वीडन,

अर्जेन्टीना तथा रवांडा में महिला की राजनीतिक सहभागिता उच्च स्तर की है। रवांडा तथा एंनडोरा में महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत है। क्यूबा तथा स्वीडन की संसद में महिला सहभागिता क्रमशः 48.9 प्रतिशत तथा 44.7 प्रतिशत है। अतः विश्व की संसद में महिलाओं की औसत संख्या पुरूषों की तुलना में कम है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष तथा 1970 के दशक को महिला दशक घोषित किए जाने के बावजूद भी महिलाएं विकास की मुख्य धारा में पिछड़ी हुई है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट, 2013 के अनुसार 185 देशों में मानव विकास सूचकांक के अनुसार रवांडा (जो कि विकासशील देशों की सूची में सम्मिलित है) में राजनीति में महिला सहभागिता 56.3 प्रतिशत है तथा क्यूबा और स्वीडन (जो कि विकसित देश है) में राजनीति में महिला सहभागिता क्रमशः 48.9 प्रतिशत और 44.7 प्रतिशत है। विश्व में जो कि विकसित देश है, राजनीति में महिला सहभागिता के क्षेत्र में पिछड़े है। आईपी. यू. की रिपोर्ट 2013 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान 78 है, जो कि अर्जेन्टीना (18), नेपाल (24), यूगांडा (21) से नीचे है। पाकिस्तान का स्थान 58 तथा बांग्लादेश का स्थान 71 तथा भारत का 110 वां स्थान है। विश्व में विकसित देशों में महिला सहभागिता कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्र प्रमुख पद पर कभी कोई महिला आसीन नहीं हुई, जबकि श्रीलंका, फिलीपीन्स, इंडोनेशिया तथा भारत में महिलाएं राष्ट्र प्रमुख के पद पर आसीन रही है।

राजनीतिक क्षेत्र में महिला सहभागिता अन्य क्षेत्रों (शिक्षा, रोजगार) की अपेक्षा कम है। महिलाओं की शिक्षा तथा परम्परागत पुरूष प्रधान रोजगार क्षेत्रों में संख्या बढ़ी है लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में अभी महिलाओं को दोयम दर्जा प्राप्त है। पुरूष प्रधान राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बहुत कम है तथा वे इस क्षेत्र में अभी बूँद मात्र है।

राजस्थान में महिला प्रस्थिति

'राजस्थान', राजाओं के निवास के प्रान्त को स्थानीय साहित्य में 'रायथान' कहते थे। इसी का संस्कृत रूप राजस्थान बना। राजस्थान के समाज में प्राचीन काल से महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं रही। समाज में संयुक्त परिवार तथा पितृसत्तात्मकता का प्रचलन रहा। प्राचीन काल में समाज में महिलाओं को शिक्षा मध्यम तथा राजपरिवारों में दी जाती थी। 15वीं शताब्दी के जावर के शिलालेख में महाराणा कुम्भा की पुत्री रमाबाई के संगीतज्ञ एवम् हिन्दुशास्त्रविद होने के प्रमाण है। मीराबाई हिन्दू दर्शन एवम् काव्य रचना में निपुण थी। राजस्थान में कई साहित्यिक ग्रन्थ ऐसे है, जिनको राजकुमारियां, समृद्ध परिवार की स्त्रियाँ तथा रानियाँ नियमित रूप से पढ़ती थी। मध्यम वर्ग की स्त्रियाँ भी शिक्षा में रूचि लेती थी। साधारण दासियों द्वारा लिखे गये पत्र बीकानेर अभिलेखागार में सुरक्षित है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि इस वर्ग में महिलाएं विद्याध्ययन में रूचि रखती थी, परन्तु फिर भी समाज में स्त्री शिक्षा कम लोकप्रिय थी। राजस्थान में समाज में बहुपत्नी प्रथा तथा कन्या वध का भी प्रचलन था। उन्नीसवीं सदी में राजपूतों के लिए आवश्यक दहेज जुटा पाना कठिन होने के कारण समाज में कन्यावध की प्रथा को प्रोत्साहन मिला। कर्नल टॉड के अनुसार राजपूतों में जागीरों के छोटे – छोटे टुकड़ों में बंटने तथा पुत्रियों के लिए उचित दहेज देने में असमर्थता कन्या वध का प्रमुख कारण रही। राजस्थान में कन्या को अफीम देकर मारने का भी प्रचलन रहा। राजस्थान में अंगेजी राज की स्थापना के पश्चात् सर्वप्रथम 1834 ई . में कोटा राज्य में कन्या वध को अवैध घोषित किया। राजस्थान में महिलाओं पर डाकन का आरोप लगाकर मार डालने की प्रथा का भी प्रचलन रहा है। कोटा राज्य में यह काफी प्रचलित थी।

आज भी समाज में इस प्रथा का प्रचलन है। सर्वप्रथम 1853 में उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा को अवैध घोषित किया गया। इस समाज में सती प्रथा, बालविवाह का भी अत्यधिक प्रचलन रहा है। राजस्थान में

आज भी अक्षय तृतीय पर बालविवाह होते है, जबकि स्वतंत्र भारत में उसके विरूद्ध कानून है। राजस्थान के समाज में महिलाओं को पुरूषों के समान स्थान प्रदान नहीं किया गया। राजस्थानी समाज में प्रचलित व्रत तथा त्यौहार जैसे गणगौर, हरतालिका तीज, कजली तीज आदि के द्वारा महिलाओं व कन्याओं को समाज में पित्रसत्तात्मक व्यवस्था को अवचेतन रूप में स्वीकृत करवाया जाता है। विवाह के पश्चात् करवाचौथ व्रत के द्वारा महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पति के उच्च स्थान को स्वीकार करती है।

राजस्थान में समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी न होने के बावजूद भी स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाऐं क्रियाशील रही। बीकानेर की खेत बाई, जयपुर की नारंगी देवी, अजमेर की गीता बाई, कोटा की रामप्यारी आदि ऐसी महिलाएं थी जिन्होने राष्ट्रीय आन्दोलन में राजस्थान की 31 महिलाओं का नेतृत्व किया। राजस्थान में अभिजात्य वर्ग के जननेताओं के परिवार की महिलाओं की राजनीति में सहभागिता रही। राजस्थान के समाज में महिलाओं को पुरूषों के समान स्थान प्रदान नहीं किया गया। राजस्थानी समाज में प्रचलित व्रत तथा त्यौहार जैसे गणगौर, हरतालिका तीज, कजली तीज आदि के द्वारा महिलाओं व कन्याओं को समाज में पित्रसत्तात्मक व्यवस्था को अवचेतन रूप में स्वीकृत करवाया जाता है। विवाह के पश्चात् करवाचौथ व्रत के द्वारा महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पति के उच्च स्थान को स्वीकार करती है।

समाज में महिला पुरूष के मध्य श्रम विभाजन भी महिलाओं को दोयम दर्जा प्रदान करता है। समाज में आज भी कन्या भ्रूण हत्या का प्रचलन है। 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरूषों पर 926 महिलाएँ है। आज भी महिलाएँ समाज में हिंसा, पर्दाप्रथा आदि का सामना कर रही है। राजस्थान में महिलाओं में शिक्षा की धीमी गति है, राजनीति में महिला सहभागिता बहुत कम है। हाड़ौती क्षेत्र से 2009 के लोकसभा चुनावों में मात्र दो

महिलाऐं ही प्रत्याशी थी। केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर महिला विकास हेतु कदम उठाये जाते रहे है, परन्तु फिर भी राजनीति में महिलाओं की संख्या बहुत कम है।

नारीवाद

प्रत्येक समाज में उच्चता व निम्नता का विचार स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहा है तथा यही विचार समाज में महिलाओं के सम्बन्ध में भी विद्यमान रहा है। इस विचार को चुनौती नारीवादी विचारधारा द्वारा दी गई। नारीवाद का प्रमुख उद्देश्य पितृसत्ता को चुनौती देना है। गर्डा लर्नर के अनुसार परिवार में महिलाओं और बच्चों पर पुरूषों के वर्चस्व की अभिव्यक्ति और संस्थागतकरण तथा सामान्य रूप से महिलाओं पर पुरूषों के सामाजिक वर्चस्व का विस्तार है। इसका अभिप्राय यह है कि समाज के सभी महत्वपूर्ण सत्ता प्रतिष्ठानों पर पुरूषों का नियंत्रण रहता है और महिलाएं ऐसी सत्ता तक पहुंच से वंचित रहती है। नारीवाद एक विचारधारा है, जो कि समानता पर आधारित है। नारीवाद के अनुसार महिलाओं को भी समाज में पुरूषों के समान वैधानिक, राजनैतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इस विचारधारा में महिला व पुरूष में विद्यमान असमानता का विरोध किया गया है। इनके अनुसार जेंडर का संबंध संस्कृति से तथा लिंग का संबंध प्रकृति से है। महिला व पुरूष के मध्य असमानता प्राकृतिक आधार पर नहीं वरन् असमान शक्ति संबंधों के कारण है जो कि समाज द्वारा स्वीकृत है। इस विचारधारा के अनुसार पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत महिला व पुरूष को निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया है। महिलाओं का संबंध निजी क्षेत्र अर्थात् वे शक्तिहीन है तथा पुरूषों का संबंध सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात् शक्ति तथा निर्णय प्रक्रिया से है। नारीवादी आन्दोलन के इतिहास की शुरूआत मूलतः फ्रांस की क्रांति से हुई।

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता

राजनीतिक क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण के लिए महिलाओं की

राजनीति में सहभागिता को बढ़ाना आवश्यक है। महिलाओं की न्यून राजनीतिक सहभागिता विभिन्न अध्ययनों का विषय रही है क्योंकि राजनीति निर्णय निर्माण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जहाँ कि राजनेताओं द्वारा लिए गए निर्णय समाज को प्रभावित करते है। राजनीति में शक्ति निहित है, जो कि अन्य सामाजिक संस्थाओं (परिवार, शिक्षा आदि) पर विधि के द्वारा अपने निर्णयों को लागू करती है। राजनीतिक पद पर आसीन व्यक्ति के पास सत्ता केन्द्रित होती है, जो कि उसे समाज के लिए वैधानिक निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है।

विश्व स्तर पर महिलाओं की राजनीति में सहभागिता बहुत कम है। महिलाएं विश्व की आबादी का आधा भाग है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर राष्ट्रीय संसंद में उनकी सहभागिता पचास प्रतिशत भी नहीं है। इस तथ्य को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी विभिन्न सम्मेलनों में उठाया गया है तथा इस बात पर बल दिया गया कि महिला व पुरूष का राजनीति में प्रतिनिधित्व समान अनुपात में होना चाहिए।

व्यक्ति की राजनीतिक सक्रियता की प्रेरणा क्या है ? किसी देश में राजनीतिक प्रवेश की प्रथम सीढ़ी केवल राजनीतिक दल की सदस्यता प्राप्त करना ही नहीं है वरन् महिला/व्यक्ति के राजनीति में प्रवेश के लिए प्राथमिक स्तर पर महिला में राजनीतिक महत्वकांक्षा का होना जरूरी है। द्वितीय, राजनीतिक दल द्वारा समर्थन प्राप्त करना, तृतीय – प्रतिनिधि के रूप में जनमत का समर्थन तथा चतुर्थ स्तर पर महिलाएं राष्ट्रीय/स्थानीय विधायिकाओं में प्रवेश करती है। नोरिस ने महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता का मॉडल दिया है, जिसे माटलैन्ड द्वारा परिष्कृत किया गया है। माटलैण्ड के अनुसार महिलाओं में राजनीति में प्रवेश के लिए राजनीतिक महत्वकांक्षा, संसाधन होने जरूरी है तथा राजनीतिक दल द्वारा चुनावों में उम्मीदवार के रूप समर्थन प्राप्त होना चाहिए तथा अंतिम चरण के रूप में मतदाता द्वारा मत देकर विधायक के रूप में चुना जाना चाहिए।

महिला सशक्तीकरण

सशक्तीकरण एक बहुआयामी धारणा है। इसका सम्बन्ध व्यक्ति की सामाजिक उपलब्धियों, आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता से जुड़ा होता है। सशक्तीकरण एक सतत् प्रक्रिया है जिसका सम्बन्ध निर्णय लेने की क्षमता, लोकतान्त्रिक माध्यम से दूसरों की धारणाओं को बदलने की क्षमता, परिवर्तन के सम्बन्ध में सकारात्मक सोच आदि से है। बाटलीवाला (1994) के अनुसार, सशक्तीकरण का अर्थ संसाधनों (भौतिक तथा बौद्धिक) तथा विचारधारा पर नियंत्रण से है। यह मौजूदा शक्ति सम्बन्धों को चुनौती देने की और शक्ति के स्त्रोत पर अधिक नियंत्रण पाने की प्रक्रिया है अर्थात् सशक्तीकरण का तात्पर्य शक्ति की वृद्धि से है। सुषमा सहाय (1998) के अनुसार सामान्य रूप से सशक्तीकरण का अर्थ शक्ति के पुनर्वितरण से है, जो कि पुरूष प्रभुत्ता और पित्रसत्तात्मक विचारधारा को चुनौती देता है। महिला सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शक्ति निहित है अर्थात् समाज में परंपरागत रूप से चली आ रही अन्यायपूर्ण स्थितियों का तर्क की दृष्टि से विरोध करने व निर्णय लेने की क्षमता या सामर्थ्य है। महिला सशक्तीकरण संसाधनों पर नियंत्रण अथवा शक्ति हासिल करने और महिलाओं द्वारा निर्णय लेने की क्षमताओं पर बल देती है। महिला सशक्तीकरण की पहल सर्वप्रथम 1985 में नेरोबी में सम्पन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में की गयी थी। इसके बाद विश्व के सभी भागों में इसने एक आन्दोलन का रूप ले लिया। महिला सशक्तीकरण का सामान्य अर्थ महिला को शक्तिसम्पन्न बनाना है। जबकि विशिष्ट अर्थ में समाज की शक्ति संरचना में महिला के पद स्थिति को सुद्धारण प्रदान करना है। अर्थात् महिला सशक्तीकरण का अर्थ महिलाओं में वैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वायत्तता से है।

1995 में बीजिंग में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी इस बात पर बल दिया गया कि समाज में विकास, शांति व समानता के लिए आवश्यक है कि महिलाऐं सशक्त हो तथा समानता के आधार पर

प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता हो। अतः सशक्तीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें महिलाऐं विकास की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहभागी होती है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा संविधान में 73 वें तथा 74 वें सविधान संशोधन द्वारा पंचायतीराज तथा नगर निकायों में आरक्षण प्रदान किया गया है, ताकि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाया जा सके। अतः सशक्तीकरण एक सतत् प्रक्रिया है जो समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समानता तथा स्वायत्त रूप से निर्णय लने की प्रक्रिया में सक्षम बनाती है।

महिला सशक्तीकरण को मापने के लिए विभिन्न अध्ययनों में शिक्षा, संसाधनों पर नियंत्रण और उनकी सुलभता, आत्मनिर्भरता, सम्मान, अधिकारों के लिए संघर्ष, शक्ति, स्वतंत्रता, स्वायत्तता, निर्णय लेने की क्षमता के सन्दर्भ में महिला की शक्ति आदि सूचकों का प्रयोग किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की मानव विकास रिपोर्ट (HDR) 1995 में मानव विकास के दो सूचकांक रू लिंग आधारित विकास सूचकांक तथा लिंग आधारित सशक्तीकरण सूचकांक है। जी. डी. आई. में महिला तथा पुरूष में आधारभूत आवश्यकताओं के आधार पर असमानता को आँका जाता है। जीईएम (GEM) एक ऐसा सूचक है जिसके द्वारा महिला की राजनीतिक सहभागिता, आर्थिक सहभागिता तथा आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण को मापा जाता है। भारतीय मानव विकास रिपोर्ट में 2007–08 में राजस्थान का मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.434 तथा भारत में रैंक 17 है। भारत की 2007–08 में विश्व में मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.467 है जो कि विश्व के देशों की अपेक्षा कम है।

सशक्तीकरण की प्रक्रिया महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शक्ति प्रदान करती है। शक्ति का आभास व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता को

उत्पन्न करता है। इस अध्ययन में उत्तरदाताओं द्वारा क्षेत्र विशेष की समस्या को निगम की बैठक में उठाना, राजनीतिक बैठक का नेतृत्व करना, स्वयं के दल की किसी इकाई की अध्यक्ष, महिला का चयन राजनीतिक दल द्वारा राष्ट्रीय स्तर की बैठक में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने हेतु तथा महिलाओं के संस्था में किसी कमेटी की अध्यक्ष, क्षेत्र का नेतृत्व कर कॉलोनी की समस्या को सांसद/विधायक के समक्ष उठाना, संस्था में किसी सेमिनार/वर्कशाप का आयोजन आदि के आधार पर नेतृत्व विशेषताओं का अध्ययन किया गया है।

राजनीतिक जागरूकता

किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक जागरूकता से तात्पर्य राजनीतिक परिदृश्य के बारे में ज्ञान से है। यह राजनीतिक संस्थाओं व प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी के साथ राजनीतिक व्यवस्था के प्रति समझ को प्रदर्शित करता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था व मूल्यों के प्रति चेतना विकसित करते है, उनमें रूचि लेते है तथा इसके फलस्वरूप व्यक्ति देश में हो रही विभिन्न राजनीतिक घटनाओं तथा परिवर्तन के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। राजनीतिक जागरूकता का स्तर उच्च होना लोकतंत्र के सफल संचालन में दूरगामी परिणामों का घोतक है। भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के फलस्वरूप स्त्री – पुरूष समानता के प्रावधान है। महिला – पुरूष समानता के सिद्धान्त को कानूनी मान्यता के बावजूद भी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में महिला भागीदारी कम है। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में महिलाओं की क्रियाशीलता सार्वजनिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में कम थी। भारत में महिलाओं को मताधिकार के पश्चात् महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता की स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा भारत में राजनीतिक क्षेत्र में कुछ ही महिलाएँ सक्रिय हुई। महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में रूचि एवं सहभागिता बढ़ाने में भारतीय महिला संघ, भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद् तथा अखिल भारतीय महिला

सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन संघों की ऐतिहासिक शुरूआत ने महिला मुद्दों को व्यापक राष्ट्रवादी स्वरूप प्रदान किया।

निष्कर्ष

आधुनिक युग में लैंगिक समानता का प्रश्न तथा समान राजनीतिक अधिकार एवं सहभागिता का विषय विश्व स्तर पर सर्वाधिक चर्चित है। विभिन्न शोधों में महिलाओं के प्रति असमानता के व्यवहार, सार्वजनिक जीवन में उनकी सीमित भागीदारी, समाज में विद्यमान पितृसत्तात्मक व्यवस्था के संदर्भ में विवेचित किया गया है। वैधानिक दृष्टि से महिलाओं को समाज में समानता के अधिकार प्राप्त है, किन्तु व्यवहारिक दृष्टि से उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। समाज में अभी भी व्यवहारिक रूप से महिलाओं को पुरूषों के समान नहीं समझा जाता। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री – पुरूष संबंधों में सबल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ही प्रभावशाली स्थिति प्राप्त करता है। सामान्य रूप से समाज में पुरूषों को महिलाओं पर अधिकारिक आज्ञा देने का अधिकार प्रदत्त है। भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही पुरूषों की तुलना में समाज एवं परिवार में महिलाओं की स्थिति निम्न रहीं है। महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता एवं सशक्तीकरण शिक्षा, नगरीकरण, स्थानीय नेतृत्व का गुण आदि से प्रभावित होती है। प्रस्तुत अध्याय में महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता एवं सशक्तीकरण का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत अध्याय में राजनीतिक जागरूकता तथा सशक्तीकरण से संबंधित सामग्री का वर्णनात्मक तथा संबंधात्मक (काई वर्ग) विश्लेषण किया गया है। जागरूकता मानसिक अभिवृत्ति है। महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता के स्तर की जाँच इस अध्ययन में केप मॉडल के द्वारा की गई है। राजनीतिक जागरूकता की जांच राजनीतिक जानकारी, अभिवृति एवं अनुप्रयोग के स्तर पर की गयी है।

सुझाव

भारत के संदर्भ में यदि देखें तो महिलाओं की स्थिति अत्यन्त

सोचनीय है उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं–

- सर्वप्रथम महिलाओं के राजनीतिक स्थिति में सुधार के लिए प्रयास करने होगे। महिला संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं को इस दिशा में प्रयास करने होगे।
- महिलाओं को इनके कानूनी अधिकारी की जानकारी, महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्देशों का सख्ती से पालन, शोषण, उत्पीड़न सम्बन्धी मामलों का जल्दी निराकरण, महिला मामलों में पुलिस की पूरी सजगता एवं सक्रियता महिलाओं के लिए पृथक महिला थानों की स्थापना आदि महिलाओं का शोषण रोकने के लिए आवश्यक है।
- वर्तमान समय में लागू महिला सम्बन्धी कानूनों में व्याप्त विसंगतियों को दूर करना जिससे महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में पुरूषों के समान कानूनी और व्यावहारिक रूप में सभी मानवाधिकार हासिल हों।
- महिलाओं को अपनी मानसिक प्रवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा जिससे उनमें आत्म विश्वास में वृद्धि होगी।

उपसंहार

महिला समाज की धुरी है अगर धुरी टूट गई तो समाज भी टूट जायेगा। इतिहास गवाह है कि जिन समाजों ने महिलाओ को गुलाम बनाया वे खुद गुलाम बन गये, जिन समाजों ने महिलाओं को प्रगति का मौका दिया उन्हें सभ्यता के शिखर पर पहुंचने से कोई नही रोक सका। यद्यपि महिलाएँ तेजी से राजनीति के क्षेत्र में आ रही है, तथापि उन्हें राजनीति में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अशिक्षा, भ्रष्टाचार, शोषण, आर्थिकपराधीनता, राजनीतिक सोच का आभाव आदि ऐसी प्रमुख बाधाएं है जो राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने में रूकावट लाती है।

महिलाओं को राजनीति में आगे लाने के लिये उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाना होगा। अध्ययन क्षेत्र की महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा और अंधविश्वास को दूर कर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का दायित्व है। भ्रष्टाचार औश्र शोषण से महिलाओं को मुक्त करके उन्हें राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है।

महिलाओं में राजनीतिक जागरण की आवश्यकता है। राजनीति जागरण से मेरा तात्पर्य उनका शिक्षित और संस्कारित होना आवश्यक है अतः भारतीय परिवार में नारी का सर्वप्रथम दायित्व पत्नीत्व और मातृत्व के साथ राजनैतिक कार्यकलाप का समन्वय होना अतिआवश्यक है। एक सफल माँ और पत्नी की समाज और देश को सफल नेतृत्व दे सकती है।

आज पश्चिमी अपसंस्कृति के बहाव में भारतीय नारी अपनी अस्मिता को खोती जा रही है, जो हमारे देश के राजनीति का एक घातक तत्व साबित हो रहा है। अतः भारतीय प्राचीन संस्कृति की अवधारणाओं में नारीत्व का परिवेश आज की नारियों को समझना होगा तभी उनका राजनीति में नेतृत्व का पैमाना सफल साबित होगा।

निष्कर्षतः महिलाएं समाज का अनिवार्य अंग है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्र के साथ–साथ राजनीति के क्षेत्र में उनकी अहम भूमिका है। जैसे–जैसे शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में राजनीति जागरूकता आ रही है। शिक्षा के प्रचार–प्रसार और बदलते सामाजिक परिवेश में राजनीति में महिलाएँ आगे आ रही है और केन्द्रीय, प्रान्तीय, स्थानीय शासन में अपनी भागीदारी निभा रही है। इसलिये महिलाओ को सशक्त और सुदृढ़ बनाने पर ही समाज सुदृढ़ होगा। महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिये उनका शिक्षित होना आवश्यक है ताकि अपने अधिकारों को समझ कर समाज एवं राष्ट्र का विकास कर सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

शर्मा, प्रज्ञा (2011). ''भारतीय समाज में नारी'' जयपुर : पॉइंटर पब्लिशर्स, पेज – 162.

चोपड़ा, पी. एन. पुरी, बी. एन., दास एम. एन. (2005). ''भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास. "दिल्ली : मेकमिलन इंडिया लि. पेज – 259.

शर्मा, गोपीनाथ. (2008). ''राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास" जयपुरः राजस्थान हिंदी ग्रथ अकादमी . पेज – 119.

शर्मा, कालूराम (2004). ''उन्नीसवीं सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन" जयपुरः राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, पेज – 125.

जैन, हुकुमचंद एवं माली, नारायण (2011) ''राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति : एनसाइक्लोपीडिया" जयपुर : जैन प्रकाशन मंदिर, पेज – 548.

अंसारी, एम. ए. (2010), ''महिला व मानवाधिकार" जयपुर : ज्योति प्रकाशन।

कैथवास, सावित्री (2009) ''अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के राजनैतिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया में आ रही बाधांए : नए

पंचायतीराज के विशेष सन्दर्भ में, "ग्रामीण विकास, जनवरी – जून, 25, पेज – 30.

शर्मा, प्रज्ञा (2011) ''महिला विकास और सशक्तीकरण" जयपुर : आविष्कार पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स।

मादी, अनिता, पचायती राज एव महिला सशक्तीकरण, बुक एन क्लेव, जयपुर, 2009 पृ0 19

श्री वास्तव, सुधारानी, भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति, कोमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2010, पृ0 13

गुप्ता, भावना, पचायती राज और कानन, इशिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2010, पृ0 67

जोशी, आर. पी., मगलानी, रूपा, पचायती राज के आयाम, यनिवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर, 2000, पृ0 27

त्यागी, डॉ0 शालिनी, पंचायती राज व्यवस्था में सत्ता शक्ति का विकेन्द्रिकरण, नव जीवन पब्लिकेशन निवाई (टोंक) 2006, पृ0 7

व्यास, आशा, पंचायती राज में महिलाऐं, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2012, पृ0 48

चन्देल, डॉ0 धर्मवीर, चतुर्वेदी, नत्थीलाल, भारत में पंचायती राज सिद्धान्त एवं व्यवहार, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2012, पृ0 183

वर्मा, सवलिया बिहारी, सोनी,एम.एल, गुप्ता, संजीव, महिला जागृति और सशक्तीकरण आविष्कार पब्लिषर्स, जयपुर, 2005, पृ. 92

वर्मा, सवलिया बिहारी, सोनी, एम.एल, गुप्ता, सजीव, महिला जागृति और सशक्तीकरण, पृ0 97।